हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
हरियाणा
2021-22

जारीकर्ता :

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2022

प्रकाशन संख्या 1277
www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2021–22

जारीकर्ता:
अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकूला

विषयवस्तु

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति	
अध्याय–1	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–19
अध्याय–2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान	20–38
	विभागों/बोर्डों/निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय–3	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	39–78
अध्याय–4	उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन	79–102
अध्याय–5	शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी	103–123
अध्याय–6	स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास	124–146
अध्याया–7	पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास	147–160
अध्याय–8	सामाजिक क्षेत्र	161–185
	अनुलग्नक	186–191

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें		अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
प्रशासनिक ढांचा		जनवरी, 2022	संख्या		
(क) मण्डल				6	
(ख) जिले				22	
(ग) उप–मण्डल				74	
(घ) तहसीलें				94	
(ड) उप–तहसीलें				49	
(च) खण्ड				143	
(छ) कस्बे		जनगणना, 2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)		जनगणना, 2011		6,841	
जनसंख्या		जनगणना, 2011			
(क) कुल			संख्या	2,53,51,462	1,21,05,69,573
(ख) पुरूष			संख्या	1,34,94,734	62,31,21,843
(ग) स्त्रियां			संख्या	1,18,56,728	58,74,47,730
(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			संख्या	1,65,09,359 65.12	83,34,63,448 68.85
(ड) शहरी			संख्या	88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व			प्रति वर्ग कि.मी.	573	382
(छ) साक्षरता दर	पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
	स्त्री			65.9	64.6
	कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात			हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकडे					
(क) जन्म दर			प्रति हजार	2019	2018
(i) इक्टठी				20.1	20.0
(ii) ग्रामीण				21.4	21.6
(iii) शहरी				17.9	16.7
(ख) मृत्यु दर			प्रति हजार	2019	2018
(i) इक्टठी				5.9	6.2
(ii) ग्रामीण				6.6	6.7
(iii) शहरी				4.8	5.1

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर (आई.एम.आर.)		प्रति हजार	2019	2018
(i) इक्टठी			27	32
(ii) ग्रामीण			30	36
(iii) शहरी			23	23
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2016–18	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	91	113
भूमि उपयोग			2019–20 (अन्तिम)	2018–19
(क) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,570	1,39,351
(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,047	57,969
(ग) कुल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	6,617	1,97,320
(घ) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	85.35	41.60
चालू जोतें	कृषि गणना 2015–16			
(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या हजार	1,628	1,46,454
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,609	1,57,817
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.22	1.08
विद्युत	2020–21			
(क) स्थापित कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	12,241	उपलब्ध नहीं
(ख) उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	4,95,874	उपलब्ध नहीं
(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	4,18,352	उपलब्ध नहीं
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	71,17,384	उपलब्ध नहीं
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2020–21 (द्रुत अनुमान)			
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		करोड़ रूपये	7,58,507	1,98,00,914
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)		करोड़ रूपये	6,71,256	1,80,57,810
(ग) कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	1,32,569	36,09,494
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	2,10,535	48,57,375
(ड) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	3,28,152	95,90,940
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	2,35,707	1,26,855

***

हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा राज्य सम्पन्न संस्कृति और कृषि समृद्ध भूमि है। यह उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब व दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे तीन तरफ से घेरता है। हरियाणा सेंट्रल पूल जो कि अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भण्डार प्रणाली है, में काफी मात्रा में गेहूँ और चावल का योगदान देता है। हरियाणा देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी तेजी से प्रगति की है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग मोटर वाहन, आई.टी., कृषि एवं पैट्रोकैमिकल है। ऑटो की बड़ी कम्पनियों और ऑटो पार्टस निर्माताओं के लिए पंसदीदा स्थान होने के कारण राज्य देश का सबसे बड़ा ऑटो मोबाइल केन्द्र है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी (आई.ओ.सी. एल.) दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा का संरचनात्मक परिवर्तन कृषि राज्य से सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ औद्योगिक राज्य के रूप में हो रहा है, राज्य ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3 प्रतिशत क्षेत्र तक फैला है इसके बावजूद स्थिर (2011–12) कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020–21 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इसका 3.95 प्रतिशत का योगदान है। हालाँकि, वर्ष 2020–21 में महामारी से सम्बंधित व्यवधानों के कारण हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होकर तीव्र सुधार की उम्मीद है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 8,95,671.25 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2020–21 में 0.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 18.1 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में दर्ज की गई 5.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,88,771.21 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्तर वर्ष 2019–20 **(आकृति 1.1)** में अनुमानित 5,66,033.74 करोड़ रूपये के पूर्व कोविड स्तर को पार कर जाएगा। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1** में दिया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **आकृति 1.2** में दी गई है।

आकृति 1.1.–स्थिर (2011–12) कीमतों पर जी.एस.डी.पी. एवं जी.एस.वी.ए. का पूर्व महामारी स्तर

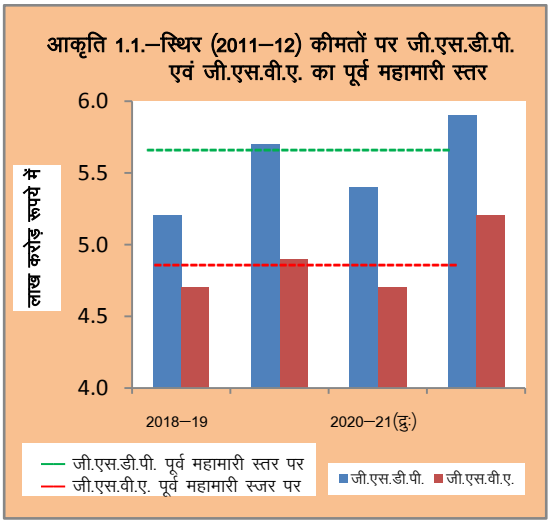

तालिका 1.1–हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	297538.52	297538.52
2012–13	347032.01	320911.91
2013–14	399268.12	347506.61
2014–15	437144.71	370534.51
2015–16	495504.11	413404.79
2016–17	561424.17	456709.11
2017–18	638832.08	482036.15
2018–19	698188.88	524170.88
2019–20	762043.60	566033.74
2020–21 (द्रु:)	758506.53	536225.60
2021–22 (अग्र:)	895671.25	588771.21

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.2 –हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

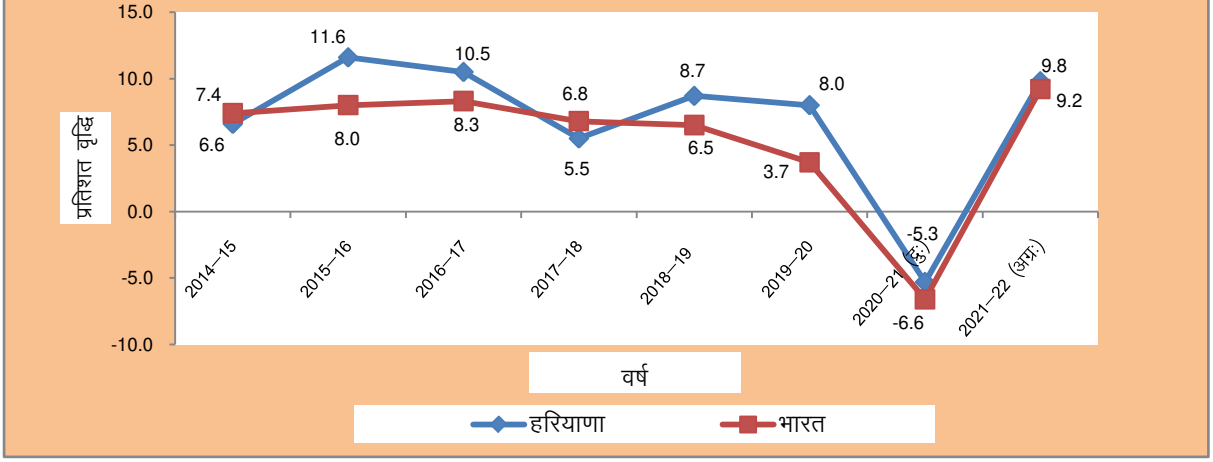

1.3 वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर (2011–12) कीमतों पर 4.3 प्रतिशत का संकुचन हुआ। वर्ष 2021–22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में V–आकार की रिकवरी हुई है। उद्योग क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि के कारण वर्ष 2021–22 में 9.2 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **तालिका 1.2** तथा **आकृति 1.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा								अखिल भारत
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (द्रु:)	2021–22 (अग्र:)	2021–22* (अग्र:)
कृषि एवं सहबद्ध	-2.2	3.8	7.9	7.0	9.0	4.8	-2.5	2.6	3.9
उद्योग	4.7	11.4	12.9	3.6	13.0	7.5	-1.7	11.5	11.8
सेवा	10.4	10.8	8.6	5.6	8.1	5.4	-6.8	10.1	8.2
सकल राज्य मूल्य वर्धन	**6.0**	**9.7**	**9.9**	**5.2**	**9.8**	**6.0**	**-4.3**	**9.2**	**8.6**

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान
*स्त्रोतः एन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 7 जनवरी, 2022
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

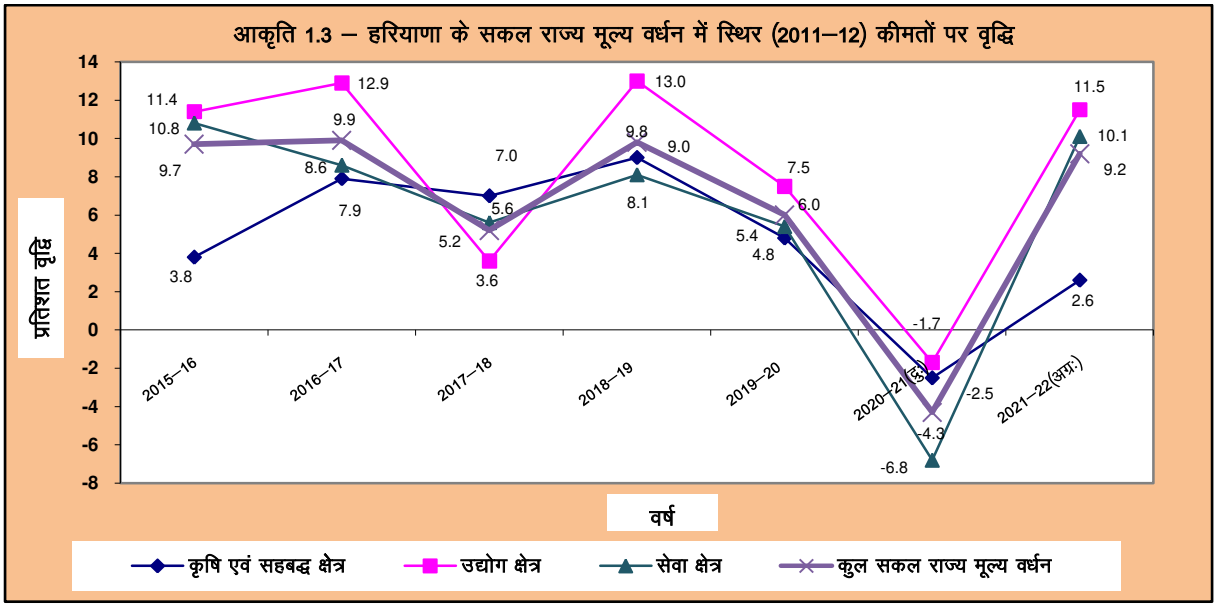

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति ज्यों की त्यों जारी रही। वर्ष 2019–20 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 34.0 प्रतिशत और 48.4 प्रतिशत अनुमानित की गई। पिछले वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के बावजूद, कोविड–19 महामारी के प्रसार ने वर्ष 2020–21 में आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित किया है। महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खण्ड जिनमें मानव संपर्क शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप, सकल राज्य मूल्य वर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा घटकर 47.1 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) और उद्योग क्षेत्र (34.9 प्रतिशत) की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021–22 में उद्योग (11.5 प्रतिशत) और सेवा क्षेत्र (10.1 प्रतिशत) की उत्कृष्ट वृद्धि के साथ इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़कर क्रमशः 35.6 प्रतिशत एवं 47.5 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा घटकर 16.9 प्रतिशत रह गया। राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अंश **आकृति 1.4** में दर्शाया गया है।

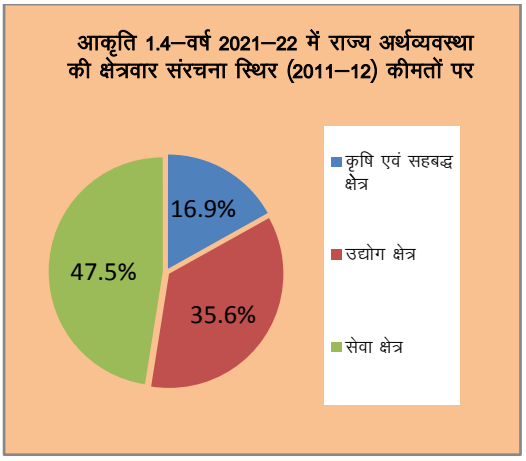

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

1.7 प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर को क्रमशः **तालिका 1.3 और आकृति 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3– प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	हरियाणा (रूपये)		अखिल भारत (रूपये)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	106085	106085	63462	63462
2012–13	121269	111780	70983	65538
2013–14	137770	119791	79118	68572
2014–15	147382	125032	86647	72805
2015–16	164963	137833	94797	77659
2016–17	184982	150259	104880	83003
2017–18	208437	156200	115224	87586
2018–19	223015	166747	125946	92133
2019–20	240507	177507	132115	94270
2020–21 (द्रु:)	235707	165617	126855	85110
2021–22 (अग्र.)	274635	179367	150326*	93973*

द्रु.: द्रुत अनुमान अग्र.: अग्रिम अनुमान,
* स्त्रोतः एन. एस. ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 7 जनवरी, 2022
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

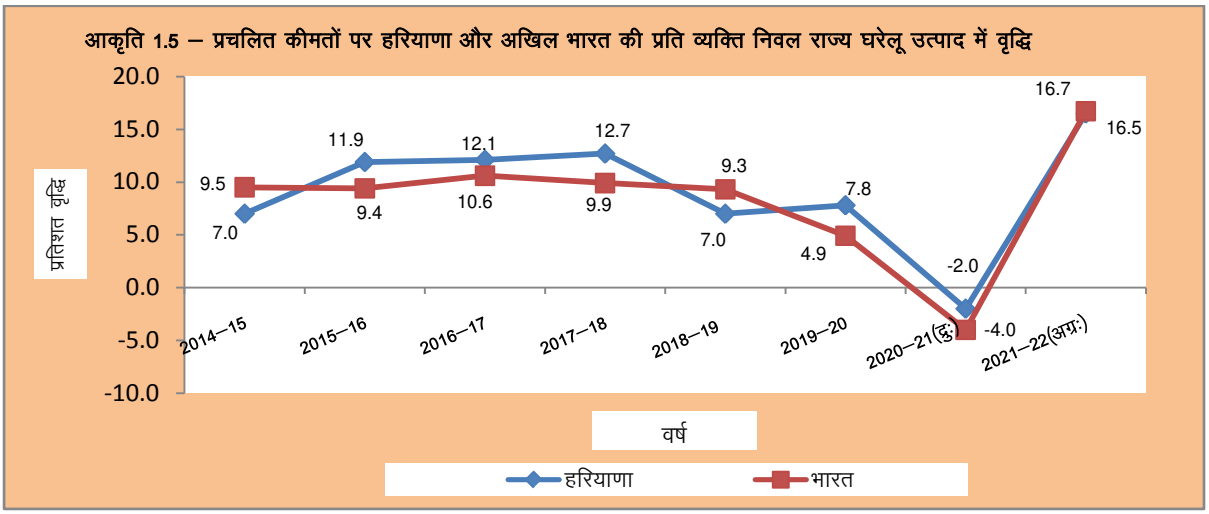

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) भावों पर वर्ष 2020–21 में 6.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,367 रूपये अनुमानित की गई। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2021–22 में इसके 2,74,635 रूपये होने की सम्भावना है जो कि वर्ष 2020–21 में दर्ज 2.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2021–22 में भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 1,50,326 रूपये और 93,973 रूपये की तुलना में अधिक रही है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, मार्किट यार्ड का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति वांछनीय तरक्की हुई है। कृषि अनुसंधान सहायता और किसानों के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार करने के लिए उत्कृष्ट विस्तार नेटवर्क से युक्त इन सुविधाओं का निर्माण होने के कारण कोविड–19 महामारी के दौरान भी इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर परिणाम मिले हैं।

1.10 कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान बढा है जिसके कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान घटा है। वर्ष 2021–22 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर (2011–12) कीमतों पर 16.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर पर ज्यादा निर्भर रहा है। हालांकि हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है, जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा।

1.11 कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लोगिंग व मत्स्य पालन उप–क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक हैं, इनका कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग 93 प्रतिशत का योगदान है। कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर विभिन्न वर्षों में दर्ज विकास दर के साथ **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है। कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अनुमान दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों की वृद्धि 2017–18 में 7.0 प्रतिशत रही जो 2018–19 में बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गई परन्तु वर्ष 2019–20 में गिरकर 4.8 प्रतिशत रह गई। कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं परन्तु इस क्षेत्र ने वर्ष 2020–21 में 2.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इस नकारात्मक वृद्धि का कारण पशुधन क्षेत्र से उत्पादन के सकल मूल्य के संकलन में पशुधन जनगणना–2019 के परिणामों को अपनाना है, जिसमें पशुधन जनगणना 2011–12 की तुलना में भैंसों की आबादी में 28.2 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 87,167.66 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2021–22 में कृषि क्षेत्र जिसमें फसल एवं पशुपालन उपक्षेत्र शामिल है, का सकल राज्य मूल्य वर्धन 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 81,378.74 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लोगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः 4.8 प्रतिशत तथा 8.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,946.55 करोड़ रूपये तथा 1,842.38 करोड़ रूपये दर्ज किया गया।

तालिका 1.4– कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (द्रु:)	2021–22 (अग्र:)
फसल व पशुपालन	59785.53	58778.74 (-2.8)	61034.66 (3.8)	67216.40 (10.1)	71349.75 (6.1)	77912.76 (9.2)	81901.41 (5.1)	79524.82 (-2.9)	81378.74 (2.3)
वानिकी तथा लोंगिग	3894.90	3897.24 (6.0)	3984.38 (2.2)	2871.82 (-27.9)	3372.29 (17.4)	3735.89 (10.8)	3739.50 (0.1)	3764.76 (0.7)	3946.55 (4.8)
मत्स्य	858.43	900.64 (5.3)	1003.17 (11.4)	1178.37 (17.5)	1567.94 (33.1)	1537.34 (-2.0)	1558.18 (1.4)	1705.98 (9.5)	1842.38 (8.0)
कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र	**64538.86**	**63576.61 (-2.2)**	**66022.21 (3.8)**	**71266.59 (7.9)**	**76289.98 (7.0)**	**83185.99 (9.0)**	**87199.09 (4.8)**	**84995.56 (-2.5)**	**87167.66 (2.6)**

द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

तालिका 1.5– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (द्रु:)	2021–22 (अग्र:)
खनन व उत्खनन	118.82	330.90 (21.5)	695.23 (110.1)	1191.15 (71.3)	1089.03 (-8.6)	772.56 (-29.1)	1366.98 (76.9)	1620.88 (18.6)	1777.64 (9.7)
विर्निमाण	53286.09	72320.84 (7.2)	84936.38 (17.4)	97157.52 (14.4)	99031.41 (1.9)	114549.00 (15.7)	125312.06 (9.4)	124560.18 (-0.6)	139258.29 (11.8)
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं	3446.04	3267.77 (12.0)	2960.61 (-9.4)	3561.64 (20.3)	4439.79 (24.7)	4247.39 (-4.3)	4651.24 (9.5)	4660.36 (0.2)	5170.49 (10.9)
निर्माण	29759.66	30146.78 (-1.8)	29581.79 (-1.9)	31522.08 (6.6)	33630.63 (6.7)	36608.63 (8.9)	36597.48 (0.0)	34174.23 (-6.6)	37830.88 (10.7)
उद्योग	86610.61	**106066.30 (4.7)**	**118174.01 (11.4)**	**133432.38 (12.9)**	**138190.85 (3.6)**	**156177.59 (13.0)**	**167927.76 (7.5)**	**165015.66 (-1.7)**	**184037.29 (11.5)**

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्त्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन और उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2020–21 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) दर्शाते हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2019–20 में 100.26 था जो कि वर्ष 2020–21 में घट़कर 97.48 हो जाएगा। कृषि उत्पादन सूचकांक 2019–20 में 116.28 था जो कि वर्ष 2020–21 में घटकर 115.43 होने का अनुमान है जबकि इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 115.98 से बढकर वर्ष 2020–21 में 118.41 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2019–20 में 140.22 से घटकर वर्ष 2020–21 में 139.49 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 65.02 से घटकर वर्ष 2020–21 में 63.91 होने का अनुमान है।

उद्योग क्षेत्र

1.14 विभिन्न वर्षो के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2019–20 के अनन्तिम अनुमानों में आंके गए 1,67,927.76 करोड़ रुपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में वर्ष 2020–21 के द्रुत अनुमानों में यह 1,65,015.66 करोड़ रुपये आंका गया जो वर्ष 2019–20 की 7.5 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में 2020–21 में 1.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,84,037.29 करोड़ रूपये आंका गया जो पिछले वर्ष से 11.5 प्रतिशत की उच्च वृद्धि को दर्शाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) एक चयन किए गए आधार वर्ष

पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक **तालिका 1.6** में दी गई है।

1.16 आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2018–19 में 141.9 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 154.4 हो गया जिसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2018–19 के 144.7 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 166.4 हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विद्युत क्षेत्र वर्ष 2018–19 में नकारात्मक वृद्धि –4.4 प्रतिशत दर्शाता है, जो कि वर्ष 2018–19 में 105.7 से घटकर वर्ष 2019–20 में 72.0 हो गया। जो कि गत वर्ष की तुलना में –31.9 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.6–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2018–19	2019–20
विनिर्माण	144.7 (4.8)	166.4 (15.0)
विद्युत	105.7 (-4.4)	72.0 (-31.9)
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
क – प्राथमिक वस्तुएं उद्योग	111.8 (-4.9)	85.4 (-23.6)
ख – पूंजीगत वस्तुएं उद्योग	162.5 (14.4)	203.6 (25.3)
ग – मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योग	127.1 (8.3)	139.5 (9.8)
घ – आधार संरचना, निर्माण उद्योग	145.9 (7.1)	126.7 (-13.2)
ड – उपभोक्ता स्थिर वस्तुएं	161.9 (1.4)	163.0 (0.7)
च – उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं	64.2 (-3.5)	68.9 (7.3)
औद्योगिक उत्पादन सामान्य सूचकांक	**141.9 (4.2)**	**154.4 (8.8)**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.17 प्राथमिक वस्तु के उद्योगों जैसे आर्गन गैस, नाईट्रोजन लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड, यूरिया, बिटूमन, एल.पी.जी. सिलेण्डर ऑफ आयरन तथा स्टील, विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2018–19 में 111.8 से घटकर वर्ष 2019–20 में 85.4 हो गया, जिसमें –23.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

1.18 पूंजीगत वस्तु के उद्योगों जैसे कनवेयर बैल्ट, दन्त चिकित्सा, मोटर, फैन, डायमंड टूल्स, कल्टीवेटर्स, स्पिरिंग पिन, एयर ब्रेक सेट, एक्सल, ट्रैकस, रेलवे/ट्रामवे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2018–19 में 162.5 की तुलना में वर्ष 2019–20 में 203.6 हो गया, जिसमें 25.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

1.19 मध्यवर्ती वस्तु के उघोगों जैसे मड/मौलासिस वेस्ट, प्लाईवुड बोर्ड, एल्यूमिनियम इनगोट, कास्ट आयरन, मशीन सिकरू आयरन तथा स्टील, गियर केस एसेंमबली, मेडिकल सर्जीकल लैबोरेट्री स्टरलाईजर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2018–19 में 127.1 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 139.5 हो गया, जिसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है।

1.20 उपभोक्ता संरचनात्मक वस्तुओं जैसे पेंट, सीमेंट, पोर्टलैंड, केबल, इन्सूलेटिड पी.वी.सी., स्क्रेप कास्ट आयरन, सीमेंट, अन्य उत्पाद केबल, इन्सूलेटिड रबड़, सीरैमिक टाईल्स इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2018–19 में 145.9 से घटकर वर्ष 2019–20 में 126.7 हो गया, जिसमें –13.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

1.21 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे की कॉटन, कार्डिड या कौम्बड, कॉटन फैबरिक्स, फैबरिक्स, कॉटन कम्बल, गारमेन्टस कपडे, हैंडबैग, कृत्रिम फर, अन्य सपोर्टस फुटवियर, स्केटिंग बूट के अतिरिक्त, किताबें, रेक्सिन, आडियो सी.डी./डी.वी.डी. प्लेयर, रबड़ कपडा/सीट, कैमपिंग, पैन बाडी प्लास्टिक, स्टैपलर, हथकरघा/साजोसमान के फैन्सी आईटम इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2018–19 में 161.9 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 163.0 हो गया, जोकि 0.7 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है।

1.22 उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं जैसे सूखी सब्जियां, दूध, बासमती चावल, चीनी, बिस्कुट, ब्लैक चाय, रैक्टीफाईड स्पिरिट, चबाने का तम्बाकू तथा पेय फिल्टर्स इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2018–19 में 64.2 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 68.9 हो गया, जोकि 7.3 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र

1.23 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2021–22 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 47.5 प्रतिशत आंका गया है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का उच्च अंश राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह एक विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी घटकों के नजदीक ले जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि एवं सहबद्ध और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से काफी तेज थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान सेवा क्षेत्र में औसत विकास दर 10.1 प्रतिशत थी जो कि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत विकास दर (6.3 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

1.24 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज करने के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी हो गई। इस क्षेत्र ने 2017–18, 2018–19 और 2019–20 में क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 8.1 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2020–21 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र का वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2019–20 में 2,39,172.37 करोड़ रूपये के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 6.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ 2,22,815.27 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन महामारी के प्रभाव से V–आकार की रिकवरी करते हुए वर्ष 2020–21 की तुलना में 10.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,45,224.04 करोड़ रूपये अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में दर्ज 10.1 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार और मरम्मत सेवाओं (11.8 प्रतिशत), परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं (13.2 प्रतिशत) और अन्य सेवाओं (13.6 प्रतिशत) क्षेत्रों में दर्ज उत्कृष्ट वृद्धि के कारण सम्भव हुई है **(तालिका 1.7)**।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.25 वर्ष 2020–21 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 20.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2019–20 में यह वृद्वि 7.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों में इस उप–क्षेत्र की विकास दर 11.8 प्रतिशत होने की संभावना है।

परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं

1.26 वर्ष 2020–21 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 17.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2019–20 में यह 2.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्तीय, स्थावर सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं

1.27 वर्ष 2019–20 व 2020–21 के दोनो वर्षों के दौरान इन उप–क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत रही है। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

1.28 वर्ष 2019–20 के दौरान इन उप–क्षेत्रों में दर्ज 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 2.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रही है। वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

तालिका 1.7– सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (द्रु:)	2021–22 (अग्र:)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	33107.42	43097.44 (12.1)	50324.65 (16.8)	55986.73 (11.3)	62645.36 (11.9)	69242.62 (10.5)	74340.36 (7.4)	59289.04 (-20.2)	66256.20 (11.8)
परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	22937.61 (12.1)	24381.94 (6.3)	24631.92 (1.0)	24707.85 (0.3)	25739.58 (4.2)	26413.63 (2.6)	21883.05 (-17.2)	24768.59 (13.2)
वित्तीय, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	74026.89 (7.8)	81917.61 (10.7)	89570.59 (9.3)	90199.05 (0.7)	98340.00 (9.0)	102259.68 (4.0)	106367.16 (4.0)	114818.18 (7.9)
लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं	19956.26	25264.26 (14.2)	26587.59 (5.2)	28722.72 (8.0)	32425.19 (12.9)	33565.72 (3.5)	36158.69 (7.7)	35276.02 (-2.4)	39381.06 (11.6)
कुल सेवाएं	**122925.16**	**165326.20 (10.4)**	**183211.78 (10.8)**	**198911.97 (8.6)**	**209977.45 (5.6)**	**226887.92 (8.1)**	**239172.37 (5.4)**	**222815.27 (-6.8)**	**245224.04 (10.1)**

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान। * कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.6– स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में हरियाणा का योगदान

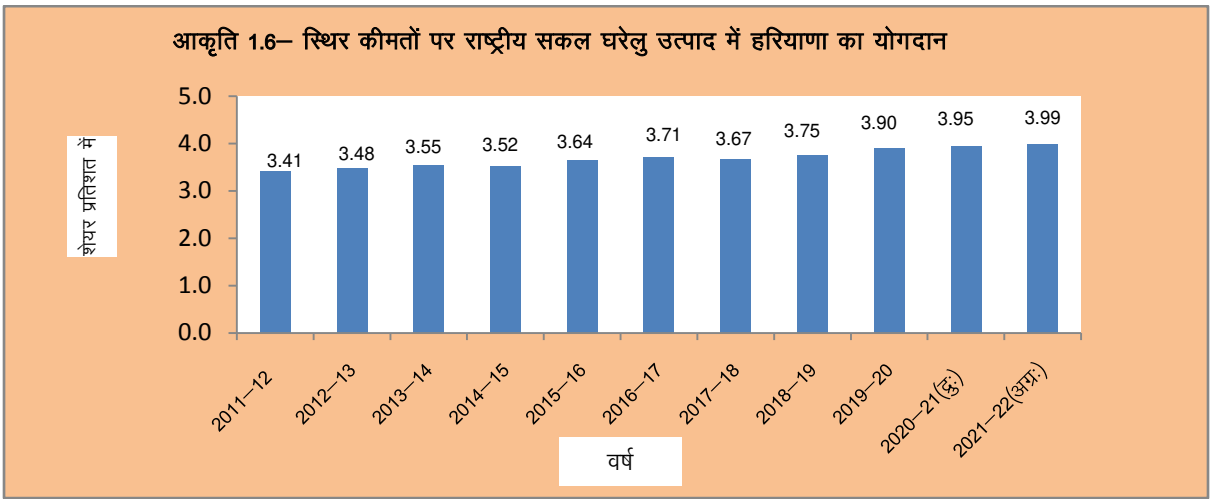

हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

1.29 राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान समय बीतने के साथ धीरे–धीरे बढ़ा है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान स्थिर (2011–12) कीमतों पर 2011–12 में 3.41 प्रतिशत दर्ज किया गया था जो अब वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 3.99 प्रतिशत हो गया है **(आकृति 1.6)**। प्रचलित कीमतों पर, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2021–22 में 3.86 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हरियाणा की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उच्च आवृति संकेतकों (एच.एफ.आई.एस.) का लाभ उठाना

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय (जी.जे.यू.एस.एंड.टी.) का अर्थशास्त्र विभाग (डी.ओ.ई.) हरियाणा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में सुधार के लिए अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के साथ कार्य कर रहा है। हरियाणा की अर्थव्यस्था को समझने के लिए डी.ओ.ई., जी.जे.यू.एस.एंड.टी., हिसार द्वारा तैयार किये गये कुछ उच्च आवृति संकेतक (एच.एफ.आई.एस.) निम्नानुसार है:–

गूगल गतिशीलता सूचकांकों में रुझान

1.30 खुदरा और मनोरंजन (यानि रेस्तरां, कैफे, शॉपिंग सेंटर आदि), ट्रांजिट स्टेशन (सार्वजनिक परिवहन केन्द्र जैसे सबवे, बस और ट्रेन स्टेशन) और कार्यस्थल के लिए गूगल गतिशीलता सूचकांक **(आकृति 1.7)** गतिशीलता के पूर्व–महामारी स्तर में प्रतिशत विचलन को मापते हैं। ओमीक्रोन लहर का

फिर से प्रतिबंधों का कारण बनने से पहले, ये गूगल गतिशीलता सूचकांक दिसम्बर, 2021 में पूर्व–महामारी के स्तर तक पहुंच गए थे। महामारी के दौरान प्रतिबंधित गतिविधि और तालाबंदी/पाबंदियों के सफलतापूर्वक होने के कारण ऊपर बताए गए संकेतकों के मामले में आवासीय क्षेत्रों की प्रवृति ठीक विपरीत देखी गयी है।

आकृति 1.7– गूगल गतिशीलता सूचकांकों में रुझान

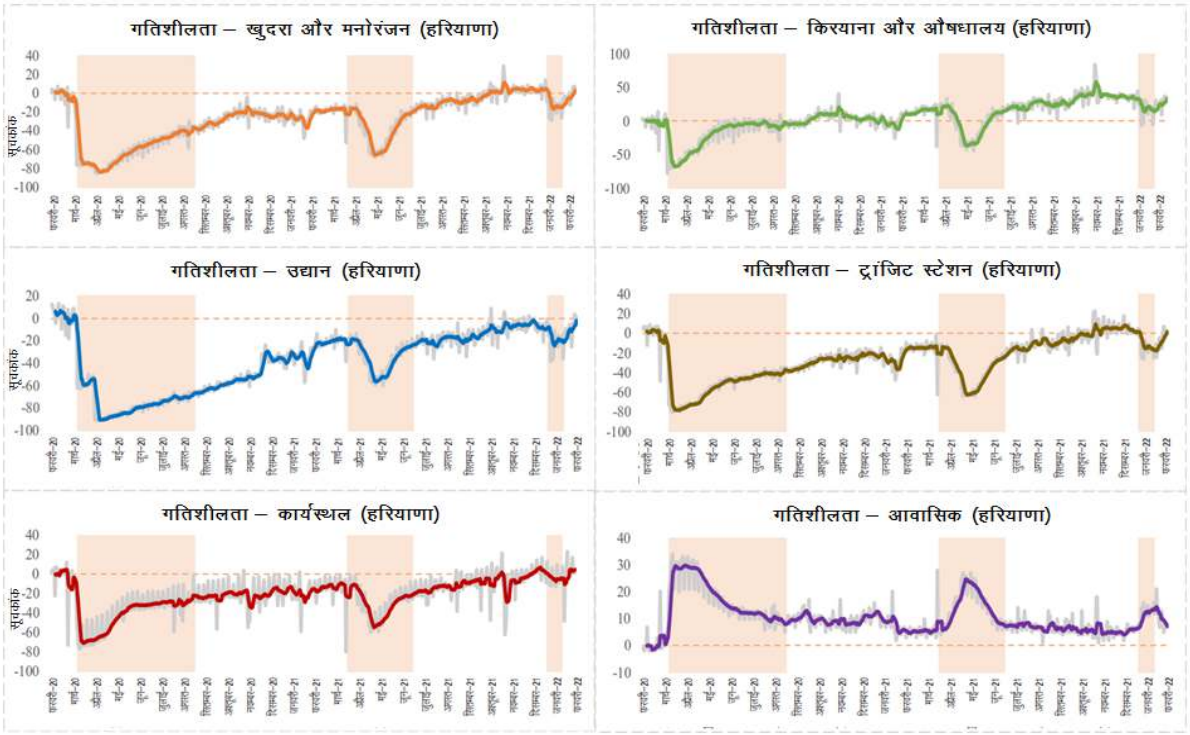

नोटः गूगल गतिशीलता सूचकांक फरवरी, 2020 को विभिन्न स्थानों पर गतिशीलता डाटा की तुलना करने के लिए शून्य की आधार रेखा के रूप में लेता है, क्योंकि फरवरी से पहले का डाटा Google द्वारा सार्वजानिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

स्त्रोतः https://www.google.com/covid19/mobility/

वाहन पंजीकरण सूचकांकों में रुझान

1.31 **आकृति 1.8** के रुझान बताते हैं कि कोविड की पहली दो लहरों में लॉकडाउन/पाबंदियों के सफल क्रियान्वयन और यात्रा गतिविधियाँ बाधित होने के कारण वाहन पंजीकरण में भारी गिरावट आयी है। लेकिन तिपहिया वाहनों के पंजीकरण में इतनी भारी गिरावट आई है कि इसने अभी तक 2019–20 के औसत स्तर को भी हासिल नहीं किया है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों की कोविड लहरों में दो गिरावटों के बाद अंतिम पुनः प्राप्ति हुई क्योंकि महामारी ने एक सुरक्षित पृथक मोड़ में यात्रा करने की मांग में वृद्धि की है। यह संकेत करता है कि महामारी के डर ने यात्रा के व्यक्तिगत तरीकों को प्राथमिक चुनने की दिशा में गतिशील बदलाव किया है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

आकृति 1.8–वाहन पंजीकरण सूचकांकों में रुझान

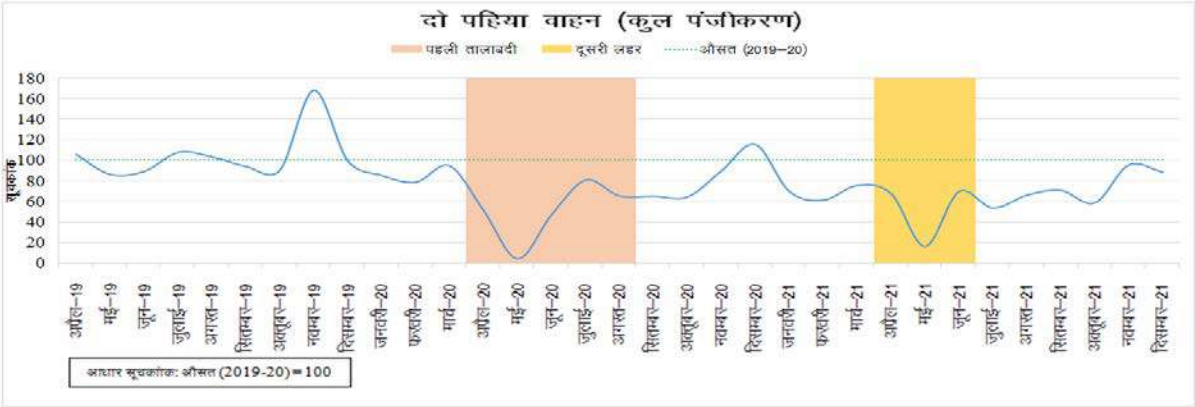

स्त्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

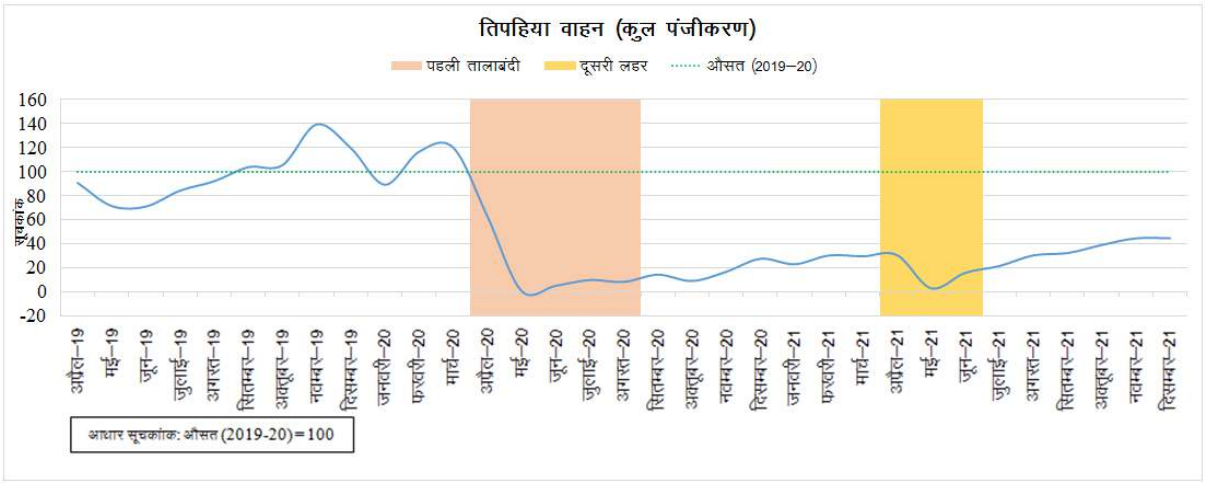

स्त्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

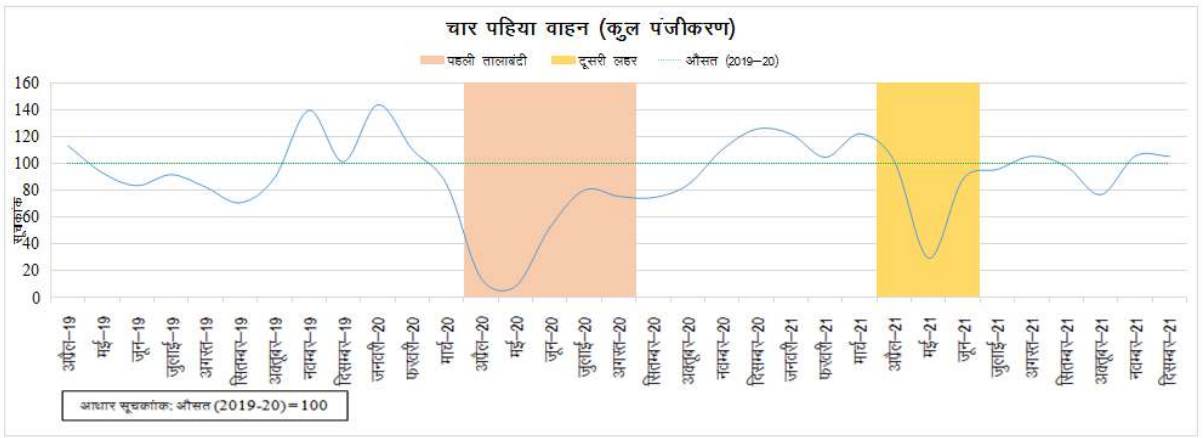

स्त्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

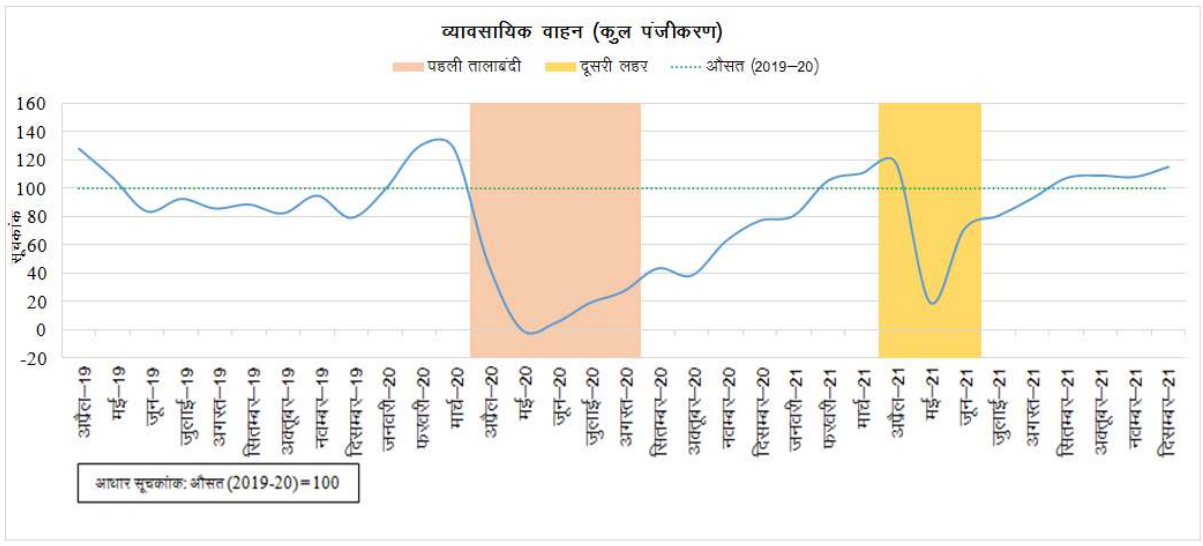

स्त्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

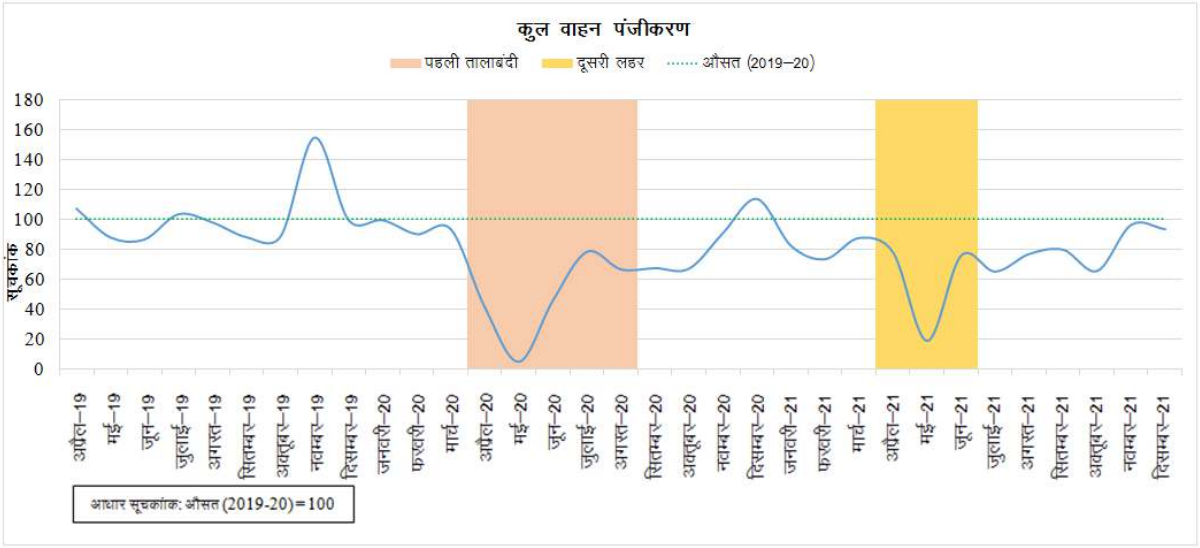

स्त्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

बिजली खपत सूचकांकों में रुझान

1.32 वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थानों आदि पर लॉकडाउन/पाबंदियों के प्रभाव के कारण वर्षों से सामान्य मौसमी खपत की प्रवृति से वाणिज्यिक बिजली की खपत में कम मांग देखी गई है। इसके अलावा प्रमुख आई.टी./आई.टी. ई.एस. आधारित व्यवसाय महामारी के दौरान घर से काम करने की नीति में स्थानांतरित हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बिजली की खपत कम हो गई थी। पहले लॉकडाउन व दूसरी लहर में मंदी के दौरान औद्योगिक बिजली की खपत में भारी गिरावट देखी गई, जिसके बाद यह पूर्व–महामारी के स्तर पर वापस आ गई है। लेकिन मौजूदा आंकड़े दूसरी लहर की पाबंदियों के हटने के बाद औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बिजली की खपत की मांग को कम दिखाते हैं। इस मौजूदा घटना को औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के गहन विश्लेषण के माध्यम से सामने लाया जा सकेगा। यह महामारी के प्रभाव से व्यापार की बढ़ती लागत, मांग में कमी और आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबंधों के कारण हो सकता है **(आकृति 1.9)**।

आकृति 1.9– बिजली खपत सूचकांकों में रुझान

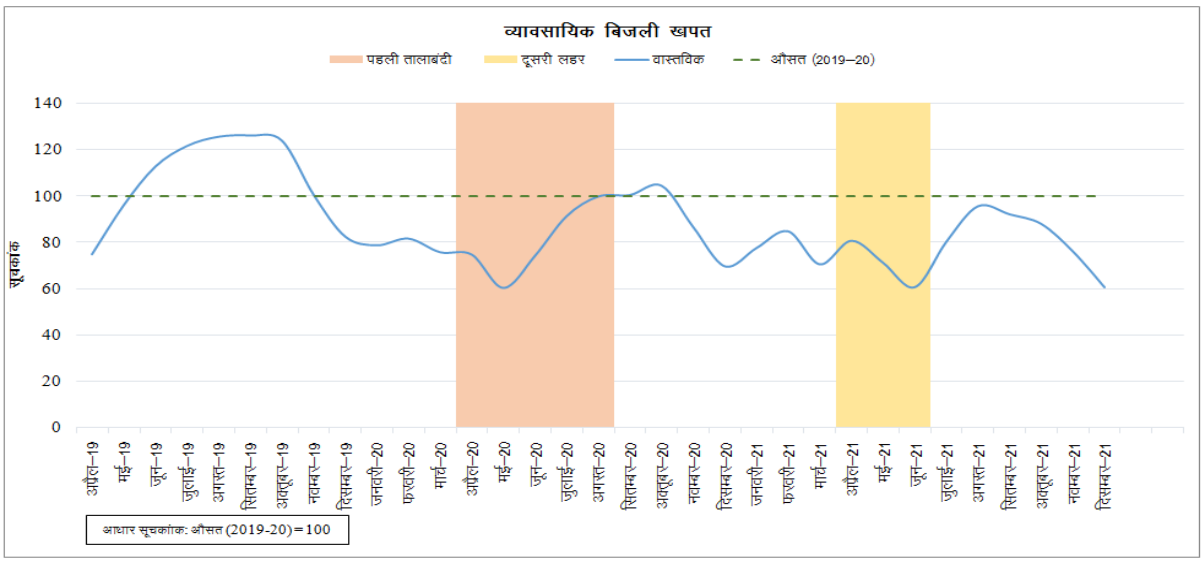

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन.।

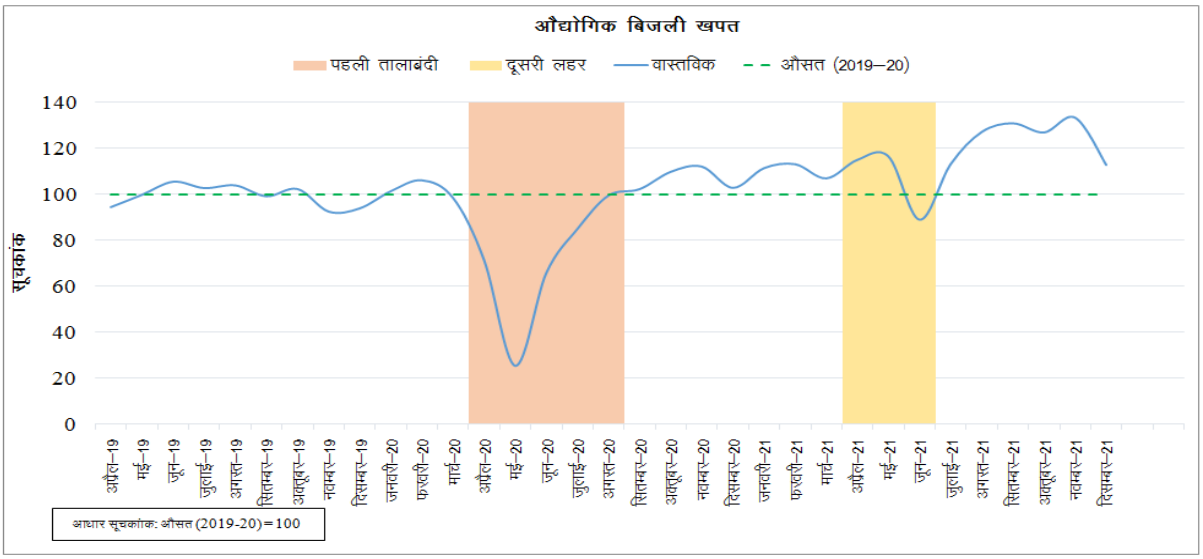

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन.।

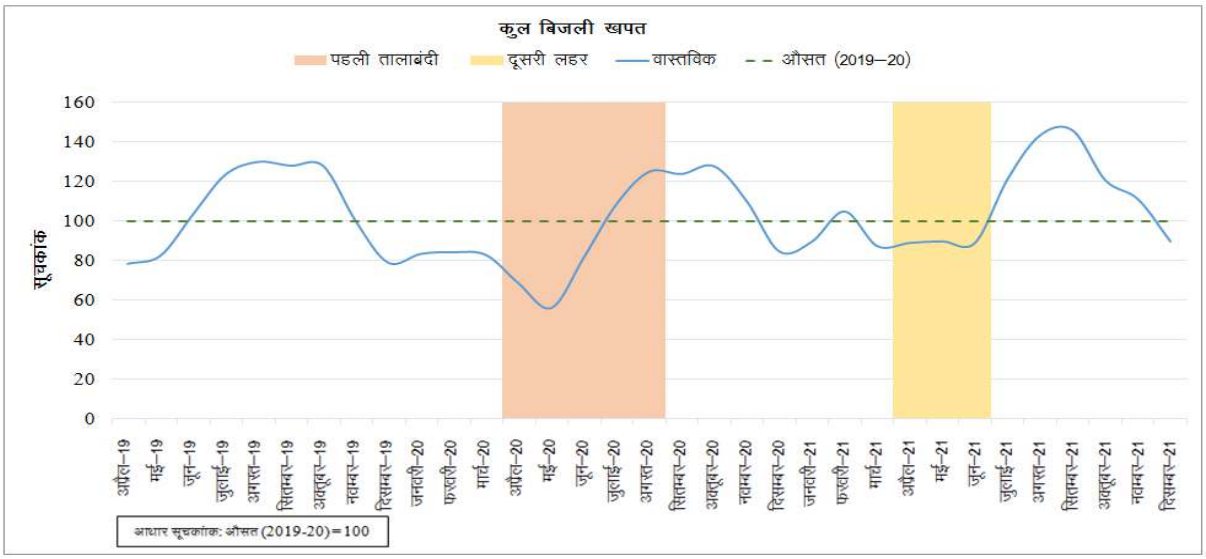

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच.बी.वी.एन.।

आकृति 1.10– राजस्व सूचकांकों में रुझान

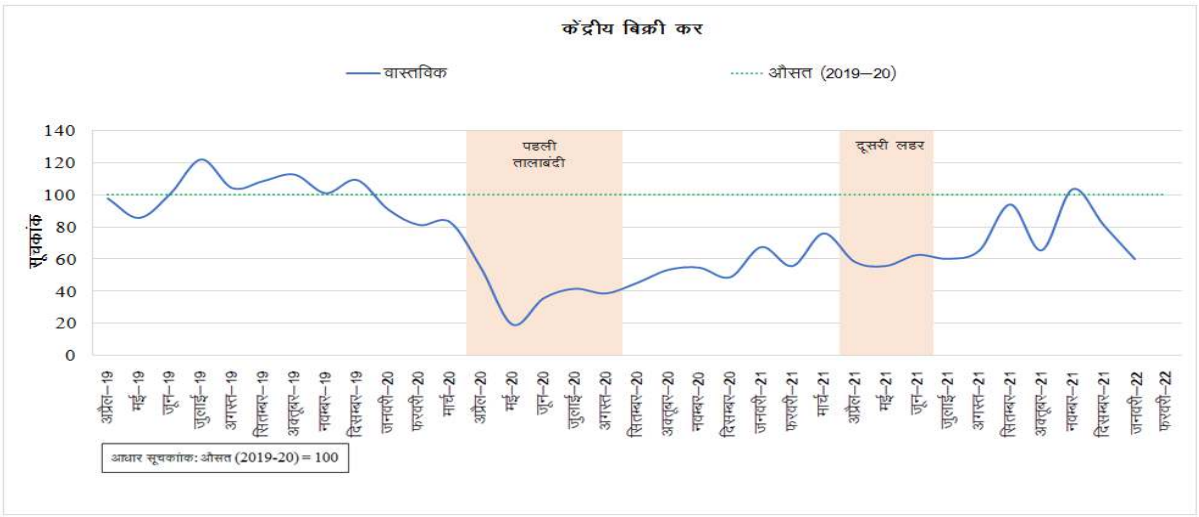

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

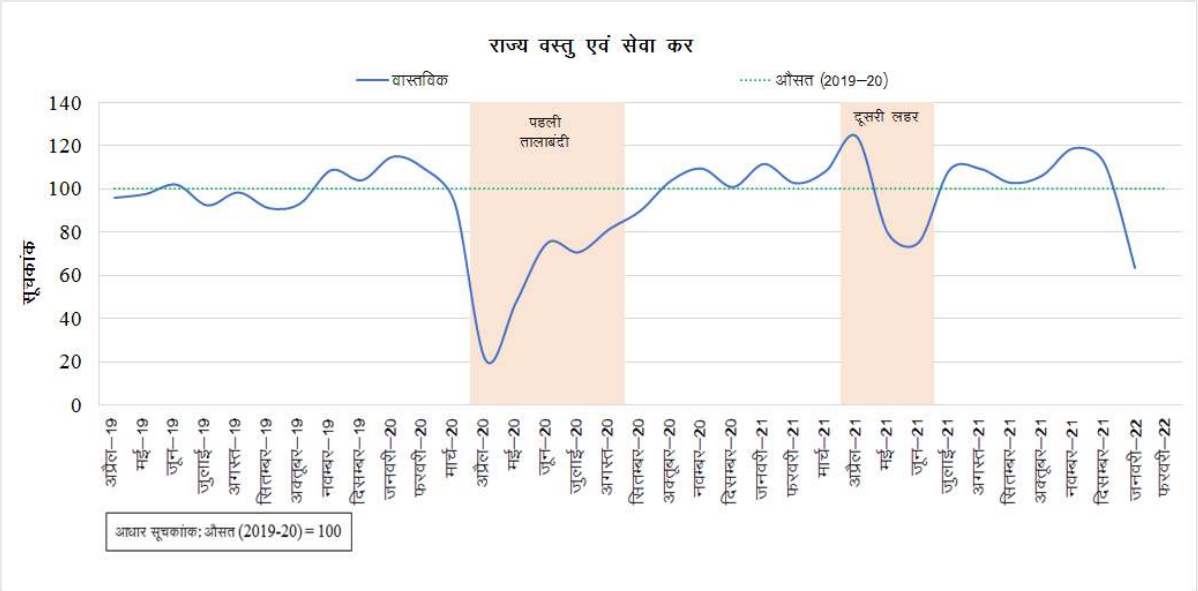

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

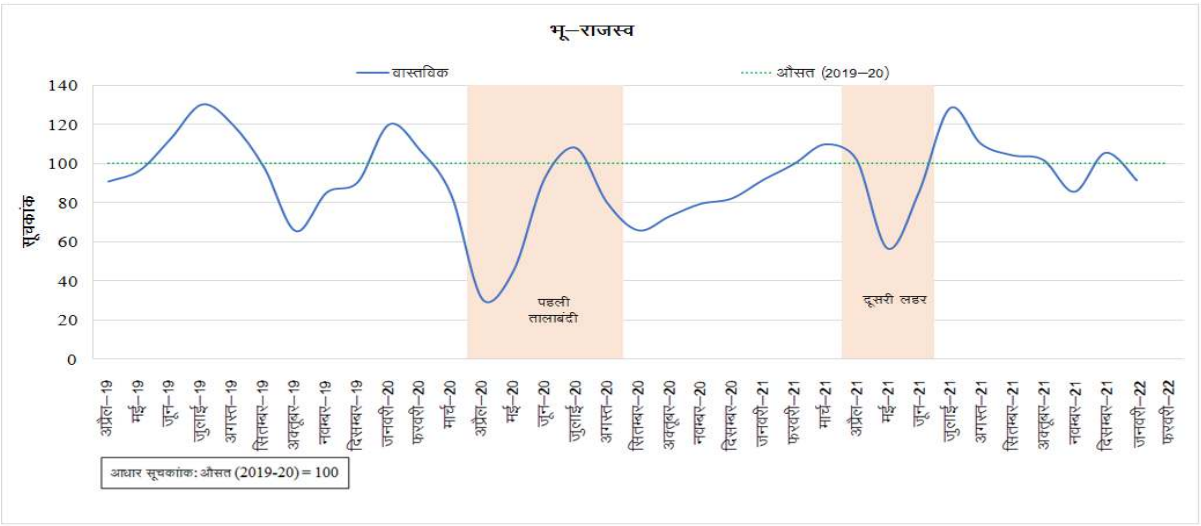

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

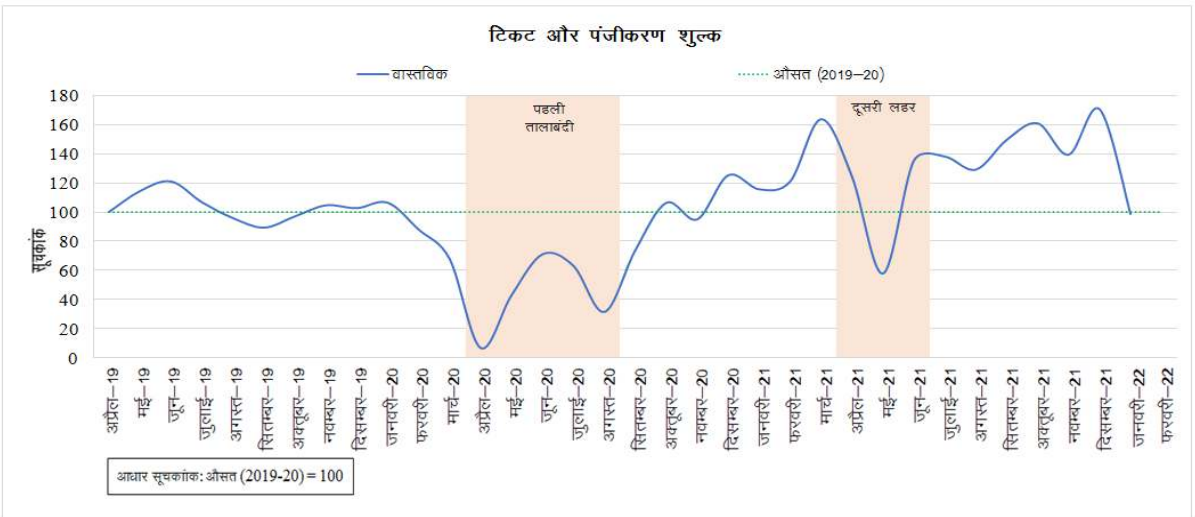

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

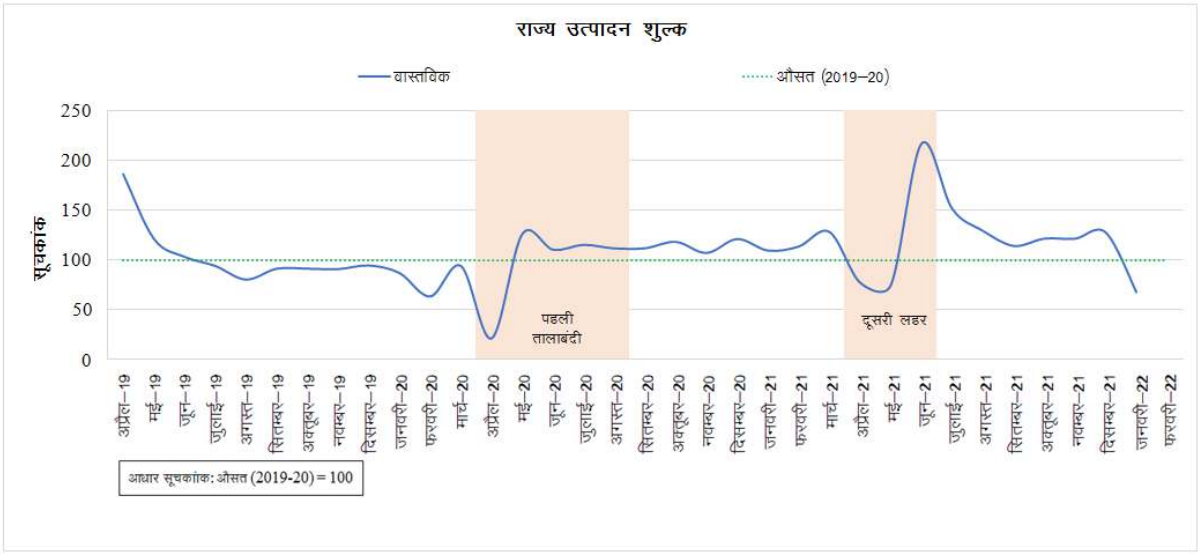

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

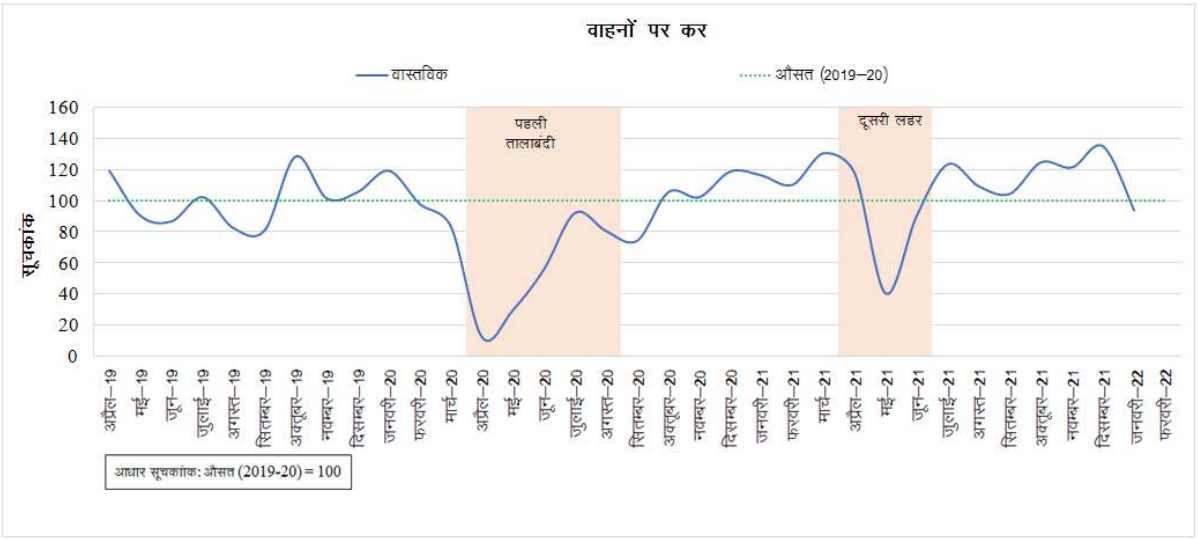

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

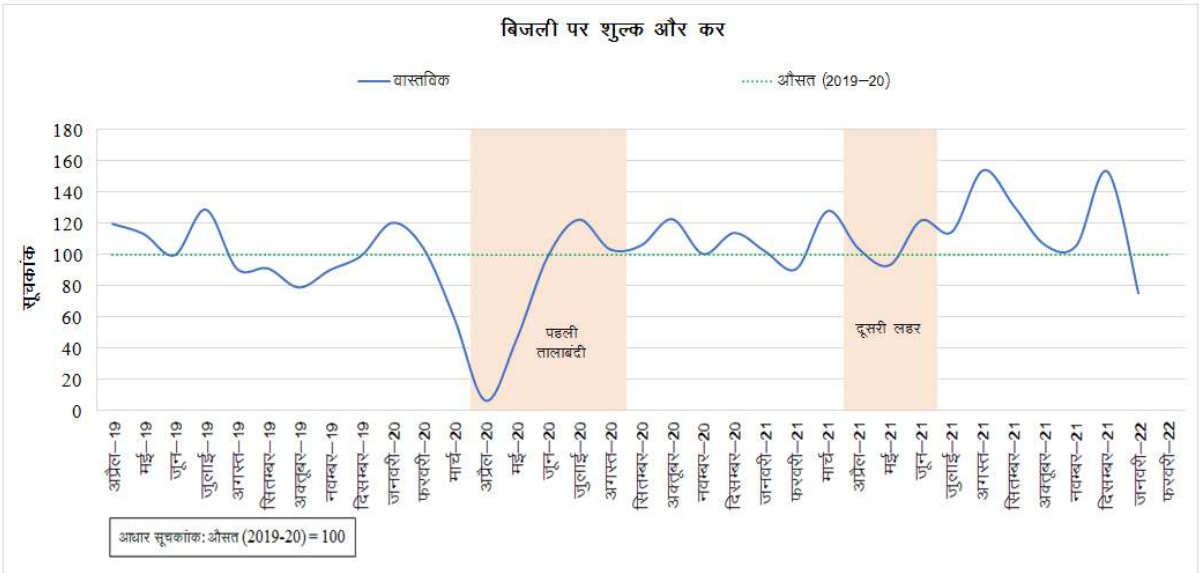

स्त्रोतः एन.आई.सी., हरियाणा।

1.33 उपरोक्त सभी करों के लिए कोविड की दो लहरों के दौरान साधारणतया V–आकार की पुनः प्राप्ति की आकृति बनती है **(आकृति 1.10)**। सरकार ने महामारी की अवधि के बाद कर राजस्व संग्रह के स्तर को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया है। उपरोक्त विश्लेषण सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कर राजस्व के प्रदर्शन को ध्यान में रखे बिना अधूरा है, इसलिए हम पिछले चार साल के इनके प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ने पर उच्च आवृति सूचकांक और उनके प्रदर्शन को अधिक समझा जा सकता है।

आकृति 1.11– प्रचलित कीमतों पर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

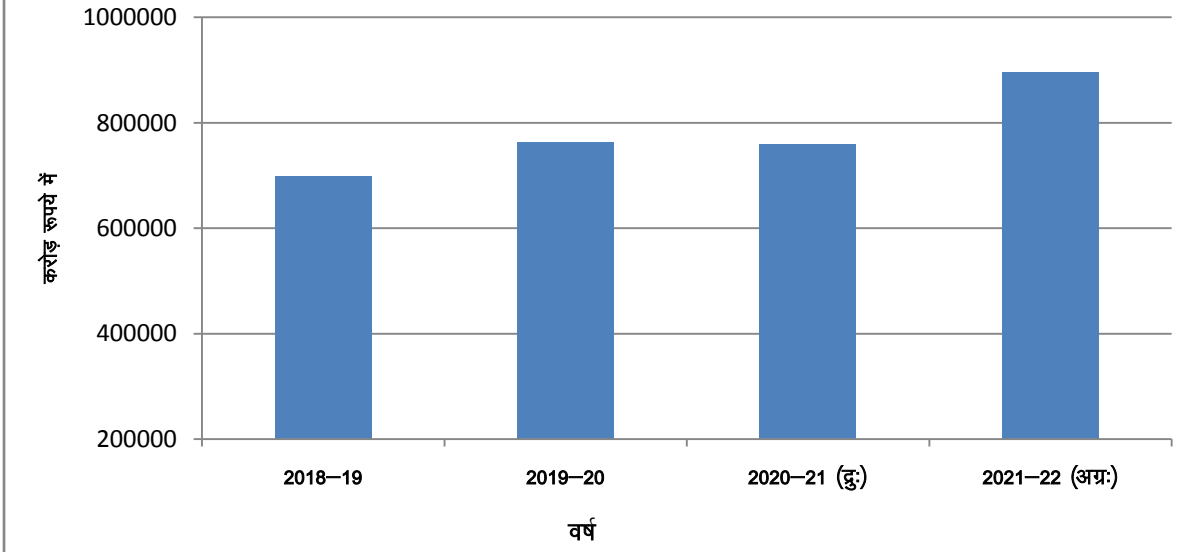

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.34 कोविड–19 के प्रकोप ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है। इनमे कुछ प्रमुख चुनौतियां जैसे आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, बोझिल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, मांग में कमी और मंद व्यावसायिक गतिविधियों से सरकार को निजी क्षेत्र और आम जनता को राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर निपटना पड़ा। उच्च आवृति संकेतकों की मदद से यह देखा गया है कि भले ही अति आवश्यक लॉकडाउन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था की गति को धीमा किया फिर भी राज्य की अर्थव्यवस्था अपने लगभग सभी मोर्चों पर पूर्व–महामारी विकास गति को फिर से हासिल करने में सक्षम थी। उच्च आवृति संकेतकों के उपयोग से राज्य की अर्थव्यस्था के पूर्वानुमान/ नवीनीकरण के द्वार खुलते हैं। इन उच्च आवृति संकेतकों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ तुलना की गई और इनमें एक–दूसरे के साथ तालमेल पाया गया जो हमारे हरियाणा के लिए एक अग्रणी प्रयास है **(आकृति 1.11)**।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.35 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार तैयार करता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है अर्थात अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2018–19 के दौरान 94,130 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2019–20के दौरान 98,953 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए। जिसमें 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2018–19 के 46,101 करोड़ रूपये

के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में 47,922 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जिसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्षवार **तालिका 1.8** व वृद्धि प्रतिशतता **आकृति 1.12** में दर्शाये गये हैं।

प्राथमिक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.36 सकल स्थाई पूंजी निर्माण में प्राथमिक क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2019–20 में अपरिवर्तित रहा अर्थात 16 प्रतिशत वर्ष 2018–19 में भी 16 ही प्रतिशत 2019–20 में रहा।

द्वितीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.37 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में द्वितीय क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2018–19 में 50.9 प्रतिशत था तथा जो कि वर्ष 2019–20 में बढकर 51.3 प्रतिशत हो गया।**तालिका 1.8–हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण**

(करोड़ रूपये)

वर्ष	सकल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
2012–13	53158	32041
2013–14	59134	33584
2014–15	65357	36158
2015.16	71116	38851
2016–17	78423	41463
2017–18	86061	44442
2018–19	94130	46101
2020–21(अ:)	98953	47922

अ: अनन्तिम अनुमान

स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.16–हरियाणा के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में स्थिर (2004-05) कीमतों पर वृद्धि

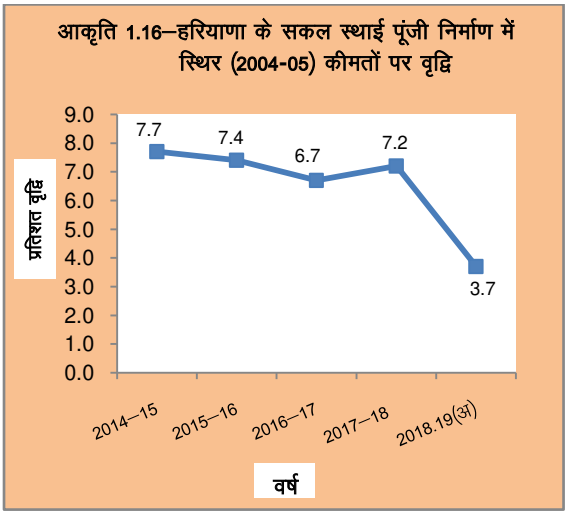

तृतीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.38 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में तृतीयक क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2018–19 में 33.1 प्रतिशत था इसके पश्चात वर्ष 2019–20 में यह घटकर 32.7 प्रतिशत रह गया।

कीमतों की स्थिति

1.39 राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, साप्ताहिक खुदरा भाव, पाक्षिक ग्रामीण भाव, कृषि वस्तुओं के थोक भाव तथा त्रैमासिक मकान किराये के आंकडों से सम्बन्धित नियमित सूचनाएं एकत्रित करता है व 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचंकाक, ग्रामीण खुदरा भाव सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है।

1.40 थोक मूल्य सूचकांक: राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है। यह वर्ष 2019–20 में 1,510.5 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 1,570.5 हो गया जोकि 4.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जबकि यह वृद्वि वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमश: 3.8 एवं 5.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

तालिका 1.9– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980–81=100)
2016–17	1349.8
2017–18	1384.9
2018–19	1437.3
2019–20	1510.5
2020–21	1570.5

स्त्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.41 माहवार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक को **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2020 में 1,569.1 से बढ़कर दिसम्बर, 2021 में 1,645.1 हो गया जो कि 4.8

प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि अनाजों, दालों, तेल के बीज, कपास व अन्य फसलों के भावों में वृद्धि के कारण हुई।

तालिका 1.10–हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2020	1569.1
जनवरी, 2021	1566.2
फरवरी, 2021	1574.1
मार्च, 2021	1578.3
अप्रैल, 2021	1580.4
मई, 20201	1584.2
जून, 2021	1588.2
जुलाई, 2021	1595.4
अगस्त, 2021	1613.2
सितम्बर, 2021	1638.2
अक्तूबर, 2021	1645.1
नवम्बर, 2021	1648.4
दिसम्बर, 2021	1645.1

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.42 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 23 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

1.43 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2019–20 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 3.3 प्रतिशत रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2019–20 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.7 प्रतिशत रही। राज्य में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020-21 तक को **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11–हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2016–17	766	711
2017–18	787	733
2018–19	829	767
2019–20	889	811
2020–21	918	849

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.44 राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के माहवार गति के अवलोकन के विवरण को दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक **तालिका 1.1**2 में प्रस्तुत किया गया है यह सूचकांक दिसम्बर, 2020 में 844 था जो कि दिसम्बर, 2021 में बढ़कर 885 हो गया, जो कि 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.12–हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2020	844
जनवरी, 2021	843
फरवरी, 2021	846
मार्च, 2021	851
अप्रैल, 2021	855
मई, 20201	860
जून, 2021	866
जुलाई, 2021	874
अगस्त, 2021	880
सितम्बर, 2021	884
अक्तूबर, 2021	893
नवम्बर, 2021	895
दिसम्बर, 2021	885

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.45 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादूरगढ़ के मासिक

सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखकर आधार वर्ष 1982=100 के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2017 से 2021 तक को **तालिका 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.13–हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	सूचकांक
2017	1094
2018	1141
2019	1215
2020	1281
2021	1344

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.46 राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2021 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्वि वर्ष 2020 में 5.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2021 में केन्द्रवार वृद्वि पानीपत केन्द्र में सबसे ज्यादा थी।

1.47 राज्य में माहवार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति के आंकलन को दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक को **तालिका 1.14** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छः केन्द्रों नामत, अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए माह अगस्त, 2021 से नए आधार वर्ष 2016=100 के आधार पर संकलित किया गया है।

तालिका 1.14–हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2020	1302
जनवरी, 2021	1301
फरवरी, 2021	1308
मार्च, 2021	1315
अप्रैल, 2021	1320
मई, 20201	1328
जून, 2021	1339
जुलाई, 2021	1351
अगस्त, 2021*	122.67
सितम्बर, 2021*	123.33
अक्तूबर, 2021*	124.83
नवम्बर, 2021*	124.98
दिसम्बर, 2021*	124.06

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

नोट : * आधार वर्ष 2016=100

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 राज्य के राजकोषीय मानदंडों जैसे राजकोषीय घाटा और ऋण का सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात केन्द्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहा है, जो विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 2.90 प्रतिशत रखने में सक्षम रहा है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ऋण का सकल राज्य घरेलु उत्पाद से अनुपात भी 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड 33.1 प्रतिशत से कम 23.27 प्रतिशत पर बना हुआ है। यद्यपि वित्त वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों अनुसार राजकोषीय घाटे का अनुमान 34,004 करोड़ रूपये लगाया गया था जो कि सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 3.83 प्रतिशत बनता है, इसके काफी कम रहने की उम्मीद है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2018–19 से 2021–22 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2021–22 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार के व्यय 1,16,927.17 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ 87,733.22 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2020–21 (स.अ.), में 76,135.24 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 96,991.49 करोड़ रूपये था। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 67,858.13 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 84,848.21 करोड़ रूपये था।

आकृति 2.1– राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

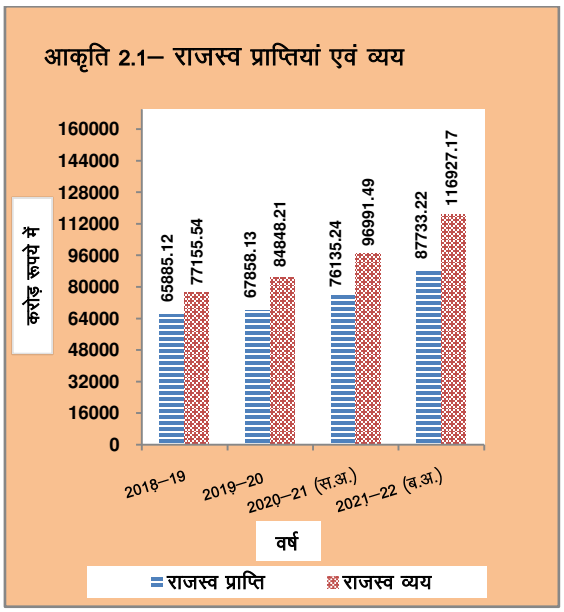

कुल कर

2.4 वर्ष 2018–19 से 2021–22 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है। कुल कर में (i) राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.) तथा (ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा(एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का ओ.टी.आर. 2018–19 में 42,581.34 करोड़ रूपये से बढ़कर 2021–22 (ब.अ.) में 52,887.40 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य के एस.सी.टी. के 2018–19 में 8,254.60 करोड़ रूपये से कम होकर 2021–22 (ब.अ.) में 7,274.70 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। कुल कर राजस्व जिसमें ओ.टी.आर. तथा एस.सी.टी. दोनों शामिल है, वर्ष 2018–19 में 50,835.94 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 60,162.10 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

स्वयं कर राजस्व

2.5 स्वयं कर में बिक्री कर से कर राजस्व में योगदान वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 11,000 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में यह 10,350 करोड़ रूपये था। वर्ष 2020–21 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में बिक्री कर में 6.28 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व में योगदान 24,300 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 20,350 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2020–21 (स.अ.) से वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 19.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में योगदान 9,200 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 7,500 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2020–21 (स.अ.) से वर्ष 2021–22 में 22.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 5,000 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में इस मद से 5,500 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 7,274.70 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 5,950.92 करोड़ रूपये थी जोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में वर्ष 2020–21 (स.अ.) की तुलना में 22.24 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 16,720.26 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इसी मद में वर्ष 2020–21 (स.अ.) में यह राशि 15,892.69 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2020–21 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 5.21 प्रतिशत की वृद्वि की सम्भावना है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति **(करोड़ रूपये में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2018–19	42581.34	8254.60	50835.94
2019–20	42824.95	7111.53	49936.48
2020–21 (स.अ.)	46528.95	5950.92	52479.87
2021–22 (ब.अ.)	52887.40	7274.70	60162.10

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.8 वर्ष 2018–19 से 2021–22 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 39,751.04 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में यह 27,021.61 करोड़ रूपये थी जो कि वर्ष 2020–21 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 47.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.2–केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2018–19	7073.54
2019–20	10521.91
2020–21 (स.अ.)	15892.69
2021–22 (ब.अ.)	16720.26

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

आकृति 2.2– पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

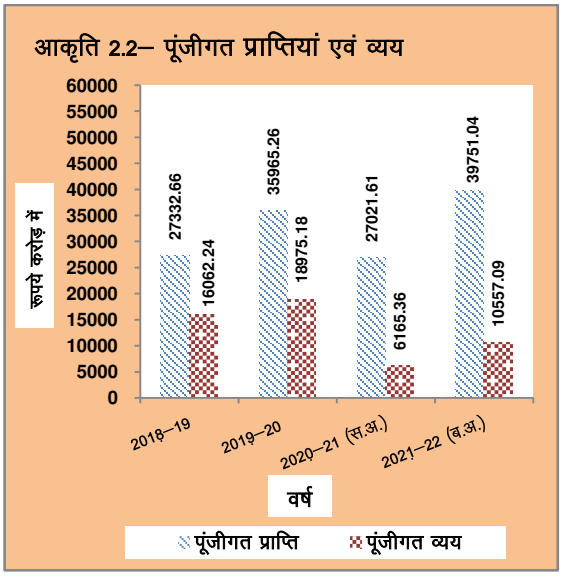

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 10,557.09 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 6,165.36 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.2)**।

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं, में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 86,931.03 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में यह 65,914.98 करोड़ रूपये था, जोकि 31.88 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करता है।

2.11 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 40,552.51 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 37,241.87 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2020–21 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 8.89 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 20,856.25 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 29,193.95 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 1,544 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है, जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 1,517.10 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है, ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी

बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2021–22 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,13,323.10 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 1,02,778.41 करोड़ रूपये था जोकि 10.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 44,532.79 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 40,136.40 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2021–22 (ब.अ.) में वर्ष 2020–21 (स.अ.) से 10.95 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2021–22 (ब.अ.) में 8,131.52 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2020–21 (स.अ.) में 3,547.78 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है।

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को अधिक महत्व देने के लिए बैंकिंग संस्थाओं को राजी करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करता है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2021 तक वाणिज्यक बैंकों (सी.बी.एस.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं की कुल संख्या 5,598 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2021 तक बढकर 5,36,320 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार राज्य सितम्बर, 2021 में अग्रिम ऋण की राशि भी को बढ़कर 3,56,132 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये क्रेडिट प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। राज्य में ऋण–जमा अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 60 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2021 में थोड़ा बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 चालू वर्ष 2021–22 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 74,780 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में सितम्बर, 2021 तक के लक्ष्य में 5 प्रतिशत की वृद्वि की गई है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना की 2021–22 के अन्तर्गत सितम्बर, 2021 तक कुल उपलब्धि 63,403 करोड़ रूपये रही जो कि 74,780 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 85 प्रतिशत था **(तालिका–2.3)**।

2.20 बैंकों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण देने का प्रदर्शन संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 42,428 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2021 तक 35,843

करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 84 प्रतिशत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 22,820 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 21,335 करोड़ रूपये के ऋण जारी किए गए जोकि लक्ष्य का 93 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 9,532 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 6,225 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 65 प्रतिशत है।

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2021–22 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2021 तक 56,511 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 65,908 करोड़ रूपये था, जोकि लक्ष्य का 86 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

2.22 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 29,838 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत 21,114 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 5,559 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 96 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र में 86 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 60 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2021 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 8,104 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 6,596 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 81 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.3– हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2021–22

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां (30–9–2021 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	42428	35843	84
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	22820	21335	93
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9532	6225	65
कुल	**74780**	**63403**	**85**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.4– हरियाणा में वर्ष 2021–22 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां (30–9–2021 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	34627	29838	86
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	22048	21114	96
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	9233	5559	60
कुल	**65908**	**56511**	**86**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2021–22 में सहकारी बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां (30–9–2021 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	7432	5848	79
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	402	113	28
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	270	635	235
कुल	**8104**	**6596**	**81**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.6– वर्ष 2021–22 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां (30–9–2021 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	364	157	43
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	28	4	14
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	27	1	4
कुल	**419**	**162**	**39**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.7– वर्ष 2021–22 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां (30–9–2021 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	0	0	0
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	327	91	28
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	0	0	0
कुल	**327**	**91**	**28**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2021 तक 419 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 162 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 39 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार प्रदर्शन **तालिका 2.6** में दी गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.25 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2021 तक 327 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 91 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 28 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 71 हो गई है। जिन्हें 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. ने 01–04–2021 से 31–12–2021 तक 3,665.34 लाख रूपये के ऋण वितरित किये है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.8–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये में)

क्रं.सं.	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2021–22	अग्रिम ऋण (01–04–21 से 31–12–21 तक)
1	लघु सिंचाई	6000	1064.05
2	कृषि मशीनीकरण	400	23.50
3	भूमि विकास	2000	443.45
4	डेयरी विकास पशुगृह	1100	201.94
5	बागवानी/कृषिवानिक	1500	468.10
6	ग्रामीण आवास योजना	800	261.50
7	गैर कृषि क्षेत्र	1800	1048.30
8	भूमि खरीदने हेतु	500	45.00
9	ग्रामीण भण्डारण	200	0.00
10	अन्य	700	109.50
	कुल	**15000**	**3665.34**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.।

2.28 बैंक ने 01–03–2019 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 13 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13.50 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 1.75 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 2.45 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

2.29 वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये के ब्याज में राहत प्रदान की गई है। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–03–2018 तक बढ़ा दिया गया था जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 01–01–2010 से 24–08–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–08–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–08–2014 से 30–09–2021 तक लगभग 1,10,548 ऋणी किसानों को 90.23 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31–03–2023 तक बढा दिया है।

2.30 वसूली सम्बन्धित एक मुश्त अदायगी प्रोत्साहन योजना (ओ.टी.एस.)–2019: यह एक मुश्त अदायगी योजना–2019 सरकार द्वारा ऋणी सदस्यों और किसानों के लिये लागू की गई थी इस योजना के तहत हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के उन ऋणी सदस्यों के लिए लागू की गई है जो किन्ही कारणों से अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर सके जिनके ऋण 31–08–2019 को अतिदेय थे। इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत ब्याज और कुल दण्डात्मक ब्याज माफ कर दिया गया था यदि वे 31–08–2019 को देय का 50 प्रतिशत ब्याज और कुल बकाया अतिदेय मुलधन को जमा करते हैं। 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया गया दंडस्वरूप ब्याज बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। यह योजना सभी ऋणी सदस्यों के लिए है। यह योजना 01–09–2019 से 31–01–2020 तक संचालित थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 11–11–2020 से 31–12–2020 तक इस संशोधन के साथ बढ़ा दिया है कि अतिदेय राशि को 11–08–2019 की बजाय 30–09–2020 तक कवर किया जाये। अब राज्य सरकार ने इस योजना को 31–12–2021 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के अन्तर्गत 01–09–2019 से 31–12–2021 तक 21,881 चुककर्ता ऋणियों का 181.88 करोड़ रूपये (क्रमशः 136.79 करोड़ रूपये का ब्याज एवं 45.09 करोड़ रूपये) का दंडात्मक ब्याज माफ किया जा चुका है।

2.31 राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं अनुदानः राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने एंव नाबार्ड के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 (01–04–2021 से 31–12–2021) के दौरान राज्य सरकार ने 111.47 करोड़ रूपये के ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है। वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9–राज्य सरकार द्वारा एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. लि. को वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
2016–17	200	00	200
2017–18	150	100	250
2018–19	200	100	300
2019–20	100	100	200
2020–21	70	70	140
2021–22 (01–04–2021 से 31–12–2021 तक)	52.50	58.57	111.47
कुल	**772.50**	**428.97**	**1201.47**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है तथा जिला मुख्यालयों पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 609 शाखाएं हैं तथा 725 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोकि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। राज्य में बैंक स्वयं या अपने सदस्यों की तरफ से विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजैन्सियां जैसे आर.बी.आई./नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. इत्यादि से जमा को जुटा कर, फंडस को बढ़ाकर/उधार लेकर अपने सदस्यों को कृषि, विपणन एवं प्रसंस्करण, उपभोग, निर्माण, व्यापार, भवन, परिवहन, वितरण एवं स्टॉकिंग इत्यादि उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध अपने जमाकर्ताओं की 56 वर्षों से सेवा कर रहा है। नवम्बर, 1966 में एक संभ्रात शुरूआत से हरको बैंक एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में उत्कृष्ट क्रेडिट योग्यता के साथ विकसित हुआ है। जनवरी, 2022 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 8,884.26 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.10**)। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.11** में दर्शायी गई है।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.33 किसानों के हितों के लिए मार्च, 2021 तक 11.79 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च, 2021 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसानों की

तालिका 2.10–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	जनवरी, 2022
1	हिस्सा पूंजी	143.21	172.57	245.36	275.60	325.60	325.60
2	निजि कोष	800.34	850.05	949.84	1007.93	1144.76	1144.18
3	अमानतें	3740.28	3397.93	2682.70	3632.82	3645.45	3563.13
4	उधार राशि	4300.99	4719.83	4663.96	4382.39	4006.48	4031.04
5	ऋण दिये	7397.17	7541.99	7313.05	9036.57	8384.11	5035.16
6	बकाया ऋण	5564.17	6771.73	6748.65	6836.07	6334.95	6665.37
7	लाभ/हानि	31.96	35.65	31.88	51.50	61.36	–
8	वसूली प्रतिशत	99.95	99.95	99.96	99.96	99.95	–
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	0.05	0.04	0.05	0.09	0.09	–
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	0.05	0.04	0.05	0.09	0.09	–
11	कार्यशील पूंजी	9127.83	9039.39	8434.21	9159.86	8918.52	8884.26

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(क) खरीफ फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2017	4875.00	243.00	5118.00	4749.14	233.79	4982.93
2018	5121.00	271.30	5392.30	4978.87	245.00	5223.87
2019	5285.00	300.00	5585.00	4863.35	256.23	5184.58
2020	5619.19	323.11	5942.30	526.58	241.58	5468.16
2021	6189.67	365.42	6555.09	5860.85	239.55	6100.40

(ख) रबी फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2017–18	4731.00	414.00	5145.00	4620.06	297.79	4917.85
2018–19	5237.47	418.00	5655.47	5172.20	312.76	5484.96
2019–20	6723.86	406.61	7130.47	5326.77	332.51	5659.28
2020–21	6762.21	442.48	7204.69	5544.16	176.96	5721.12
2021–22	6930.20	419.46	7349.66	3609.29	106.48	3715.77 (जनवरी, 2022)

स्त्रोतः हरको बैंक।

सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना

2.34 भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01–04–2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में समय पर अदायगी करने वाले लगभग 5 लाख किसानों को 95.42 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

ब्याज राहत योजना–2014

2.35 राज्य द्वारा 4 प्रतिशत की दर से 01–09–2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की ब्याज राहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान 6,42,751 किसानों को 161.23 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज 0 प्रतिशत (7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.36 जिला सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कार्ड धारकों को मात्र 4.40 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.40 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 3.00 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2021–22 के लिए भी लागू रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना

2.37 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.67 लाख पैंशनधारकों

के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) तथा उपभोक्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

2.38 हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया है। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत बैंक शाखायें अपने ग्राहकों को आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एस.एम.एस. एलर्ट और डी.बी.टी. सेवायें प्रदान कर रही हैं। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपे डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी. एम. कार्ड) भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ए.टी.एम. मशीने स्थापित की गई हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सभी सक्रिय ऋणी सदस्यों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए रूपे किसान कार्ड भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहकों को माइक्रो ए.टी.एम. की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं। हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं तथा हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2019

2.39 हरियाणा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के उन सदस्यों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जो किन्ही कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिफाल्टर है, को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अतिदेय ऋण की अदायगी हेतु एक मुश्त योजना लागू की गई थी। यह योजना 01–09–2019 से 31–01–2020 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय राशि 1,290.82 करोड़ रूपये की वसूली की गई तथा इस कारण 2,50,827 चूककर्ता किसान फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के पात्र बन गये तथा इस योजना के अन्तर्गत लगभग 39.88 प्रतिशत मूलधन की वसूली 31–01–2020 तक की गई। इस योजना के तहत 618.02 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2019

2.40 यह योजना इस उद्वेश्य से लागू की गई कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एन.पी.ए. को कम करना तथा ऐसे अतिदेय ऋणी सदस्यों को एक मुश्त अदायगी योजना का अवसर प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिदेय ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई थी। यह योजना भी 01–09–2019 से 31–01–2020 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत कुल देय ब्याज राशि का 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष 90 प्रतिशत ब्याज देयअता केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 7,634 ऋणी सदस्यों ने 31–01–2020 तक योजना का लाभ प्राप्त किया है तथा केन्द्रीय सहकारी बैकों ने इस योजना के अन्तर्गत कुल 606.85 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋण में से 165.80 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋणों की 31–01–2020 तक वसूली की हैं तथा इसके अन्तर्गत लगभग 27.32 प्रतिशत मूलधन की वसूली की गई। इस योजना के अन्तर्गत 18.24 करोड़ रूपये राज्य

सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। इस योजना को बढाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

कोविड–19 के दौरान राहत

2.41 कोविड–19 माहमारी से उत्पन्न व्यवदान के कारण व्यवसाय की निरतंरता को बनाये रखने के लिए ऋण सेवाओं के बोझ को कम करने के लिए आर.बी.आई द्वारा कुछ नियामक उपायो की घोषणा की थी। आर.बी. आई. द्वारा दिशा–निर्देशों को तदुनसार हरको बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लागू किया गया। चालू वित वर्ष 2020–21 के दौरान खरीफ अवधि के अग्रिमों को 30–09–2021 तथा रबी अवधि की वसूली 30–08–2021 तक बढा दिया गया था। कोविड–19 माहमारी के मददेनजर किसानों को अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों से ऋण का निर्वाध प्रवाह सुनिशिचित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020–21 के दौरान विशेष चल निधि सुविधा–1 और वर्ष 2021–22 के दौरान विशेष चल निधि सुविधा–2 में 4.40 प्रतिशत वार्षिक की दर से नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को तरलता सहायता उपलब्ध करवाई गई। नाबार्ड ने वर्ष 2020–21 के दौरान 400 करोड़ रूपये का पुर्नवित्त जारी किया तथा 2021–22 के दौरान राज्य के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए 350 करोड़ रूपये का पुर्नवित्त जारी किया गया।

कृषि अवसंरचना कोष (ए.आई.एफ.)

2.42 भारत सरकार ने किसानों और ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना कोष (योजना) बनाई है। यह योजना 2020–21 से 2022–23 तक प्रभावी रहेगी इस योजना के ऋण जारी करने की समय अवधि 4 वर्ष है तथा योजना के पहले चरण में वर्ष 2020–21 में 4,000 करोड़ रूपये के ऋण जारी किये जायेंगे जिसमें 96,000 करोड़ रूपये की शेष राशि को 4 वर्षों में जारी किया जायेगा। वर्ष 2021–22 में 16,000 करोड़ रूपये तथा 20,000 करोड़ रूपये वर्ष 2022–23 से 2025–26 में प्रत्येक वर्ष जारी किये जायेंगे। ऋण अदायगी की समय सीमा अवधि 2 साल के मोरिटेरियम अवधि के साथ–साथ 7 वर्ष तय की गई है।

2.43 हरको बैंक की अग्रिम एवं मुख्य ऋण योजनायें इस प्रकार हैः

1. फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड)
2. रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम
3. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
4. उपभोक्ता ऋण
5. मध्यावधि ऋण योजना
6. फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण
7. व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गृह ऋण योजना इत्यादि
8. उद्यम ऋण योजना
9. छोटी सडक व पानी पहुंचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.)
10. कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
11. मार्जिन मनी के लिए सुलभ ऋण सहायता स्कीम
12. अन्य प्रकार की समितियों के लिए ऋण
13. ई–रिक्शा हरको बैंक ग्रीन राईड।

खजाना एवं लेखा

2.44 वर्तमान में राज्य में 23 जिला स्तरीय खजाने तथा 82 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय–2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,690 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य

की संचयनिधि से निकासी व जमा का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस.)

2.45 यह सॉफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वित की गई है जो सफलता पूर्वक चल रही है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है।

ई–बिलिंग

2.46 ई–बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में कार्यान्वित किया गया है। बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालयी कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली से 16 नवम्बर, 2021 तक सभी डी.डी.ओ. द्वारा लगभग 9.64 लाख बिल तैयार किए गये। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद व्यवहार निषेध किये गये हैं। सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन ई–टी.डी.एस. रिर्टन चार्टड एकाउटेंट की मदद के बिना ई–बिलिंग प्रणाली के माध्यम से भरने की सुविधा प्रदान की है। प्रधान महालेखाकर (ए.एण्डई.) हरियाणा के अनुमोदन उपरान्त 13–08–2020 से राज्य में वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउॅचर शुरू हो चुके है।

ई–ग्रास

2.47 राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई–ग्रास) सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार ने नामतः तीन बैंकों स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को संबद्ध किया गया है। राज्य सरकार ने ई–पेमेंट और ई–रिसिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई–कुबेर को इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया है। इन दो प्रणालियों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाईन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस)

2.48 सभी खजानों और उप–खजानों में 01–07–2013 से वैब ओटिस लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/उप–खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

ई–पोस्ट

2.49 विभिन्न विभागों द्वारा मांगे जाने वाले नये पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में ई–पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया। सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के पदों की संख्या को ई–पोस्ट में डाल दिया गया है।

ई–पैंशन

2.50 ई–पैंशन प्रणाली को 01–10–2012 से लागू किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। सभी पैंशन धारक जिनके पी.पी.ओ. 01–10–2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, अपने सम्बंधित बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को पैंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा ई–पैंशन प्रणाली के प्रयोग से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से

पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1.39 लाख पैंशनर, पैंशन वितरण शैल/खजानों/उप–खजानों से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद अब पैंशनधारक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में किसी भी खजाना/उप–खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं।

ई–स्टैंपिंग

2.51 हरियाणा में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 01–03–2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर–न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 4,766 करोड़ रूपये के कुल 25,43,481 स्टाम्प पेपर जारी किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.52 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। यह प्रणाली जून, 2016 से लागू की गई है। इस प्रणाली को ई–सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली को राज्य के बोर्डों/निगमों आदि में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.)

2.53 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य खजानों/उप–खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जा रही है व सभी हितधारकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2021–22 से राज्य द्वारा सिंगल नोडल एजैंसी/खाता (एस.एन.ए.) मॉडल शुरू किया जा चुका है।

आबकारी व कराधान

2.54 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। विभाग वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, हरियाणा वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम तथा पंजाब आबकारी अधिनियम (हरियाणा सत्यापन अधिनियम–2019) के अंतर्गत राजस्व संग्रहण को अधिकतम करने के लिये प्रतिबद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया और हरियाणा इसके कार्यान्वयन में देशभर में अग्रणी राज्य है। वस्तु एवं सेवा कर के समग्र राष्ट्रीय संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6.5 प्रतिशत है। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण की वर्षवार स्थिति **तालिका 2.12** में दी गई है।

जी.एस.टी. संग्रहण पर कोविड–19 का प्रभाव

2.55 भारत सहित दुनिया के सभी देशों में 1 से 3 बार कोविड–19 महामारी के उच्च स्तर के प्रसार ने लोगों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है और व्यापार एवं उद्योग पर भी प्रतिकुल प्रभाव डाला है। महामारी ने सभी क्षेत्रों/उद्योगों/सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है और सारे विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रवाह को बाधित कर दिया है। कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण सरकार के वैट और जी.एस.टी. राजस्व में काफी गिरावट आई है। हालांकि, राज्य में अप्रैल और मई, 2020 के महीने में जी.एस.टी. संग्रहण में आई गिरावट में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जून, 2020 से एस.जी.एस.टी. के संग्रहण वसूली

में काफी सुधार हुआ है और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 के महीने में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का कुल जी.एस.टी. संग्रहण 21,089.57 करोड़ रूपये था (बिना मुआवजा उपकर और मुआवजा उपकर ऋण के रूप में)। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य का कुल जी.एस.टी. संग्रहण 17,942.18 करोड़ रूपये (31 दिसम्बर, 2021 तक) है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 24.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष के महीनों की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर की माहवार स्थिति एवं प्रतिशत वृद्धि **तालिका 2.13** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12– राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	एस.जी.एस.टी. का नकद संग्रह	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	ऍडाक आई.जी.एस.टी. की मासिक प्राप्ति	ऍडाक आई.जी.एस.टी. एक बार प्राप्त होने वाले मुआवजे के बदले प्राप्त	मुआवजा उपकर	मुआवजा उपकर ऋण के रूप में	जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण
2017–18	8537.13	1641.63	667.00	–	1199.00	–	12044.76
2018–19	12689.55	3876.65	2476.10	–	2820.00	–	21862.30
2019–20	13921.97	4933.34	627.93	–	5453.43	–	24936.67
2020–21	11959.24	6117.18	1445.15	1568.00	5065.82	4352.01	30507.40

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

तालिका 2.13– पिछले वर्ष के महीनों की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर की माहवार स्थिति एवं प्रतिशत वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

माह	2020–21			2021–22			पिछले वर्ष के एक समान माह की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	नकद के द्वारा एस.जी.एस.टी.	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	एस.जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण	नकद के द्वारा एस.जी.एस.टी.	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	एस.जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण	
अप्रैल	253.61	–15.77	237.84	1450.38	827.76	2278.14	857.85
मई	546.12	345.25	891.37	921.83	241.32	1163.15	30.49
जून	878.62	521.75	1400.37	870.30	988.49	1858.79	32.74
जुलाई	804.09	667.01	1471.10	1259.79	846.85	2106.64	43.20
अगस्त	942.13	513.17	1455.30	1287.06	782.58	2069.64	42.21
सितम्बर	1048.41	535.04	1583.45	1197.48	868.60	2066.08	30.48
अक्तूबर	1195.79	1368.22	2564.01	1229.06	1531.59	2304.66	–10.12
नवम्बर	1264.04	1845.05	3109.09	1377.12	787.78	2164.90	–30.37
दिसम्बर	1280.89	472.21	1753.10	1298.59	631.59	1930.18	10.10
कुल	**8213.70**	**6251.93**	**14465.63**	**10891.61**	**7506.56**	**17942.18**	**24.03**

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

जी.एस.टी. के मॉडल–II मोड का कार्यान्वयन

2.56 नई और बेहतर प्रणाली को अपनाने के लिए राज्य ने हाल ही में 1 जुलाई, 2021 को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिए मॉडल–I मोड से मॉडल–II मोड को लागू कर दिया है। नई प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी अब जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित बी.ओ.–वैब पोर्टल पर काम कर रहे है।

रिटर्न अनुपालन स्थिति

2.57 हरियाणा राज्य को सौंपी गई इकाइयों की जी.एस.टी.आर.–3 बी. रिटर्न अनुपालन स्थिति केंद्र को सौंपी गई इकाइयों की तुलना में अधिक रही है। राज्य को सौंपे गए करदाताओं का रिटर्न अनुपालन 93.11 प्रतिशत है और केंद्र को सौंपे गए करदाताओं का रिटर्न अनुपालन 87.47 प्रतिशत रहा है। जी.एस.टी.आर.–3बी. रिटर्न के अनुसार राज्य का

सम्पूर्ण रिटर्न अनुपालन 22–11–2021 को 91.38 प्रतिशत रहा है।

रेड फ्लैग/बेमेल रिपोर्टस

2.58 विभाग नियमित रूप से टर्नओवर एवं कर देयता और प्राप्त एवं उपयोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच बेमेल की रेड फ्लैग रिपोर्ट तैयार करता है। जी.एस.टी.आर.–1 के साथ जी.एस.टी.आर.–3बी., जी.एस.टी.आर.–2ए के साथ जी.एस.टी.आर.–3बी., ई–वे बिल के साथ जी.एस.टी.आर.–3बी.,जी.एस.टी.आर.–7 के साथ जी.एस.टी.आर.–3बी., जी.एस.टी.आर.–8 के साथ जी.एस.टी.आर.–3बी की बेमेल रिपोर्टों और नकली करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई और जी.एस.टी.आर.–9सी. के सुलह बयान में ऑडिटर द्वारा सिफारिश की गई देय राशि की तुलना, डी..आर.सी.–03 में निर्मित भुगतान से करके सम्बंधित रिपोर्ट, फील्ड फोरमेशन/जिला कार्यालयो के साथ सांझा किया जाता है। विभाग 965.51 करोड़ रुपये की वसूली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) एवं नकद के माध्यम से अब तक कर चुका है और एक निवारक रणनीति के तहत 502.10 करोड़ रुपये की राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जी.एस.टी. इंटेलिजेंस यूनिट

2.59 राज्य इंटेलिजेंस यूनिट का गठन 22–03–2021 को किया गया था। हरियाणा राज्य इंटेलिजेंस यूनिट को सौंपे गये गए कुल 541 मामलों में अब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट (वसूली/उल्ट/ब्लाक) और नकद सहित कुल 198.65 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं।

नकली करदाताओं की पहचान और कार्रवाई

2.60 विभाग ने हाल ही में 234 संदिग्ध करदाताओं की सूची की पहचान की है, जिनमें से 89 गैर–मौजूद और फर्जी पाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ये फर्में 1,323.26 करोड़ रुपये का संचयी कारोबार दिखा रही थीं और 224.07 करोड़ रुपये के कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रही थीं। इन करदाताओ से 21.86 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया था और अब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट और नकद के माध्यम से 35.52 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। वर्ष 2019–20 के दौरान विभाग ने ऐसे 254 फर्जी करदाताओं की पहचान की और इनसे लगभग 135 करोड़ रुपये बरामद/ब्लाक/ रेवेर्सेड कर दिये।

आबकारी राजस्व

2.61 आबकारी राजस्व का संग्रहणः (1) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, (2) औषधीय एवं शौचालय की तैयारी (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (31–03–2017 तक), (3) द नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सबसटैंस अधिनियम, 1985 (31–03–2017 तक), (4) पंजाब शराब आयात परिवहन और कब्जे आदेश 1932 (01–04–2017 से), (5) पंजाब शराब, परमिट एवं पास अधिनियम, 1932 (01–04–2017 से) के तहत किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आबकारी शीर्ष के तहत 7,500 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्व 31–03–2021 तक 6,791.98 करोड़ रूपये का संग्रह किया जा चुका है। लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट का मुख्य कारण कोविड–19 लोकडाउन के दौरान दुकाने बन्द होने के कारण रहा। इसलिए वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति की अवधि को बढ़ाकर 31–03–2021 से 11–06–2021 तक कर दिया गया था और इस अवधि के दौरान 1,039.21 करोड़ रूपये एकत्रित किये गये। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 9,200 करोड़ रूपये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरूद्व 31–10–2021 तक 4,524.46 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी है। विभाग ने कोविड–19 माहमारी के कारण सैनेटाईजर निर्माण प्रतिष्ठानों को 221 लाईसैंस जारी किये हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड उपकर के रूप में 394 करोड़ रूपये का संग्रह किया गया।

डीजल पैट्रोल और ए.टी.एफ. के वैट दरों में कटौती

2.62 सरकार ने दिनांक 04–11–2021 से डीजल और पैटोल पर वैट की दर क्रमशः

16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से घटाकर 18.20 प्रतिशत कर दी है। सरकार ने क्षेत्रीय क्नेक्टिवटी योजना को बढावा देने के लिए 23–11–2021 को एविएशन टर्बाईन फ्यूल पर वैट की दर 21 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी है।

कम्प्यूट्रीकरण

2.63 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गर्वनैंस योजना के तहत विभाग का चयन वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना के माध्यम से विभागीय गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूट्रीकरण के लिए किया गया था। परियोजना का उद्धेश्य शासन के लिए एक नागरिक केन्द्रित पारदर्शी वातावरण बनाना है। इस परियोजना के माध्यम से विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों जैसे आबकारी ठेकों की निविदा, परमिट एवं पास, अपील मोडयूल, शिकायत पोर्टल एवं हैल्प डेस्क, वैधानिक प्रपत्र जारी करना, कर का भुगतान, रिटर्न दाखिल करना इत्यादि का ऑन–लाईन और कम्प्यूट्रीकरण किया गया है। विभाग ने सभी डिस्टलरीज/बोटलिंग प्लांट और ब्रेवरीज में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की भी बडी पहल की है जो सीधे आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय से जुडे होंगे। सभी डिस्टलरीज की रियल टाईम फूटेज 24X7 सक्रिय रहेंगी।

वित्तीय समावेश स्कीमें

2.64 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है। डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ाने का एक सहरानीय कदम है। डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुँचाने के लिए सक्षम करती है। आधार नम्बर या बायोमैट्रीक इनपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में डुप्लीकेट/फर्जी लाभार्थियों को रोकता है। इस तरह वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल बचत 0.002 करोड़ रूपये के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में सरकार की कुल 0.042 करोड़ रूपये की बचत हुई है। राज्य डी. बी.टी. पोर्टल सितम्बर, 2017 से कार्यरत है। राज्य के विभागों द्वारा राज्य और केन्द्र प्रायोजित (हिस्सा आधारित) योजनाओं के लाभार्थियों एवं उनसे सम्बन्धित लेनदेन के डाटा को डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। 13–02–2022 तक, 145 राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड की गई हैं इन 145 योजनाओं में से 89 राज्य योजनाएं और 56 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 4,19,92,931 लेन देन के माध्यम से कुल 1,40,52,487 लाभार्थी लाभान्वित हुए और कुल 10,451.42 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये हैं।

स्टैंड अप इंडिया

2.65 यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्धेश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिये ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 01–04–2021 से का यह

31–12–2021 तक राज्य में 72 बैंक शाखाओं द्वारा 6,016.16 लाख रूपये के ऋण 294 उद्यमियों (101 एस.सी./एस.टी. और 193 महिलाओं) के लिए मंजूर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

2.66 इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था। राज्य में सितम्बर, 2021 तक 82.20 लाख बैंक खाते खोले गए और 74.05 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 90 प्रतिशत है **(तालिका 2.14)**।

तालिका 2.14–पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्ड

विवरण	30–09–2021 तक
खोले गए बैंक खाते	8220018
आधार सिडींग	7405535
जारी किए गए रूपे कार्ड	6707037

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2.67 सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुर्नवित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगे हुए वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक, एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुर्नवित प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयाँ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर हैं उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है। यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रूपये से कम है। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा योजना प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकी राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी। राज्य में मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.15** में दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2.68 यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है। दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रूपये बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। 18 से 70 वर्ष आयु समूह के सभी बचत बैंक खाताधारक अपने आप को साल दर साल नवीनीकरण आधारित 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम से इस स्कीम में सम्मिलित कर सकते हैं। 31–03–2021 तक बैंकों द्वारा 38,29,297 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 30–09–2021 तक यह संख्या बढ़कर 46,08,936 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 30–09–2021 तक 7,940 लाख रूपये के कुल 3,996 दर्ज दावों में से 6,708 लाख रूपये के 3,371 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2.69 यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना का कियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्वेश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर

तालिका 2.15– पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशि

योजना	ऋण सीमा रूपये में	01–04–2021 से 30–09–2021 तक	
		खातों की कुलसंख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)
शिशु	50000 तक	42278	20083
किशोर	50001–500000	113384	67649
तरूण	500001–1000000	7152	47351
कुल		**163314**	**135083**

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

2 लाख रूपये भुगतान किए जाएंगें। 31–03–2021 तक बैंकों ने 12,06,579 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 30–09–2021 तक यह संख्या बढ़कर 16,39,336 हो गई है।

अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.70 गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घावधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की गई है। सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा। इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा। 31–3–2021 तक बैंकों ने 5,48,089 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 30–09–2021 तक बढ़कर 6,91,480 हो गई है।

आंकाक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम

2.71 इस कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग द्वारा जनवरी, 2018 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों (भारत की कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत) को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। हरियाणा राज्य का नूँह (मेवात) जिला इन आंकाक्षी जिलों में से एक है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढ़ाँचे से संबंधित 6 प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मार्च, 2018 में जारी बेसलाईन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आंकाक्षी जिलों में हरियाणा नूँह (मेवात) जिला सबसे निचले स्थान पर था। नूँह (मेवात) जिले में जनवरी, 2019 में समग्र रैंक तीसरा और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया। दिसम्बर, 2021 में नूँह ने समग्र चौथा रैंक और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया।

2.72 माननीय प्रधानमंत्री ने 22–01–2022 को आंकाक्षी जिलों के जिलाधिकारियों को सबोधित किया। नूँह (मेवात) जिले में मार्च, 2018 से समग्र रूप में 27 प्रतिशत और स्वास्थ्य और पोषण में 19 प्रतिशत, कृषि एवं जल संसाधन में 15 प्रतिशत, शिक्षा में 48 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में 33 प्रतिशत,

कौशल विकास एवं मूलभूत बुनियादी ढ़ाँचें में 21 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2.73 नीति आयोग द्वारा अनुमोदित प्रयोजनाएं

- नीति आयोग ने मेवात जिले को 2019 में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में प्रथत रैंक और जनवरी, 2020 में मुलभूत बुनियादे ढ़ाँचें में अच्छा रैंक हासिल करने उपरांत 4.51 करोड़ रूपये की राशि जून, 2021 में स्वस्थ मेवात के तहत आँगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तथा 1.49 करोड़ रूपये खुशहाल मेवात के तहत उपकेन्द्रों में बिजली और चिकित्सा के बुनियादी ढ़ाँचें को मजबूत करने हेतु स्वीकृत किये गये।
- जिला नूँह (मेवात) को नीति आयोग ने जून, 2021 में कौशल विकास के तहत भारतीय सेना में भर्ती हाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 25.90 लाख रूपये और फरवरी, 2021 में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के लिए 2.74 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एस.जे.एच.आई.एफ.एम.)

2.74 हरियाणा राज्य स्तर पर ऑउटपुट–ऑउटकम फ्रेमवर्क को अपनाने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अपनी स्थापना के प्रथम चरण से ही खुले और पारदर्शी ऑउटपुट–ऑउटकम फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है जिससे केवल कल्याणकारी व्यय के लिए लेखाकंन की बजाये नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया जाएं।

2.75 संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में 08–02–2022 को दी गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) द्वारा दिये गये आय के सत्यापित डाटा को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विभिन्न स्कीमों को लागू करने एवं लाभों के वितरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसमें 6,000 रूपये की सुनिश्चित राशि प्रति परिवार का उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा स्कीम में नांमाकित होने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं के प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएंगा। चालू वित्त वर्ष 2021–22 में (24–02–2022 तक) उक्त एस.ओ.पी. के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के 3,14,444 लाभार्थियों को 5.65 करोड़ रूपये के प्रीमीयम का भुगतान किया है।

2.76 हरियाणा राज्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट (एच.एस.सी.एस.आर.टी.) की स्थापना 31–03–2021 को हुई। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा हरियाणा राज्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की गतिविधियां भी कार्यान्वित की जा रही है। एच. एस.सी.एस.आर.टी. का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक को कम से कम एक कॉरपोरेट घराने द्वारा अपनाया जाए। सी.एस.आर. के तहत 11 निगमों के माध्यम से प्राप्त कुल 3.43 करोड़ रूपये की मौद्रिक सहायता हरियाणा राज्य सी.एस.आर. ट्रस्ट के बैंक खाते में कोविड संबधित गतिविधियों के लिए जमा की गई थी। इस आर्थिक सहायता में से 95 लाख रूपये की राशि कोविड अस्पतालों के निर्माण पर, अन्य 95 लाख रूपये की राशि कोविड टीकाकरणों पर और 1.18 करोड़ रूपये अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर खर्च की गई।

विभागों / बोर्डों / निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

मजबूत बुनियादी सुविधाओं कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में उत्कृष्ट प्रसारण होने से कृषि पैदावार में ठोस परिणाम मिले तथा जिससे राज्य एक खाद्य अधिशेष राज्य बन गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में एक लैंड लॉक राज्य है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– जनवरी से जून, 2021 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	13.5	41.1	19.9	42.7	5.9	25.0	10.3	11.1	38.8	17.8	32.8	75.5
भिवानी	25.7	11.4	0.4	9.6	7.0	6.4	2.6	2.9	14.5	6.6	23.6	28.5
चरखी दादरी	7.0	16.5	0.0	10.7	0.0	12.3	2.3	1.1	38.0	10.2	26.3	35.0
फरीदाबाद	24.3	20.5	1.0	17.1	12.3	12.9	2.3	10.1	89.0	8.7	23.4	52.8
फतेहाबाद	7.3	13.0	1.0	12.4	2.0	11.5	2.3	6.1	19.0	8.2	60.0	30.4
गुरूग्राम	26.4	14.2	0.9	13.2	2.2	8.1	1.9	4.7	114.2	7.7	12.3	36.4
हिसार	8.9	15.6	1.3	13.7	5.0	11.8	2.7	7.1	10.7	11.5	51.3	35.1
झज्जर	35.8	10.9	1.3	10.3	17.6	6.1	5.7	3.5	94.5	6.8	39.9	28.3
जींद	23.6	14.9	3.8	13.8	0.7	8.2	1.3	4.2	48.6	11.0	22.0	31.3
कैथल	21.7	23.4	2.0	19.5	2.3	16.2	5.3	10.3	32.0	10.2	38.7	34.6
करनाल	26.4	33.9	9.4	24.8	0.0	19.5	0.0	9.3	17.0	10.2	46.1	51.1
कुरूक्षेत्र	21.3	30.2	18.3	28.7	6.2	17.7	3.5	10.0	51.1	9.5	71.8	55.0
महेन्द्रगढ़	33.0	9.0	0.0	10.1	13.4	7.0	3.5	5.3	44.6	18.7	22.8	37.0
(नूंह) मेवात	22.6	13.3	3.6	12.4	2.0	9.8	1.8	4.8	94.2	9.9	32.4	40.0
पलवल	28.5	12.5	0.0	11.2	0.0	8.9	1.5	4.5	62.8	8.0	33.6	38.6
पंचकूला	11.2	51.2	19.8	38.2	2.6	30.3	11.8	3.2	26.8	25.3	35.4	62.7
पानीपत	49.3	23.5	10.5	19.3	0.0	13.5	1.3	8.7	31.3	10.7	37.4	47.7
रेवाड़ी	30.2	9.5	0.2	11.1	8.1	6.9	5.0	2.9	108.3	8.0	19.1	31.2
रोहतक	30.0	16.6	3.3	14.8	0.5	11.4	5.5	6.8	52.3	10.1	25.0	38.5
सिरसा	4.8	11.4	0.0	10.6	2.0	9.4	2.8	4.4	11.0	7.7	70.1	29.5
सोनीपत	41.0	21.3	6.3	15.9	0.5	12.4	5.3	5.3	75.8	10.7	70.5	42.7
यमुनानगर	16.0	42.4	9.0	36.6	1.3	19.9	2.7	8.6	64.0	18.6	65.0	80.3

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.2–जुलाई से दिसम्बर, 2021 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	201.1	259.7	69.6	238.5	139.3	156.0	14.3	25.5	0.0	6.0	1.4	16.5
भिवानी	124.8	111.3	20.0	104.6	127.5	63.9	9.0	9.6	0.0	2.8	1.0	3.5
चरखी दादरी	206.0	168.1	66.0	191.8	244.3	94.5	22.7	35.6	0.0	1.6	2.3	3.3
फरीदाबाद	167.3	192.7	197.5	167.3	262.4	123.6	65.4	23.7	0.0	2.4	2.1	6.6
फतेहाबाद	246.0	101.4	65.4	94.9	180.6	62.3	9.3	10.2	0.0	1.4	5.1	6.3
गुरूग्राम	340.0	167.6	118.9	158.0	217.5	103.6	35.4	18.1	0.0	2.2	4.0	4.8
हिसार	220.6	114.2	20.6	115.6	283.9	71.8	13.6	13.2	0.1	3.1	1.2	6.1
झज्जर	401.1	117.2	100.2	119.0	237.0	71.4	38.6	11.9	0.0	2.4	2.1	3.4
जींद	317.6	149.2	53.9	169.8	147.0	97.6	2.4	13.1	0.0	3.8	1.1	6.0
कैथल	352.7	130.5	96.9	127.4	126.3	91.6	15.0	12.8	0.0	2.0	3.7	6.5
करनाल	315.4	204.3	68.1	235.7	143.1	131.2	17.9	28.9	0.0	4.4	0.0	9.9
कुरूक्षेत्र	300.0	186.1	84.3	165.4	143.1	122.2	24.3	17.8	0.0	3.7	1.8	10.9
महेन्द्रगढ़	276.5	149.7	66.9	186.9	176.9	85.8	19.6	28.1	0.0	1.2	2.5	5.3
(नूंह) मेवात	248.2	164.0	106.2	176.0	183.8	104.8	55.0	19.0	0.0	2.7	5.2	5.4
पलवल	233.9	163.7	56.6	153.3	153.0	108.1	44.4	18.4	0.0	1.8	1.4	4.8
पंचकूला	140.1	296.8	155.0	350.1	135.0	167.6	41.4	29.9	0.0	12.5	0.0	8.3
पानीपत	301.2	176.9	144.2	180.4	8.2	112.9	15.0	18.3	0.0	3.4	1.8	8.3
रेवाड़ी	355.8	128.6	123.4	146.3	157.4	84.0	23.1	13.0	0.0	2.8	2.5	3.5
रोहतक	265.2	145.9	54.8	137.0	187.2	97.9	7.8	12.7	0.0	2.2	2.2	6.1
सिरसा	66.0	88.7	25.1	80.7	55.6	59.6	14.9	8.4	0.0	2.1	0.1	6.4
सोनीपत	333.5	160.0	184.2	160.7	360.2	100.1	24.0	16.4	0.0	2.8	2.3	7.3
यमुनानगर	266.1	258.4	112.7	255.2	186.1	157.7	37.6	27.1	0.0	5.3	8.7	12.4

वाः वास्तविक, साः सामान्य, स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

("000" हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	420	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2015–16	2576	1353	4451	93	615	526	6502
2016–17	2542	1385	4537	102	571	522	6502
2017–18	2531	1422	4532	115	669	559	6548
2018–19	2553	1447	4571	109	709	626	6604
2019–20	2534	1559	4708	96	723	662	6617
2020–21	2564	1528	4796	99	740	672	6612*

*: अनन्तिम स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र 66.12 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2020–21 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 61.89 प्रतिशत थी। वर्ष 2020–21 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 25.64 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2020–21 के दौरान चावल के अधीन 15.28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

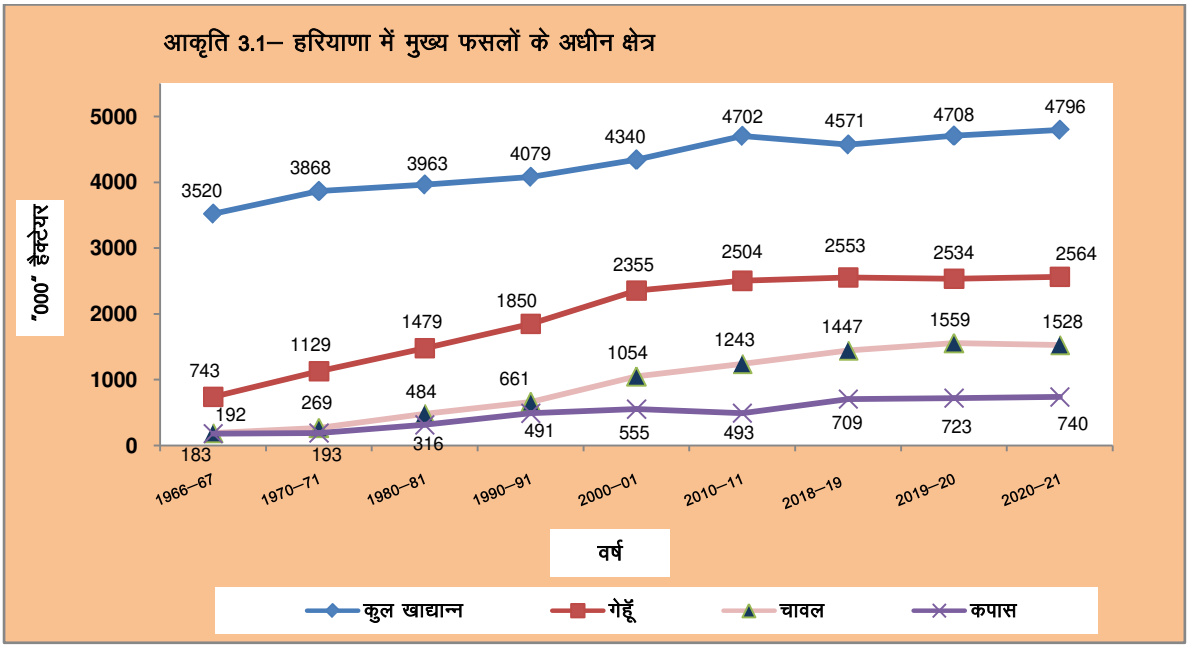

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

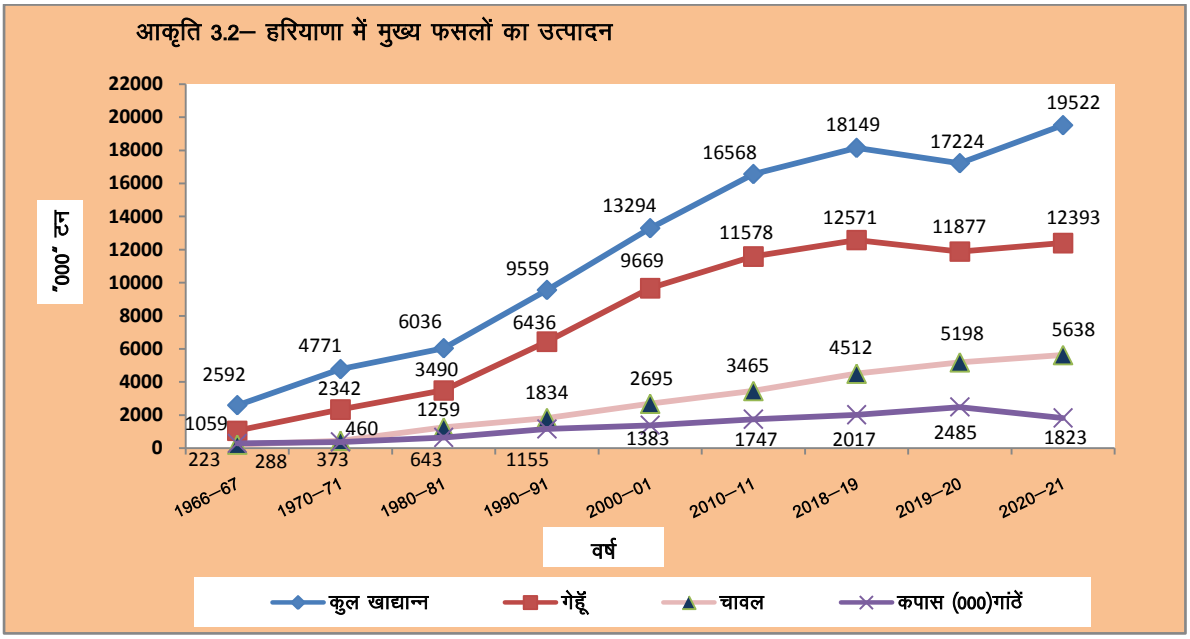

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 195.22 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि आठ गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 56.38 लाख टन था। इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में गेहूं का उत्पादन 123.93 लाख टन था। वर्ष 2020–21 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 13.49 लाख टन तथा 85.32 लाख टन था। वर्ष 2020–21 में कपास का उत्पादन 18.23 लाख गांठें हुआ। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से प्राप्त होता है।

तालिका 3.4–मुख्य फसलों का उत्पादन

('000' टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास ('000' गांठे)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2015-16	11350	4142	16332	6992	995	841
2016-17	12310	4451	17877	8167	2046	956
2017-18	12265	4880	18039	9709	1623	1122
2018-19	12571	4512	18149	8520	2017	1280
2019-20	11877	5198	17224	7730	2485	1176
2020-21	12393	5638	19522	8532	1823	1349

स्त्रोतः– भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2010-11	4624	2788	2988	2339
2011-12	5183	3044	3177	2393
2012-13	4452	3268	3117	2462
2013-14	4722	3248	3075	2424
2014-15	3979	3124	2750	2391
2015-16	4406	3061	3034	2400
2016-17	4842	3214	3200	2494
2017-18	4847	3432	3368	2576
2018-19	4924	3118	3533	2638
2019-20	4687	3334	3421*	2705*
2020-21	4834	3691	-	-

* अनन्तिम

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.6– वर्ष 2021–22 में मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1200	4440	3700
ज्वार	34	20	590
मक्की	50	138	2760
बाजरा	570	1123	1970
खरीफ दालें	50	57	1140
कुल खरीफ खाद्यान्न	**1904**	**5778**	**3035**
गेहूं	2550	12368	4850
चना	50	50	1000
जौ	20	67	3350
रबी दालें	10	12	1200
कुल रबी खाद्यान्न	**2630**	**12497**	**4752**
व्यवसायिक फसलें:			
गन्ना	110	8450	76818
कपास (गांठे)*	762	2620	585
तेल बीज	20	17	850
रबी बीज	650	1365	2100

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्र.।

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2020–21 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,834 व 3,691 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2021–22 में गेहूं तथा चावल की औसत अनुमानित उपज क्रमशः 4,850 तथा 3,428 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)**।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2021–22 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

फसल विविधीकरण

3.7 कृषि में विविधीकरण से तात्पर्य अनाज, दलहन, सब्जियों, फलों, तिलहनों, पशुचारा एवं घास आदि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये एक फसल के क्षेत्रीय प्रभुत्व के बदलाव करने को संदर्भित करता है। इसका उदेश्य मिट्टी के स्वास्थ्य एवं कृषि हितैषी तन्त्र के गतिशील संतुलन में सुधार करना है। फसल विविधिकरण का उदेश्य टिकाऊ कृषि के साथ–साथ नवीनतम तकनीकी को बढावा देने तथा किसानों की उत्पादकता एवं आय में बढोत्तरी के लिये वैकल्पिक फसलों के चयन हेतू किसानों को सक्षम बनाना है। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक जिले में धान एवं गन्ने के अधीन 50,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के आधार पर चुना जाता है। राज्य में उपरोक्त मापदण्डों को मध्य नजर रखते हुये फसल विविधिकरण कार्यक्रम के अधीन 10 जिलों (अम्बाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा) को चिन्हित किया गया है। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत दीर्घकालीन लक्ष्यों को विवरण इस प्रकार हैः– क) अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलों के क्षेत्र में कमी। ख) टिकाऊ कृषि के लिये वैकल्पिक फसलों की स्थापना एवं नवीनतम प्रौद्योगिकीय तकनीकी की प्रेरणा। ग) कृषि आय में वृद्धि, संसाधन संरक्षण, जल स्तर की बहाली, मिट्टी की थकान एवं प्रदूषण स्तर में कमी करना।

- **मेरा पानी, मेरी विरासत**–हरियाणा राज्य में, खरीफ–2020 के दौरान ''मेरा पानी, मेरी विरासत'' नाम से एक नई फसल विविधीकरण योजना शुरू की गई थी। किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड की दर से प्रोत्साहन राशि धान की जगह कपास,

बाजरा, खरीफ दलहन, मक्का, बागवानी/ सब्जियों जैसी वैकल्पिक फसलों को लगाने के लिए दी जाती है। इस योजना के तहत, लगभग 96,000 एकड़ क्षेत्र का विविधीकरण किया गया और लगभग 46 करोड़ रुपये पात्र किसानों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए गए। वर्तमान खरीफ, 2021 के दौरान एम.पी.एम.वी. योजना कुछ अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे खरीफ तिलहन (तिल, ढलाई, मूंगफली), खरीफ प्याज, खरीफ दलहन (मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन) के साथ जारी है। यहां तक कि इसमें चारे की फसलें और अनुवर्ती भूमि को भी जोड़ा जाता है। वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान 2 लाख एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 98,005.66 एकड़ जमीन दर्ज की गई थी। वर्तमान में क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा 51,874.6 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया जा चुका है।

- **दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना (बाजरा प्रतिस्थापन)**–कृषि विभाग ने राज्य में बाजरा के स्थान पर दलहन (मूंग, अरहर और उड़द) और तिलहन फसलों (अरंडी, मूंगफली और तिल) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत खरीफ 2021 के मौसम के दौरान, 37,584 किसानों ने दलहन फसलों (मूंग, अरहर और उड़द) के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया। दलहन और तिलहन की रोपाई के लिए किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। 20,562 एकड़ क्षेत्र को 12,819 किसानों द्वारा कवर किया गया है, जिसके लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 8 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

3.8 हरियाणा राज्य में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एम.बी.वाई.) खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का व कपास तथा रबी सीजन में गेहूँ, जौ, सरसों चना व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम में खरीफ–2020 से संशोधन किया है। योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने योजना को खरीफ–2020 से रबी–2022–23 तक लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसान की प्रीमियम दर अधिकतम 1.50 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत है। योजना में खड़ी फसल में जलभराव (धान फसल को छोड़कर) ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के 14 दिनों तक चक्रवात, चक्रवाती बारिश व बेमौसमी वर्षा के परिणामस्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को नुकसान का भी बीमा शामिल किया गया है। पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना की प्रगति रिपोर्ट **तालिका 3.7** में दी गई है।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19–05–2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू की गई थी। वर्ष 2019–20 में तीसरे चक्र के दौरान एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर गांवों का चयन करके 22 जिलों में 122 ब्लॉकों से 122 गांवों में से मिट्टी के नमूने लिए जाने हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25,605 मृदा नमूने एकत्र किए गए, उनका परीक्षण किया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों में वितरित किए गए हैं।

तालिका 3.7– प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कुल कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	एकत्रित प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ 2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी 2016–17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ 2017	632421	242699	12486.66	11435.53	6181.92	30104.11	80499.83
रबी 2017–18	691246	77433	8125.68	3378.77	3378.77	14883.22	8624.74
खरीफ 2018	722953	322574	13908.27	26084.97	18099.62	58092.86	79729.23
रबी 2018–19	774947	80721	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	12705.24
खरीफ 2019	820585	247995	16743.15	39950.81	28969.97	85663.92	59256.17
रबी 2019–20	890453	321220	10162.66	13156.30	13156.30	36475.23	34339.17
खरीफ 2020	887258	342672	26470.94	34953.32	34943.47	96367.73	99530.35
रबी 2020–21	757035	106810	7985.11	13213.26	13202.41	34400.78	15614.96
कुल	**7512991**	**1955611**	**125849.70**	**160924.26**	**132967.71**	**419741.63**	**419425.38**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के चलते भारत सरकार द्वारा मृदा नमूने एकत्र करने के विचार को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि भारत सरकार द्वारा 1,073 गांवों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्लॉटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2021–22 में "हर खेत–स्वस्थ खेत" अभियान की घोषणा की है जिसके तहत् अगामी 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक गांव से प्रत्येक एकड़ का नमूना एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान चुने गए 49 ब्लॉकों से प्रत्येक गांव के प्रत्येक एकड़ से 25 लाख मृदा नमूने एकत्रित करके किसानो को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 यह योजना हरियाणा में वर्ष 2007–08 से शुरू की गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना को आर.के.वी.वाई.–रफतार कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के रूप मे एक नया रूप दिया गया। आर.के.वी.वाई.–रफ्तार का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि–व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है– (क) कृषि बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए गुणवता इनपुट, भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना और किसानों को सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाना (ख) राज्यों को स्थानीय/किसानों की जरूरतों के अनुसार योजना बनाना और निष्पादित करने के लिए स्वायतता, लचीलापन प्रदान करना (ग) मूल्य श्रृंखला सवंर्धन से जुड़े उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन/उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा (घ) अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना (ड़) कई उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना (च) कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जो उन्हें कृषि करने के लिए आकर्षित करें।

3.11 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उपयोजना के लिए 200 करोड़ रुपये (सामान्य आर.के.वी.वाई.) और 20 करोड़ रुपये (आर.के.वी.वाई.– एस.सी.एस.पी.) के लिए प्रावधान किया है। जिसके विरूद्ध वर्ष 2021–22 के लिए

325.01 करोड़ रुपये की योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए है। वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार ने 138.34 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021–22 के लिए कुल राशि 172.77 करोड़ रूपये जारी किये है, जिसको सम्बन्धित विभागों की परियोजनाओं के लिए जारी कर दिया गया है और जिसके विरूद्ध 81 करोड़ रूपये आर.के. वी.वाई. के तहत खर्च कर लिए गए है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) योजना

3.12 भारत सरकार ने रबी–2007–08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत दो फसलें गेहूं और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है जो अधिक संभाव्यता वाले है, लेकिन कम उत्पादक हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2010–11 से सभी जिलों को एन.एफ.एस.एम.–दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3.13 वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार ने चल रही मुख्य योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषण अनाज व ओ.एस. तथा ओ.पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज में शामिल किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है। शामिल नई योजनाओं ओ.एस. व ओ.पी. को वर्ष 2018–19 से समस्त राज्य में क्रियान्वित किया जायेगा। एन.एफ.एस. एम.–वाणिज्यिक फसल के तहत गन्ने के साथ दलहन की इंटरक्रापिंग को बढ़ावा देने के लिए नयी उपयोजना को जोड़ा गया था और अब इस योजना को एन.एफ.एस.एम.–दलहन में मिला दिया गया है।

3.14 भारत सरकार ने वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 4,012.72 लाख रुपये के कार्य की मंजूरी दी है। खर्चे को दिए गए घटकों जैसे प्रमाणित बीज का वितरण, कलस्टर प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व, खेती की मशीने, एकीकृत कीट प्रबंधन तथा पौध व मृदा संरक्षण प्रबंधन में सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाएगा। वर्ष 2021–22 के दौरान सामान्य श्रेणी में 769.48 लाख रुपये के आवंटन के विरूद्ध 169.28 लाख रूपये का उपयोग अभी तक किया गया है और अनुसूचित जाति वर्ग के 417.65 लाख रुपये के विरूद्ध 9.73 लाख रूपये का उपयोग अभी तक किया गया है।

जल प्रबंधन

3.15 जल प्रबंधन न केवल राज्य के कृषि विभाग के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। विभाग द्वारा पानी के मितव्ययी उपयोग के लिए, विभिन्न जल बचत तकनीकों का प्रोत्साहन समग्र रूप से किया जा रहा है। जल बचत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ''खेत–जल प्रबंधन'' कार्यक्रम पर पूरा जोर दिया गया है। विभाग किसानों को कपास व गन्ने की फसलों मे भूमिगत पाईप लाइन, फव्वारा सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये पानी की बचत प्रणालियां, कृषि जलवायु परिस्थितियों के काफी अनुकूल पाई गई हैं जिसमें फव्वारा सिंचाई प्रणाली रेतीली मिट्टी जिसमें स्थलाकृति होती है के लिए अनुकूल है। जबकि भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली राज्य के मध्य समतल क्षेत्र में सबसे उपयोगी होती है। यद्यपि कपास व गन्ने की फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को पायलट

आधार पर पहली बार वर्ष 2010–11 में अपनाया गया। जल प्रबधन की प्रगति **तालिका 3.8** में दी गई है।

- **छिड़काव सिंचाई प्रणाली**
  राज्य के विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में छिड़काव सिंचाई प्रणाली की भारी मांग है। अब तक, राज्य में 1,90,177 छिड़काव सैट स्थापित किए जा चुके हैं जिन पर 292.24 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में खर्च किए गए है। जिसमें वर्ष 2020–21 के दौरान 588.12 लाख रूपये अनुदान का उपयोग करके 2,668.18 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सह योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, छोटे व सीमांत किसानों को 85 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जा रही है।

- **भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली (यू.जी.पी.एल.)**
  राज्य में भूमिगत जल संसाधन की निगरानी के अध्ययन से पता चला है कि करनाल, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में धान व गेंहूँ की लगातार बुआई के कारण पानी के जलस्तर में लगातार गिरावट आई है। गहन फसलों की प्रणाली (फसल की तीव्रता 182 प्रतिशत) के कारण 1999 से 2016 तक जमीन में पानी के जलस्तर में औसत गिरावट 9.3 मीटर हो गई है। इसके अलावा, राज्य का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र खराब गुणवत्ता वाले भूमिगत जल (खारा) से प्रभावित है जो कि फसल उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट का कारण है। ऐसे क्षेत्रों में यू.जी.पी.एल. प्रणाली बिछाने से अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के स्त्रोत से सिंचाई जल के परिवहन के लिए फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समय की मांग है कि सिंचाई हेतू भूमिगत पाईप लाईन द्वारा पानी के कुशल व उचित उपयोग से भूमिगत जल भंडार के क्षरण को रोका जा सकें। भूमिगत पाईपलाइन परियोजना आर.के.वी.वाई के तहत ली गई विभाग की एक प्रमुख परियोजना है और कार्यक्रम को पूरे राज्य में किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली बिछाने से पानी के नुकसान को कम किया गया है, उर्जा बचाई गई है, जिससे अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के तहत लाया गया है। अब तक 358.21 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग करके 2,23,695 हैक्टेयर क्षेत्र को सिस्टम के तहत लाया गया था। इस प्रणाली में भूमिगत पाईप लाईन पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध होगा, अनुदान 25,000 प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 60,000 रूपये प्रति लाभार्थी होगा।

- **ड्रिप सिंचाई प्रणाली**
  ड्रिप सिंचाई प्रणाली कपास व गन्ने की फसलों में प्रोत्साहित की जा रही है। अब तक, राज्य में 29.43 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 4,819 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2019–20 के दौरान 463.17 लाख रूपये अनुदान राशि के रूप में प्रदान कर 691.49 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के. एस.वाई.) के घटक 'पर ड्रॉप मोर क्रोप' के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए 9,290.39 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान कर 28,776 हैक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस योजना में सम्पूर्ण राज्य के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी किसानों, अनुसूचित जाति किसानों, छोटे और सीमान्त किसानों को 85 प्रतिशत की दर से सहायता दी जा रही है।

पी.एम.–किसान योजना

3.16 प्रधान मंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है। अब तक 19,12,645 किसानों को पहली किश्त, 19,13,227 किसानों को दूसरी किश्त, 18,90,588 किसानों को तीसरी किश्त, 18,42,013 किसानों को चौथी किश्त, 17,31,729 किसानों को पांचवीं किश्त तथा 16,36,630 किसानों को छठवीं किश्त, 14,67,092 किसानों को सातवीं किश्त, 13,72,792 किसानों को आठवीं किश्त, 11,62,119 किसानों को नौवीं किश्त जारी की जा चुकी है।

तालिका 3.8– छिड़काव सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विवरण

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		किसानों को दी गई सब्सिडी (लाख रूपये)
	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	
छिड़काव सिंचाई प्रणाली					
2017–18	30000	35000.00	23014.00	1244.13	6220
2018–19	20000	2845.98	8152.23	1061.13	5304
2019–20	6500	1488.76	16066.77	1990.56	7168
2020–21	19048	3542.13	2668.18	588.12	2801
भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली					
2017–18	45000	6000.00	20248.00	5218.93	9063
2018–19	8000	2000.00	9135.21	1610.00	4384
2019–20	-	-	-	-	-
2020–21	4500	900.00	-	-	-
ड्रिप सिंचाई प्रणाली					
2017–18	2470	2700.00	348.60	169.59	137
2018–19	2000	1374.92	743.14	549.44	503
2019–20	2500	1346.60	691.49	463.17	432
2020–21	9728	1809.05	-	-	-

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.)

3.17 मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.) राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें किसान एम.एस.पी. पर अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य सम्बंधित विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र सिंगल विंडो मंच है। लगभग 9 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी. पोर्टल पर 62 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर पंजीकरण कराया है।

इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)

3.18 भारत सरकार द्वारा एक नयी स्कीम ''पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश तथा एन. सी.टी., दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेष के इन–सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मैकेनाईजेशन को बढ़ावा देने''के लिए शुरू की गयी है। वर्ष 2021-22 के दौरान 253.14 करोड़ रूपये इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के लिए प्रदान किया गया है। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कुल 2,551 कस्टम हायरिंग सेंटर 80 प्रतिशत अनुदान पर स्थापित किये गए तथा 8,842 किसानों को फसल अवशेषों प्रबंधन इम्प्लीमेन्ट्स 50 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान किये गए है। ग्रामीण स्तर कैम्प, ब्लॉक स्तर कैम्प, सोशल मीडिया, लेखन प्रतियोगिता, सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह, कठपुतली कार्यक्रम, सूचना रथ, सी.आर.एम. पखवाडा के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि यंत्रो के संचालन व् रख रखाव हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किसान के खेतों में किया गया। प्रमुख स्थानों में होर्डिंग/बैनर के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन बारे जागरूक किया गया। इस योजना के अर्न्तगत लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 3.9** तथा वर्ष 2021–22 के दौरान सी.आर.एम. योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों द्वारा और कस्टम हायरिंग सेंटर (किसानों के पंजीकृत समूह द्वारा स्थापित) में खरीदी गई मशीनों का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.9– इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

घटक	लक्ष्य 2020–21		उपलब्धियां 2020–21		लक्ष्य 2021–22		उपलब्धियां 2021–22	
	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
फार्म मशीनरी बैंक या इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना।	820	8200.00	1345	5380	1678	8712	2551	10204
कृषि मशीनरी तथा इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण खरीद।	2741	7199.96	23732	14392.26	5561	9541.57	8842	7257

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.10– सी.आर..एम. योजना के तहत खरीदी गई मशीनें

क्र.सं.	मशीन का नाम	2021-22		
		व्यक्तिगत	सी.एच.सी.	कुल
1	एस. एम. एस.	140	34	174
2	हैप्पी सीडर	39	70	109
3	धान की भूसी हैलिकॉप्टर/मलचर	225	1741	1966
4	श्रुब मास्टर	550	1606	2156
5	एम.बी.हल	164	1405	1569
6	रोटरी स्लेशर	0	0	0
7	जीरो टिल सीड ड्रिल	2232	2116	4348
8	रोटावेटर	0	0	0
9	स्ट्रा बेलर	36	413	449
10	हे रेक	28	309	337
11	सुपर सीडर	5372	2305	7677
12	कॉप रीपर	56	211	267
कुल		**8842**	**10210**	**19052**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.19 आपातकालीन राहत शाखा द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडो के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि पहली जनवरी, 2022 से बढाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ तथा सभी शेयरधारकों को 500 रूपये का न्यूनतम मुआवजे का भुगतान किया गया। फसलो को बाढ, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और कीटाणु हमला के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान के मुआवजे का दायरा भी बढाया गया है। प्राकृतिक आपदाओ के पीड़ितों को वर्ष–वार प्रदान किये गये निधियों की सूची **तालिका 3.11** में दी गई है।

3.20 वर्ष 2021–22 के दौरान हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी, भिवानी, पलवल, नूंह, करनाल तथा गुरूग्राम के उपायुक्तों को बाढ़/भारी वर्षा, कीट हमलों से फसलों को हुए नुकसान हेतू 561.11 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की जा चुकी है। खरीफ–2020 की भारी वर्षा/बाढ़ से खराब हुई फसलों के लिए उपायुक्त हिसार

तालिका 3.11– वर्षवार निधियों का विवरण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सूखा	बाढ/भारी वर्षा	ओलावृष्टि	कीटाणु हमला	आगजनी
2014–15	123.38	–	–	18.40	0.29
2015–16	1.08	21.96	1207.73	976.03	0.46
2016–17	17.85	0.11	25.38	28.45	0.17
2017–18	2.00	5.46	69.42	12.60	0.20
2018–19	–	164.74	16.97	–	2.83
2019–20	–	39.30	26.90	–	3.27
2020–21	–	0.55	80.35	0.06	0.80
2021–22	–	568.05	–	–	–
कुल	**144.31**	**800.17**	**1426.75**	**1035.54**	**8.02**

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

तथा फतेहाबाद को 6.94 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के सभी उपायुक्तों को 9.40 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। दिनांक 01–04–2020 से 31–03–2021 तक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस की कुल आय 5,146.25 करोड़ रूपये हुई ।

भूमि खरीद नीति

3.21 राज्य सरकार ने विकास परियोजना के लिए स्वेच्छा से सरकार को दी जाने वाली जमीन की खरीद की एक नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को विपत्ति की स्थिति में भूमि बेचने से बचाने तथा हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए साईट चिन्हित करने के निर्णय में भू–स्वामियों को शामिल करना है।

पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन नीति

3.22 यह नीति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09–11–2010 को अधिसूचित भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन हेतु बनाई गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार हैंः–

- इस नीति के तहत भू–स्वामियों को 33 वर्षों तक 21,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी के रूप में दिए जाते हैं जोकि भूमि मालिक को उसकी अभिग्रहित की जाने वाली भूमि के साधारण मुआवज़े के अतिरिक्त हैं। इस वार्षिकी की राशि में 750 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ निश्चित राशि की बढ़ोतरी होती है। विशेष आर्थिक ज़ोन, टैक्नोलोजी शहर तथा टैक्नोलोजी पार्क के लिए यह वार्षिकी निजी विकासकर्ताओं द्वारा 42,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 33 वर्ष तक दी जाती है तथा वार्षिकी की राशि में 1,500 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड की बढ़ोतरी की जाती है।
- भू–स्वामियों जिनके स्वंय के कब्ज़े वाली रिहायशी भूमि/मकान अधिग्रहण किया जाता है, को रिहायशी प्लाट/कर्मशियल बूथ–साईट/आद्योगिक प्लाट आवंटित किये जाते हैं।
- जिन भू–स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें नौकरी, बिजली का कनैक्शन दिया जाता है और स्टैम्प ड्यूटी एंव रजिस्ट्रेशन खर्चे से छूट दी जाती है।

लघु सचिवालयों तथा सबंद्ध भवनों का निर्माण

3.23 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप–मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों/उपमण्डल/तहसील/उपतहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनो को बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है। गैर–आवासीय भवनों को बनाने के लिये वर्ष 2021–22 के लिये 15,500 लाख रुपये (4,500 लाख रूपये भूमि मुआवजा तथा 11,000 लाख रूपये भवन निर्माण) का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021–22 में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी भवनों के निर्माण करने हेतू 5,000 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

चकबन्दी

3.24 हरियाणा राज्य में चकबन्दी कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत किया जाता है। विभाग का मुख्य उददेश्य बे–तरतीब बिखरे पड़े छोटे–2 भूखण्डों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है। समेकित बड़े प्लाट आर्थिक दृष्टि से भी उचित होते हैं, जिनका प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा सकता है और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। वित्त वर्ष 2021–22 में इसके लिए बजट में 13.66 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

शिवालिक विकास एजैंसी, अम्बाला

3.25 शिवालिक क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय अलग बोर्ड की स्थापना दिनांक 24–03–1993 की गई तथा इस बोर्ड के विकास कार्यों/परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय द्वारा लागू व स्थापित करने तथा शिवालिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतू शिवालिक विकास एजैंसी, अम्बाला एक कार्यकारी शाखा है। शिवालिक विकास एजैंसी, शिवालिक विकास बोर्ड की देखरेख में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस एजैंसी का ध्यान केंद्रित हैं, जैसे कि जल संचयन, मिट्टी संरक्षण के उपायों, वनीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, पशुपालन, स्वास्थ्य देखभाल आदि के माध्यम से वाटरशैड का प्रबंधन करना। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अम्बाला, पंचकूला और यमुना नगर में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए कुल 1,380 लाख रूपये (सामान्य घटक 1,200 लाख रूपये और एस.सी.एस.पी. घटक के लिए 180 लाख रूपये) स्वीकृत किए गए है ।

मेवात विकास एजैंसी (एम.डी.ए.) नूँह

3.26 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछडेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया। मेवात विकास एजैंसी का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। एम.डी.ए. की गतिविधियों का केंद्र बहु सांस्कृतिक रहा है, ताकि क्षेत्र का सर्वागीण विकास हो सके। एम.डी.ए. ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक कार्यो, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं गैर कृषि प्रशिक्षण, खेल, सामुदायिक विकास, कृषि, पशुपालन और सांस्कृतिक विकास आदि के क्षेत्र में बुनियादी

तालिका 3.12– मदवार लक्ष्य, उपलब्धियों तथा व्यय का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.स.	मद का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियॉ	कुल खर्च 01–04–2020 से 31–3–2021
1	शिक्षा	363	363	2975.30
2	स्वास्थ्य	65	65	246.35
3	सामुदायिक कार्य	2	1	14.19
4	कृषि/वन	2	2	70.00
5	औद्योगिक व्यावसायिक एवं गैर कृषि प्रशिक्षण	150	41	30.42
6	सामुदायिक विकास	6	6	57.60
7	खेल	1	1	9.21
8	परियोजना प्रबन्धन	31	22	174.64
	कुल	**620**	**501**	**3577.71**

स्त्रोतः मेवात विकास एजैंसी, नूँह हरियाणा।

ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों के तहत राशि खर्च की है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान चालू योजनाओं के अन्तर्गत मेवात विकास एजैंसी, नूँह को 4,144.18 लाख रूपये (3,838.18 लाख रूपये सामान्य एवं 306 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. मद) के बजट को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान मद–वार लक्ष्य, उपलब्धियॉ एवं खर्चे का विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.27 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी तथा दिनांक 06–04–1976 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाईटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। दिनांक 01–09–1976 को इस संस्था ने अपना स्वंतत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकूला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है।

3.28 इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको में दिया हुआ है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम, उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य निजी बीज उत्पादकों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए ऑफर किया जाता है।

3.29 इन बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा दिये गए क्षेत्र का निरीक्षण संस्था द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। यद्यपि एंजैसी अपनी गतिविधियों के माध्यम से बीजों के प्रमाणीकरण के लिए कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के साथ आय एवं व्यय जा विवरण लक्ष्य तथा उपलब्धि के साथ **तालिका 3.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.13–पिछले पाँच साल के लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण।

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियां			
	भौतिक		वितीय		भौतिक		वितीय	
	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल़ में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल़ में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2016-17	226.25	2800.00	1252.26	1250.96	258.17	3275.11	1035.45	747.65
2017-18	258.75	3300.00	1472.65	1456.75	237.07	2878.95	1169.11	834.64
2018-19	259.50	3325.00	1559.65	1458.35	226.95	2980.74	1058.87	772.85
2019-20	260.00	3350.00	1575.20	1560.20	271.27	3593.02	1191.97	774.63
2020-21	262.50	3375.00	1737.33	1704.27	255.40	3183.19	1242.16	820.51
2021-22	263.00	3395.00	1801.38	1754.67	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।

3.30 वर्ष 2021–22 के दौरान यह आशा की जाती है कि विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं/उत्पादकों द्वारा लगभग 33.95 लाख क्विंटल के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को लगभग 263 हजार एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किये जाने की सम्भावना है। वर्ष 2021–22 में अनुमानित आय 1,801.38 लाख रूपये व व्यय लगभग 1,754.67 लाख रूपये होगा।

3.31 वर्तमान में, राज्य मेंसरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 292 प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जिन पर विभिन्न फसलों की किस्मों के अन्तर्गत बीज के प्रसंस्करण का कार्य प्रमाण पत्र के लिए किया जा रहा है। बीजों के प्रंसस्करण के उपरान्त, प्रत्येक लॉट से बीज का एक नमुना लेकर और उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला संस्था पंचकुला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिए भेजा जाता है तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लॉट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.32 हरियाणा बीज विकास निगम किसानो के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य किसानों को नाममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.33 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 79 बिक्री केन्द्रों का नेटवर्क है, इसके अतिरिक्त संस्थागत एजैंसियों जैसे मिनी बैंकों, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, के बिक्री केन्द्र है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। अधिकतम कृषि इनपुट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी अपने बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है, जो कि हरियाणा के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। निगम राज्य के बाहर विभिन्न राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों, थोक बीज खरीददारों और वितरकों को बीज की आपूर्ति भी करता है।

3.34 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान 41,129 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा, इत्यादि किसानों को उपलब्ध करवाए। खरीफ 2021 के दौरान 34,081.48 क्विंटल ढैंचा का बीज 80 प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधिकरण (राज्य योजना) और फसल विविधिकरण कार्यक्रम (आर.के.वी.वाई) को बढ़ावा देने तथा 1,909.34 क्विंटल दलहन का बीज 90 प्रतिशत अनुदान राशि के तहत बाजरा फसल विविधीकरण के द्वारा दलहन एवं तिलहन वितरित किये। रबी 2021–22 में बिक्री सीजन के दौरान अब तक 2,33,151 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध 1,76,553 क्विंटल बीज सभी फसलों (गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, जई एवं बरसीम) के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन एवं तिलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ. एस.एण्ड.ओ.पी.) राज्य कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के तहत बिक्री की है। निगम ने 320.14 क्विंटल बरसीम व 581.55 क्विंटल, जई का बीज के मिनी किट किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य योजना के तहत वितरित किये है।

3.35 निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान खरीफ–2020 मौसम में धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा इत्यादि के 35,769 क्विटंल बीज किसानों को उपलब्ध करवाए। रबी 2020–21 मौसम में 2,57,156 क्विंटल गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि के बीजो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रफतार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी) योजना के तहत बिक्री की है। वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक प्रमाणित बीजों की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 3.14** में दिया गया है।

तालिका 3.14– हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (अनुमानित)
खरीफ	45857	51312	35769	41129
रबी	266188	289342	257156	233151

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.36 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम (एच.एल.आर.डी.सी.) लिमिटिड को कंपनी अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार और करनाल में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारयणगढ़ और हनुमानगढ़ में पांच प्रंबधकीय कार्यालय है, जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केद्रों/डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पैट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैंस एजैसियों का प्रंबधन भी कर रहा है, यहां से एच.एस.डी. और एम.एस. और एल.पी.जी. गैंस किसानों/उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में 31–01–2022 तक लगभग 4,02,073 हैक्टेयर (10,05,183 एकड़) भूमि का सुधार किया है। भारत सरकार के नवीनतम सर्वेक्षण 2010 के अनुसार राज्य में 1.84 लाख हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार होना शेष है।

3.37 निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है–(1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अतंर्गत सॉडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के सम्बध में योजनाएं लागू करना। (2) अपने स्वंय के आउटलेट के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण। (3) गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम। (4) पैट्रोल पम्प और गैंस एजैसियों का संचालन करना।

बागवानी

3.38 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है और हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में लगभग सभी प्रकार के फल, सब्जियां, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जा रहे है। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। वर्ष 2021–22 में बागवानी का बजट 48,901.34 लाख रूपये है जबकि वर्ष 2020–21 में यह 46,459.81 लाख रूपये था। निरंतर आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के कारण फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों कीं खपत में बदलाव आ रहा है। हरियाणा में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फसल विविधीकरण अति आवश्यक है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.39 विभाग द्वारा चलाई जा रही 19 योजनाओं में से 15 राज्य योजनाएं तथा 4 केन्द्रीय योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घ

घटकों पर राज्य के किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.40 राज्य में 4.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है, जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.35 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 71.82 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.41 वर्ष 2020–21 में 12.31 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फल का क्षेत्र 71,460 हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 में 13.99 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 82,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.15)**।

सब्जी की खेती

3.42 वर्ष 2020–21 में 58.69 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जी की खेती का क्षेत्र 3,37,302 हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 में 67.37 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,85,018 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.16)**।

मसाले

3.43 वर्ष 2020–21 में 0.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालों का क्षेत्र 6,846 हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 में 0.93 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.17)**।

तालिका 3.15– फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2020–21		उपलब्धियां 2020–21		लक्ष्य 2021–22	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
नींबू वर्गीय फसलें	24135	575562	23316	517828	25035	602367
आम	9651	115230	9675	113418	9827	114406
अमरूद	14652	271860	14543	260851	15540	271181
चीकू	1837	25074	1809	22183	1929	22164
आंवला	2191	22519	2150	16363	2390	16529
अन्य	21109	350455	19967	300419	27279	372323
कुल	**73575**	**1360700**	**71460**	**1231062**	**82000**	**1398970**

तालिका 3.16– सब्जी फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2020–21		उपलब्धियां 2020–21		लक्ष्य 2021–22	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
आलू	33900	948080	30751	807372	34690	910680
टमाटर	27413	737675	21362	445173	24565	528193
प्याज	32016	846610	23713	602345	27080	686530
बेल वाली सब्जी	76596	1392333	54176	783528	64047	930197
फूल गोभी	39904	972490	29024	589975	32690	672160
पत्ते वाली सब्जी	43145	635230	36758	464641	41715	528770
मटर	15710	229750	8366	110097	9420	124405
बैंगन	16439	378504	10275	190901	11570	207060
अन्य	165607	2907043	122877	1875204	139241	2149060
कुल	**450730**	**9047715**	**337302**	**5869236**	**385018**	**6737055**

तालिका 3.17– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	लक्ष्य 2020–21		उपलब्धियां 2020–21		लक्ष्य 2021–22	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
अदरक	92	864	82	750	250	5000
लहसुन	3428	46594	3204	31698	4360	43600
मैथी	2337	10243	905	3775	1280	3186
अन्य	5143	35199	2655	17781	4110	41900
कुल	**11000**	**92900**	**6846**	**54004**	**10000**	**93686**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.18– औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	लक्ष्य 2020–21		उपलब्धियां 2020–21		लक्ष्य 2021–22	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
एलोवेरा	239	4458	100	65.3	145	130.5
स्टीविया	16	96	6.4	0	0	0
अरन्डी	0	0	0	0	0	0
अन्य	175	316	161.6	187.7	155	207
कुल	**430**	**4870**	**268**	**253**	**300**	**337.5**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.19– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2020–21			उपलब्धियां 2020–21			लक्ष्य 2021–22		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयो–लियस	197	0	294.00	57	0	25.73	65	0	16.25
गेंदा	4662	66830	0	1542	16590	0	2175	32625	0
गुलाब	296	1960	435.00	80	844	53.89	92.5	960	59.62
अन्य	497	8475	49.92	298	182	60.1	367.5	272	103.12
कुल	**5652**	**77265**	**778.92**	**1977**	**17616**	**139.72**	**2700**	**33857**	**178.99**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.44 वर्ष 2020–21 में 253 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का कुल क्षेत्र 268 हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 में 338 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 300 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.18)**।

फूलों की खेती

3.45 वर्ष 2020–21 में 0.18 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 1,977 हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 में खुले क्षेत्र के फूल 0.34 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 178.99 लाख संख्या उत्पादन के साथ 2,700 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.19)**।

संरक्षित और खड़ी खेती पर ध्यान

3.46 रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी व कीटनाशक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षित और खड़ी खेती को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 65 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में 2,270.35 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस स्टैंकिंग, 1,244.13 हैक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित संरचनाएं, 933.05 हैक्टेयर क्षेत्र को प्लास्टिक टयूनलस व 4,676.12 हैक्टेयर क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। श्रेणीवार प्रगतिका विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20–श्रेणीवार संरक्षित/खडी खेती की प्रगति

श्रेणी	उपलब्धियां 2020–21	लक्ष्य 2021–22
	भौतिक (है0)	भौतिक (है0)
पोली हाऊस/नेट हाऊस	1032.63	202.79
उच्च मूल्य वाली सब्जियां	211.50	203.10
कम सुरंग	933.05	670.00
मलचिंग	4676.12	2200.00
बॉस स्टैकिंग	2270.35	787.80
कुल	**9123.65**	**4063.69**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

3.47 वर्ष 2020–21 में 10,139 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया गया। वर्ष 2021–22 में 10,749 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सामुदायिक टैंक

3.48 वर्ष 20120–21 में एम.आई.डी.एच. योजना के अर्न्तगत 72 सामुदायिक/कृषि तालाब तथा 24 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर क्रमशः 1,214.20 लाख रूपये तथा 12.24 लाख रूपये खर्च हुये। वर्ष 2020–21 में आई.एच.डी. योजना के अर्न्तगत 291 व्यक्तिगत तालाब बनाये गये, जिन पर 568.39 लाख रूपये खर्च हुए।

सूक्ष्म सिंचाई

3.49 वर्ष 2020–21 में सूक्ष्म सिंचाई योजना "पर ड्रोप मोर क्रोप" के अन्तर्गत 8,166.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के अधीन लाया जा चुका है, जिन पर 5,702.08 लाख रूपये खर्च हुए।

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

3.50 बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान 50 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक परिव्यय के साथ एक अधिनियम पारित किया गया। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी द्वारा करनाल के अंगनथली में ''बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना'' परियोजना के लिए वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 486.59 करोड़ रूपये की सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर और एल.ओ.आई.

3.51 वर्तमान सरकार ने बागवानी में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है और कृषि योग्यता परिषद (ए.एस.सी.आई.) के साथ एम.ओ.यू. के तहत 32 योग्यता पैक और 265 रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आर.पी.एल.) शुरू किए गए हैं।

किसान उत्पादक संगठन का गठन (एफ.पी.ओ.)

3.52 सरकार ने बागवानी उत्पाद के सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 84,825 से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए 639 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। इन किसानो को तकनीकी, मौसम तथा विपणन जानकारी के सीधे हस्तांतरण के लिए किसान पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा।

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.)

3.53 नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के लिए विपणन ढांचा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग–छंटनी मशीन, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा, इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। इसलिए इसके 6 केन्द्र स्थापित किये गये है।

भावान्तर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.)

3.54 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 31–12–2017 में शुरू की जिसका मुख्य उद्देश्य बागवानी फसल की थोक बाजर में कीमत कम होने पर बागवानी किसानों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना और उन्हें कृषि से बागवानी की तरफ जाने को प्रोत्साहित करना है। भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकृत क्षेत्र के साथ किसानों का विवरण **तालिका 3.21** में दिया गया है।

तालिका 3.21–भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की संख्या

वर्ष	किसान नामांकित (संख्या)	नामांकित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रोत्साहन भुगतान राशि (रूपये लाख में)
2018–19	4435	10789	12.08
2019–20	17970	66351	940.49
2020–21	36935	84830	82.65
2021–22	30170	54120	0.00
कुल	**89510**	**216090**	**1035.22**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई)

3.55 हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं, जैसे ओलावृष्टि, तापमान, ठंड, तेज हवा, आग इत्यादि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरूआत 01–01–2021 को की गई है। इस योजना को भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई) के अतिरिक्त लागू किया गया है, जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक राज्य योजना है। इस योजना ने किसानो को अपनी आय के स्तर बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ाने और किसानों को नवीन एवं नैतिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

3.56 पहल

- **गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाः** सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की गई है। दोनों प्रयोगशालाओं में बागवानी और कृषि उपज, मिट्टी और पानी के नमूनों में अवशेष सामग्री के विशलेषण की सुविधा है।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशनः** सरकार ने शहद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 2020 में एक नई केन्द्रीय योजना "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन" की शुरूआत की है। भारत सरकार को वर्ष 2020–21 के लिए 41.16 करोड़ रूपये की कार्य योजना भेजी गई है जिसमें 20 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी शामिल हैं। बागवानी विभाग में मधुमक्खी पालन नीति–2021 और कार्य योजना 2021–30 का शुभारंभ किया गया है।
- **नए केन्द्रों की स्थापनाः** हरियाणा सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंन्द्र व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 11 केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और तीन केन्द्र स्थापित हो रहे है।

3.57 सूचना प्रौद्योगिकी

- सरकार द्वारा पांच ई–सेवाएंः होर्ट–नेट (बागवानी फसलें), एम.आई.–नेट (सूक्ष्म सिंचाई), पॉली नेट (पॉली हाउस), बीज लाइसेंस (निजी सब्जी बीज खुदरा विक्रताओं), नर्सरी (सार्वजनिक और निजी नर्सरी लाइसैंस) अधिसूचित की गई है। इन 5 में से, 4 सेवाएं सी.एस.सी. से जुड़ी हुई है।
- किसान पोर्टल शुरू किया गया।
- सी.एम. डैशबोर्ड से जुड़े के. पी. आई. में 5 घटक।
- मुख्यालय के साथ–साथ विभाग के राज्य कार्यालयों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
- विभाग की चार ई–सेवाओं में परिवार पहचान पत्र का एकीकरण।
- उद्यान विभाग की वेबसाइट पर "खुशहाल बागवानी" नाम से विभाग की सभी 16 सेवाओं को सिंगल अम्ब्रेला और कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में जोड़ा गया है। इस वेब पोर्टल का लिंक उद्यान विभाग की मुख्य वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस लिंक पर सिंगल क्लिक पर यह पोर्टल किसानों के लिए खुल जाएगा, जिस पर उन्हें सभी योजनाएं/बागवानी गतिविधियां/सब्सिडी आदि मिल जाएंगी।
- विभाग ने 02–11–2021 को बागवानी निदेशालय में किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिए समर्पित टोल–फ्री नंबर के साथ एक 'बागवानी हेल्पलाइन सेंटर' की स्थापना की है।
- विभाग ने हरियाणा राज्य के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियों को प्रकाशित करने के लिए दिनांक 02–11–2021 को एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है।

सिंचाई

3.58 हरियाणा उत्तर भारत में छोटा सा भू–आबद्ध वाला राज्य है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4 प्रतिशत भू–भाग है। कम वर्षा (300 मिलिमीटर से 1,100 मिलिमीटर), अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों पर निर्भरता, 40 प्रतिशत भू–जल खारा होने जैसे

अवशेषों के साथ सीमित जल संसाधन होने के कारण राज्य को कृषि (अर्थ व्यवस्था की रीढ की हड्डी) के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और 2.5 करोड़ से अधिक लोगो को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र, उद्योग आदि की आने वाली बढ़ती जरूरतों को पूरा करना राज्य के लिए बहुत बड़ा काम है। हरियाणा ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सिचांई नहरों और पेयजल योजनाओं का एक व्यापक नैटर्वक विकसित किया है और नेशनल फूड बास्केट में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभर कर आया है और 100 प्रतिशत गांवो को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई विभाग की योजनाएं लक्ष्य व उपलब्धियां **तालिका 3.22** में दर्शाई गई हैं।

3.59 राज्य में नहर और जल निकासी नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा (आई.डब्ल्यूआर.डी.) की है, जिसमें राज्य में सिंचाई, पीने, तालाब भरने, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है। हरियाणा ने एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया है, जिसमें 1,521 चैनल हैं, जिनकी लम्बाई 14,125 कि. मी. है। भाखड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं, जिनकी कुल लम्बाई 5,867 कि. मी. है, यमुना प्रणाली की कुल 472 नहरें हैं जोकि 4,311 कि.मी. लम्बी हैं और लिफ्ट प्रणाली की कुल 528 नहरें हैं जिनकी लम्बाई 3,947 कि.मी. है। इसके अतिरिक्त जल निकासी के लिए राज्य में 5,150 कि.मी. लम्बे लगभग 800 ड्रेनज का एक विशाल जाल है। राज्य का नेटवर्क पुराना है और सिस्टम के लगातार चलने के कारण वाहक चैंनलो की क्षमता कम हो गई है इसलिए नहरों का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, सरकार वाहक प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करके मौजूदा नहर प्रणाली का कायाकल्प करने की योजना बना रही है, ताकि मानसून अवधि के दौरान अधिशेष जल को सिंचाई के साथ–साथ संरक्षण के लिए भी राज्य में लाया जा सके।

नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण

3.60 वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लगभग 220 चैनलों के पुनर्वास का कार्य लगभग 1,200 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से करने के लिए योजना बनाई गई है। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न डिस्ट्रीब्यूट्री के पुर्नवास को 400 करोड़ रूपये की लागत से किया गया। दुल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री के पुनरोद्धार का कार्य 40.90 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया गया है। इससे दुल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री की क्षमता 310 क्यूसिक से बढ़कर 480 क्यूसिक हो गई जिससे कलानौर, गढ़ी सांपला किलोई, बहादुरगढ़ और बादली निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 21 गांव लाभान्वित हुए हैं।

पश्चिमी जमुना नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढ़ाना

3.61 मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की निम्नलिखित योजनाएं प्रगति पर हैः

- आर.डी. 68220 (हमीदा हैड) से आर.डी. 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 100 करोड़ रूपये का कार्य दिनांक 31–03–2021 तक पूरा हो चुका है।
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आर.डी. 0–154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 185 करोड़ रूपये का कार्य दिनांक 31–03–2021 तक पूरा हो चुका है।
- समानातंर दिल्ली ब्रांच की आर.डी. 0 से 145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुनर्वास के कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।

तालिका 3.22– योजना–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय
2016–17	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	104	20400.52	99	16332.38	95	80
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	517	19454.70	456	16267.08	88	84
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	6	4237.51	4	657.82	67	16
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	34723790	3957.97	33091704	3894.73	95	98
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	17966063	1045.91	17924101	1033.74	100	99
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	182	11114.39	176	10010.06	97	90
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	20500.00	49223	13316.27	82	65
2017–18	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	159	38672.71	139	29182.20	87	75
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	440	17125.33	377	14134.84	86	83
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	9	4041.40	5	717.8	56	18
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35263144	4464.07	33553661	4451.92	95	100
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	13627408	1277.1	13593188	1247.32	100	98
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	128	14268.49	124	8916.08	97	62
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	22500.00	34963	10793.36	58	48
2018–19	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	156	46695.28	136	39989.70	87	86
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	358	14228.80	278	9922.38	78	70
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	27	3877.32	26	865.38	96	22
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35140120	4612.43	33187299	4335.64	94	94
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	15217675	1669.04	14827649	1518.45	97	91
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	163	11764.68	150	9212.33	92	82
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	30000	10500.00	19719	8571.14	66	82
2019–20	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	195	52764.76	168	44593.65	86	85
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	223	8339.56	160	5169.16	72	62
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	14	3981.69	8	1671.23	57	42
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	39801089	8173.85	39524564	7811.02	99	95
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	9579066	1472.78	40519316	1379.72	42	94
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	96	51.00	85	48.10	88	94
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	32000	10500	32219	10275	100	98

2020–21	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	262	211792.09	191	24519.91	72.90	11.58
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	176	2707.07	150	1149.47	85.23	42.46
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	13	1440.15	9	325.59	69.23	22.61
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35914268.6	7907.19	32712378.3	6658.97	91.08	84.21
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	8266164.95	1559.92	8250154.46	1433.41	99.81	91.89
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	227	26622.07	110	5347.87	48.46	20.08
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	11000	6750	8160	5975	74.18	88.58

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

नाबार्ड परियोजनाएं

3.62 सरकार द्वारा 207 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से उपचारित जल के उपयोग हेतू 1,098.25 करोड़ रूपये की लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गई। जिसमें से 35 एस.टी.पी. का कार्य पहले चरण में करना प्रस्तावित है, जिसके लिए नाबार्ड द्वारा 500 करोड़ रूपये सूक्ष्म सिंचाई निधि के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में मंजूर किए गए और 31–03–2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 35 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 22 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 281.74 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई। 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गैरव्यवहार्य हैं जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता। 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 231.88 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सिंचाई उद्देश्य के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग

3.63 सिंचाई विभाग द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 188.60 एम.एल.डी. से 550 एम.एल.डी. तक 0–26.247 (अंतिम छोर) किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए (गुरूग्राम शहर के सीवेज के पानी को उपचारित करके जिला गुरूग्राम में गांव धनवापुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से) 295.80 करोड़ रूपये (148.29 करोड़ रूपये चरण–I व 147.51 करोड़ रूपये चरण–II) की लागत से जिला गुरूग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के किसानों को लाभान्वित करने हेतु एक परियोजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा 207 सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग करने की एक परियोजना 1,098.25 करोड़ रूपये की लागत से सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

जलमार्गों का पुनर्वास

3.64 सरकार बेहतर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध पानी के कुशल उपयोग के माध्यम से राज्य के कृषक समुदाय को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने की इच्छुक है। इस उद्देश्य के लिए सरकार सिंचाई के क्षेत्र में ''हर खेत को पानी'' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रमुख नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें जलमार्गों का विस्तार, 24 फीट प्रति एकड़ से 40 फीट प्रति एकड़ करने से कृषि कमांड एरिया (सी.सी.ए.) में वृद्धि हुई है जिससे राज्य में सिंचाई में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सरकार ने पक्के जलमार्गों के निर्माण और क्षतिग्रस्त जलमार्गों की मरम्मत/पुनर्वास के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जलमार्गों की संशोधित नीति के अनुमोदन के बाद, विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपये की लागत से 500 जलमार्गों के पुनर्वास/विस्तार के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

पुलों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/पुनर्स्थापन और निर्माण

3.65 नहरों और नालों पर पुलों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण और पुनर्स्थापन को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विभाग ने राज्य के सभी पुलों की पूर्ण गणना करवाई है। इन आंकड़ों के अनुसार 2,360 पुलों का काल

समाप्त हो चुका है और इन पुलों के पुनर्निर्माण पर लगभग 1,100 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, 1,754 पुलों को मुख्य मरम्मत/रखरखाव की आवश्यकता है और इनकों अच्छी स्थिति में लाने के लिए 138 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 125 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध सरकार द्वारा 146 पुलों के लिए 276 करोड़ रूपये पहले ही स्वीकृत किये जा चुके है, जिसमें से 51 पुलों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 50 पुलों का कार्य प्रगति पर है।

सरस्वती नदी विरासत विकास परियोजना

3.66 सरकार ने हाल ही में सरस्वती नदी के पुनरोद्धार और आदिबद्री बांध व अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए 388.16 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 224 हैक्टेयर मीटर भंडारण क्षमता वाले आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21–02–2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार ने आदि बद्री बाँध, बैराज, रिज़र्वायर और अग्रणी चैनल सहित 388 करोड़ रूपये की पूरी परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी है।

बाढ़ नियंत्रण और निकासी कार्य

3.67 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा राज्य सूखा राहत व बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने 430 नई योजनाएं बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी के लिए 500.62 करोड़ रूपये की लागत से मंजूर की है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

3.68 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एन.एच.पी.) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारत सरकार की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पूरे भारत में 49 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एन.एच.पी. का उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। हरियाणा को 2016 से 2024 तक परियोजना अवधि के लिए बजट के रूप में 50 करोड़ रूपये दिये गये है। पांच साल की अवधि के लिए 90 नहर स्थानों के लिए एक सेवा मॉडल के रूप में डेटा के साथ रीयल टाईम नहर डेटा अधिग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है।

रिचार्जिंग कुएं

3.69 हरियाणा सरकार ने ''मेरा पानी मेरी विरासत'' के अंतर्गत 1,000 रिचार्जिंग कुएं/शाफ्ट बनाने की मंजूरी 40 करोड़ रूपये की लागत से दी है। सभी रिचार्जिंग कुएं/शाफ्ट की निविदाएं मंजूर की जा चुकी हैं जिन पर कार्य शुरू कर दिया गया है। 1,000 रिचार्जिंग कुएं/शाफ्ट का कार्य 30–06–2022 तक पूरा होने की संभावना है। इन रिचार्जिंग कुओं/शाफ्ट को जिला कुरूक्षेत्र के बाबैन, पिपली, शाहबाद व इस्माईलाबाद ब्लॉक, कैथल जिले के गुहला व सिवान ब्लॉक, फतेहाबाद जिले के रतिया ब्लॉक और सिरसा जिले के सिरसा ब्लॉक में बनाया जा रहा है ताकि जल स्तर जोकि 40 मीटर या अधिक गहरा है, को ऊपर लाया जा सके। 671 रिचार्जिंग कुएं/शाफ्ट का कार्य पूरा हो चुका है तथा 117 रिचार्जिंग कुएं/शाफ्ट का कार्य प्रगति पर है। अब तक 21.23 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

अटल भूजल योजना

3.70 अटल भूजल योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य में 14 जिलों के 36 ब्लॉकों की 1,669 ग्राम पंचायतों में प्रबंधन और भूजल संसाधनों में सुधार करना है। इसे 2020–21 से 2024–25 तक पांच वर्षों की अवधि में 677 करोड़ रूपये की राशि के साथ लागू किया जा रहा है।

अपस्ट्रीम स्टोरेज डैम

3.71 हरियाणा यमुना नदी से सुनिश्चित जल प्राप्त करने के लिए यमुना नदी की ऊपरी हिस्से में रेणुका, किशाउ और लखवार–व्यासी बांधों के निर्माण के लिए प्रयासरत है। लखवार,

किशाउ एवं रेणुकाजी बांध के पूरा होने पर हरियाणा को कुल जमा पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा। भारत सरकार के वित मंत्रालय द्वारा रेणुका जी बाँध की निवेश मंजूरी के बाद, राज्य सरकार ने ऊपरी यमुना नदी समिति (यू.वाई.आर.बी.) को प्रारंभिक धन के रूप में 63.57 करोड़ रूपये जमा करवा दिए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री पहले ही 27–12–2021 को रेणुका जी बाँध के निर्माण की आधारशिला रख चुके है।

अन्तिम छोर पर आपूर्ति

3.72 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर व्यापक कदम उठाए गए जिसके लिए एक राज्य स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। 2021 के मानसून सत्र में, जे.एल.एन. फीडर में अधिकत्म 2,850 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 970 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 1,300 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 810 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया।

राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.)

3.73 हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) को राष्ट्रीय जल मिशन (एन.डब्ल्यू.एम.) के तहत जल संसाधानों की सुरक्षा, निरंतर विकास और प्रबंधन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य विशिष्ट कार्य योजना के तहत जल क्षेत्र के लिए एस.एस.ए.पी. की तैयारी की निगरानी के लिए मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। हरियाणा के विभिन्न विभागों से राज्य विशिष्ट कार्य योजना से सम्बन्धित अधिकतर आंकडे प्राप्त किए जा चुके हैं। इस कार्य को जल्दी से पूरा करने हेतु आई.आई.टी. रोपड के साथ परामर्शदाता के रूप में अनुबन्ध की प्रक्रिया 24–02–2021 को पूरी हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से आवश्यक आंकड़े प्राप्त हो चुके है । आई.आई.टी. रोपड़ ने हरियाणा के विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन करना शुरू कर दिया है और राज्य विशिष्ट कार्य योजना की ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट जल्दी ही तैयार हो जाएगी।

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण

3.74 दिनांक 23–10–2018 को हरियाणा सरकार द्वारा "हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण'' की स्थापना के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा सरकारी भूमि पर स्थित सभी तालाबों का डेटा तालाब प्रबन्धन प्रणाली (पी.डी.एम.एस.) सॉफ्टवेर के माध्यम से एकत्र किए गए, जिनकी कुल संख्या दिनांक 22–11–2021 तक 18,552 (ग्रामीणः 17,709 और शहरीः 843) है। इस प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध तरीके से हरियाणा राज्य के सभी तालाबों का जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार के लिए वितीय वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए कार्य योजना बना ली है, जिन्हें अमल में लाए जाने का कार्य निरंतर प्रगति पर है। आज के समय, चरण–I के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में चुनी गई योजना के तहत 18 आदर्श तालाबों में से 7 तालाबों का कार्य पूर्ण हो चुका है, और शेष बचे 11 तालाबों का कार्य 31–03–2022 तक सम्पन्न किए जाने का प्रयास है।

- कार्य योजना के चरण-II के अंतर्गत 770 गांवों के सभी 2,163 प्रदूषित तालाबों व कार्य योजना में चरण-III के तहत 1,041 गाँव के 2,552 प्रदूषित तालाबों का सुधारीकरण किया जायेगा, चरण II तथा III की योजना का कार्य शुरू हो चुका है तथा 30–06–2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- इन उपरोक्त तालाबों में बहने वाले दूषित व अपशिष्ट जल का उपचार आर्द्रभूमि निर्मित प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि इन सुधारे/जीर्णोद्धार किए जा चुके तालाबों के उपचारित जल का उपयोग मछली पालन, पशुओं के उपयोग एवं लघु

सिंचाई के लिए किया जा सके। तालाब प्राधिकरण के द्वारा प्रयोग की जा रही उपचार तकनीक के कारण तालाबों के जल की गुणवत्ता में 60 प्रतिशत तक का सुधार देखा गया है, इसके अतिरिक्त जीर्णोद्धार किये गए तालाबों की जल धारण क्षमता में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

- तालाब प्राधिकरण के द्वारा तालाबों के समयबद्ध पुनरोद्धार व विकास कार्यों में गुणवत्ता व कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रंबधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यू.एम. आई.एस.) प्रणाली का विकास किया गया है, जिससे अधिकारिक स्तर पर किक कार्यो की निगरानी की जा सकेगी।
- जन साधारण की तालाबों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा शिकायत निवारण तंत्र (जी.आर.एम.) का विकास किया जा रहा है, ताकि राज्य के नागरिक अपने स्तर पर भी तालाबों से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत से प्राधिकरण व् राज्य सरकार को अवगत करवा सके। इस प्रकार वे तालाब सम्बंधित समस्या के उचित समाधान एवं निवारण में अपना योगदान दे सकेंगे।
- हरियाणा सरकार एवं तालाब प्राधिकरण द्वारा किये गए उपरोक्त प्रयासों की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा भी बहुत सराहना की गई है और इन प्रयासों को भारत के अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू करने की सिफारिश की गई है।

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा)

3.75 काडा का मुख्य कार्य खेतों की सिंचाई हेतू जलमार्गो का निर्माण करना है। काडा द्वारा तीन परियोजनाऐं जिनमें भाखड़ा नहर कमांड परियोजना चरण-II, पश्चिमी यमुना नहर कमांड परियोजना चरण-VI एवं जवाहर लाल नेहरु नहर कमांड परियोजना चरण-II क्रियान्वित की जा रही है। पश्चिमी यमुना नहर कमांड परियोजना चरण-VI एवं जवाहर लाल नेहरु नहर कमांड परियोजना चरण-II को 2007–08 में सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम में शामिल किया गया तथा भाखड़ा नहर कमांड परियोजना चरण-II को 2009–10 के दौरान सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम में शामिल किया गया था। नवम्बर, 2019 से अक्तूबर, 2021 तक इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 25.83 लाख रनिंग फुट जलमार्गो को पक्का किया गया है तथा इस कार्यकाल मे सभी योजनाओं पर लगभग 148.54 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है।

3.76 दिसम्बर, 2020 में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया। मार्च, 2021 तक सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम "प्रति बूंद अधिक फसल" पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. योजना बागवानी और कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई थी। इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अप्रैल, 2021 से राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पी.डी.एम.सी.घटक के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) को अधिकृत किया गया है। राज्य में मिकाडा द्वारा पोर्टल के माध्यम से पी.एम.के.एस.वाई. योजना के घटकों जैसे कि i) टपका सिंचाई प्रणाली ii) लघु फव्वारा प्रणाली iii) पोर्टेबल फव्वारा प्रणाली iv) सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत में पानी के तालाब v) नहरी जल मार्गो का एकीकरण (पाईप और सिविल निर्माण), फार्म तालाब, सौर ऊर्जा पम्प व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3.77 मिकाडा द्वारा एक नई वाटरकोर्स पॉलिसी–2021 और ऑन फार्म वाटर टैंक पॉलिसी–2021 बनाई गई है। तदानुसार, यह निर्णय लिया गया कि सभी जलमार्गो का निर्माण या पुनर्वास जलमार्ग नीति के अनुसार किया जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतू उपरोक्त पोर्टल शुरु किया गया है, जिस पर जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू.यू.ए.) जो अपने जलमार्गो का निर्माण करवाना चाहते हैं, वे

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा उनके जलमार्गो का निर्माण वाटरकोर्स पॉलिसी–2021 के अनुसार किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कार्य परियोजना के तहत किया जाता है तो सूक्ष्म सिंचाई घटक के सहायक बुनियादी ढांचे के सभी खर्च, जैसे वाटरकोंस, ऑन–फार्म तालाब व सौर ऊर्जा पंप की लागत सरकार वहन करेगी तथा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयन्त्र की लागत का केवल 15 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसान/किसान समूह अपने स्तर पर ऑन फार्म टैंक का निर्माण करते है तो उनको ऑन फार्म वाटर टैंक पोलिसी–2021 के अनुसार 70 प्रतिशत/85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से किसानों को सौर ऊर्जा पम्प स्थापित करने पर कुल लागत का 75 प्रतिशत तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

3.78 किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना नाबार्ड–एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है, जिसकी अनुमानित लागत 189.46 करोड रुपए है, जो कि 22,555 एकड़ भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाएगी। यह परियोजना हरियाणा सरकार व नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा 19 आउटलेट पर कार्य शुरू करने हेतू सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है।

3.79 एक अन्य परियोजना नाबार्ड–एम. आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 399.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 57,352 एकड़ भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना हरियाणा सरकार व नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु इस परियोजना पर सभी किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के इच्छुक न होने के कारण अब नए ऑउटलेटस की पहचान की जा रही है जहाँ पर किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए तैयार होंगे। तत्पश्चात सरकार के अनुमोदन उपरान्त इन आउटलेटस पर कार्य शुरू किया जाएगा।

3.80 सरकार के निर्णय अनुसार, मिकाडा ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में 1,546 कच्चे जलमार्गो की पहचान की है, जोकि अगले तीन वर्षो में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI के तहत पक्के किये जाने प्रस्तावित है। उपरोक्त चिन्हित जलमार्गो को पक्का करने से लगभग 6,71,562 एकड सी.सी.ए. को सिंचित किया जा सकेगा। भाखडा नहर कमान (बी.सी.सी.), पश्चिम जमुना नहर कमान व जवाहर लाल नेहरू नहर कमान (डब्ल्यू. जे. सी. और जे.एल. एन.) तथा सिवानी/लोहारू नहर कमान का सी. सी.ए. इन परियोजनाओं के तहत कवर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल 658.73 करोड रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसमे से पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. घटक के तहत लगभग 2.5 लाख एकड़ क्षेत्र लाने के लिए 553.63 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वन

3.81 हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी लगभग 81 प्रतिशत भूमि कृषि के अधीन है। वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 3.62 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है, कुल वन तथा सड़क, रेल तथा नहरों के किनारों पर पौधा रोपण सहित राज्य का कुल वन और वृक्ष आवरण 7.1 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों (2016–17 से 2020–21) के दौरन 6.95 करोड़ पौधे रोपकर 52,585 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा वर्ष 2021–22 के दौरान वन विभाग ने विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण, प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) आदि के तहत सरकारी वन भूमि, संस्थागत भूमि, पंचायत भूमि और निजी कृषि भूमि पर पौधारोपण के निम्नलिखित कार्य किये है:–

वर्ष 2021–22 के दौरान वनरोपण

3.82 कुल 11,661 हैक्टेयर क्षेत्र में हरियाणा के 2,200 गांवों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से मुफ्त आपूर्ति और बिक्री सहित चालू वित्त वर्ष में अब तक 204.57 लाख पौधे रोपित किए गए हैं।

जल शक्ति अभियान

3.83 जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए गहन वनीकरण गतिविधियों की गई, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1,000 पौधे निःशुल्क वितरित किए जायेंगे। इस योजना के तहत लगभग 62.54 लाख पौधे वितरित किये जायेंगें तथा अब तक 49.92 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग को पौधारोपण के लिए अतिरिक्त पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। भवनों की छतों पर जल संचयन प्रणाली भी स्थापित की गई है।

पौधागिरी अभियान

3.84 राज्य सरकार द्वारा बच्चों को पेड़ लगाने प्रकृति तथा पेड़ों को बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए 'पौधागिरी' नाम की एक योजना आरम्भ की गई है। यह अभियान राज्य में वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था तथा यह चालू वर्ष में भी जारी है। इस अभियान के तहत, छठी से बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने घरों में या बाहर एक–एक पौधा रोपित कर रहे हैं। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा अपनी पौधशालाओं से फलों व अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध करवाये जाते है। अच्छे रखरखाव द्वारा पौधे को जीवित रखने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक छठे माह में 3 वर्ष तक 50 रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिये जायेंगे।

ऑक्सी–वन

3.85 हरियाणा सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "ऑक्सी–वन की स्थापना" नामक एक अनूठी और अपनी तरह की पहल की घोषणा की है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार करनाल जिले में मुगल नहर के नजदीक 80 एकड़ वन भूमि पर स्थापित किया जाएगा, पंचकुला जिले में भी बीड़ घग्गर नदी के नजदीक 100 एकड़ वन भूमि पर ऑक्सी–वन की स्थापना की जायेगी। वर्ष 2021–22 के दौरान प्रत्येक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भूमि पर 5–10 एकड़ भूमि पर ऑक्सी–वन की स्थापना की जायेगी।

वन उद्यान

3.86 राज्य के विभिन्न गांवों की पंचायतों ने पंचायत की ज़मींन में फलदार पौधे लगाने के लिए वन विभाग से सम्पर्क किया है। वर्ष 2021–22 के दौरान पंचायतों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के अलावा लोगों को स्वच्छ हवा और ताजा वातावरण प्रदान करने के लिए पंचायत भूमि पर 3 वन बाग स्थापित किए जाएंगे।

प्राण वायु देवता एवं हर्बल पार्क

3.87 हरियाणा ने प्राण वायु देवता नामक योजना की शुरूआत की है, जिसके तहत 75 साल पुराने पेड़ों की रक्षा की जाएगी और 2,500 रूपये प्रति पेड़ पेंशन हर साल दी जाएगी। लोगों को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें लुप्तप्राय औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में शामिल करने के लिए, राज्य में 61 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं।

जल संचयन बांधों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण

3.88 शिवालिक और अरावली क्षेत्रों में नए जल संचयन ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और इन पहाड़ियों में पानी के संरक्षण के लिए पुराने बांधों की मरम्मत की जा रही है। इन सूक्ष्म बांधों ने किसानों को उनकी ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा इन बांधों ने सतही प्रवाह की जांच की है और भू–जल भंडारण में वृद्धि की है। पहाड़ियों में गलीज़ और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चैकडैम का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए चालू वर्ष के दौरान 54.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)

3.89 प्राकृतिक संसाधनों के प्रंबधन में स्थानीय समुदायों का शामिल करने के लिए वन विभाग ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने में सहायक रहा है। अब तक 800 गांवों में 1,990 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। इन आय सृजन गतिविधियों को अपनाने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये सदस्य वनीकरण, केंचुए की खाद, जैविक खेती, बालिका बचाओ आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र

3.90 वन विभाग के सहयोग से बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.) ने गिद्धों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए पिंजौर के पास एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केन्द्र स्थापित किया है। यह योजना अगस्त, 2001 में शुरू की गई थी। इस परियोजना को पहले पांच वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन पहल के तहत वित पोषित किया गया था। वर्तमान में, गतिविधियों को रॉयल सोसायटी प्रोटेक्सन फॉर बर्ड्स लंदन (आर.एस.पी.बी.) द्वारा बी.एन.एच. एस. को दिए गए फण्ड द्वारा समर्थित किया जाता है। यह एशिया में अपनी तरह का पहला केन्द्र है। अक्तूबर, 2004 में विश्व संरक्षण कांग्रेस ने गिद्दों के सरंक्षण में की गई पहल के लिए हरियाणा सरकार को बधाई दी। इस परियोजना की अवधि अक्तूबर, 2034 तक है। बी.एन.एच.एस. और वन विभाग के बीच 18 अगस्त, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। लगातार कोशिशों से केन्द्र के नतीजे आने शुरू हो गए हैं।

जागरूकता कार्यक्रम

3.91 'प्रकृति शिक्षा और जागरूकता' कार्यक्रम राज्यभर में क्रियान्वित किया जा रहा है। वानिकी और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगो को जागरूक करने हेतु गांवों में किसान प्रशिक्षण शिविर, स्कूली बच्चों के लिए प्रकृति भ्रमण एवं वन विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

3.92 हरसैक की सहायता से ब्लॉक और 'स्ट्रिप' वनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया है। सरल और ई.ओ.डी.बी. प्लेटफॉर्म के तहत दो ई–सेवाओं को कवर किया जा रहा हैं। नर्सरी प्रबंधन, वृक्षारोपण प्रबंधन, गणना और वन अपराधों के नियंत्रण पर ऑनलाईन मॉड्यूल के लिए एक एम.आई.एस. विकसित किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 की गतिविधियां

3.93 वर्ष 2022–23 के दौरान, 2,200 गावों में, सभी राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं को वन विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा। कुल 3 करोड़ पौधे लगाये और मुफ्त वितरित किये जायेंगे। वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि और कृषि भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। औषधीय पौधों के तहत अधिक क्षेत्र लाने के लिए विश्व हर्बल वन का और अधिक विकास किया ज़ाएगा। राज्य के लोगों में वन, वन्य प्राणी तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति शिक्षा के प्रयासों को और मजबूत किया जायेगा, ताकि गरीबी में कमी, आजीविका सृजन और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। लोगों को शिक्षित करने और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सी वन भी विकसित किए जाएंगे।

पशुपालन एवं डेयरी

3.94 पशुपालन एंव डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन को 2,868 पशु संस्थाओं (राजकीय पशु चिकित्सालय (जी.वी.एच.) एंव राजकीय पशु चिकित्सा औषद्यालयों (जी.वी.डी.) की सुविकसित बुनियादी सरंचना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एंव पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य

के पशुधन जनगणना–2019 के अनुसार पशुधन की संख्या **आकृति 3.3** में दी गई है।

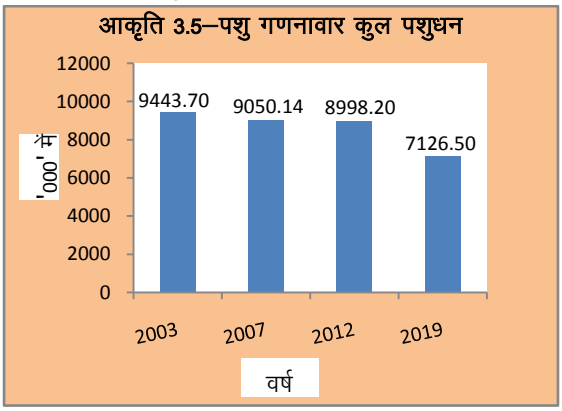

3.95 हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.5 प्रतिशत है लेकिन 117.34 लाख टन दूध का योगदान है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.56 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 405 ग्राम के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 1,118 ग्राम है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है।

3.96 वर्ष 2020–21 के दौरान 11.42 लाख गायों और 27.79 लाख भैंसों तथा वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 9.10 लाख गाय और 19.37 लाख भैंसों का उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान 4.06 लाख गायों और 11.42 लाख भैंसों के बच्चे और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 3.08 लाख गाय 8.31 लाख भैंसों के बच्चे पैदा हुए है।

3.97 विभाग ने वर्ष 2020–21 के दौरान 42.09 लाख और वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 69.71 लाख पशुओं का निःशुल्क कृमिरहित किया गया जिससे पशुधन के कृमि को कम करने और समग्र उत्पादन में वृद्वि करने में मदद मिलती है। विभाग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को उनके परिवारों के पोषण और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कम लागत वाली नस्ल के 10 दिन आयु के 50 चूजे, मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है । इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में 567 और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 533 इकाईयां स्थापित की गई हैं और आबंटित बजट 90 लाख रूपये में से 59.85 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.98 राज्य में अनूसूचित जाति के पशुधन पालकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति परिवारों के लिए 1,500 2/3 दुधारू पशु डेयरी और 100 (10 मादा + 1 नर) सुअर पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 1,934 एंव 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) 1,265 लाभ प्राप्तकर्ताओं को लाभावित्त किया गया है। आंवटित बजट 35 करोड़ रूपये में से 24.31 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। इसी प्रकार राज्य में अनुसुचित जाति के पशुपालको को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इकाई लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके (15 मादा + 1 नर) भेड़ व बकरी की 800 इकाईयां स्थापित की जानी है। वर्ष 2020–21 एंव 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में क्रमशः 14 एवं 261 लाभान्वित हुए है।

3.99 बेरोजगार युवाओं को 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में स्वरोजगाार हेतु सहयता प्रदान की जाती है तथा 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में 1,201 और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 622 इकाइयां स्थापित की गई है।

3.100 राज्य में हरियाणा, साहीवाल, बेलाही और गिर देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए अधिक दूध देने वाली गायों के मालिको को 5,000 से 20,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 1,887 और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 1,204 पशुओं की

पहचान की गई है। राज्य में अधिक उत्पादन देने वाले मुर्राह जर्मप्लाजमा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 15,000 रूपये से 30,000 रूपये तक नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जा रहा। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में 946 और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 743 पशुओं की पहचान की जा चुकी है।

3.101 पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य के सम्पूर्ण पशुधन मुंहखुर (एफ.एम.डी.) सेप्टिसिमिया (एच.एस.), स्वाइन फीवर, गोट पोक्स, भेड़ चेचक, पी.पी.आर., एंटरोटॉक्सिकूया के लिए मुफ्त रोगनिरोधक टीकाकरण पशुपालकों के घर पर निःशुल्क प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 में राज्य के 117.31 लाख तथा 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 65.63 लाख पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

3.102 सरकार राज्य विशेष रूप से विदेशी और क्रांसब्रेड पशुओं के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विभाग ने राज्य के विभिन्न गौशालाओं में 50,000 आवारा मवेशियों के पुनर्वास में सहायता की है तथा कम फसल क्षति के कारण किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और खराब जर्मप्लजमा के प्रसार की रोकथाम भी हुई है। विभाग ने वर्ष 2020–21 में आवारा पशुओं के पुनर्वास में सहायता के लिए गौशालाओं को 9.23 करोड़ और 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 13.12 करोड़ रूपये प्रदान किये है। जानवरों के कल्याण के लिए सोसायटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स (सी.पी.सी.ए.) के लिए 3.04 करोड़ रूपये प्रदान किए है।

3.103 राज्य के पशुपालकों को सैक्स सोर्टिड सीमन 200 रूपये प्रति डोज की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 1.67 लाख वीर्य की खुराक का उपयोग किया गया है 25,771 पशु गर्भवती पाए गए है और 8,021 बच्चे पैदा हुए है जिनमें से 7,209 (89.88 प्रतिशत) मादा बच्चे है।

3.104 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न बैंको द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) प्रदान करने का प्रावधान हैं। विभाग ने बैंक को 5 लाख आवेदन प्रायोजित किए है। इनमें से कुल 1.15 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए है। वर्ष 2020–21 के दौरान 73,339 पी.के.सी.सी. क्रेडिट कार्ड और वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 32,499 किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा वितरित किए गए है।

3.105 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में राज्य ने 8.65 लाख गायों और भैंसों की पहचान की है और इन पशुओं को आई.एन.ए.पी.एच. पोर्टल में पंजीकृत किया है।

3.106 पशुपालन में इच्छुक राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी, भेड़, बकरी सुअर और मुर्गी पालन में 11 दिनों का अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में 2,469 एवं 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) में 2,086 युवाओं को स्वरोजगार हेतु इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया।

3.107 पंचकुला और सोनीपत में बी.एस. एल.–II लैंब स्थापित करने के प्रस्ताव की सरकार ने मंजूरी दी है। ए.एस.सी.ए.डी. योजना के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है। राज्य के सभी 1,020 राजकीय पशु चिकित्सालयों के डिजिटलीकरण के लिए लैपटाप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ई.एस.वी.एच.डी. के अतंर्गत पी.पी.पी. मोड में प्रत्येक ब्लाक में 140 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए एक आर.टी.पी.सी.आर. डायग्नोस्टिक लैब, लुवास, हिसार में शुरू की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रूपये प्रदान किए गए है।

3.108 नस्ल सुधार के लिए बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रो की स्थापना की गई है, इस संदर्भ में डी.यू.वी.ए.एस.यू. मथुरा द्वारा 30 पशु चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 4,000 वीर्य खुराक की खरीद की गई है। इस उद्देश्य के लिए ऊन ग्रेडिग सह विपणन केंद्र लोहारू में भेड़ और बकरी कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

मत्स्य

3.109 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। सहायक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन राज्य के मत्स्य पालकों में लोकप्रिय होता जा रहा है। मत्स्य पालन देश में सामाजिक–आर्थिक विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र में आय व रोजगार सृजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। मत्स्य पालन विभाग मुख्य रूप से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक उपलब्ध जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए प्रयास कर रहा है।

3.110 वर्ष 2020–21 के अतंर्गत 18,207 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 2,925.31 लाख मछली बीज संचय करते हुए 2,03,160.11 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इस प्रकार वर्ष 2021–22 (अक्तूबर, 2021 तक) के अतंर्गत 23,652 हैक्टेयर जलक्षेत्र के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 15,929.48 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन ला कर 4,400 लाख मत्स्य बीज संचय के लक्ष्यों के विरूद्ध 3,931.69 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुए 2,20,000 मीट्रिक टन के लक्ष्यों के विरूद्ध 1,09,407.20 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया।

3.111 वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार जिला झज्जर, रोहतक व हिसार तथा मेवात एवं पलवल के जलभराव के क्षेत्र में अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु नयी परियोजना का सृजन करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सफेद झीगा पालन के अधीन लाया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान 493 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा (लिटोपिनस वैनामी) के अधीन लाया गया। वर्ष 2021–22 में 480 हैक्टेयर जलक्षेत्र में 1,440 लाख झींगा बीज की स्टाकिंग करके 3,456 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2021–22 के दौरान औसत मत्स्य उत्पादकता 9,600 कि.ग्रा./हैक्टे./प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 कि.ग्रा./हैक्ट./प्रति वर्ष किया जाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.112 रबी खरीद सीजन 2021–22 के लिए गेहूं खरीद की समय अवधि दिनांक 01–04–2021 से 15–05–2021 तक निर्धारित की गई थी। गेहूं की खरीद 392 मण्डी व 4 अतिरिक्त खरीद केन्द्र सहित 396 मण्डी/खरीद केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रूपये प्रति क्विंटल पर की गई। गेहूं की कुल खरीद 84.93 लाख एम.टी. की गई। सरसों खरीद के लिए 71 मण्डी/खरीद केन्द्र, चने की खरीद के लिए 11 मण्डी/खरीद केन्द्र, जौं खरीद के लिए 24 मण्डी/खरीद केन्द्र तथा सूरजमुखी की खरीद के लिए 8 मण्डी/खरीद खोले गए थे। सरसों, चना तथा जौं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीद नही हुई।

3.113 खरीफ खरीद सीजन 2021–22 के दौरान धान खरीद की समय अवधि दिनांक 03–10–2021 से 15–11–2021 तक निर्धारित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 201 मण्डी/खरीद केन्द्र खोले गए है। धान की कुल खरीद 55.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,960 रूपये प्रति क्विंटल पर की जा

तालिका 3.23–रबी तथा खरीफ फसलों की खरीद

वर्ष	गेहूँ (लाख मीट्रिक टन)	चना (मीट्रिक टन)	सरसों (लाख मीट्रिक टन)	धान (लाख मीट्रिक टन)	मक्का (मीट्रिक टन)	सूरजमुखी (मीट्रिक टन)	मूँग (मीट्रिक टन)	मूँगफली (मीट्रिक टन)
2020–21	74.01	10637	7.49	56.07	4016.55	16207	1093.45	649.36
2021–22	84.93	–	–	55.30	244.95	4072	1228.90	–

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

चुकी है। मूंग खरीद के लिए 38 मण्डी/खरीद केन्द्र, मक्का की खरीद के लिए 19 मण्डी/खरीद केन्द्र तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 मण्डी/खरीद केन्द्र खोले गए है। पिछले दो वर्षों में रबी और खरीफ फसलों की खरीद **तालिका 3.23** में दी गई है।

फोर्टिफाईड आटा वितरण योजना

3.114 कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर मार्च, 2018 से जिला अम्बाला के नारायणगढ तथा बराड़ा खण्ड में फोर्टिफाईड आटे का वितरण आरम्भ किया गया। फरवरी, 2019 से उक्त योजना को पूरे अम्बाला तथा करनाल जिले में लागू कर दिया गया था। अब राज्य के 5 जिलों (अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक तथा यमुनानगर) में फोर्टिफाईड आटा वितरित किया जाता है।

पी.डी.एस. के अंतर्गत चीनी का वितरण

3.115 भारत सरकार द्वारा केवल अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) परिवारों हेतु केवल 1 किलोग्राम चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से बी.पी.एल. परिवारों हेतु 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी वितरित की जा रही है। राज्य सरकार प्रति माह लगभग 2.50 करोड़ रूपये वहन कर रही है। राज्य में उचित मूल्य की 9,716 दुकानें कार्यरत है।

अन्त्योदय आहार योजना के तहत सरसों के तेल का वितरण

3.116 राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवारों (11.41 लाख) को 2 लीटर सरसों का तेल 20 रूपये प्रति लीटर की दर से प्रति माह वितरित किया जा रहा था। जून, 2021 से अब राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत सरसों के तेल के स्थान पर लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति परिवार 250 रूपये प्रति माह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजनावार वितरित किए गए खाद्यान्न का विवरण **तालिका 3.24** में दिया गया है।

तालिका 3.24–खाद्यान्न का तुलनात्मक विवरण

स्कीम	वस्तु	वितरण (2020–21)	वितरण 2021–22 (अप्रैल, 2021 से जनवरी, 2022 तक)
एन.एफ.एस ए.–2013	आटा	460817	379644
	फोर्टिफाईड आटा	172037	143892
	बाजरा	72085	70816
पी.एम.जी. के.ए.वाई.	गेहूँ	452874	509095

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का एंड टू एंड कम्पुयट्रीकरण

3.117 टी.पी.डी.एस. ऑपरेशन के एंड–टू–एंड कंम्यूट्राइजेशन के तहत कॉनफेड फोकल प्वाइंटस सहित 9,591 उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) और 243 गोदामों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। एन. एफ.एस.ए. के तहत 27,00,365 परिवारों/राशन कार्ड और 1,22,34,401 सदस्यों/लाभार्थियों को डिजिटलीकरण किया गया है। राज्य सरकार ने बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बी.ओ.ओ.) मॉडल में सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (पी.ओ.एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1 नवंबर, 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान का स्वचालन शुरु किया गया था।

नामांकित एडीशन

3.118 यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो उचित मूल्य की दुकानों पर जा कर राशन को एकत्र करने में असमर्थ हैं, जैसे कि

कोढ़ी, बीमार और वरिष्ठ लाभार्थी। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी हैं जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि वे लाभार्थी जो श्रम में लगे हुए हैं। ये लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन एकत्र करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) में एक अपवाद संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस तरह के लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण के बाद अपनी ओर से राशन लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं।

बेस्ट फिंगर डिटेक्शन

3.119 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं) बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही फिंगर प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई की समस्या का समाधान करने के लिए फ्यूजन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक उंगली की पहचान पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में सिस्टम दूसरी उंगली के लिए संकेत देता है। फ्यूजन सफलता की दर लगभग 98 प्रतिशत है, जिसने इस तरह की समस्या को लगभग हल कर दिया है।

एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस.)

3.120 एन.एफ.एस.ए. के तहत पंजीकृत लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.–पी.डी.एस.) के एकीकृत प्रबंधन के तहत हर महीने किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना हकदार अनाज प्राप्त कर सकते हैं। (आई.एम.–पी.डी.एस.) और राज्य पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन अपडेट किया जाता है।

3.121 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के पास दिनांक 31–12–2021 की कवर्ड भण्डारण क्षमता कुल 90.66 लाख मीट्रिक टन है। जिसमें से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास 4.87 लाख मीट्रिक टन, हैफेड के पास 13.46 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग की 15.68 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा एग्रो की 1.79 लाख मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 8.74 लाख मीट्रिक टन, केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 4.55 लाख मीट्रिक टन, एच.एस.ए.एम.बी. के पास 4.18 लाख मीट्रिक टन, पी.ई.जी. स्कीम के गोदाम 34.02 लाख मीट्रिक टन तथा 3.37 लाख मीट्रिक टन क्षमता के प्राईवेट पार्टियों के स्टील साइलो है। राज्य सरकार द्वारा भण्डारण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा भण्डारण की कमी को पूरा करने के लिए कवर्ड भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। कुल 40,656 मीट्रिक टन क्षमता में से हिसार में 16,632 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया जा चुका है तथा बकाया 24,024 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम प्रक्रियाधीन है। महुवाला (फतेहाबाद) में 2,380.19 लाख रूपये की लागत से 53,130 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को दिनांक 09–06–2020 को मंजूरी दी गई है।

स्टील साईलो का निर्माण

3.122 भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्णय लिया है कि हरियाणा में 37 स्थानों पर हब और स्पोक साईलो का निर्माण किया जाएगा। हब साईलो का निर्माण राजस्व जिलों करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र व सिरसा में 2,50,000 मीट्रिक टन क्षमता के हब साईलो (50,000 मीट्रिक टन के प्रत्येक स्थान पर) का निर्माण किया जाएगा। साईलो के निर्माण के लिए हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन नोडल ऐजैंसी है।

ब्रिक क्लिन

3.123 राज्य में दिनांक 31–01–2022 तक कुल 2,600 ईंट भटठे है, राज्य सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए ईंट भट्ठों के बारे एक नीति दिनांक 28–07–2017 को जारी की थी। उक्त नीति के अनुसार राज्य के सभी ईंट भट्ठा मालिकों को अपने भटठों में जिग–जैग या प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदूषण को कम करने की अन्य कोई उच्च तकनीक लगवानी होगी। हरियाणा राज्य में 01–10–2018 से कोई भट्ठा बिना जिग–जैग तकनीक के नहीं चल रहा है। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का यह एक ऐतिहासिक कदम है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.124 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। महासंघ के मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना, कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायन तथा सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। हैफेड का टर्न ओवर पिछले 5 वर्षों की बिक्री व लाभ **तालिका 3.25** में दिए गए हैं।

तालिका 3.25– हैफेड का बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	लाभ
2016–17	8940.90	107.96
2017–18	9352.70	76.29
2018–19	12307.00	41.46
2019–20	13482.02	61.98
2020–21 (सम्भावित)	16608.62	152.95

स्त्रोतः हैफेड।

3.125 हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां

- **धान की खरीद–**खरीफ–2021–22 सीजन के दौरान हैफेड ने 18.49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 34 प्रतिशत है।
- **बाजरे व मक्का की खरीद–**खरीफ–2021 में हैफेड ने 823.50 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है। खरीफ–2021 में हैफेड ने 244.50 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की।
- **गेहूं की खरीद–**रबी–2021 के दौरान हैफेड ने 36.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 43.23 प्रतिशत है। हैफेड ने रबी–2020 के दौरान 29.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी।
- **सूरजमुखी की खरीद–**रबी–2021–22 के दौरान हैफेड ने नैफेड व राज्य सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,754 मीट्रिक टन और रबी–2020 में 6,711 मीट्रिक टन की सूरजमुखी की खरीद की थी।
- **उर्वरकों की आपूर्ति–** हैफेड ने यूरिया और डी.ए.पी. समय पर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हैफेड द्वारा 31–01–2022 तक 0.82 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.28 लाख मीट्रिक टन डी.ए. पी. बेचा गया है।
- **चीनी मिल असन्ध–** वर्ष 2020–21 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 37.02 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा 9.02 प्रतिशत चीनी की रिकवरी की है। वर्ष 2020–21 में चीनी मिल असन्ध का 123.71 करोड़ रूपये का कारोबार रहा।
- **प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन–**हैफेड ने वर्ष 2021–22 (31–01–2022 तक) के दौरान 1,375 करोड़ रूपये के कारोबार तथा 190 करोड़ के लाभ के साथ 41,900 क्विंटल गेंहू के बीज की बिक्री की।
- **उपभोक्ता उत्पादों का विपणन–**हैफेड द्वारा 01–04–2021 से 31–01–2022 के दौरान 321.72 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की गई। हैफेड ने हैफेड के ब्रांड नाम से नए उपभोक्ता उत्पाद जैसे

मल्टीग्रेन आटा, बाजरा बिस्कुट, मसाले आदि लॉच करने की योजना बनाई है।

- **फोर्टिफाइड ऑयल्स और आटे की आपूर्ति–** हरियाणा सरकार की पी.डी.एस. योजना के तहत हैफेड ने हरियाणा में बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. के परिवारों को आगे वितरित करने के लिए 01–04–2021 से 31–05–2021 की अवधि के दौरान लगभग 42.35 लाख लीटर फोर्टिफाइड सरसों के तेल की आपूर्ति की है। हैफेड ने हरियाणा के जिलों में फोर्टिफाइड आटा और मिड–डे–मिल योजनाओं के लिए भी आपूर्ति शुरू कर दी।

3.126 हैफेड की एक नई परियोजनाएं/ पहलः

- हैफेड रोहतक में 179.75 करोड़ रूपये की लागत से मैगा फूड पार्क परियोजना की स्थापना कर रहा है और इस परियोजना के एक भाग के रूप में मानकपुर (यमुनानगर), नरवाना (जींद) और बावल (रेवाड़ी) में तीन प्राथमिक प्रंसस्करण (पी.पी.सी.एस.) केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे है।
- रामपुरा जिला रिवाड़ी में 150 टन प्रतिदिन क्षमता की एक नई तेल मिल स्थापित कर रहा है और नारनौल और रेवाड़ी में हैफेड की मौजूदा तेल मिलों को उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है।
- हैफेड ने चीनी मिल, असंध की पिराई क्षमता को 2,500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. करने और चीनी रिफाइनरी, इथेनाल, डिस्लिटरी व बायो सी.एन.जी. प्लाट स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- हैफेड गोदाम में सी.सी.टी.वी. आधारित निगरानी व्यवस्था स्थापित करना।
- हैफेड ने रादौर जिला यमुनानगर में एक हल्दी संयत्र (2.4 मीट्रिक टन प्रतिदिन), हल्दी तेल संयत्र (3 मीट्रिक टन प्रतिदिन), 100 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज तथा 2 मीट्रिक टन के मसाले संयत्र की स्थापना कर रहा है।
- हैफेड जाटूसाना, जिला रेवाड़ी में एक आटा चक्की 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ स्थापित कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रूपये है।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.127 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम 01–11–1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्येश्य किसानों एजेंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध कराना है। निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए गेहूँ, धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य की एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना के समय, इसके पास अपने गोदामों की केवल 7,000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता थी। वर्तमान में 30–11–2021 तक निगम राज्य में 112 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिसमें से 106 स्वामित्व वाले और 6 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 20.36 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं, जिसमें 18.85 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरड हुए गोदाम और 1.51 लाख मीट्रिक टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग **तालिका 3.26** में दिया गया है।

तालिका 3.26– वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और उपयोग

वर्ष	औसत भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	औसत उपयोगिता (मीट्रिक टन)	डपयोगिता की प्रतिशत्ता	गोदामों की संख्या
2016-17	1712370	1260550	74	112
2017-18	1659545	1405766	85	111
2018-19	1968878	1910380	97	111
2019-20	2258607	2311621	102	111
2020-21	2182591	2061331	94	111
2021-22 (30–11–2021 तक)	2265654	2196137	97	112

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो

3.128 निगम हरियाणा के आयातकों व निर्यातकों और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्र में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.)–सह– कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी. एफ.एस.) संचालित कर रहा है। यद्यपि, आई. सी.डी.– सह–सी.एफ.एस. रेवाड़ी का संचालन कॉनकोर द्वारा 01–11–2008 से कोनकोर (भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन समझौते के तहत किया जा रहा था। अब 01–01–2021 आई.सी. डी.–सह–सी.एफ.एस., रेवाड़ी का संचालन नए सामो यानि मैसर्स एस.सी.एम. एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन्लैंड कंटेनर डिपो, रेवाड़ी 18–12–2009 से इलैक्ट्रानिक डेटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से दुनिया से ऑनलाईन जुड़ा हुआ है।

विस्तार सेवा योजनाएं

3.129 निगम दो विस्तार सेवा योजनाएं चला रहा है, जैसे कीटाणुरहित विस्तार सेवा योजना (डी.ई.एस.एस.) और किसान विस्तार सेवा योजना (एफ.ई.एस.एस.)। किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत निगम किसानों को कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व कीटाणुशोधन उपायों के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। गोदाम के कर्मचारी वैज्ञानिक भंडारण के लाभों से परिचित कराने और किसानों को प्रदर्शित करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा करते है। वर्ष 2020–21 के दौरान 223 गांवों में 2,958 किसानों को शिक्षित किया गया। चालू वर्ष 2021–22 के दौरान निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने इस योजना के तहत 116 गाँवों को कवर किया और 31–10–2021 तक 1,101 किसानों को उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित किया और लाभ के बारे में परिचित कराने के अलावा कीटाणुशोधन उपायों का भी प्रदर्शन किया। कीटाणुरहित विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के स्टॉक को उनके अपने घरों/गोदामों में कीटाणुरहित किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, 1,690 लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया और निगम ने इस योजना के तहत 15.25 लाख रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 7,35,298 रूपये कमाए। चालू वित वर्ष 2021–22 के दौरान निगम ने डी.ई.एस.एस. के तहत 14,58,340 रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 4,15,950 रूपये की राशि अर्जित की है और 31–10–2021 तक 554 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

वित्तीय उपलब्धियां

3.130 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम ने कर पूर्व 14,565.71 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है और कर पश्चात 10,974.05 लाख रूपये (अन–आडिटेड) का लाभ अर्जित किया है। 2016–17 के बाद से निगम की वित्तीय उपलब्धियां **तालिका 3.27** में दी गई है।

तालिका 3.27– निगम की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (बिना जाँच)	2021–22 (संशोधित बजट अनुमोदन)
अधिकृत पूंजी	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
भुगतान की गई पूंजी (सी.डब्ल्यू.सी. तथा राज्य सरकार प्रत्येक का 50 प्रतिशत हिस्सा)	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00
कुल टर्नओवर	319850.05	371446.57	483475.90	534199.59	784006.48	570000.00
टैक्स से पहले लाभ	4414.44	7140.20	6161.43	9630.76	14565.71	10300.00
टैक्स के बाद लाभ	2863.90	4687.36	4032.11	5868.05	10974.05	7785.04

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड

3.131 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) का गठन 1 अगस्त, 1969 को राज्य में मार्केट कमेटियों के संचालन तथा नियन्त्रण के उद्धेश्य से किया गया था। बोर्ड के गठन से अब तक 114 मुख्य यार्ड, 176 सब यार्ड तथा 195 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 17,204 कि.मी. लम्बाई की 6,614 ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें 4,159 कि.मी. लम्बाई की 1,515 सड़कें अन्य विभागों को स्थानातरित कर दी गई है। वर्तमान में 13,045 कि.मी. लम्बाई की 5,099 सड़कों का रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अतंर्गत है।

विकास कार्य

3.132 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने दिनांक 01–11–2019 से 31–10–2021 तक नई अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/उत्थान, सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 885.39 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। वित वर्ष 2021–22 के दौरान (31–10–2021) तक विकास कार्यों पर कुल 251.52 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वितीय वर्ष 2021–22 के दौरान बाजार शुल्क वसूली के लिए 720 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 31–10–2021 तक 400 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। मंडी कार्यों, नई लिंक सड़कों का निर्माण, लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत और बाज़ार शुल्क का वर्षवार विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28– विकास कार्यों की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण			सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत			मंडी कार्य		मार्किट फीस (करोड़ रूपये में)
	संख्या	लम्बाई (कि.मी. में)	खर्चा (करोड़ रूपये में)	संख्या	लम्बाई (कि.मी. में)	खर्चा (करोड़ रूपये में)	संख्या	खर्चा (करोड़ रूपये में)	
2017-18	194	574.27	186.91	338	1007.09	165.29	131	134.93	700.00
2018-19	281	775.73	280.79	360	1100.99	169.94	70	97.20	819.68
2019-20	367	909.07	298.31	325	919.65	159.67	83	75.16	849.61
2020-21	266	701.16	190.89	261	728.48	139.76	140	92.26	661.18
2021-22 (31.10.21 तक)	92	255.57	73.61	263	714.10	104.08	158	57.35	400.00

स्त्रोतः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

3.133 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई–नैम, ई–खरीद, मण्डी के गेटों पर धर्मकांटे लगाने तथा प्लांट व प्रापर्टी मैनेजमेंट (पी.पी.एम.) जैसी अनेक विपणन सुधार प्रणालियां शुरू की हैं।

ई–नैम

3.134 राष्ट्रीय कृषि बाजार (नैम) की परिकल्पना एक अखिल भारतीय इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक वैश्विक बाजार मंच बनाने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी. और अन्य बाजार यार्डों को नेटवर्क करना चाहता है। यह योजना एक उपयुक्त सामान्य ई–मार्किट प्लेटफार्म की स्थापना करके नैम के कार्यान्वयन की परिकल्पना करती है जो ई–प्लेटफार्म में शामिल हाने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित 585 विनियमित थोक बाजारों में तैनात किया जा सकेगा। हरियाणा देश के उन 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिन्होंने ई–नैम को लागू किया है। हरियाणा राज्य की 81 मडिंयों को ई–नैम प्लेटफार्म के साथा एकीकृत किया गया। हरियाणा राज्य की प्रगति को इस तथ्य द्वारा मापा जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने दिनांक 01–04–2021 से 31–10–2021 तक 4,478.14 करोड़ रूपये मूल्य के 180.68 लाख क्विंटल उत्पाद का व्यापार इस परियोजना के अंतर्गत किया है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने चरखी दादरी में ई–नैम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया। अब तक ई–नैम पोर्टल के माध्यम से 56.67 करोड़ रूपये के 23,793 बिल 7,605 किसानों को जारी किए गए। अभी 81 मार्केट कमेटियों ने ई–नैम के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान जारी कर दिया है। हरियाणा की मंडियों में असाईंग प्रयोगशाला जैसी अच्छी मूलभूत सुविधाएं है।

ई–खरीद

3.135 अनाज की खरीद प्रकिया में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से हरियाणा सरकार ने ई–खरीद परियोजना के माध्यम से एक कांतिकारी ई–गर्वेन्स पहल शुरू की है, जिसके तहत कृषि उत्पाद व्यापारियों तथा किसानों को वास्तविक समय की जानकारी तथा समय पर भुगतान की सुविधा मिलेगी। ई–खरीद प्रणाली हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, विभाग की संयुक्त पहल है। इस स्कीम की शुरूआत दिनांक 27–09–2016 को करनाल से की गई थी। लेन–देन प्रक्रिया 01–10–2016 से शुरू की जा चुकी है। अब राज्य सरकार द्वारा सूचना व प्रोद्योगिकी विभाग को ई–खरीद सॉफटवेयर बनाने व संचालित करने का निणर्य लिया गया है। पोर्टल बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा गत रबी सीजन–2021 व वर्तमान खरीफ सीजन–2021 की खरीद इसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के सभी पंजीकृत किसान, राज्य के आढतियॉ व राज्य एवम केन्द्र सरकार की सभी खरीद एजेंसियों को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। राशि का भुगतान ऑन लाईन बैंकिंग के माध्यम से किया जा रहा है।

धर्म कांटें

3.136 हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की ई–नैम के अन्तर्गत 26 मण्डियों को चिन्हित किया है, जिनमें 27.10 करोड़ रूपये की लागत से 140 धर्मकांटे लगाने का कार्य प्रगति पर है। अब तक 80 धर्मकांटों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बाकी धर्मकाटों का कार्य प्रगति पर है। जिसके 31–03–2020 तक पूरा होने की संभावना है।

सड़कों का भू.संदर्भ

3.137 बोर्ड द्वारा निर्मित सभी 5,099 सम्पर्क सड़कों को यूनिक आई.डी. जारी कर दी है। प्रत्येक सड़क का भू सदंर्भ सर्वेक्षण के साथ जी.पी.एस. फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी सड़कों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा एन.आर. एस.सी. एवं एन.आई.सी. की सहायता से 'हरपथ' एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसका उद्वेश्य प्रदेश के नागरिकों को गड्ढा मुक्त

सड़कें प्रदान करना है। यह पोर्टल राज्य की जनता को सड़कों की खराब स्थिति बारे अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु माध्यम प्रदान करता है। पोर्टल द्वारा प्राप्त शिकायतों की सरकार द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

किसान बाजार

3.138 बोर्ड द्वारा किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उदेश्य से पंचकूला के सैक्टर–20 एवं गुरूग्राम में किसान बाजार की स्थापना की गई है। इस बाजार का दूसरा उदेश्य उपभोक्ता को ताजे फल तथा सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

सेब, फल और सब्जी मार्किट, पिजौंर

3.139 पंचकूला के सैक्टर–20 की मंडी में सेब मार्किट अक्तूबर, 2016 से कार्यरत है। बोर्ड ने पिजौंर में 78.33 एकड़ भूमि पर नई सेब, फल व सब्जी मण्डी बनाने की भी योजना है। इस मंडी के प्रथम चरण का कार्य 19.64 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 31–03–2022 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस मंडी के द्वितीय चरण के विकास हेतु कार्य ई.पी.सी. मोड पर ठेकेदार को 07–04–2021 को आवंटित कर दिया गया है जिसकी अनुमानित लागत 152.72 करोड़ रूपये है। यह कार्य प्रगति पर है जिसके 31–12–2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

फूल मंडी, गुरूग्राम

3.140 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गुरूग्राम में फूल मंडी बनाने की योजना है, जिस बारे भूमि चयन करने की प्रक्रिया जारी है। इस मंडी के रूपरेखा व डी.पी.आर. बनाने हेतू सलाहकार की नियुक्ति 09–07–2021 को की जा चुकी है।

मसाला मंडी, सेरसा (सोनीपत)

3.141 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेरसा (सोनीपत) में ग्राम पंचायत सेरसा की 16 एकड़ भूमि पर मसाला मंडी बनाने जा रहा है । इस मंडी की रूप रेखा पूर्ण हो चुकी है तथा इस व्यवसाय के इच्छुक व्यापारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अटल किसान मजदूर कैंटीन (ए.के.एम.सी.)

3.142 हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों को 10 रूपये की रियायती दर पर दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए राज्य में 25 स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करने की पहल की है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल ने इन कैंटीनों को हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.एस. आर.एल.एम.) के समन्वय से स्थापित किया है। भवन की आधारभूत संरचना के साथ अन्य बुनियादि सुविधाएं जैसी गैंस बर्नर, चीमनी, फ्रीज, पीने का पानी, सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा इलेक्ट्रोनिक बिलिंग मशीन आदि हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.एस.आर.एल.एम.) द्वारा प्रदान किया गया है तथा कैंटीनों का संचालन एच.एस.आर.एल.एम. के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुपस (एस.एच.जी.) के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह की पहली कैंटीन का शुभारम्भ करनाल मंडी में दिनांक 29–12–2019 को किया गया। तदोपरान्त 22 अन्य कैंटीने भिवानी, पंचकूला, फतेहाबाद, नूह, सिरसा, टोहाना, कुरूक्षेत्र, रोहतक, घरौंडा, गोहाना, रेवाडी, अम्बाला शहर, पानीपत, अटेली, होडल, तरावड़ी, हांसी, आदमपुर, कैथल, पेहवा, समालखा तथा जगाधरी मण्डियों में भी 31–10–2020 तक शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य मण्डियों जीन्द तथा नरवाना में भी 2 कैंटीन का निर्माण किया जा चुका है जोकि जल्द शुरू कर दी जाएगी।

***

4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और इस तरह राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व–औद्योगिक स्तर से औद्यागिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व–प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और गतिशील शासन प्रणाली द्वारा संतुलित, क्षेत्रीय और सतत विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के एक व्यापक पैमाने को अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में राज्य के व्यवसाय के माहौल को मजबूत करना है, जिससे हरियाणा को वैश्विक स्तर पर निवेश का स्थान बनाया जा सके। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार उद्योग के भौगोलिक संवितरण के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देने के साथ ग्रीन फील्ड निवेश द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पथप्रदर्शक सुधारों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, एक नया विभाग जिसे एम. एस.एम.ई. निदेशालय, हरियाणा के नाम से जाना जाता है, का गठन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 05–01–2021 को किया गया था।

4.3 राज्य सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए "हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी–2020 (एच.ई.ई.पी.-2020)" को दिनांक 01–01–2021 से प्रभावी रूप से लागू किया है। यह नीति हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढाने की परिकल्पना करती है। इस नीति का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है। सरकार नियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सुधारों को लागू करने पर लगातार काम कर रही है।

4.4 हरियाणा सरकार ने एम.एस.एम.ई. नीति, 2019 शुरू की है। इस नीति का उद्धेश्य राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा के निर्माण के माध्यम से बढावा देना, जैसे आधुनिक प्रौद्योयोगिकियों/उत्पादन प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करना, क्षेत्रीय संतुलित विकास के माध्यम से समावेशीता को आगे बढाना, रोजगार को बढावा देना और लक्षित क्लस्टर विकास की दिशा में मध्यस्थता करना है। एम.एस.एम.ई. को दी जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं में निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, माल ढुलाई सहायता, रोजगार सृजन सब्सिडी और बाजार विकास सहायता शामिल हैं।

4.5 राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की

सहायता के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखती है। सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की कलस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए रणनीति अपनाई है। इस योजना के तहत 13 एम.एस.ई.– सी.डी.पी. कलस्टर की पहचान की गई है और जिनमें से 3 कलस्टरों को चालू कर दिया गया है और 4 कलस्टर आंशिक रूप से संचालित और शेष कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में है।

4.6 सुक्ष्म और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित एच.ई.ई.पी.-2020 में 20 से अधिक प्रावधान किए गए है जैसे कि बाजार विकास सहायक योजना, परीक्षण उपकरण सहायता, प्रौद्योगिकी अधिकरण सहायता, पर्यावरण अनुपालन के लिए सहायता, एस.जी. एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी रिफंड, रोजगार सृजन सब्सिडी और इसके इलावा बिजली शुल्क में छूट।

4.7 ग्रामीण उद्योगों को बढावा देने के लिए प्रस्ताविक हरियाणा उद्यम ओर रोजगार नीति–2020 में एक विशेष योजना अर्थात हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना का प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण पंचायत के अधिकार क्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन अर्थात कैपिटल सब्सिडी ओर डी.जी. सैट सब्सिडी की पेशकश करेगी। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ज्यादा प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी।

4.8 नियमों में ढील देने के अलावा, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य की ई. ओ.डी.बी. रणनीति तीन चरणों में लागू की जा रही है, अर्थात् 'डिजाइन तथा विकास' 'कार्यान्वयन तथा उपयोग' और 'सुधार'। हरियाणा की 3 चरण की रणनीति का अंतिम उद्धेश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।

4.9 राज्य द्वारा उठाए गए प्रमुख सुधारों में से एक के लिए 2 फरवरी, 2017 को सिंगल रूफ तंत्र तथा हरियाणा उद्यम प्रचार केन्द्र (एच.ई.पी.सी.) की स्थापना की गई है। 25+ विभागों से 150 औद्योगिक मंजूरियां/ स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन के लिए सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समयबद्ध तरीके से हरियाणा उद्यम प्रचार केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जा रहे हैं। सभी सेवाओं को अधिकतम 30+15 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित किया जाता है। हरियाणा एंटर प्राइज़ प्रोमोशन एक्ट–2016 के अंतर्गत विकसित एकल छत तंत्र अपने वैधानिक समर्थन के कारण अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के गठन ने अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज़ करने में मदद की है और निवेशकों के लिए कई स्पर्श बिंदुओं को कम किया है। एच.ई.पी. सी. को सफल बनाने में, राज्य की सभी सरकारी मशीनरी एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम कर रही है, जिससे हरियाणा में निवेश की स्वीकृती एक एकल संपर्क बिन्दू के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिले। 24 अक्टूबर, 2021 तक, 3,10,000+ सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,20,000+ सेवाओं को 24 दिनों के औसत समय के साथ मंजूरी दी गई है।

4.10 ई.पी.पी.–2015 ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उचित माहौल बनाने में भी मदद की हैं। राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद स्थान बन रहा है। सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 495 एम.ओ.यू. में से 188 कार्यान्वित/ कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिसमें 24,882 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 32,751 व्यक्तियों को रोजगार सृजन के अवसर मिले है। हाल के दिनों में, हरियाणा कई बड़े टिकट निवेशों जैसे एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फ्लिपकार्ट, एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक आदि को 10,469 करोड़ रुपये (सितंबर, 2016 से अगस्त, 2020) के निवेश के साथ आकर्षित करने में सक्षम रहा है।

4.11 राज्य के औद्योगिक विकास में गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के परिणामसवरूप, उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ स्थापित होते हैं और बिना किसी बाधा के कार्य कर सकते हैं। ये संरचना सुविधाएं व्यवसायों और उद्योगों के विकास में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को आगे बढाने के लिए कई पहल की हैं। कुंडली, मानेसर और पलवल के बीच, दिल्ली से 3 तरफ से सटे 135.65 कि.मी. के के.एम.पी. एक्सप्रसवे को विकसित किया गया है। इसके अलावा, एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, जिसे एक्सप्रेसवे के साथ–साथ विकसित करने का प्रस्ताव है, 50 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश क्षमता होने का अनुमान है।

4.12 हरियाणा सरकार ने खरखौदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,217 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1,545 एकड़ में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) विकसित किए जा रहे है। ये टाउनशिप गुरूग्राम–सोहना–अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र में होंगे, इस प्रकार यह विश्व स्तर की सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास में मदद मिलेगी।

4.13 हरियाणा सरकार ''पंचग्राम'' की दृष्टि से के.एम.पी. कॉरिडोर के साथ लगभग 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के 5 शहरों के विकास पर काम कर रही है। प्रगति को तेजी से ट्रैक करने के लिए, पंचग्राम प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त किया है–(1) ए.ई.सी.ओ.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो गुरूग्राम के लिए एक नए शहर के लिए मास्टर प्लान 2040 की तैयारी के लिए है। (2) एस.सी.पी. कंसल्टेंट्स(एस.आई.पी.) लिमिटेड, फरीदाबाद से सटे एक नए शहर के लिए मास्टर प्लान 2040 की तैयारी के लिए।

4.14 राज्य सरकार द्वारा महेंद्रगढ़ के नारनौल में एकीकृत मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आई.एम.एल.एच.) भी 700 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की प्रस्तावित प्रयोजना लागत के साथ विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारों परियोजना (डी.एम.आई.सी.) के साथ 886 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। डी.एम.आई.सी. प्रौजेक्ट के अन्तर्गत गुरूग्राम में ग्लोबल स्मार्ट सिटी और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.) में अर्ली बर्ड परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

4.15 31–08–2021 की स्थिति के अनुसार, प्रदेश में 97,516 करोड रूपये के निवेश के साथ 299 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो लगभग 2.73 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं और 54,600 करोड रूपये के निवेश के साथ 2.43 लाख एम.एस.एम.ई. औद्योगिक इकाइयाँ (मार्च, 2021 तक) हैं जो राज्य में 20.89 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाह से राज्य की दूरी के बावजूद सराहनीय है। 1966–67 के दौरान 4.50 करोड़ रूपये के निर्यात से शुरू होकर, राज्य में वर्ष 2020–21 के दौरान निर्यात लगभग 1,74,572 करोड़ रूपये का रहा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

4.16 इस योजना का मुख्य उद्देश्य माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राईजेज में उद्योग स्थापित करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के आवेदक को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सामान्य श्रेणी लाभार्थी द्वारा योगदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, पूर्व सैनिक, महिला, शारिरिक रूप से विकलांग आवेदको को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत का 5 प्रतिशत इन लाभार्थियों द्वारा इक्विटी भागीदारी के रूप में योगदान देना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार, सृजन कार्यक्रम योजना के लाभ व उपलब्धियां **तालिका 4.1** में दी गई हैं।

तालिका 4.1– वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		प्रतिशत उपलब्धियां	
	भौतिक (परियोजना की संख्या)	वित्तीय (रूपये लाख में)	भौतिक (परियोजना की संख्या)	वित्तीय (रूपये लाख में)	भौतिक	वित्तीय
2017–18	754	1508.84	905	1889.16	120.03	125.21
2018–19	770	1976.44	1149	2394.14	149.22	121.13
2019–20	815	2521.29	1155	2387.19	141.72	94.68
2020–21	812	2512.85	931	2620.60	114.66	104.29
2021–22 (21–10–2021 तक)	964	2981.55	351	1228.75	36.41	41.21

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

तालिका 4.2– प्रोत्साहन के लिए बजट आबंटन और व्यय का वर्ष–वार विवरण

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन	संशोधित बजट आंबटन	खर्च हुआ
2017–18	150.00	67.20	66.98
2018–19	100.00	69.42	69.42
2019–20	100.00	100.00	99.99
2020–21	100.00	100.00	75.78
2021–22 (22–10–2021 तक)	100.00	.....	22.59

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

ईकाइयों को प्रोत्साहन

4.17 एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी–2015, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति–2020 के अनुसार राज्य में एम.एस.एम.ई. ईकाइयों को कई प्रोत्साहन दिए जाते हैंः जैसे कि माल सहायता योजना, बाजार विकास सहायता योजना, वैट/एस.जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क वापसी योजना आदि। इन प्रोत्साहन योजनाओ पर किए गये व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

4.18 कोविड–19 संकट के दौरान, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाले उद्योगों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को पास और अन्य प्रासंगिक सहायता प्रदान करके राज्य को अपना समर्थन दिया। 250 मीट्रिक टन से अधिक औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति को उद्योगों से चिकित्सा उद्देश्य के लिए मोड़ दिया गया और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के लिए उत्पादन और रिफिलिंग क्षमताओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की गई। 6,500 से अधिक डी–टाइप सिलेंडर और 1000+ बी–टाइप औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर चिकित्सा उपयोग के लिए डायवर्ट किए गए। 01–05–2021 से लेकर, उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए लॉकडाउन नियमों को बनाए रखते हुए 8+ लाख पास जारी किए गए।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.19 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19–02–1969 की धारा 3(1) के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्धेश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। इसके अन्य उद्धेश्य निम्न प्रकार से है–

- पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.20 भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते है, (पी.एम.ई.जी.पी.) को लागू किया है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के तहत् अधिकतम 25 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतू और 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/ दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक तथा अल्प–संख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि को प्रदान किया जाता है।

4.21 वर्ष 2020–21 में बोर्ड द्वारा 608 परियोजनाओं के लिए 1,875.28 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसमें से 575 परियोजनाओं, जिसमें 1,953.88 लाख रूपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है, को प्राप्त किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में बोर्ड द्वारा 723 परियोजनाओं के लिए 2,241.26 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस में से बोर्ड ने 257 प्रोजैक्ट, जिसमें 971.26 लाख रूपये मार्जन मनी (सब्सिडी) निहित है, को दिनांक 31–10–2021 तक प्राप्त कर लिया है।

खादी व ग्रामोद्योग बिक्री केन्द्र

4.22 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंचकुला में 1 नवम्बर, 2018 से वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिये एक बिक्री केन्द्र खोला गया है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। जिसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जिला फरीदाबाद में दूसरा 'हर खादी' बिक्री केन्द्र दिनांक 21–01–2022 को खुल चुका है। इसके अलावा 'हर खादी' का फ्रैन्चाईजिज बिक्री केन्द्र अक्तूबर, 2019 में झज्जर जिला में खोला गया है, जून, 2020 में नारनौल जिला में खोला गया है तथा चीका (कैथल) में 'हर खादी' का फ्रैन्चाईजिज बिक्री केन्द्र खुलने का कार्य पाईपलाईन में है।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

4.23 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग राज्य में सतत विकास के सिद्वांतों का पालन करते हुए राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यवस्थित अन्वेषण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य को किसी भी प्रमुख खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार के लिए नहीं जाना जाता है तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी

आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है, तक ही सीमित है।

4.24 विभाग का भूवैज्ञानिक विंग कई तरह के कार्य की देखरेख कर रहा है जैसेः– i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वय से नए खनिज युक्त क्षेत्रों की जांच करने के लिए खनिज अन्वेषण कार्य ii) राज्य में लघु खनिजों की खाली खदानों की ग्राउड ट्रूथिंग, iii) खान क्षेत्र में उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए परिचालन खानों का आवधिक निरीक्षण iv) किसी भी आवश्यकता के मामले में सीमांकन कार्य।

4.25 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग निम्न विधानों के अनुरूप प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैः–

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957–यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम, 1960–केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 दिनांक 20–06–2012 को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23सी के तहत राज्य के नियम बनाये गये हैं, जो मौजूदा नियमों अर्थात पंजाब माइनर मिनरल कंसेशन नियम, 1964 को निरस्त करते हुए गौण खनिजों की खनिज रियायतों के नियमन के लिए है।
- हरियाणा खनिज (निहित अधिकार) अधिनियम, 1973
- हरियाणा विनियमन एवं क्रैशर नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (आमतौर पर स्टोन क्रैशर अधिनियम, 1991 के रूप में सदंर्भित) और राज्य में आपरेटरों स्टोन क्रैशरों को विनियमित करने के लिये बनाए गए नियम।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

वर्ष 2021–22 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

4.26 लघु खनिज रियायत प्रदान करने हेतु जिस प्रक्रिया कि शुरूआत वित्त वर्ष 2016–17 में की गई थी, का अनुसरण वित्त वर्ष 2021–22 में भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीति अनुसार खनिज अनुदान छोटे आकार की खनन ईकाईयों/खण्डों के तौर पर प्रदान करने की शुरूआत की गई ताकि खनन व्यापार में रूचि रखने वाले लघु व्यवसायी/व्यक्ति खनन कार्य में प्रवेश कर सकें जो किसी भी प्रकार की मिलीभगत या एकाधिकार को रोकता है। इस नीति का अनुसरण वित्त वर्ष 2021–22 में भी किया जा रहा है। जुलाई, 2021 तक कुल 119 लघु खनिज खदानों में से 60 के खनिज अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया हैं। गांव खानक, जिला भिवानी की एक पत्थर की खान एच.एस.आई.आई.डी.सी., हरियाणा सरकार के एक उपक्रम, को राज्य नियमों, 2012 में छूट देते हुए प्रदान की गई है। 119 खनिज अनुदानों में से 52 खदानें वर्तमान में जारी है, जबकि 57 खदानें खाली पड़ी हैं। जिनका विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

4.27 अवैध खनन

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है, हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है, जिन्हें कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाता है। इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/भार पर्ची खनिजों के परिवहन के मामले भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध खनन में संलिप्त

पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट भी दर्ज की जाती है।

- सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अनुपालना हेतु संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी के अतिरक्त अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे कि वन, राज्य प्रदूषण बोर्ड, परिवहन तथा पुलिस द्वारा भी अवैध खनन रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।
- हालांकि राज्य में कहीं भी संयोजित अवैध खनन नहीं है, फिर भी छुट–पुट अवैध खनन/खनिजों के अवैध परिवहन के मामले संज्ञान में आते हैं, जिन पर कानून/राज्य द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माननीय एन.जी.टी. के ओ.ऐ. संख्या 668/2018–सुरेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य में पारित आदेश दिनांक 23–04–2019 के अनुसार अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों से रॉयल्टी, खनिज की कीमत एवं पैनल्टी के अतिरिक्त वाहन की शोरूम कीमत के कम से कम 50 प्रतिशत राशि भी वसूल की बनती है। 28–08–2019 से 15–01–2022 तक जब्त किए गए वाहनों का विवरण **तालिका 4.4** में दिया गया है।
- खनन एवं पुलिस संयुक्त दलों द्वारा की जा रही कार्यवाही की पुलिस एवं खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है। कानूनी स्त्रोतों के पिछले 11 वर्षों के अवैध खनन/खनिज चोरी/बिना वैध बिल खनिज परिवहन के मामलों का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।
- हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के

तालिका 4.3– राज्य में खानों का जिलावार विवरण

संख्या	जिला	खानों की कुल संख्या	आबंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली/खाली आबंटित खानों की कुल संख्या	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
1.	पंचकुला	18	07	11	06
2.	अंबाला	10	01	09	01
3.	यमुनानगर	30	25	05	22
4.	कुरूक्षेत्र	01	00	01	00
5.	करनाल	04	01	03*	01
6.	पानीपत	03	00	03*	00
7.	सोनीपत	15	02	13	02
8.	फरीदाबाद	04	04	00	00
9.	पलवल	02	00	02	00
10.	भिवानी	02	02	00	02
11.	चरखी दादरी	14	12	02	12
12.	हिसार	01(लुप्त)	00	00	00
13.	रेवाड़ी	01	00	01	00
14.	महेन्द्रगढ़ (रेत)	03	00	03**	00
15.	महेन्द्रगढ़ (पत्थर)	11	06	04	06
	कुल	**119**	**60**	**57**	**52**

नोटः– * इन क्षेत्रों में राजस्व विभाग के साथ ग्राउंड ट्रूथिंग/सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

** भूवैज्ञानिक विंग द्वारा खोजे जाने वाले क्षेत्र।

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कहना तथात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल फूल रहा है।

- खनन कार्य करने की अनुमति भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही दी जा रही हैं।

तालिका 4.4– राज्य में जिलावार पकडे गए वाहनों का विवरण

क्रमांक	जिलों के नाम	पकड़े गए वाहनों की संख्या (28–08–2019 से 15–01–2022 तक)
1	पानीपत एवं करनाल	375
2	फरीदाबाद/पलवल	755
3	सोनीपत	678
4	यमुनानगर	1282
5	गुरूग्राम एवं नूह	916
6	महेन्द्रगढ़ एवं नारनौल	762
7	अम्बाला	359
8	हिसार एवं फतेहाबाद	43
9	सिरसा	109
10	रोहतक एवं झज्जर	290
11	पंचकुला	364
12	चरखी दादरी	363
13	कुरूक्षेत्र	266
14	रेवाड़ी	226
15	भिवानी	227
16	जीन्द	98
	कुल	**7113**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

तालिका 4.5–अवैध खनन के मामले और वसूल किया गया जुर्माना

क्रमांक संख्या	वर्ष	वैध दस्तावेजों के बिना खनिज के परिवहन सहित अवैध खनन के मामलों की संख्या	जुर्माना वसूल किया गया (लाख रूपये में)
1	2011–12	1588	263.33
2	2012–13	2564	163.31
3	2013–14	4518	991.59
4	2014–15	5333	1451.71
5	2015–16	3912	838.55
6	2016–17	1963	435.34
7	2017–18	1748	480.73
8	2018–19	2009	484.08
9	2019–20	1492	347.12
10	2020–2021	4281	1076.63
11	2021–2022 (सितम्बर, 2021 तक)	712	464.87
	कुल	**30120**	**6997.26**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभग, हरियाणा।

पत्थर/भवन निर्माण की मांग व आपूर्ति

4.28 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित लम्बे मुकद्मेबाजी की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है, परन्तु निर्माण सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खादानें निजी एवं सार्वजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके।

राजस्व संग्रह

4.29 वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिजो से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिकाः 4.6–खानों से राजस्व प्राप्तियों का विवरण

संख्या	वर्ष	खनिज से राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपये में)
1	2005–06	153.34
2	2006–07	136.26
3	2007–08	215.71
4	2008–09	195.42
5	2009–10	248.66
6	2010–11	78.38
7	2011–12	87.39
8	2012–13	70.83
9	2013–14	81.52
10	2014–15	43.89
11	2015–16	265.42
12	2016–17	494.16
13	2017–18	712.87
14	2018–19	583.20
15	2019–20	702.24
16	2020–21	1020.00
17	2021–22 (11–02–2022 तक)	685.00
कुल		**5774.29**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

मुख्य नीतिगत बदलाव किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा विभाग की गतिविधियों पर इसका प्रभाव/सम्भावित प्रभाव

4.30 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली नीलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई–नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। इस उद्देश्य के लिए खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए बैंकिंग भागीदार पहले ही चुना जा चुका है। खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

नई पहल

4.31 विभाग ने राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध खनन/खनिज के परिवहन की सूचना देने के लिए विभाग के साथ–साथ आम जनता की निगरानी के लिए विभिन्न खनन पटटों और अनुबंधों के एच.ए.आर.एस.ए.सी. की मदद से एक आवेदन तैयार किया है। विभाग द्वारा नए खनिज वाले क्षेत्रों की ग्राउंड ट्रूथिंग अभ्यास के

लिए एक नया उपकरण खरीदा है, जिसे डी.जी. पी.एस. (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के रूप में जाना जाता है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.32 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे संबंधित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था। तदानुसार हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बनाऐ गए तथा इन्हें 19–12–2017 को अधिसूचित किया गया। राज्य नियम, 2012 के मौजूदा प्रावधानानुसार कार्यरत खदानों द्वारा 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापन और पुर्नवास फण्ड में जमा करवानी होती है, राज्य सरकार भी अपनी कमाई का 5 प्रतिशत हिस्सा इस फण्ड में प्रदान करती है। उक्त फंड का मुख्य कार्य खनन क्षेत्रों की पुर्नस्थापन और पुर्नवास सुनिश्चित करने के लिए है। हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017 के प्रावधानानुसार पुर्नस्थापन और पुर्नवास फण्ड में जमा राशि का 1/3 हिस्सा जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा कराना होता है। उक्त राशि खनन व इससे सम्बन्धित कार्यो से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों की भलाई हेतु खर्च करना होता है। खनिज प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित किए गए हैं, ये प्रतिष्ठान कार्य करेंगी तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भी लागू करेंगी, जिनका उद्देश्य निम्न प्रकार से हैः–

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रम लागू करना जो केन्द्र सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं की पूरक होगी।
- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक अर्थशास्त्र के असर को कम करना; तथा
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

ई–शासन

4.33 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाएं एच.ई.पी.सी. पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। हारट्रोन को निम्नलिखित सेवाओं के लिए विभागीय पोर्टल/आवेदन तैयार करने के लिए लगाया गया है।

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट का अनुदान/नवीनीकरण
- साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट
- खनिज के निपटान के लिए अनुमति प्रदान करना।

4.34 विभाग की सभी सेवाएं व्यापारिक हैं। जिस किसी आवेदक को इन सेवाओं की जरूरत है उसे सम्बन्धित सेवा के लिए फार्म सभी दस्तावेजों सहित भरना होता है। सभी आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका निशतारण भी ऑनलाईन किया जाता है। जिसमें उनकी मारकिंग, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, नोटिंग, ड्राफटिंग, ऐतराज, रिमार्क व उनका प्रदान करना या मनाही शामिल है। प्रत्येक चीज ऑनलाईन है तथा बिना किसी कागज के प्रयोग के निपटाई जाती है। यह पोर्टल कर्मचारियों द्वारा दी गई, टिप्पणी समय व फाईल का इतिहास दर्ज रखता है।

4.35 इससे खनिज रियायत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले उन सभी वाहनों का विनियमन हो सकेगा जो खनिज परिवहन में संलिप्त है तथा खनिज उत्पादकता का सही आकलन भी हो सकेगा। इससे इस बात की भी संभावनाएं बढ जाएंगी की खनन कार्य वैज्ञानिक तौर पर

तथा पर्यावरण के अनुकूल हो और विभिन्न खानों बारे महत्वपूर्ण जानकारियां ई–मोड्यूल पर उपलब्ध होंगी। ई–शासन का प्रस्ताव हितधारकों की भूमिका, जिम्मेवारी एवं साधनों को साफ तौर पर परिभाषित करेगा।

4.36 विभाग ने ई–शासन सिस्टम तैयार करने के लिए हरियाणा नॉलिज कारर्पोशन लिमिटड के साथ अनुबंध किया हुआ है। ई–रावणा सिस्टम राज्य के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है।

विभाग की संपूर्ण गतिविधियां तथा कार्यक्रम

4.37 विभाग की मुख्य नीति खनिज अनुदान पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग लोकहित के सतत विकास हेतु पर्यावरण रक्षित तरीके से करना है। राज्य की खनन क्षेत्र में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैः–

- यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से सतत विकास के सिद्धांतो, अर्न्तपीढीय व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि निमार्ण सामग्री विकास कार्यो के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो;
- राज्य के लिए राजस्व का स्रोत; तथा
- स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट, रेत धुलाई प्लांटों इत्यादि जैसे संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

विद्युत

4.38 सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा इसका राजस्व सृजन, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सस्ती कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। राज्य में वायु वेग भी विद्युत उत्पादन के दोहन के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन भूमि क्षेत्र की सीमा इस संसाधन के बड़े पैमाने पर दोहन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजना से राज्य के भीतर स्थापित सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता और जल विद्युत पर निर्भर रहा है।

4.39 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 12,147.67 मैगावाट है, इसमें 2,582.40 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। 2019–20 के दौरान इन स्त्रोतों से विद्युत उपलब्धता 5,21,775 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2019–20 के दौरान 4,30,946 लाख किलोवाट बिजली बेची गई थी। वर्ष–वार स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली का विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

4.40 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2021–22 (नवम्बर, 2021 तक) में 73,07,992 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.8** में दी गई है।

4.41 वर्ष 1967–68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2020–21 में 1,805.45 यूनिट हो गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान नवम्बर, 2021 के अन्त तक डिस्कॉम में बिजली की खपत 3,26,200.77 लाख यूनिट (एल.यू.) थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा

बिजली की खपत अधिकतम थी अर्थात 1,09,070.57 एल.यू. तथा उसके बाद घरेलू क्षेत्र में 99,404.84 एल.यू. है। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को 5,099.93 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गई है। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.9** में दी गई है।

4.42 एच.पी.यू. की मुख्य उपलब्धियां

- **ए.टी. एण्ड सी. लॉसिस में कमीः–** डिस्कॉमस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से ए.टी. एण्ड सी. लॉसिस कम हुए हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ए.टी. एण्ड सी. लॉसिस 16.22 प्रतिशत तक कम हुए जो कि वित्त वर्ष 2015–16 में 30.02 प्रतिशत थे।
- **इंटीग्रेटिड रेटिंगः–** हरियाणा डिस्कॉमस की वार्षिक इंटीग्रेटिड रेटिंग में लगातार वित्त वर्ष 2015–16 से सुधार हुआ है। हरियाणा को 9$^{वीं}$ (2019–20) इंटीग्रेटिड रेटिंग में राज्य के रूप में गुजरात के बाद दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है।

तालिका 4.7– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29.00	343.00	6010	5010.00
1970–71	29.00	486.00	12460	9030.00
1980–81	1074.00	1174.00	41480	33910.00
1990–91	1757.00	2229.50	90250	66410.00
2000–01	1780.00	3124.50	166017	154231.00
2010–11	4106.00	5997.83	296623	240125.00
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61
2016–17	3621.00	11065.00	454659	339931.52
2017–18	3621.37	11262.30	506044	382329.73
2018–19	3638.54	11750.72	515733	407090.10
2019–20	3428.54	11950.70	521775	430946.00
2020–21	3428.54	12241.41	495874	418352.00
2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)	3428.54	12147.67	421666	358324.00

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पीज. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं आदि) से बाहर हैं।

स्त्रोतः. एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.8–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2016–17	4569311	597063	101388	621571	50825	5940158
2017–18	4841143	623455	104124	630487	25328	6224537
2018–19	5150007	653356	109076	638191	26428	6577058
2019–20	5391944	683042	111569	643588	27466	6857609
2020–21	5606807	717355	113773	650800	28649	7117384
2021–22 (नवम्बर, 2021 तक)	5755052	764068	117161	660214	29496	7307992

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.9– राज्य में क्षेत्र–वार बिजली की खपत

(लाख यूनिट)

सैक्टर	**2020–21**	**2021–22 (नवम्बर, 2021 तक)**
औद्योगिक	126728.19	109070.57
घरेलू	120029.69	99404.84
कृषि	100872.46	68738.91
वाणिज्यिक	40422.09	26200.58
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	12909.51	9168.17
रेलवेज	510.90	373.61
विविध	16879.99	13244.09
कुल	**418352.83**	**326200.77**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

- **डिस्कॉमस का टर्नअराउंडः**– डिस्कॉमस ने वित्तीय टर्नअराउंड हासिल किया तथा 2017–18 से एक निवल लाभ दर्ज किया है, जिससे वित्त वर्ष 2020–21 में 636.67 करोड़ रूपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष–वार निवल लाभ का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।
- **म्हारा गांव जगमग गांव योजनाः**– म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी, 2016 में 105 गांवों में 24X7 बिजली आपूर्ति की है, जो जनवरी, 2022 में बढ़कर 5,569 गांवों तक पंहुच गई है।

तालिका 4.10 राज्य में वर्ष–वार निवल लाभ

वित्त वर्ष	**लाभ (रूपए करोड़ों में)**
2012-13	-3649.25
2013-14	-3553.66
2014-15	-2116.73
2015-16	-815.62
2016-17	-193.05
2017-18	412.35
2018-19	280.94
2019-20	331.34
2020-21	636.67

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. (ट्रांसमिशन कंपनी) ने 7 नए सब स्टेशन चालू किए और 76 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 505.5 करोड़ रूपए की लागत से 2,629.5 एमवीए की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 283.84 किलोमीटर प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021–22 (अप्रैल से जनवरी, 2022 तक) के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. ने 5 नए सब स्टेशन चालू किए और 73 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 324.38 करोड रूपए की लागत से 2,227.5 एम.वी.ए. की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 78.2 किलोमीटर प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- क्षमता वृद्धि योजना (31–01–2022 तक) के अनुसार अगले 5 वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2026–27 तक ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा 3,295.27 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत से 42 नए सब स्टेशन बनाने, मौजूदा 180 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्वि करने और 3,228.22 सर्किट किलोमीटर से अधिक प्रसारण लाइनों के बिछाने की योजना बनाई गई है।
- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी एच.वी.पी.एन.एल. ने एचईआरसी द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (टी.एस.ए.) (99.36 प्रतिशत) और 2.15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉसिस (2.12 प्रतिशत) के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- 10 मेगावाट सौलर पावर प्लांट, पानीपत ने चालू होने के बाद से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतम उत्पादन यानी 16.86 एम.यू. और सबसे कम आउटेज अवधि यानी 151 घंटे हासिल की हैं।
- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर स्टेशनों (संपूर्ण रूप में) पर कुल ऐश उपयोग (फ्लाई ऐश +

पोंड ऐश) 353.15 प्रतिशत रहा, जोकि वित्त वर्ष 2016–17 से सबसे अच्छा है।

- डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर की 300 मेगावाट यूनिट–1 ने 25–11–2020 से 12–05–2021 तक निरंतर चलने के 168 दिन पूरे कर लिए हैं और एच.पी.जी.सी.एल. के निरंतर चलने के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
- कोविड अवधि के दौरान जब कोविड के मामले एक नए शिखर पर थे और कोविड रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक मेडिकल ऑक्सीजन का एक अभूतपूर्व संकट था, एच.पी.जी.सी.एल. ने इस संकट काल में जनता के हित के लिए आर.जी.टी.पी.पी. खेदड़ में हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन में बदलने की सफलतापूर्वक पहल की।
- डब्ल्यू.वाई.सी. हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्टेशन, यमुनानगर ने अक्टूबर, 2021 के महीने में 73.77 प्रतिशत मासिक पी.एल.एफ. हासिल करने में सफल रहा है। यह पिछले 10 वर्षों के दौरान हासिल किया गया उच्चतम मासिक पी.एल.एफ. है।
- नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिस्कॉमस द्वारा भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जैसे मीटर रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग में ऑटोमेशन, नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाईन डिलीवरी तथा फीडबैक सैल का निर्माण।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सोलर वाटर पम्पिंग कार्यक्रम

4.43 हरियाणा मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है और राष्ट्रीय खाद्यान भण्डार में इसका योगदान है, अतः राज्य के किसानो को उचित सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है। किसानो की सिंचाई आवश्कताओं की स्वच्छ ऊर्जा से पूर्ति के लिए और डीजल पम्प को सोलर पम्प से बदलने के लिये नवीन एव नवीकरणीय उर्जा विभाग ने राज्य में सोलर पम्पों को देने की योजना बनाई है। यह कृषि पम्प न केवल स्वच्छ ऊर्जा को संचालित करेगें अपितु कृषि की लागत को भी कम करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगे। वर्ष 2020–21 में राज्य में 15,000 सोलर पम्प स्थापित किये गये, वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में पी.एम. कुसुम योजना के तहत कुल 22,000 पम्प (3 एच.पी. से 10 एच.पी. क्षमता के) 75 प्रतिशत अनुदान के साथ लगाये जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 10,000 पम्प स्थापित किए जा चुके हैं तथा 12,000 पम्पों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इन 37,000 सोलर पम्पों से राज्य में लगभग 258 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित होगी तथा लगभग 232.2 मिलीयन यूनिट बिजली की सालाना बचत के साथ सालाना लगभग 1.87 लाख टन कार्बन–डाइऑक्साईड के उत्सर्जन में कमी आएगी।

ग्रिड आधारित रूफटॉप (जी.सी.आर.टी.) सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम

4.44 सौर ऊर्जा विभाग राज्य के सरकारी भवनों एवं संस्थानों में बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉफ पावर प्लांट कार्यक्रम की एक योजना लागू कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को कम करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा सौर ऊर्जा नीति में, वर्ष 2022 तक 1,600 मैगावाट की रूफटॉप सौर उर्जा परियोजनायें स्थापित करने की योजना है। फरवरी, 2022 तक राज्य में लगभग 200 मैगावाट संचयी क्षमता की रूफटॉप सौर उर्जा परियोजनायें स्थापित की गई हैं।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.45 हरियाणा सरकार ने 2022 तक 150 मेगावाट की बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लक्ष्य के साथ हरियाणा जैव ऊर्जा नीति–2018 को अधिसूचित किया है। राज्य के खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने तथा धान के पुआल आधारित बायोमास बिजली परियोजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 49

मेगावाट क्षमता की 4 पुआल आधारित बायोमास परियोजनाएं कुरूक्षेत्र (15 मेगावाट), कैथल (15 मेगावाट), जींद (9.90 मेगावाट) और फतेहाबाद (9.90 मेगावाट) में आबंटित की हैं। इस परियोजनाओं में सलाना लगभग 5.70 लाख टन धान की पराली की ईंधन के रूप में खपत होगी।

सोलर इन्वर्टर चार्जर प्रोग्राम

4.46 सौर ऊर्जा से मौजूदा इन्वर्टर के बैटरी बैंक को चार्ज करने और बिजली की कटौती के दौरान दिन के समय निर्बाध चार्जिंग की सुविधा के लिए और स्वच्छ और हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए विभाग सौर इन्वर्टर चार्जर को बढावा दे रहा है। जिसमें सौर पैनल और इंटरफेस चार्ज कन्ट्रोलर शामिल है, वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 4,287 सिस्टम लगाय गये, जिन पर 4.16 करोड़ रूपये खर्च हुए। वर्ष 2021–22 में 7.75 करोड़ रूपये के राज्य बजट प्रावधान के साथ 8,000 सौर इन्वर्टर चार्जर स्थापित करने का प्रस्ताव है। अब तक 2,500 सिस्टम लगाये जा चुके है।

गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाना

4.47 हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में उनकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिये 80 प्रतिशत राज्य अनुदान (हाईब्रिड सोलर प्लाट बैटरी बैंक अप) के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। शेष राशि का वहन गौशालाओं एवं गौ सेवा आयोग द्वारा किया जाना है। फरवरी, 2022 तक 330 गौशालाओं मे 2 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयत्र लगाये जा चुके है।

वास्तुकला

4.48 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाचे की योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने का प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा भवन संहिता–2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया जा रहा है।

4.49 विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल जिसमें सी. एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एस.सी. भी शामिल है, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय खेल स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन जिसमें विभिन्न तीर्थ स्थल भी शामिल है, पर कार्य किया है। विभाग विभिन्न अन्य विभागों और निगमों के आउटसोंर्सिग/तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकारों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए विशाल विकास कार्यों में उनकी तकनीकी मत/इनपुट के उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों में भाग लेकर सहायता करता है।

सड़कें

4.50 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार का बुनियादी साधन है। सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए मौजूदा सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपास पुलों/सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा

तालिका 4.11– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं.	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–03–2021 तक)	लम्बाई कि.मी. में (31–10–2021 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.–67 एन.एच.ए.आई. – 2947	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 330 एन.एच.ए.आई.– 2684
2	राज्य उच्च मार्ग	1602	1602
3	मुख्य जिला सड़कें	1337	1350
4	अन्य जिला सड़कें	21213	21569
	कुल	**27166**	**27535**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने पर मुख्य जोर दिया गया है। राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क **तालिका 4.11** में दिया गया है।

4.51 वर्ष 2021–22 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट, नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों को सुधार के कार्यक्रम को हाथ में लिया है। अक्तूबर, 2021 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12– सड़क सुधार कार्यक्रमों के तहत प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति **(रूपये करोड़ में)**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2021–22	खर्चा (अक्तूबर, 2021 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित)	1749.66	998.79
2	नान प्लान –3054	467.51	251.21
3	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	77.75
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	90.00	44.16
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	0.00	0.00
6	डिपोजिट कार्य (एच.एस.आर.डी.सी. की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)	45.00	29.09
कुल		**2502.17**	**1402.00**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र.सं.	मद	लम्बाई कि.मी. में (अक्तूबर, 2021 तक)
1	नया निर्माण	130
2	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	1108
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1798
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	146
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	78
6	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	164
7	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	1.18

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.13– वर्ष 2021–22 के दौरान स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (नवम्बर, 2020 तक)
1	प्लान–5054	445	1229.23
2	नान प्लान–3054	176	335.31
3	नाबार्ड– सड़कें – पुल	50 01	307.71 11.16
4	केन्द्रीय सड़क कोष	01	99.14
5	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना/भारत निर्माण – सड़कें	83 120	383.58 549.51
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	–	–
7	उपरगामी पुल/भूमिगत पुल (प्लान–5054)	11	262.87
8	पुल – प्लान –5054 नान प्लान–3054	02 –	1.96 –
	कुल	**889**	**3180.57**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14– भवनों के मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2021–22	खर्चा 2021–22 (अक्तूबर, 2021 तक)
1	राजस्व भवन	129.53	91.79
2	पूंजीगत भवन	1479.39	596.75
3	डिपोजिट भवन	500.00	345.97
	कुल	**2108.92**	**1034.51**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.15– पूर्ण और पूर्ण होने वाले रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2021–22 (अक्तूबर, 2021 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 5 37 (10 पी.डब्ल्यू.डी. +22 एच.एस.आर.डी.सी. + 5 सी.आर.एफ. स्कीम)
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 6 30 (23 पी.डब्ल्यू.डी. + 7 डिपोजिट/नाबार्ड/सी.आर.एफ.)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

4.52 वर्ष 2021–22 के दौरान अनेक सड़कों/पुलों के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। कार्य की स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **तालिका 4.13** में दिया गया है। भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों हेतू आंबटन का विवरण **तालिका 4.14** में दिया गया है। विभाग द्वारा यात्रियों की देरी को कम करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुलों की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.15** में दिया गया है।

एन.सी.आर. कार्य

4.53 वर्ष 2021–22 के दौरान 310.60 करोड़ रूपये राशि वाले 2 आर.ओ.बी. तथा 2 सड़क परियोजना एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत प्रगति पर है और इस वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यो के लिए 246.18 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है। 16 कार्य आर.ओ. बी./आर.यू.बी. के राज्य शीर्ष 5054 आर.एण्ड. बी. (योजना) के तहत 365.10 करोड रूपये की लागत से प्रगति पर है। 4 भवन कार्य 590.85 करोड़ रूपये के डिपाजिट हैड के तहत प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत विभिन्न सड़को/आर.ओ.बी. की 603.47 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृत किया गया था और उनमें से 143.55 करोड रुपए के कार्यों को हाल ही में आवंटित किया गया है और साथ ही 6 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के लिए 126.02 करोड़ रूपये इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य मद के तहत आवंटित किये गये हैं।

4.54 हरियाणा राज्य सडक एवं पुल विकास निगम द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत 66.92 करोड़ रुपए वर्ष 2021–22 में (दिनांक 30–11–2021 तक) खर्च किए है और 91.67 करोड़ रुपए राज्य हैड–5054 आर.एण्ड.बी. (योजना) और भवन कार्य डिपोजिट हैड के तहत 81.79 करोड़ रुपए खर्च किए है।

4.55 सरकारी मैडिकल कालेज, जींद के निर्माण की परियोजना के लिए 663.86 करोड रूपये (रुपए 554.23 करोड रूपये–चरण–I और 139.63 करोड रूपये चरण– II) की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। एजैंसी को यह कार्य 13–01–2021 को आवंटित किया गया था और 30–11–2021 तक इस कार्य पर 64.76 करोड रुपए खर्च किया गया हैं। कोविड–19 की अवधि के दौरान सरकार ने हिसार में 500 आक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले अस्थाई कोविड अस्पताल का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की थी और इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष में 34.93 करोड रूपये की राशि के लिए आवंटित किया गया और 18 दिनों के अन्दर यह कार्य पूरा किया गया।

नाबार्ड योजना

4.56 वर्ष 2021–22 में नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–XXVII के अंतर्गत 446.55 किलोमीटर की लंबाई वाली 50 सड़कों और 318.67 करोड़ रूपये के 01 उच्च स्तरीय पुल की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, इस वितीय वर्ष में नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 112.30 करोड़ रूपये खर्च किए गए है।

परिवहन

4.57 परिवहन विभाग, हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि नियामक अंग व वाणिज्यक अंग (हरियाणा राज्य परिवहन) है।

वाणिज्यिक अंग

4.58 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित, आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.59 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी परिवहन सस्थाओं में से एक है। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा 4,500 बसों का है। वर्तमान में (30–09–2021 तक) हरियाणा राज्य परिवहन के पास 2,989 बसें हैं, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 6.78 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 3.71 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉरम क्रमशः 1:1.4 है।

4.60 हरियाणा राज्य परिवहन का प्रदर्शन विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छा है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ

व व्हीकल उत्पादकता, ईंधन की दक्षता तथा दुर्घटना दर बहुत कम है। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले सबसे कम दुर्घटना दर के लिये वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य परिवहन का मोफुसिल क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2008–09 के दौरान वाहन उत्पादकता में अधिकतम सुपार के लिए ए.एस.आर.टी.यू. ट्राफी का विजेता घोषित किया गया है।

4.61 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन सेवा में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट वर्ष 2004–05 में 56 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020–21 में 245.35 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें से बस बेड़े के आधुनिकीकरण तथा अन्य ढ़ांचागत सुधारों के लिये वर्ष 2020–21 में 87.18 करोड़ रुपए खर्च किये गये। प्लान बजट वर्ष 2021–22 के लिए 231.55 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 13.08 करोड़ रुपए अप्रैल से सितम्बर, 2021 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं। हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंडों की विशेष मरम्मत के लिए वर्ष 2020–21 में 17.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। पिछले 5 वर्षों के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां **तालिका 4.16** में दिये गये हैं।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

4.62 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 18 वॉल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसें खरीदी गई हैं जिन्हें हरियाणा रोडवेज चण्डीगढ़ और गुरूग्राम के बेड़े में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। चण्डीगढ–गुरूग्राम दिल्ली–चण्डीगढ़ रूटों पर यात्रा करने वाली जनता ने इस सेवा की काफी सराहना की है। इसके अलावा विभाग द्वारा 150 मिनी बसें भी खरीदी गई हैं, जिनकी ए.एम.सी. 5 साल है। इसके साथ ही बी. एस.–VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 809 बसों की खरीद की स्वीकृति सरकार द्वारा कर दी गई है।

4.63 प्लान बजट वर्ष 2021–22 के दौरान बस के बेड़े के अधिग्रहण के लिए वार्षिक योजना में 100 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं। लीज धारकों द्वारा प्रति किलोमीटर के आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत 562 साधारण बसें प्रदान की गई है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.64 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्ड स्थापित किए है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा पी.पी. पी. मोड़ पर एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। बालसमंद (हिसार) में एक नए बस अड्डे का उद्घाटन 04–06–2021 को किया गया है। सिवाह (पानीपत), फतेहाबाद, खिजराबाद, मुस्तफाबाद (यमुनानगर), बहादुरगढ़, घरोंडा, तरावड़ी (करनाल), खेड़ी चोपटा, हसनपुर (पलवल), ओढा (सिरसा) में नए बस अड्डे और कुरूक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पलवल, कोसली (रेवाड़ी) में का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4.65 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2020–21 में 61.71 करोड़ रुपये **(तालिका 4.16)** खर्च किए गए थे। प्लान बजट वर्ष 2021–22 के लिए 130 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 30–09–2021 तक 13.08 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीरण

4.66 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2021–22 में इसके लिए 1 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई हैं।

सडक सुरक्षा

4.67 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों से दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिये 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। अप्रैल से सितम्बर, 2021 की अवधि के दौरान 13,681 उम्मीदवारों को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक ड्राईविंग लाईसैंस के लिए भारी वाहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारी वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए नये शुरू किये बैचों में महिला उम्मीदवरों को वरीयता दी गई है। प्लान बजट 2021–22 में इसके लिए 50 लाख रूपये अनुमोदित किए गए हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन का पुनरूद्धार

4.68 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2021–22 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

कम्प्यूट्रीकरण

4.69 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2020–21 के लिए 50 लाख रूपये की राशि कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उससे संबधित मदों के क्रम हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें से 24.94 लाख रुपए **(तालिका 4.16)** खर्च किए जा चुके हैं।

तालिका 4.16– पिछले 5 वर्षो के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां
2016–17	1) भूमि और भवन	11000.00	9258.55	84.17
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1358.74	13.59
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	81.02	81.02
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	40.00	20.12	50.30
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	194.85	97.42
2017–18	1) भूमि और भवन	13000.00	12846.04	98.82
	2) बेड़े का अधिग्रहण	12000.00	9571.99	79.77
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	3.83	3.83
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	18.99	37.98
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	121.61	60.80
2018–19	1) भूमि और भवन	11830.00	7978.46	67.44
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2340.00	2216.52	94.72
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	8.32	8.32
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	30.09	60.18
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	85.30	42.65
2019–20	1) भूमि और भवन	6500.00	5932.87	91.27
	2) बेड़े का अधिग्रहण	500.00	407.61	81.52
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	1.31	6.56
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	17.65	35.30
2020–21	1) भूमि और भवन	14500.00	6171.15	42.55
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	2547.32	25.47
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	24.94	49.88

स्त्रोतः– परिवहन विभाग, हरियाणा।

4.70 तकनीकी का प्रयोग

- इस्पैक्टर, सब–इंस्पैक्टर, क्लर्क, ड्राईवर और कंडक्टरों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- 6 डिपों में पायलट चरणों सहित ई–टिकटिंग, आर.एफ.आई.डी. बस पास प्रणाली और जी.पी.एस. सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया जाना है।
- गुणवत्ता, सुरक्षित विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करके राज्य में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के उद्धेश्य से निर्भया फंड स्कीम, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हाने पर अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के भीतर लागू कर दी जाएगी।
- विभाग ने प्रदुषण तत्वों के नकारात्मक प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा के लिए शून्य उत्सर्जन इलैक्ट्रिक बसों को शुरू किय जाने का प्रयास है। 124 इलैक्ट्रिक बसें भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें

4.71 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत समाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे किः

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- रक्षाबंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों कोयात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।
- मासिक पास के लिए पुरूष छात्रों से केवल 10 एकल किराये लिए जा रहे है तथा छात्राओं को दिनांक 01–01–2014 से 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य के निवासियों को 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों राज्य के बाहर भी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से ग्रह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरा–ओलम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।
- कैन्सर से पीड़ित मरीजों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। छात्राओं/महिलाओं के लिए 173 मार्गों पर 181 बसों की सेवा प्रारभ्भ की है।
- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा विधवा और विधुर के मामले में ए.सी. वोल्वो बसों में ऐसे व्यक्तियों को 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पूर्व विधायकों के साथ एक सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.72 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) को मोटर वाहन अधिनियम–1988, केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1989, कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम–2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2019–20 में 3,500 करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में 2,913 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2020–21 में 3,615.50 करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले में 2,445.24 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित की गई। वित वर्ष 2021–22 में 3002.50 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई जिस के मुकाबले में 31.12.2021 तक 2299.11 करोड़ की राशि प्राप्त की गई।

चालक कौशल में सुधार

4.73 3 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधन संस्थान बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं। 9 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उपरोक्त के अलावा एक आर.डी.टी.सी. गुरूग्राम में स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य में स्वचालित ड्राईविंग टैस्ट ट्रक स्थापित किए जा रहे हैं। पहले चरण में इसे 11 स्थानों में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक कौशल पहले ही स्थापित किए हुए हैं जोकि भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक कौशल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे हैं।

मोटर वाहनों की सड़क पात्रता में सुधार

4.74 भारत सरकार द्वारा 14.40 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता से रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र प्रति वर्ष 1.25–1.50 लाख वाहनों की सड़क पात्रता की जांच करने की क्षमता रखता है। इस केन्द्र का संचालन दिनांक 05–04–2017 से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भविष्य में राज्य में 6 और प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

4.75 नागरिक सेवाओं का वितरण

- रोड टैक्स का ई–भुगतानः परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के लिए सडक कर एवं शुल्क के भुगतान हेतु ई–ग्रास के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा राज्य के सभी बैंकों में उपलब्ध है।
- एस.एम.एस. सुविधाः नगरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की राशि और विभिन्न सेवाओं के लिए जमा किए गए कर/शूल्क की सूचना देते हुए एस. एम.एस. भेजे जाते हैं।
- डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर नए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण हेतू ऑनलाईन डीलर प्वाईंट पंजीरण प्रणाली शुरू की गई है।
- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटनः राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आबंटन कम्पयूट्रीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
- कम्पयूटरीकरणः राज्य में सभी स्थानों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। राज्य भर में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है। सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती हैं।
- फाईल ट्रैकिंग सिस्टमः विभाग में फाईल ट्रैकिंग और मोनिटरिंग सिस्टम लागू किया जायेगा।

सड़क सुरक्षा उपाय और जागरूकता

4.76 राज्य में वर्ष 2019 में 10,944 सडक दुर्घटनायें हुईं, जिसके फलस्वरूप 5,057 लोगों की मौतें हुई, जबकि वर्ष 2020 में कम होकर 9,431 सडक दुर्घटनाओं से 4,507 मौतें हुई। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 1,513 सडक दुर्घटनाओं की कमी आई है। राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा माह (18–01–2021 से 17–02–2021 तक) का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधिया की गई। लीड एजैंन्सी द्वारा सडक सुरक्षा निधि से फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत में आई.आर.टी.ई., फरीदाबाद के माध्यम से 215 पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) इंजीनियरों को "ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा और रक्षात्मक ड्राईविंग" पर प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 27–03–2021 को सभी उपायुक्तों के साथ सड़क सुरक्षा के मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें, 4ईज़ (इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल तथा शिक्षा) पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य में वर्ष 2019 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2021 में दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

प्रवर्तन

4.77 पूरे राज्य में ई–चालान और वाहन और सारथी वेब संस्करण–4 लागू किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कुल 45,036 वाहनों का चालान किया गया तथा 129.51 करोड रूपए का शुल्क प्राप्त किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए 45 तोल तराजू खरीदें हैं, जिन्हें हरियाणा के सभी आर. टी.ए. कार्यालयों में वितरित किया गया है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें

4.78 केन्द्रीय मोटर वाहन, 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की योजना शुरू की गई तथा जिसका कार्य मै0 लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्रा0 लि0 को सौंपा गया था। भारतीय सरकार द्वारा दिनांक 06–12–2018 की अधिसूचना के अनुसार सम्बन्धित डीलर द्वारा दिनांक 01–04–2019 के बाद से नए वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाई जा रही है।

वाहन का स्थान बताने वाला ट्रैकिंग डिवाईस

4.79 एम.ओ.आर.टी.एच.के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा राज्य में 01–01–2019 से पंजीकृत होने वाले सभी यात्री सेवा वाहनों के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस के फिटमेंट व इमरजैंसी बटन लागू करना आवश्यक किया गया है।

लाकडाउन कर/जुर्माना राहत

4.80 राज्य सरकार द्वारा लाकडाउन अवधि में खरीदे गए तथा पंजीकृत न करवाए जा सके मोटर वाहनों के देय मोटरयान कर पर लगने वाला जुर्माना व साधारण ब्याज की राशि को माफ किया गया है।

स्वचालित ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने वाला केन्द्र

4.81 केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सी.आई.आर.टी.), पुणे को हरियाणा राज्य के जिलों में स्वचालित ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने के केन्द्रों की स्थापना हेतू निविदा प्रक्रिया के लिए परिवहन विभाग (नियामक विंग) द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

गुरूग्राम और फरीदाबाद में राज्य परिवहन उपक्रम

4.82 गुरूग्राम मैट्रोपोलिटन सिटी बस लिमिटेड (जी.एम.सी.बी.एल.) के साथ राज्य के सभी नगर निगमों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में सिटी बस सेवाओं के संचालन के लिए राज्य परिवहन उपक्रम (एस.टी.यू.) के रूप में कार्य करने की घोषणा की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण उपाय

4.83 प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला द्वारा डीजल से संचालित किए

जा रहे ऑटो रिक्शा के संबंध में किसी भी प्रकार के परमिट जारी नहीं करने हेतू अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4.84 समय–समय पर आम जनता की सुविधा के लिए और सरकारी कामकाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए सारथी/वाहन सॉफ्टवेयर आदि में किए जा रहे विकास/बदलाव के संबंध में कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

नागरिक विमानन

4.85 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा की पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो फंलाईग प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जहां लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.) तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग (आई.आर.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 77 लाईसैंस प्रशिक्ष्यु में से 37 प्रशिक्षुओं को एस पी.एल. (16), पी.पी.एल. (01), सी.पी.एल. (02), सी.पी.एल(सी) (01), आई.आर. (03), आई.आर. (नवीनीकरण (09)) तथा ए.एफ. आई.आर. (05) से पुरस्कृत किया गया।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

मिड–डे–मील स्कीम

5.2 मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पोषण सम्बन्धित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं) और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है। यह योजना राज्य के सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 15 अगस्त, 2004 को शुरू की गई थी। यह योजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20–04–2004 के अनुपालन में लागू की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। योजना के तहत मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल) सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मध्याह्न भोजन योजना का बजट भारत सरकार की हिदायतों अनुसार 60:40 सी.एस.एस. और राज्य योजना के अनुपात में 43,000 लाख़ रूपये तथा 34,000 लाख रूपये है।

उपलब्धियाँ

5.3 मिड–डे–मील की योजना के तहत प्रत्येक मंगलवार को स्कूलों में तिथि भोजन, व बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनन्दन मनाया जाता हैं। सभी विद्यार्थी लड़कियों को उस माह में आने वाले जन्मदिवस पर उन्हें बधाई और विशिष्ट सत्कार दिया जाता हैं।

- मिड–डे–मील के साथ–साथ सप्ताह में 3 दिन कक्षा 1 से 8 के छात्रों को 200 मि.ली. मिल्क प्रदान किया जाता है। दूध 5 फ्लेवर यानी रोज़, इलायची, चॉकलेट, वेनिला व बटरस्कॉच फ्लेवर में दिया जा रहा है। हरियाणा डेयरी डेवलेपमेन्ट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पंचकूला के सहयोग से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दिनांक 28–01–2020 को होटल बेला विस्टा में एक दिन का वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें 119 मास्टर ट्रेनरों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, कार्यक्रम कार्यकारियों, लेखा कार्यकारियों, डाटा ऐंट्री ऑपरेटरों तथा मोनिटरिंग सुपरवाईजरों को फूड फोर्टिफिकेशन, गुणवत्ता इत्यादि के बारे में ट्रेनिंग दी गई।
- हरियाणा राज्य में मिड–डे–मील योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नेशनल डी–वारर्मिंग डे मनाया जाता है। जिसके तहत 1 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को अल्बैंडाजोल और आयरन टेबलट मिड–डे–मील देने से दो घंटे पूर्व बांटी जाती हैं।

- मिड–डे–मील योजना के तहत काम करने वाले कुक–कम–हैल्परस को छहः महीने का मातृत्व अवकाश (बिना वेतन) दिया जाता है।
- प्रत्येक कुक सह सहायकों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अर्न्तगत पंजीकरण करवाया गया हैं।
- वर्तमान में 2,898 किचन गार्डन एम.डी.एम. के अन्तर्गत स्कूलों में बनाए गए हैं जिससे कि बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सकें।
- भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार मिड– डे–मील योजना के तहत फॉर्टिफाइड आटा, फॉर्टिफाइड ऑयल तथा डब्ल फॉर्टिफाइड सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य के सभी स्कूलों को साफ–सफाई रखने और खाने से पहले हाथ साफ करने के फायदों के बारे में जागरूक किया गया।

मिड–डे–मील सप्ताह

5.4 राज्य के सभी जिलों में हर वर्ष मनाया जाता हैं। जिसके दौरान कुछ गतिविधियाँ शामिल हैंः– रसोई की स्वच्छत, रसोईयों का मैडिकल चैकअप, एम.डी.एम.के. निरीक्षण जैसे स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी स्वास्थ्य मुद्दों के साथ समन्वय, शौचालयों का निरीक्षण, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, हाथ धोना तथा पेयजल सुविधा की जाँच की जाती है।

राष्ट्रीय पोषण माह

5.5 राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के सितम्बर महीने में मनाया जाता हैं, जिसके दौरान बुहत–सी गतिविधियाँ शामिल हैं।

- हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता हैं, बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनन्दन, छात्रों को दी जाने वाली पेट के कीड़ों की दवाई, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कुक सह–सहायकों का मेडिकल चेकअप, ब्लॉक स्तर पर मॉस्टर ट्रेनरों द्वारा कुक को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण, व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता, सभी स्कूलों में पोषण पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता।
- राज्य के सभी स्कूलों को थाली और चम्मच प्रदान किये गये हैं। इसलिए बच्चों को अपने टिफिन/कटोरे को स्कूल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें स्कूल में थाली और चम्मच प्रदान किया गया है।
- मिड–डे–मील (गर्म पका हुआ खाना) सभी जाति, पंथ, धर्म के भेद–भाव बिना सभी बच्चों को दिया जाता है, जोकि बच्चों में भ्रातृत्व की भावना पैदा करता है और सांप्रदायिक सौहार्द से मजबूत नींव रखता है। कोविड–19 के दौरान कार्यालय द्वारा स्कूल के सभी विद्यार्थियों को समय–समय पर घर जा कर स्वच्छ सील्ड पैकटस में सूखा राशन दिया जा रहा हैं। कुकिंग कोस्ट भी सभी स्कूल विद्यार्थियों को उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में राशी जमा करवाई जा रही हैं।

5.6 हरियाणा सरकार द्वारा 200 मि.ली. प्रति छात्र को प्रति दिन सूखा दुध भी बाटा जा रहा हैं। सम्बन्धित स्कूल स्टाफ द्वारा केन्द्र सरकार की हिदायतों के अनुसार सूखा राशन वितरित किया जा रहा हैं। निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी डी.सी., डी.ई.ओ., डी.ई.ई.ओ., डिप्टी डी.ई.ओ, बी.ई.ओ., बी.ई.ई.ओ. कार्यक्रम कार्यकारी और लेखा कार्यकारियों को निर्देश दिये गये कि वह यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को सूखा राशन, सूखा दूध पाउडर तथा भोजन संरक्षण भत्ता निर्बाध रूप से वितरित किया जाये। मिड–डे–मील योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियां **तालिका 5.1** में दी गई हैं।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक मुश्त नकद प्रोत्साहन योजना

5.7 यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर को भी कम करती है और ऐसे परिवार के विद्यार्थियों के कल्याण को दर्शाती है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तिय वर्ष 2021 में स्टेशनरी का सामान जैसे ज्योमैट्री बॉक्स/रंगीन पेंसिल/स्कूल बैग/वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए वर्ष में एक बार नकद प्रोत्साहन क्रमशः राशि 740 रूपये, 750 रूपये,

तालिका 5.1–मिड डे मील योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		उपलब्धियां प्रतिशत	
	भौतिकी	वित्तीय	भौतिकी	वित्तीय	भौतिकी	वित्तीय
2016–17	1707936	293.74	1602882	210.24	93.85	71.57
2017–18	1426493	305.15	1601082	271.85	112.24	89.12
2018–19	1612836	327.99	1491169	294.93	92.46	89.92
2019–20	1491169	371.15	1448024	165.46	97.11	44.58
2020–21	1448024	340.00	1430273	205.86	98.77	60.55
2021–22	1448024	430.00	–	–	–	–

स्तोत्रः– मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

960 रूपये, 970 रूपये, 980 रूपये और 1,250 रूपये दरों पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तथा छटी से आठवी तक की कक्षाओं के लिए 87,639 लाभार्थियों पर 840.14 लाख रूपये खर्च किये गये। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का कुल बजट 6,000 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 3,48,291 विद्यार्थियों के लिए 3,680.08 लाख रूपये खर्च राशि किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृति

5.8 इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को 12 मास के लिए मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है। माह में एक बार नकद प्रोत्साहन क्रमशः पहली से पांचवी तक राशि 150 रूपये लडकों व 225 रूपये लडकियों को तथा छटी से आठवी तक की कक्षाओं के लिए 200 रूपये लडकों व 300 रूपये लडकियों को प्रतिमाह प्रदान किये जाते है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के कुल बजट 15,000 लाख रूपये में से 1,599.13 लाख रूपये की राशि 2,22,522 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2021–22 के दौरान कुल बजट 15,000 लाख रूपये में से अब तक 4,37,174 विद्यार्थियों के लिए 9,344.04 लाख रूपये की खर्च राशि की गई।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. तथा बी.सी.ए. वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति प्रदान करना

5.9 इस स्कीम के अन्तर्गत बी.पी.एल. वर्ग तथा बी.सी.–ए वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 12 मास के लिए मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है। बी.पी.एल. वर्ग के 1 से 5वीं तक के छात्रों को माह में एक बार नकद प्रोत्साहन राशि क्रमशः 75 रूपये लडकों, 150 रूपये लड़कियों को तथा छटी से आठवी तक की कक्षाओं के लडकों को 100 रूपये तथा लड़कियों को 200 रूपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल बजट प्रावधान 550 लाख रूपये में से 55.80 लाख रूपये की राशि 9,958 विद्यार्थियों के लिए खर्च की जा चुकी है तथा वर्ष 2021–22 के कुल बजट प्रावधान 550 लाख रूपये में से अब तक 14,680 विद्यार्थियों के लिए 214.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इसी प्रकार बी.सी.–ए के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक खर्च 5,000 लाख रूपये में से 434.93 लाख रूपये की राशि 93,778 विद्यार्थियों के लिए खर्च की जा चुकी है तथा वर्ष 2021–22 का कुल बजट प्रावधान 5,000 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 1,93,250 विद्यार्थियों के लिए 2,615.62 लाख रूपये खर्च किये गये।

कक्षा 6 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल प्रदान करना

5.10 इस स्कीम के अन्तर्गत निःशुल्क साइकिलें अनुसूचित जाति वर्ग के केवल उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जिनके गांव में एक भी सरकारी मिडल स्कूल न हो और उन्हें दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता हो। यह योजना वर्ष 2008–09 में संचालित की गई

थी। बाद में इस स्कीम का पैटर्न बदला गया है। स्कीम के दिशा निर्देशों अनुसार विद्यार्थी पहले साइकिल खरीदेगें। सम्बन्धित मुख्य अध्यापक/प्रिन्सिपल द्वारा नए खरीदे गये साइकिल के बिलों का निरीक्षण और सत्यापन करने उपरान्त बिल सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा 2,800 रूपये वाली साईकिल का साईज़ (20 ईंज), 3000 रूपये वाली साईकिल का साईज़ (22 ईंज) सम्बन्धित विद्यार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से सीधे राशि जमा की जाएगी। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 200 लाख रूपये में से अब तक 11.21 लाख रूपये खर्च किये गये।

प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी प्रकोष्ठ

5.11 प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा के दोनों विभागों (मौलिक एवं माध्यमिक) के लिए कार्य करती है इसमें तीन पद सजृन किए गए है, मुख्य संयोजक–1 पद, राज्य प्रशिक्षण संयोजक–1 पद (मौलिक विभाग के लिए), राज्य प्रशिक्षण संयोजक–1 पद (माध्यमिक विभाग के लिए) हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए बजट कुल सैलरी बजट का 2.5 प्रतिशत रखा गया है। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत मौलिक शिक्षा के लिए बजट प्रावधान 1.70 करोड़ रूपये तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 185.94 करोड़ रूपये रखा गया।

प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी प्रकोष्ठ के उदेश्य

5.12 विभाग के सभी कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से प्रशिक्षण मोडयूलस व सामग्री का विकास सभी प्रशिक्षणों की निगरानी व मूल्यांकन समग्र वार्षिक प्रशिक्षण कैलण्डर तैयार करना। सभी प्रशिक्षण सस्थाओं के साथ संयोजन किया जाना है।

प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी प्रकोष्ठ के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

5.13 विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण का कार्य दिसंबर, 2022 तक पूरा किया जाना है जिसमें मौलिक शिक्षा विभाग के 25,000 कर्मचारियों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस सत्र के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2,118 प्रतिभागियों को 35 समूहों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

समग्र शिक्षा

5.14 समग्र शिक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत 2030 तक (प्री–स्कूल) से सीनियर सैकेन्डरी स्टेज तक समावेशी और समान गुणवता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है ताकि शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य प्राप्त हो सके। योजना का उद्वेश्य गुणवता पर प्रत्येक स्कूल शिक्षा को सर्वभौमिक बनाना है। इसका एक मुख्य उद्वेश्य प्रीनर्सरी (प्री–स्कूल) से बारहवी कक्षा तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढाने में राज्यों का सहयोग करना है।

उद्वेश्य

5.15 समग्र शिक्षा का मुख्य उद्वेश्य समान शिक्षा का प्रावधान करना, छात्रों के सीखने में वृद्वि करना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तर को कम करना, स्कूली शिक्षा के प्रावधान में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना तथा शिक्षा के व्यवसायिकरण को बढावा देना है।

बजट

5.16 वित्त वर्ष 2021–22 के लिये शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार ने वार्षिक कार्य योजना और समग्र शिक्षा के लिये कुल 1,44,277.70 लाख रूपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।

वर्दी अनुदान

5.17 पहली से आठवीं कक्षा के 10,60,461 छात्रों (सभी लड़कियां, अनुसूचित जाति के लड़के और बी.पी.एल. लड़कों) के लिए वर्दी अनुदान प्रदान करने के लिए 6,327.37

लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गई थी। यह राशि विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जारी की गई।

समग्र स्कूल अनुदान

5.18 इस योजना के अन्तर्गत 14,386 विद्यालयों को 5,534.90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। यह अनुदान दो किश्तों में प्रदान किया गया–स्कूल अनुदान का 25 प्रतिशत स्कूलों को साफ करने और कोविड–19 महामारी के कारण स्कूलों में आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया था और स्कूल अनुदान का 75 प्रतिशत बिजली और पानी के शुल्क, स्टेशनरी जैसे छोटे खर्चों, वार्षिक दिवस का उत्सव, उपकरणों की मरम्मत आदि के लिए जारी किया गया।

ब्लॉक संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.) अनुदान

5.19 ब्लॉक संसाधन केंद्र अनुदान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 198.77 लाख रुपये की राशि ब्लॉक संसाधन केंद्र अनुदान के लिए स्वीकृत की है और ये राज्य के सभी 119 ब्लॉक संसाधन केंद्रों के लिए आकस्मिकता, बैठक/टी.ए. और रखरखाव अनुदान के लिए जारी किए गए हैं।

क्लस्टर संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) अनुदान

5.20 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 735.80 लाख की राशि क्लस्टर संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) अनुदान के तहत राज्य के सभी 1,415 क्लस्टर संसाधन केंद्रों के लिए आकस्मिकता, बैठक/टी.ए. और रख–रखाव अनुदान के लिए जारी की गई।

पुस्तकालय अनुदान

5.21 प्रोजैक्ट अनुमोदित बोर्ड (पी.ओ.ए.) भारत सरकार ने 1,353.38 लाख रुपये की राशि 14,386 सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने हेतु अनुमोदित की है। 272.60 लाख रुपये का खरीद आदेश राशि आर्डर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, मैसूर को और 1,066.35 लाख रुपये नेशनल बुक ट्रस्ट को पुस्तकें खरीदने हेतु जारी किये गये हैं।

कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

5.22 इस योजना के अन्तर्गत, 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल 36 कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालयों में से 32 कार्यात्मक हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इन के.जी.बी.वी. को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। टाइप 1 में 12 के.जी.बी.वी. हैं। इन 12 में से, 8 के.जी.बी.वी. कार्यरत हैं, जिनमें कुल 602 छात्राओं का नामांकित है और शेष 4 भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। टाइप 3 में 24 के.जी.बी. वी. हैं। इन 24 में से 8 के.जी.बी.वी. कक्षा 6 से 10 के लिए क्रियाशील हैं, जिनका कुल नामांकन 697 है और शेष 16 में कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के लिए क्रियाशील हैं जिसमें नामांकन 2,283 हैं। कुल 36 केजीबीवी को शिक्षा मंत्रालय द्वारा टाइप 4 के तहत अनुमोदित किया गया। यह योजना केवल शैक्षिक रूप से पिछडे प्रखंडों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढने वाली लडकियों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए है। इन 36 में से 2 छात्रावास केजीबीवी में और 34 आरोही मॉडल स्कूल परिसर में बने हैं। 35 छात्रावास भवन का निर्माण पूरा हो गया है और एक 31–01–2022 तक पूरा हो जायेगा। राज्य में कुल नामांकन 568 के साथ 13 छात्रावास क्रियाशील हैं। शेष को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में कार्यात्मक बनाया जायेगा।

व्यवसायिक शिक्षा

5.23 व्यवसायिक शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन के लिए 14,315.33 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। राज्य में 12 कौशल वाले 1,074 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1.88 लाख छात्र नामांकित है। राज्य में कुल 2,260 व्यावसायिक प्रयोगशालायें स्थापित की जानी थीं। बी.ओ.एस.ई. भिवानी की 238वीं बैठक में माध्यमिक कक्षा के पास फॉर्मूले में अनिवार्य विषयों (गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान) के स्थान पर कौशल विषय पर विचार करने का निर्णय लिया गया। कुल 90 विद्यार्थियों ने उद्योग में रोज़गार प्राप्त किया है

और 20 विद्यार्थी उद्योग में शिक्षुता प्राप्त कर रहे व कर चुके हैं। 11 विद्यार्थियों ने उद्यमिता को चुना है।

आई.सी.टी. और डिजिटल पहल

5.24 भारत सरकार द्वारा इस खरीद को वर्ष 2019–20 में अनुमोदन मिलने उपरान्त स्कूलों के लिए 14,355 टैबलेट उपकरणों की खरीद करने पर 1,760.01 लाख रुपये की लागत आई है। इसके अलावा 2020–21 में स्वीकृत 3,649.136 लाख रुपये के 1,741 डिजिटल बोर्ड भी 739 स्कूलों को उपलब्ध करवाये गये।

समावेशी शिक्षा तथा पर्वतारोहण अभियान

5.25 प्री–प्राइमरी से 12वीं कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के प्रावधान के तहत 1,373.41 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में दिनांक 27–09–.2021 से 11–10–2021 तक डी,एस,ई, हरियाणा और नेशनल एडवेंचर क्लब, चंडीगढ़ के सहयोग से चयनित विशेष शिक्षकों के साथ 25 दिव्यांग छात्रों के लिए माउंट युनाम 6,111 मीटर पर पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। डीएसई के सहयोग से चयनित विशेष शिक्षकों के लिए 4 बैचों में 12–10–2021 से 11–11–2021 तक मनाली, हिमाचल प्रदेश में साहसिक प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राष्ट्रीय साहसिक क्लब, चंडीगढ़ और हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के माध्यम से डीएसई, हरियाणा के सहयोग से मल्लाह/भूरी/टिक्कर ताल पंचकूला में 09–10–2021 से 06–12–2021 तक चयनित 240 विशेष शिक्षकों के साथ 1,420 दिव्यांग छात्रों के लिए जिला स्तरीय शीतकालीन साहसिक महोत्सव आयोजित किया गया।

हुनर एक पहल

5.26 दिव्यांग छात्रों के लिए ब्लॉक स्तर पर 120 वीटा बूथ खोलने के लिए प्रति वीटा बूथ 1.50 लाख रुपये की राशि की दर से 180 लाख रुपये प्रदान किये गये। ये वीटा बूथ हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पंचकूला द्वारा स्थापित किए जाएंगे और स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किए जाएंगे जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के दिव्यांग छात्र/सामान्य छात्र शामिल होंगे, साथ ही संबंधित प्राचार्य व दिव्यांग छात्रों के माता–पिता की देखरेख में कार्य करेंगे।

स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण

5.27 स्कूल से बाहर के बच्चों (पहले नामांकित और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले) को उम्र उपयुक्त कक्षा में मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स) प्रदान करके स्कूल के समकक्ष छात्रों के बराबर बनाने के लिए नामांकित करना। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पी.ए.बी.ने 9 महीनों के गैर–आवासीय विशेष प्रशिक्षण 29,097 प्रमाणित (ओ.ओ.एस.सी.) के लिए 1,309.36 लाख रुपये और अवलोकन गृहों में रहने वाले 173 किशोर (कैदियों) के लिए 10.38 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

स्कूल स्तर पर छात्रों की कुशलता और सुरक्षा पर शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम

5.28 स्कूली बच्चों की कुशलता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को उन्मुख करने के लिए, पीएबी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 58,401 प्राथमिक शिक्षकों के लिए 292.005 लाख रुपये की राशि तथा 27,843 माध्यमिक शिक्षकों के लिए 139.215 लाख की राशि अनुमोदित की गई। सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए एक मॉड्यूल तैयार किया गया। शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, कलस्टर एवं स्कूल स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

स्कूली बच्चों के लिए कुशलता और सुरक्षा कार्यक्रम (कोविड–उपयुक्त व्यवहार के लिए अभियान)

5.29 स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, पीएबी ने 11,049 प्राथमिक विद्यालयों के

लिए 220.98 लाख रुपये और 3,337 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 66.74 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न संबंधित विभागों–स्वास्थ्य, पुलिस, रेड क्रॉस, डब्ल्यूसीडी और राजस्व और आपदा को शामिल करते हुए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सर्वोत्तम उपकरण/वस्तुओं की पहचान की गई। 2,000 रुपये प्रति स्कूल की दर से प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स खरीद करने उपरान्त और रखरखाव के लिए प्रत्येक स्कूल को भेजा गया है। इसमें बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए 24 महत्वपूर्ण सामग्री हैं। इसके उपयोग के संबंध में निर्देश सभी स्कूलों के साथ साझा किये गये हैं।

निःशुल्क परिवहन सुविधा

5.30 पंचकूला (मोरनी प्रखंड) एवं मेवात जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 92.85 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मेवात एवं पंचकूला जिले के 3,095 विद्यार्थियों को 5 माह तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 92.85 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिशा–निर्देश सहित डी.पी.सी. एवं संबंधित प्राचार्यों को भेजी गयी है।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण

5.31 युवा लड़कियों को आत्मरक्षा की विशेष तकनीक सिखाने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण) दिनांक 8–11–2021 को राज्य के सभी जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में के. जी.बी.वी. सहित 4,047 राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस गतिविधि के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए 444.45 लाख रुपये तथा प्राथमिक विद्यालयों के लिए 162.60 लाख (कुल 607.05 लाख रुपये) के बजट की मंजूरी दी है।

शिक्षक प्रशिक्षण

5.32 सेवारत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के लिए ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण हेतु 349.33 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। एस.सी.ई.आर.टी., गुरुग्राम द्वारा 34,933 माध्यमिक शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार निष्ठा 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पढ़े भारत बढ़े भारत

5.33 इस घटक के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं और इन गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है

- **पठन प्रोत्साहन सप्ताह (कक्षा 1 से 12):** बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलों के स्कूलों में गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करने हेतु 12,005 स्कूलों के लिए 118.91 लाख रुपये की राशि जारी की गई। स्कूलों में यह गतिविधियां चल रही हैं।
- **गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाने के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता:** भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार, मई, 2021 से फरवरी, 2022 तक कक्षा 6 से 12वीं के लिए पांच स्तरों (यानी स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय) पर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाने के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके लिए 1.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई। जिला स्तर तक गतिविधि पूरी कर ली गई है। राज्य स्तर पर इसका आयोजन जनवरी, 2022 में होना है।
- **मिलन (स्कूल भागीदारी कार्यक्रम):** बच्चों के बीच सौहार्द की भावना को बढावा देने के लिये टवीनिंग कार्यक्रम सरकारी व प्राईवेट स्कूलों में किये जा रहे है। इस कार्यक्रम के लिये 5,718 स्कूलों में 114.36 लाख रूपये जारी किये गये। फिलहाल गतिविधि चल रही है।
- **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021:** राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का आयोजन, कक्षा 3, 5, 8 और 10 का मूल्यांकन 12 नवंबर, 2021 को सभी प्रबंधन के 3,239 सैंपल

वाले स्कूलों में किया गया, जिसमें 99,417 विद्यार्थी शामिल हुए। कुल 4,931 फील्ड जांचकर्ताओं (एफ.आई.) ने मूल्यांकन किया जिसकी निगरानी संबंधित अतिरिक्त उपायुक्तों द्वारा नामित 36 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा की गई थी। लगभग 5,800 सत्यापित वित्तीय संस्थाओं और 75 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिलों को 10.36 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

- **उपचारात्मक शिक्षणः** कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया और परीक्षण प्रारूप से परिचित कराने के लिए एससीईआरटी द्वारा डिजाइन किए गए अभ्यास पत्र के आधार पर उपचारात्मक अभ्यास के दो दौर आयोजित किए गए। संकल्प कार्यक्रम के तहत 2021–22 में अभ्यास पत्रक की फोटोकॉपी/मुद्रण के लिए 49.35 लाख रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कार्य पुस्तिकाओं की छपाई और आपूर्ति के लिए 35.86 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

5.34 लिंग समानता–जीवन कौशल विकास शिविर (शीतकालीन शिविर)

- चयनित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए थीम आधारित जीवन कौशल गतिविधियाँ आयोजित की गई। शीतकालीन अवकाश के दौरान 2,677 स्कूलों में शिविर आयोजित करने के लिए जिलों को 96.68 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- **स्थानीय रोल मॉडल के साथ बातचीतः** संबंधित जिलों के एडीसी द्वारा नामित स्थानीय रोल मॉडल के साथ कक्षा 6 से 12वीं के लिए छात्राओं की बातचीत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए जिलों को 89.25 लाख रुपये की राशि जारी की गई। गतिविधि क्रियान्वित है।
- **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमः** 83.43 लाख रुपए के बजटीय प्रावधान में से 67 लाख रुपए की राशि स्वास्थ्य और वेलबीइंग एम्बैस्डर (प्रति विद्यालय दो शिक्षक एच.डब्ल्यू.ए. के रूप में नामित हैं) और 3,816 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 15 जिलों को जारी की गई। फिलहाल प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा, स्कूली शिक्षकों और छात्रों के लिए उनके द्वारा मुद्रित 3 मॉड्यूल के 17,700 शीर्षकों की आपूर्ति के लिए एन.सी.ई.आर.टी. को 14.87 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- **सेनेटरी नैपकिन इंसीनरेटरः**–वर्ष 2020–21 में अनावर्ती अनुदान के तहत 1,861 विद्यालयों में इंसीनरेटर एवं नैपकिन वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिए 558.30 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया जिसकी खरीद का कार्य प्रगति पर है।
- हरियाणा राज्य नीति 2020 के तहत कर्मचारियों का गैर–शैक्षणिक प्रशिक्षणः एच. आई.पी.ए. द्वारा 2020–21 में 1991 के लेखा अधिकारियों, बी.आर.पी.,ए.बी.आर.सी., लेखा सहायक, लेखाकार–सह–सहायक कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर–सह–क्लर्क के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण पर 43.30 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2021–22 में 79 सहायक परियोजना समन्वयकों के लिए दो बैच में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 76 ए.पी.सी. ने भाग लिया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

5.35 इस स्कीम के अन्तर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत सरकार को प्रगतिशील हुये 75 साल हो गये है और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को समझने और मनाने की एक पहल है। इस महोत्सव के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, सम्मेलन, भाषण,

वाद–विवाद, वार्ता और वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत, कैथल, करनाल कुरुक्षेत्र के उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों ने 12–03–2021 को 5 ऐतिहासिक स्थलों (पुरातत्व और संग्रहालय हरियाणा विभाग द्वारा चयनित) का दौरा किया। सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भारत सरकार के वेबपेज पर 'राष्ट्रगान' कार्यक्रम के गायन में भाग लिया।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.ए.ए.)

5.36 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 14 नवंबर, 2015 को विज्ञान और सीखने के संवर्धन कार्यक्रम (एल.ई.पी.) में रुचि लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया। आर.ए.ए. छात्रों को लीक से हटकर सोचने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे अवधारणा को व्यावहारिक रूप से समझ सकें और करके सीखने की पद्धति को अपना सकें। कक्षा 1–2,6–8,9–10 व 11–12 के छात्रों के लिए पीएबी द्वारा विभिन्न गतिविधियों को मंजूरी दी गईं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए वर्ष 2021–22 में आर.ए.ए. की छत्रछाया में 1,070.23 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

माध्यमिक शिक्षा आई.सी.टी. स्कीम

5.37 वित्तीय वर्ष 2020–21 में 47.82 करोड़ रुपये खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, 80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से 39.16 करोड़ रुपये दिनांक 31–10–2021 तक का खर्च किये गये।

खेलकूद

5.38 वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय चौंपियनशिप के लिए 150 लाख रूपये का बजट प्रदान किया है। सरकार ने उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल उपकरण खरीदने और खेल के मैदान के रख–रखाव के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 400 लाख रुपये के बजट को भी मंजूरी दी है।

बुक बैंक

5.39 वर्ष 2021–22 में, राज्य सरकार नें सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों में पुस्तकों की खरीद के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है।

पैंशन

5.40 राज्य सरकार नें निजी तौर पर सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पैंशन योजना शुरू की है। अंशदायी भविष्य निधि के एवज में 212 उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सहायता प्रदान की गई। दिनांक 11–05–1998 तक लगभग 3,143 कर्मचारी इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान 74.80 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी प्रदान किया गया है।

विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षा

5.41 विद्यार्थी और शिक्षक के समय और प्रयास को बचाने के लिए 'मासिक मूल्यांकन परीक्षण' आयोजित करने की पिछली प्रथा को 'विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षा' से बदल दिया गया है। कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 'छात्र मूल्यांकन परीक्षा' तिमाही आयोजित की जाती है। विभाग की इस पहल का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करना है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को विभाग के एम.आई.एस. पोर्टल पर भरा जाता है। इस वर्ष कोविड–19 महामारी के कारण कक्षा पहली से 8वीं, 9वीं तथा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए 'अवसर' ऐप पर फरवरी के महीने में सैट शुरू किया गया है।

सुपर 100

5.42 "सुपर 100" नाम का कार्यक्रम मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि सरकारी स्कूल के छात्रों को निजी स्कूलों के बराबर किया जा सके और इन छात्रों को

आई.आई.टी./जे.ई.ई. जैसी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके। एन.ई.ई.टी. आदि प्रायोगिक परियोजना के रूप में सीएसआर पहल के तहत सत्र 2018–20 के लिए रेवाड़ी में 'विकल्प फाउंडेशन' और चंडीगढ़ में 'ए.सी.ई. ट्यूटोरियल' के सहयोग से 2 जिलों में चलाया जा रहा है। सत्र 2019–2021 के लिए 'सुपर 100' कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए 'एलेन करियर इंस्टीट्यूट' और 'लक्ष्य' ने रुचि दिखाई है।

5.43 सत्र 2020–22 के लिए सुपर 100 कार्यक्रम को चार केंद्रों अर्थात करनाल केंद्र, हिसार केंद्र (नए केंद्र) और पंचकुला, रेवाड़ी (मौजूदा केंद्र) में विस्तारित किया गया है। सुपर 100 कार्यक्रम में नया पंख जोड़ा जाता है जब बैच 2018–20 के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय परिणाम दिए, 25 छात्रों ने जेईई (एडवांस) उत्तीर्ण किया और आईआईटी बॉम्बे, आई.आई.टी. गुवाहाटी, आई.आई.टी. दिल्ली आई.आई.टी. रूपनगर आदि जैसे विभिन्न आई.आई.टी. में प्रवेश प्राप्त किया। 73 छात्रों ने एन.ई.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण की है और एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.डी.एस. और विभिन्न अन्य पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है। बैच 2019–21 के छात्रों ने भी जेईई एडवांस–2021 और एन.ई.ई.टी–2021 में उल्लेखनीय परिणाम दिखाया है, कार्यक्रम के 28 गैर–मेडिकल छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है और विभिन्न आई.आई.टी. और मैडिकल स्ट्रीम के 64 छात्रों में प्रवेश प्राप्त किया है। बैच ने नीट 2021 क्वालीफाई किया है। मैडिकल स्ट्रीम के 64 छात्रों में से 20 छात्रों को संभवतः सरकार में एम.बी.बी.एस. में प्रवेश मिलेगा। राज्य के मैडिकल कॉलेजों और अन्य को बी.ए.एम.एस., बी.डी.एस. और विभिन्न अन्य पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया सकता है।

स्वच्छ प्रांगण

5.44 3,447 ईको क्लबों को मजबूत करना और सभी सरकारी क्षेत्रों में नये ईको क्लबों की स्थापना करना है। पर्यावरण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग आदि के अभिसरण से राज्य के मध्य/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालय/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 8 लाख छात्र इससे लाभान्वित हुए।

तालिका 5.3–वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यक्रम/योजनावार बजट, लक्ष्य, खर्च व उपलब्धियां

(नवम्बर, 2021 तक)

योजना का नाम	बजट प्रावधान (लाख रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	खर्च (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धियां
क) राजीव गांधी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करना।	159.46	20000	42.66	4266
ख) पंजाब मैरिट छात्रवृति स्कीम	0.54	60	0.26	29
ग) हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्रदान करने बारे।	25.00	4000	11.76	653
घ) एक मुश्त भत्ता स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	3000.0	250000	0.00	शून्य
ड) अर्द्धमासिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	7500.00	250000	18.86	545
च)नेशनल टैलेंट सर्च छात्रवृति स्कीम	14.00	25500	5.83	28500

छ) नैशनल–मीन्स–कम मैरिट छात्रवृति स्कीम–सी.एस.एस. प्लान।	5.00	2337	5.00	12000
ज) मासिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. वर्ग के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	500.00	37000	0.00	शून्य
झ) मासिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.सी.ए. वर्ग के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	2500.00	170000	00.26	6
ञ) स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों एवं दौहता–दौहतियों को मासिक छात्रवृति प्रदान करने बारे कक्षा पहली से 12वीं तक।	4.00	200	0.11	5
ण) कक्षा 9वीं से 11वीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को मुफत साईकिलें उपलब्ध करवाना।	1000.00	35000	351.36	10657
ट) मुफत लैपटाप प्रदान करना।	250.00	500	0.00	शून्य
ठ) छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना	500.00	13000	58.65	5017

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

उच्चतर शिक्षा

5.45 हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सेवा योग्य बनाना, राज्य सरकार का एक प्रमुख रूझान है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षों में प्रभावशाली वृद्वि देखी है। यह प्रवृति अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहने के आसार है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा में क्षमता और गुणवत्ता को बढाने और सुधारने के लिए कई उपाय किये हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश, गुणवत्ता, निष्पक्षता और स्थिरता मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिस पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। हरियाणा में उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण राज्य की मानव संसाधन क्षमता को निष्पक्षता और समावेशन के साथ पूर्ण रूप से महसूस करना है।

5.46 इस वर्ष के दौरान राजकीय महाविद्यालय चरखी दादरी नामक 1 नया राजकीय महाविद्यालय शुरू किया गया है। कुल 173 राजकीय महाविद्यालयों में से 69 महाविद्यालय विशेष रूप से लडकियों के लिए है। विभाग लडकियों के लिए विशेष रूप से अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक लडकियों की पहुंच तक सुनिश्चित की जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त 97 महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित हैं, जिनमें से 35 कॉलेज लडकियों के लिए है।

5.47 उच्चतर शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाना चाहता हैं। हरियाणा सरकार ने सरकार स्वामित्व वाली और संचालित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के विस्तृत ढांचे के निर्माण में भारी संसाधनों का निवेश किया है साथ ही हमारे सामयिक और सक्रिय हस्तक्षेप ने निजी क्षेत्र को नागरिकों में शिक्षा फैलाने में सहयोग देने के लिए साझेदारी के लिए प्रोत्सहित किया है। राज्य के सभी कोनों में सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई।

5.48 उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय, अराजकीय एवं

स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में ऑनलाईन दाखिले किए गये। शैक्षणिक सत्र 2021–22 में 1,64,178 नए दाखिले किये गये। राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार किया गया तथा इसे वैब पोर्टल पर अपलोड किया गया। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों में पढाई करने वाले छात्रों की नियुक्तियों में वृद्वि करने के लिए पूरी तरह केन्द्रित है। इसके अलावा विद्यार्थियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

5.49 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) सैक्टर–23, पंचकुला कपड़ा मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जा रही हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचुकला का निर्माण कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा प्रगति पर है तथा 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूरा होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पंचकुला के निर्माण के लिए 28.75 करोड़ रूपये वित्त वर्ष 2021–22 में जारी किये गये है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

5.50 भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना गांव किलोहड जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी अतिथि कक्षाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के परिसर में शैक्षिक सत्र 2014–15 से शुरू की गईं थी। शैक्षिक सत्र 2019–20 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजूकेशन सिटी सोनीपत में शुरू की गई है। संस्थान की चार दिवारी का निमार्ण कार्य प्रगति पर है। विकास एवं पंचायत विभाग के पृ0 क्रमांक एस.बी.ए.–3–2020/42846–51, दिनांक 30–05–2020 के द्वारा भूमि के स्थानान्तरण हेतु संशोधित स्वीकृति जारी की गई। भारतीय सूचना प्रौधोगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना के लिए भूमि की कीमत की ऐवज में तीसरी किस्त के रूप में 579.83 लाख रूपये ग्राम पंचायत,किलोहड (सोनीपत) को वित्त वर्ष 2021–22 में जारी किये गये।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय

5.51 मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 89 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना–राज्य में 7 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थान एम.एच.आर.डी, भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु 12.30 करोड़ रूपये (8 करोड़ रूपये भवन निर्माण तथा 4.30 करोड रूपये साजो–सामान) की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 73.64 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में प्रदान किये गये हैं तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

5.52 12 सरकारी बहुतकनीकियों को एम. एच.आर.डी./एम.एस.डी.ई., भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा बहुतकनीकियों का अपग्रेडेशन नाम से कवर किया गया है, जिसमें 200 लाख रूपये (प्रति बहु–तकनीकियों) एम.एच.आर.डी. द्वारा बहु–तकनीकियों की प्रयोगशाला एवं कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा कम्पयूटर सिस्टम आदि की खरीद के लिए रखा गया है। एम.एच.आर.डी. की तकनीकी समिति ने 12 बहुतकनीकियों के लिए 2,235 लाख रूपये अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता हैं कि एम.एच.आर.डी. ने अब तक

1,481 लाख रूपये जारी किये है जिसमें से लगभग 1,150 लाख रूपये खर्च हो चुके है और बकाया राशि को मशीनों एंव उपकरणों की खरीद हेतू उपयोग किया जायेगा।

अनुसूचितजाति के छात्रों को मुफत पुस्तकों की आपूर्ति

5.53 यह अनुसूचित जाति विशेष घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। लाईब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदी जाती है और एस.सी. छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत 100 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

अनुसूचितजाति के छात्रों के लिए कम्पयूटर लैब्स की स्थापना

5.54 यह अनुसूचित जाति विशेष घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत 50 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचितजाति के छात्रों के आई.टी.कौशल में सुधार के लिए कम्पयूटर लैब स्थापित करने के लिए कम्पयूटर सिस्टम और सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद की जाती है।

सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन

5.55 23 मौजूदा सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन स्वर्ण जयंती योजना के तहत वर्ष 2016–17 से चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2021–22 के दौरान 5 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.)

5.56 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) योजनायें राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित और कार्यान्वित की जाती है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़ावर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उनके पोस्ट मैट्रिक/माध्यमिक पाठयक्रमों को आगे बढ़ानें के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 1944 में और ओबीसी छात्रों के लिए 1998–99 में योजनायें शुरु की गई थी। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। अनुसूचितजाति और अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय क्रमशः 2.50 लाख (2013–14 से) और 1 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र थे। ओबीसी छात्रों के लिए आय सीमा सितंबर, 2018 से 1 लाख से 1.50 लाख तक संशोधित की गई थी। ओबीसी छात्रों के लिए आय सीमा फिर से सत्र 2020–21 से 1.50 से 2.5 लाख तक संशोधित की गई है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक का बजट विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2–वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक का बजट विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट	नन–रैकरिग बजट प्लान	रैकरिग बजट प्लान
2017–18	38600	41400 (2800 लाख रूपये केन्द्रीय हिस्सा)	7384.00
2018–19	17810	18660 (850 लाख रूपये केन्द्रीय हिस्सा)	29635.10
2019–20	16276	16946 (670 लाख रूपये केन्द्रीय हिस्सा)	34326.00
2020–21	24600	25270 (670 लाख रूपये केन्द्रीय हिस्सा)	45234.11
2021–22	24800	25270 (670 लाख रूपये केन्द्रीय हिस्सा)	45234.11

स्त्रोतः– तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा।

सी.डी.टी.पी. योजना

5.57 इस योजना में 16 सरकारी और सहायता प्राप्त बहुतकनीकों में 3 से 6 महीने की अवधि के विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रक्षिशित करने के लक्ष्य के साथ परिचालित है। यह 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। जब भी कौशल विकास और उद्वमिता मंत्रालय (एम. एस.डी.ई.) भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है, उसे सम्बन्धित संस्थानों को स्थानातरित कर दिया जाता है। कौशल विकास और उद्वमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) द्वारा जारी किया जाने वाला अनुदान तय नहीं है। हर साल बजट प्रावधान अस्थायी रूप किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान 700 उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

5.58 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 180 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (147 सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान), 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में एक वर्षीय व दो वर्षीय सर्टिफिकेट व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से सरकारी व प्राईवेट आई. टी. आई. की संख्या बढ़ रही है।

5.59 वर्ष 2021–22 में 180 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 80,168 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे है। जिनमें 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए तथा शेष संस्थानों में सहशिक्षा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लडकियों के लिए आरक्षित है। 180 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 47,776 सीटों की क्षमता के साथ चलाये जा रहे है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। वर्षवार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या **तालिका 5.4** में दी गई है तथा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के बजट की स्थिति **तालिका 5.5** में दी गई है।

तालिका 5.4–वर्ष वार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

शैक्षणिक सत्र	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	कुल
2017–18	156	–	232	388
2018–19	167	–	242	409
2019–20	172	–	246	418
2020–21	172	–	242	414
2021–22	180	7	225	412

तालिका 5.5–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के बजट की स्थिति

वित्त वर्ष	कुल संशोधित बजट प्रावधान (रूपये लाख में)	ऑनलाईन खर्चा (रूपये लाख में)	खर्चा प्रतिशत
2016–17	41716.90	33822.42	81.08
2017–18	45871.41	41659.51	90.82
2018–19	50283.30	40809.91	81.16
2019–20	68603.25	57322.08	83.56
2020–21	56445.73	52944.81	93.80
2021–22 (मूल बजट प्रावधान प्रथम सप्लीमेंटरी बजट करोड़ 250 सहित)	111797.45	43942.65	39.31 (31–01–2022 तक)

स्त्रोतः कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

5.60 प्रशिक्षार्णिथियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 57 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडशन हेतू 34 उद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। इन संस्थानों के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकिय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसायटियों का गठन किया गया, जिसमें 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल किये गये है।

कोविड–19 के दौरान उठाए गए कदम

5.61 कोविड–19 के प्रसार के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) को मार्च, 2020 से नियमित शिक्षण बंद करना पड़ा। विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गये।

- विभाग द्वारा छात्रों के सीखने को जारी रखने के लिए अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2021 तक छात्रों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा के लिए ऑनलाईन कक्षाएं शुरू की गई थी।
- आई.टी.आई. में चलने वाले 78 व्यवसायों के सैद्वांतिक विषयों की ई–लर्निंग सामग्री चिन्हित की गई। सभी आई.टी.आई. के प्रशिक्षकों द्वारा एक व्यापक विषय–वार योजना तैयार की गई और सभी संबंधित सामग्री संकलित की गई। पूरी सामग्री को विभाग की वेबसाइट पर डाला गया ताकि प्रशिक्षणार्थी किसी भी समय इसे देख सकें।

फ्लैगशीप कार्यक्रम व योजनायें कौशल भारत मिशन

5.62 यह भारत सरकार की एक पहल है जो देश के युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जो उन्हें अपने काम के माहौल में अधिक रोजगारपरक और अधिक उत्पादक बनाते है। भारत आज एक ऐसा देश है जिसका 65 प्रतिशत युवा कामकाजी आयुवर्ग में है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

5.63 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016–20 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना है। यह एक अनुदान–आधारित योजना है, जो युवाओं को रोजगार बढाने के लिए 350 से अधिक कार्य भूमिकाओं में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा राज्य में लागू की जा रही है। इस योजना की वर्षवार विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना (एन.ए.पी.एस.)

5.64 मंत्राालय ने देश में मांग–संचालित और उद्योग से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। अप्रेंटिसशिप मांग संचालित मॉडल का मूल है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के फोकस क्षेत्रों में से एक है। शिक्षुता अधिनियम, 1961 भारत में शिक्षुता को नियंत्रित करता है। बदलते परिदृश्य के साथ समय–समय पर अधिनियम और नियमों में सुधार लाने के साथ–साथ वर्ष 2014 में नवीनतम सुधार किए गए है। भारत में शिक्षुता को आगे बढाने और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना शुरू की गई। हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अभिनव पहल करके देश में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और वर्ष 2017 में देश में राज्य जनसंख्या के प्रति लाख में 76 अप्रैंटिस के उच्चतम अनुपात की उपलब्धि पर भारत सरकार से चैंपियन ऑफ चेंज'' अवार्ड जीता है। वर्ष वार शिक्षुता की स्थिति का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डी.एस.टी.)

5.65 प्रशिक्षुओं को उद्योग की प्रासंगिक व्यवहार का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य में दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के आई.टी.आई. पाठ्यक्रम में 3–6 महीने की अवधि का और दो वर्षो के

पाठ्यक्रम में 6–12 महीनों में व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उद्योगों में प्रदान किया जाता है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में दाखिले के लिये सत्र 2021–22 में 57 सरकारी आई.टी.आई. ने 29 विभिन्न ट्रेडों की 190 इकाइयों में 136 उद्योगों के साथ डी.एस.टी. समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये है। डी.एस.टी. के तहत दिये गये उद्योग के प्रासंगिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप, एक वर्ष की अवधि के ट्रेडों के लगभग 81 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट ऑफर मिले, जबकि पारंपरिक प्रशिक्षण प्रणाली में केवल 25–30 प्रतिशत प्लेसमेंट होते है।

तालिका 5.6–वर्ष वार शिक्षुता की स्थिति

वित्तीय वर्ष	नमांकित अप्रैंटिसशिप की संख्या	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या
2016–17	17701	1868
2017–18	19392	7638
2018–19	23831	1511
2019–20	20617	663
2020–21	24571	1244
2021–22	14387	78
कुल जोड़	**120499**	**13002**

स्त्रोतः कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका 5.5–वर्ष वार प्रधानमंत्री कौशल विकास–सूर्या योजना का विवरण

योजना का नाम	वर्ष	लक्ष्य	नमांकित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	मूल्यांकन किए गए व्यक्तियों की संख्या	प्रमाणित प्रशिक्षुओं की संख्या	रखी गई प्रशिक्षुओं की संख्या
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम के.वी.वाई.)	2016–20	38560	36029	30929	25294	21949	6478
	2021–22 (31–12–2021) तक	2058	2028	1358	815	387	11
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर. पी. एल)	2021–22 (31–12–2021) तक	4400	2755	2455	1117	0	0
कोविड योद्वाओं के लिए अनुकूलित कैश कोर्स कार्यक्रम (पी. एम के. वी. वाई.)	2021–22 (31–12–2021) तक	496	256	156	156	0	0
कौशल से कौशल और कौशल बनाए गए युवाओं का मूल्यांकन (सूर्या)	2017–22 (7–2–2022) तक	78697	37677	32417	26545	22410	6385
चालक प्रशिक्षण	2018–22 (7–2–2022) तक	5000	4952	4764	3386	3284	
सूर्य के तहत पूर्व शिक्षा (आर.पी.एल.) की मान्यता	2019–20	2000	55	55	55	48	

स्त्रोतः कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.66 इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया और इस के स्तम्भों के विजन के अनुरूप विभिन्न आई.टी. पहलों को शुरू किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल का विवरण नीचे दिया गया है।

ई–खरीद

5.67 जिसका उद्देश्य खाद्यान्न खरीद प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाना

है। अब तक इस प्लेटफार्म के माध्यम से लगभग 10 लाख गेट पास जारी किये जा चुके हैं और किसानों को अदायगी करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अदायगी फाइलें बैंक को भेजी गई हैं।

जन सहायक एम. शासन पहल

5.68 सभी विभागों ने नागरिकों के लिए (जी 2 सी) सेवाओं को राज्य स्तरीय मोबाइल प्लेटफार्म के लिए हरियाणा ने गेटवे टू गवर्नमेंट की अवधारणा को नया रूप दिया है। यह नागरिकों को एक ही स्थल पर उपलब्ध करवाने की एक सरकारी पहल है तथा इसके द्वारा आपातकालीन हैल्पलाइन और अन्य सूचना सेवाएं दी गई है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान (एम.एम.ए.पी.यू.ए.)

5.69 इस अभियान का उद्देश्य राज्य की ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। परिवार पहचान पत्र आंकड़ा आधार (पीपीपी) में उपलब्ध आय विशेषताओं के आधार पर पहचान की गई है। अब तक मोबाइल एप के माध्यम से 96,808 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

अंत्योदय सरल

5.70 सरल ने पूर्णतः डिजिटाइजेशन के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस समय हरियाणा में 45 विभागों/बोर्डों/निगमों की 557 राज्य सरकार से नागरिक (जी 2 सी) सेवाएं/स्कीमें सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

कैशलैस हरियाणा

5.71 हरियाणा कैशलेस समेकित पोर्टल विकसित और शुरू किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना और कम नकदी समाज का निर्माण करना है। अब तक 483.32 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किया जा चुका है।

बी1–लोअर स्कूल प्रवेश परीक्षा पोर्टल

5.72 यह अत्याधुनिक पोर्टल बिना चाबी की परीक्षा की तरह, वास्तविक समय के परिणाम, विषय स्तर पर प्रश्न बैंक का रैन्डमाइजेशन और कस्टम डैषबोर्ड के साथ उच्च मात्रा में सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ दी गई हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें 15,000 से अधिक (2018 बैच में 8,000+ और 2019 बैच में 6,200+) पुलिस अमले ने परीक्षा दी है।

उमंग

5.73 हरियाणा राज्य वर्ष 2018–19 में उमंग प्लेटफॉर्म पर सेवायें देने वाला पहला राज्य है। प्रारंभ में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विकसित राजस्व और आपदा प्रंबधन की 15 सेवायें, परिवहन विभाग की 3 सेवायें, पीएचईडी की 5 सेवायें और सरल स्थिति ट्रैकिंग की 2 सेवायें उमंग ऐप पर एकीकरण की गई थी।

हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल

5.74 इस पोर्टल का उपयोग राज्य के नागरिकों को हरियाणा की विस्तृत वित्तीय व बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जैसे हरियाणा ब्याज माफी स्कीम–विभिन्न ब्याज दरों पर ऋण स्कीम, शिशु ऋण (मुद्रा स्कीम) और शिक्षा ऋण, हरियाणा बैंक स्लॉट बुकिंग व घर पर नकदी का वितरण।

स्वस्थ हरियाणा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप

5.75 एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप का प्रयोग करके इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण के लक्षणों वाले मरीजों का घर–घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए यह विकसित किया गया है। आज तक 21,580 सर्वेक्षकों ने मोबाइल सर्वे का प्रयोग किया है और 6.73 लाख से भी अधिक परिवारों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया है।

कोविड संघर्ष सेनानी पोर्टल

5.76 नागरिकों को सेवायें प्रदान करने और कोरोना वायरस से लड़ने में सहायता करने के लिए अभी तक 77,500 करियाना/सब्जी/

दूध/दवाइयों की दुकानों के मालिकों और 89,925 से अधिक स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया जा चुका है।

हरियाणा कोविड सेम्पल रिपोर्ट पोर्टल

5.77 राज्य भर से कोविड–19 लैब द्वारा जांच किये गये सैम्पल को इस पोर्टल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस समय पोर्टल पर 23 (14 राजकीय + 9 निजी) लैब पंजीकृत हैं और 3 लाख से अधिक मरीजों के सैम्पलों की जांच की गई है। इन पोर्टलज के अलावा, 20 से अधिक, अतिरिक्त पोर्टलज विकसित किये गये है।

5.78 अन्य अनुप्रयोग

- **मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.):** किसानों द्वारा बोई गई फसल की सूचना सहित भूमि और बैंक खाते की जानकारी स्वयं देने के लिए एन.आई.सी. हरियाणा द्वारा एम.एफ.एम.बी. विकसित किया गया है।
- **अटल सेवा केन्द्रः** राज्य में 18,522 अटल सेवा केन्द्र (12,845 ग्रामीण क्षेत्रों में और 5,707 शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत किये गये हैं)।
- **ई–कार्यालयः** ई–कार्यालय क्रियान्वित किया गया है और आज तक 92 विभागों व क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 22 जिलों के 22,287 कर्मचारी ई–कार्यालय पर काम कर रहे हैं। 4 लाख ई–फाइल और ई–रिसिपिट्स सृजित की गई हैं और 17 लाख से अधिक ई–फाइल और ई–रिसिपट्स भेजी गई हैं।
- **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.एम.बी. बी.वाई.) पोर्टलः** यह पोर्टल खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बागवानी किसानों द्वारा बीमा करवाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है।
- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉक चैनः** हरियाणा सरकार एसटीपीआई गुरुग्राम में 10,000 वर्ग फुट में अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। एस.टी.पी.आई. और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है।
- **आधार (यू.आई.डी.ए.आई.) सेवाएंः** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग हरियाणा एक नोडल अभिकरण व समस्त आधार एयूए सेवाओं का प्रबंध करता है और राज्य के 25+ उप एयूए विभागों की सहायता करता है और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों पर चलते हुए विभागों की क्षमता का निर्माण करता है।
- **मोबाइल एस.एम.एस. सेवाएंः** एस.ई.एम.टी. सी.डी.ए.सी. के माध्यम से प्रदत्त सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग हरियाणा एस.एम.एस. गेटवे का प्रबंधन करता है और प्रयोगकर्ता विभागों के 70+ अनुप्रयोगों की आवश्यकता की पूर्ति की गई है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 27 करोड़ एस. एम.एस. इस गेटवे के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।
- **एक बार पंजीकरण पोर्टलः** वैब आधारित एकीकृत कार्य प्रवाह प्रणाली जिसमें आवेदक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों और अराजपत्रित शिक्षक के पदों के लिए एकमुश्त पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 11 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
- **वाई–फाई हॉटस्पॉट सुविधाः** ग्राम पंचायतों में 8,468 वाई–फाई हॉटस्पॉट लगाकर यह सुविधा प्रदान की गई है।
- **इन्क्यूबेशन सेंटर्स/स्टार्टअप हबः** गुरुग्राम में 1,20,000 वर्ग फुट क्षेत्र पर एक नवाचार एवं स्टार्टअप हब पूर्णतः संचालित है। इसमें विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप परिस्थिति हितधारकों, जिसमें नेटकाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थींग्स (सीओई–आईओटी) की सुविधाएं प्रदान करता है।

- **डिजिटल लॉकरः** डिजिटल लॉकर को अपनाने में हरियाणा सरकार अग्रणी है। इस समय भारत सरकार की डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का डिजिटल तरीके से सत्यापन के लिए 9 विभागों के 26 दस्तावेज उपलब्ध हैं।
- **कार्य प्रवाह आधारित बी.पी.एल. पात्रता पोर्टलः** यह पोर्टल गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के नागरिकों को अपना आवेदन भेजने में सहायता करता है। अब तक इस पोर्टल पर 9.72 लाख बी.पी.एल. पंजीकरण किये जा चुके हैं।
- **हरियाणा रियल टाइम ऑटोमेटिड फीडबैक डेशबोर्ड (एच–आर.ए.एफ.डी.):** एच.आर.टी.ए. एफ.डी. एस.एम.एस., मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ई–सेवाओं के लिए फीड बैक प्राप्त करने का एक आनलाइन तंत्र है। अब तक 33 विभागों की 392 सेवाओं को एच–आर.ए.एफ.डी. पर सम्मलित किया जा चुका है।
- **भारत नेटः** भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्राड बैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने हरियाणा राज्य की 6,204 ग्राम पंचायतों को सेवा तैयार घोषित किया है।

5.79 भविष्य रोडमैप

- **जन सहायक एपः** यह ऐप आपातकालीन सेवायें, सीटीजन सैन्ट्रिक सेवायें और सरल पर स्कीमों, इज आफ डूइंग बिजनेस, बिल पेमैन्ट, जाबस, टैन्डरस, कैलेन्डर, समाचार, अपकमिंग इवैनटस आदि जैसी सभी सेवाओं के एक स्टाप मोबाइल निवारण को सही दिशा में क्रियान्वित करने के अनुरूप है।
- **ई–खरीद पोर्टल का विस्तार**
  - **वेयर हाउसिंग मॉड्यूलः** चावल मिलों/वेयर हाउसिज में भण्डार का उचित प्रबंधन व भण्डार की स्टीक जानकारी के लिए हरियाणा राज्य भण्डार निगम के लिए एक नये वेयर हाउसिंग मॉड्यूल की योजना है।
  - **भावांतर भरपाई योजनाः** यह मॉड्यूल उन किसानों, जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित दरों से कम भाव पर अपनी बागवानी फसलें बेची हैं, को भाव के अंतर की अदायगी करने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए बनाया जा रहा है।
  - **मुख्यमन्त्री बागवानी बीमा योजना मोडयूल (एम.एम.बी.बी.वाई.):** यह पोर्टल फसल बीमा खरीदने के लिए बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने का किसानों को एक विकल्प देने का प्रस्ताव है। फसल बीमा खरीदने, दावा प्रस्तुत करने, प्रसंस्करण और निपटान से पूरी–प्रक्रिया को इस पोर्टल में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय ई–विधान आवेदन पत्र (एन.ई.वी.ए.):** माननीय प्रधानमन्त्री ने संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के सदनों से आग्रह किया है कि वे अपने–अपने पराधीन अधिकारियों के माध्यम से डिजिटलाइजेशन के लिये राष्ट्रीय ई–विधान आवेदन को अपनायें। इस परियोजना की डी.पी.आर. अनुमोदित हो चुकी है और वित्त वर्ष 2022–23 में यह परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5.80 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। पहले इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही थी, हरियाणा राज्य

विज्ञान एंवम प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। अब हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार एक नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग हरियाणा में हस्तांतरण, हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 120–2020/ई.एक्स.टी. दिनांक 25–08–2020 द्वारा किया जा चुका है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनायें इस प्रकार हैः

- **विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीमः** इस योजना के अन्तर्गत विभाग मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में 3–वर्षीय बी.एस.सी./4–वर्षीय बी.एस./5–वर्षीय समन्वित एम.एस.सी./एम.एस. की शिक्षा ग्रहण करने वाले 150 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह व 2–वर्षीय एम.एस.सी के 50 उत्कृष्ट विद्याार्थियो को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति मैरिट के आधार पर प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 2,305 विद्याार्थियों को लगभग 2,611.74 लाख रुपयें की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजनाः** हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 परीक्षा जोकि 10वीं के विद्याार्थियों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित की जाती है, में नम्बरों के आधार पर उच्चतम 1,500 विद्याार्थियों (1,250 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्डो के) का छात्रवृति हेतू चयन किया जाता है। चयनित छात्रों को जोकि 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ेगें, को 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाएंगी।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फेलोशिप स्कीमः** फेलोशिप कार्यक्रम जुनियर रिसर्च फेलोशिप (जे.आर.एफ.) के लिए संयुक्त सी.एस.आई.आर.–यू.जी.सी.परीक्षण और एक वर्ष में दो बार सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित व्याख्यान माला की पात्रता पर आधारित है। जिन उम्मीदवारों ने जे.आर.एफ.–नैट (सी.एस.आई.आर/यू.जी.सी.) में उत्तीर्ण किया है उन उम्मीदवारों को फेलोशिप के रूप में राशि 31,000 प्रति माह, जुनियर रिसर्च फेलोशिप और रूपये 35,000 सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एस.आर.एफ.) के आधार पर दिये जाते हैं। जो उम्मीदवार एल.एस.–नैट में गुणवता रखते है, उन्हें फेलोशिप की राशि 18,000 प्रतिमाह जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रूपये 21,000 प्रतिमाह सीनियर रिसर्च फेलो और 20,000 रूपये की राशि पांच साल तक वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में दी जाती है।
- **कल्पना चावला स्मारक तारामण्डलः** आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉ. कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई, 2007 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में अग्रेंजी और हिंदी में खगोल विज्ञान से संबधित कार्यक्रमों को चलाया जाता है। दीर्घा व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें

खगोल से संबधित प्रदर्शनी लगाई गई हैं। वर्षवार भौतिक और वितीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8– भौतिक और वितीय उपलब्धियां

वर्ष	कुल दर्शक	कुल राजस्व (रूपये में)
2014–15	135720	2926,570
2015–16	139845	3192755
2016–17	142443	3291595
2017–18	135293	3097405
2018–19	135490	2859765
2019–20	129361	2617945
2020–21	14,829	3,88,690
2021–22 (31–10–2021)	13,513	2,14,470

स्त्रोतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।

***

6

स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, दवाओं को निरतंर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेश के बीमार और आपातकालीन रोगियों के अलावा शिशुओं, बच्चों, युवाओं, माताओं, पात्र दम्पत्तियों और बुर्जुगों सहित सभी वर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त संचारी व गैर–संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर

6.2 वर्तमान में 70 सिविल अस्पतालों, 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, 30 डिस्पैन्सरीयों, 11 पालिक्लीनिको, 11 अर्बन हेल्थ केन्द्रो और 2,674 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट अनुमान 5,572.03 लाख रूपये रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के के लिए 372.97 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हैं। 500 बिस्तरीय दो नए अस्थाई अस्पताल पानीपत व हिसार में 63.82 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

6.4 पी.पी.पी. सेवाओं के तहत बहादुरगढ और चरखीदादरी में सीटी स्कैन सेवाओं की स्थापना, झज्जर, पलवल, पानीपत और कुरूक्षेत्र में एम.आर.आई. और सोनीपत, यमुनानगर और बहादुरगढ में कैथ लैब की स्थापना के द्वारा विस्तार किया जा रहा है।

6.5 कैंसर, मधुमेह, हदृय रोगों और स्ट्रोक कार्यक्रम की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) में हरियाणा राज्य को कार्यक्रम कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम रैंक हासिल करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष व ऊपर के नागरिकों को विभिन्न जीवनशैली से जुडी बीमारियों के लिए जांच की जा रही है।

कोविड–19

6.6 राज्य सरकार ने 26 आर.टी.–पी.सी.आर. प्रयोगशालाओं की 21 जिलों में स्थापना की (17 जिला अस्पतालों में, 6 मेडिकल कॉलेजों में और 3 अन्य)। जिला झज्जर में प्रयोगशाला की स्थापना प्रगति पर है। हरियाणा के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड, आई.सी.यू. बेड और वेंटीलेटर से सुसज्जित है ताकि कोविड–19 रोगियों का इलाज किया जा सके। 90 पी.एस.ए. संयंत्र, 874 वैंटीलेटर, 7,245 ऑक्सीजन संकेंद्रक, 775 बी.आई.पी.ए.पी, 164 उच्च प्रवाह नाक प्रवेशनी, 100,47 ऑक्सीजन सिलेंडर बी प्रकार, 6,497 ऑक्सीजन सिलेंडर डी प्रकार, 10,000 से अधिक ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर, 650 (लगभग) आईसीयू बिस्तर (वैंटीलेटर/बाय–पैप समर्थित) कोविड के खतरे को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए थे। मैडिकल गैस पाइपलाईन स्थापित करने के लिए पी.डबल्यू.डी. बी. एंड आर. विभाग को

170 साइटों की मंजूरी दी गई और लगभग 100 साइटों का काम पूरा कर लिया गया है।

6.7 स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के नागरिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन भी स्थापित की है। राज्य ने टेली–कॉलिंग के माध्यम से होम आईसोलेशन के रोगियों की ट्रैकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से विकसित किया है और ऐसे मरीजों के लिए घर का दौरा भी किया जाता है, जिन्हें परामर्श की आवश्यकता होती है तथा जब जरूरत हो तब उन्हें उपचार के लिए अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य में ठीक होने की दर 98.02 प्रतिशत से अधिक है और लगभग मृत्यु दर 1.08 प्रतिशत दिनांक 10–02–2022 तक रही है।

6.8 इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क–ई–विन जो हरियाणा में टीकारण आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अभिनव तकनीकी समाधान है, कोविड–19 वैक्सीन और लाभार्थियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कोविन (कोविड पर विजय) के रूप में उन्नत किया गया है।

6.9 प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कवरेज 100 प्रतिशत पहली डोज तथा 83 प्रतिशत दूसरी डोज है। अब तक वैक्सीनशन से दिनांक 10–02–2022 तक कुल 4,01,32,879 लोग लाभावन्तित हुए हैं ।

रेफरल ट्रांसपोर्ट

6.10 प्रदेशवासियों के लिए वर्तमान समय पर उपचार के लिए 635 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध है जिसमें से 161 एडवांस लाईफ सपोर्ट व 170 बेसिक लाईफ सपोर्ट तथा 26 एडवासं लाईफ एम्बुलेंस और 16 नवजात देखभाल एम्बुलैंस खरीदी जा रही है। राज्य में 59 मैडिकल मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध हैं। जनवरी, 2022 में चिकित्सा अधिकारीयों के 1,252 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन किया है।

मुख्य आरोग्य संकेतक

6.11 मातृ मृत्यु अनुपात 127 (एस.आर. एस. 2011–13) से घटकर 91 (एस.आर.एस. 2016–18), नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.) 26 (एस.आर.एस. 2013) से 22 (एस.आर.एस. 2018), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 41 (एस. आर.एस. 2013) से 27 (एस.आर.एस. 2019), अंडर–5 मृत्यु दर 45 (एस.आर.एस. 2013) से 36 (एस.आर.एस. 2018) हो गया है, और जन्म के समय लिंग अनुपात 868 (सी.आर.एस. 2013) से बढकर 914 (दिसम्बर 2021) तक हो गया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

6.12 7 यू.पी.एच.सी. को एन.क्यू.ए.एस. के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ई–उपचार (एच.एम.आई.एस.)

6.13 अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.), ई–उपचार हरियाणा में 56 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जा रही है। इसमें 3 मेडिकल कॉलेज, 22 जिला अस्पताल, 9 एसडीएच, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज, 11 सीएचसी और 10 पीएचसी शामिल हैं। वर्तमान में, 54 साइट लाइव हैं और संचालन और रखरखाव (ओ. एंड एम.) के चरण में हैं, जबकि 2 साइट लाइव होने के बाद निर्माणाधीन हैं। ई–उपचार में जनवरी, 2022 तक 2,85,52,577 रोगियों को पंजीकृत किया गया है।

6.14 लगभग 133 लैब मशीनों और 87 एक्स–रे मशीनों को एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और मरीज इन रिपोर्टों को अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सुविधाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए दो डैशबोर्ड तैनात किए गए हैं जोकि सेंट्रल डैशबोर्ड, मुख्य प्रदर्शन संकेतक डैशबोर्ड है।

6.15 ई–उपचार एप्लिकेशन को सभी 54 कार्यान्वित साइटों के लिए 'मेरा अस्पताल' के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

ई–उपचार का 'मेरा अस्पताल' एप्लिकेशन के साथ एकीकरण मरीजों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के बारे में फीडबैक सांझा करने का अधिकार देता है।

ई–उपचार वेब पोर्टल और स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप

6.16 वेब पोर्टल को सभी ई–उपचार साइटों के लिए विकसित किया गया है। इससे मरीजों का प्री–रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वे अपनी लैब रिपोर्ट देख सकेंगे।

6.17 स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को ओपीडी के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा और ओपीडी में रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही, रोगियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए आवेदन के माध्यम से पंजीकरण करने वाले रोगियों को देखने और डाउनलोड करने के लिए लैब रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

6.18 पंचकूला के सेक्टर–3 में एक एकड भूमि पर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशला के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

6.19 राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक 7 यू.पी.एच.सी. को एन.क्यू.ए.एस. के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यू.पी.एच.सी. (कृष्णा नगर गामरी–कुरूक्षेत्र) भारत का पहला यू.पी.एच.सी. है, जिसे राष्ट्रीय बाह्य मूल्यांकन से गुजरना पड़ा है। इसे 91.2 प्रतिशत के साथ एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू द्वारा एन.क्यू.ए.एस. के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया। कोविड–19 की अवस्था में स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को दिनांक 28–10–2020 को स्कॉच गोल्ड ''रिस्पोन्स टू कोविड–19'' पुरस्कार मिला।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

6.20 अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.), ई–उपचार हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार की ओर से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, हरियाणा (एचएसएचआरसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 3 मेडिकल कॉलेज, 22 जिला अस्पताल, 9 एसडीएच, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज, 11 सी.एच.सी. और 10 पीएचसी शामिल हैं। वर्तमान में, 54 साइट लाइव हैं और संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के चरण में हैं, जबकि 2 साइट लाइव होने के बाद निर्माण के दौर से गुजर रही हैं। ई–उपचार में 2.74 करोड़ से अधिक रोगियों को पंजीकृत किया गया है और 5.74 करोड़ ओ.पी.डी. रोगियों और 28,05,552 आई.पी.डी. रोगियों ने अक्टूबर, 2021 तक ई–उपचार के माध्यम से सेवाएं ली हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक मैडिकल रिकॉर्ड्स (ईएमआर) के रखरखाव और पुनप्राप्ति में मदद मिली है। लगभग 133 लैब मशीनों और 87 एक्स–रे मशीनों को एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और मरीज इन रिपोर्टों को अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सुविधाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए दो डैशबोर्ड तैनात किये गये हैं अर्थात 1) सेंट्रल डैशबोर्ड 2) मुख्य प्रदर्शन संकेतक डैशबोर्ड ई–उपचार एप्लिकेशन को सभी 54 कार्यान्वित साइटों के लिए 'मेरा अस्पताल' के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। ई–उपचार का 'मेरा अस्पताल' एप्लिकेशन के साथ एकीकरण मरीजों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के बारे में फीडबैक साझा करने का अधिकार देता है।

6.21 राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक **तालिका 6.1** में दिए गये हैं।

तालिका 6.1–में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक

क्रमांक	स्त्रोत सहित सूचकांक	वर्ष	वर्ष
		2013–14	2021–22
1	नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.)	26(एस.आर.एस. 2013)	22 (एस.आर.एस. 2018)
2	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	41 (एस.आर.एस. 2013)	27 (एस.आर.एस. 2019)
3	मातृ मृत्यु अनुपात	127 (एस.आर.एस. 2011–13)	91 (एस.आर.एस. 2016–18)
4	प्रथम परामर्श इकाई	40 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू सहित)	53 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ. आर.यू .सहित)
5	5 वर्ष से कम की मृत्यु दर	45 (एस.आर.एस. 2013)	36 (एस.आर.एस. 2018)
6	जन्म के समय लिंगानुपात (सी.आर.एस.)	868 (सी.आर.एस. 2013)	922 (दिसंबर, 2020 तक)
7	संस्थागत वितरण (एच.एम.आई. एस).	90.37 प्रतिशत (2017)	96 प्रतिशत (2021–22, सितंबर, 2021 तक)
8	पूर्ण टीकाकरण (स्रोत–एच.एम. आई. एस.)	85.7 प्रतिशत	जीवित पैदाइश 103.8 प्रतिशत
9	आशा	16800 93.33 प्रतिशत	20125 (97.31 प्रतिशत) (अक्टूबर 2021 तक)
10	विशेष नवजात की देखभाल की इकाइयाँ एस.एन.सी.यू .	15	24 (2020–21)
11	नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ एन.बी.एस.यू .	52	66 (2020–21)
12	नवजात केयर कॉर्नर एन.बी.सी.सी.	192	318 (2020–21)

स्त्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग, हरियाणा।

ई–उपचार वेब पोर्टल और स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप

6.22 वेब पोर्टल को सभी ई–उपचार साइटों के लिए विकसित किया गया है। इससे मरीजों का प्री–रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वे अपनी लैब रिपोर्ट देख सकेंगे। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को ओ.पी.डी. के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा और ओपीडी में रोगी के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही, रोगियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए आवेदन के माध्यम से पंजीकरण करने वाले रोगियों को देखने और डाउनलोड करने के लिए लैब रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

6.23 वित्त वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य लगभग 5.80 लाख शिशुओं और 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सेवायें प्रदान करना है। लगभग 2.5 लाख टीकाकरण सत्र की योजना बनाई गई है और पूरे हरियाणा में 681 से अधिक कोल्ड चेन पॉइंट टीकों के भंडारण और वितरण में लगे हुये हैं। इसके अलावा नियमित टीकाकरण विभाग भी लॉन्च (16 जनवरी) से कोविड–19 टीकाकरण प्रदान करने में लगा हुआ है। स्वास्थय विभाग हरियाणा 12 टीके रोकथाम योग्य बीमारियों के (वी.पी.डी) खिलाफ टीकाकरण सेवायें प्रदान कर रहा है और ये टीके शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर) और 5 के तहत मृत्यु दर (यु 5 एम.आर) में लगातार गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

6.24 वित्त वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस) की रिर्पोट में, हरियाणा ने जीवित जन्म के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण कवरेज 103.4 प्रतिशत हासिल किया है और भारत सरकार के लक्ष्य के मुकाबले 90 प्रतिशत है, 5.77 लाख जीवित जन्म के मुकाबले कुल 5.18 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है। वित्त वर्ष

2021–22 में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस) की रिर्पोट हरियाणा ने पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया है जो जीवित जन्म (3,78,178) के खिलाफ 101 प्रतिशत था और भारत सरकार के लक्ष्य 4,38,548 (87.1 प्रतिशत) तथा 3,78,178 लाख जीवित जन्म के मुकाबले 3,81,808 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है।

कोविड–19 वैक्सीन का परिचय

6.25 भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी, 2021 को पूरे देश में कोविड–19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एच.सी.डब्ल्यू) के पहले चरण का टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ था और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफ. एल.डब्ल्यू) का टीकाकरण 4 फरवरी, 2021 से शुरू हुआ था। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 2 मई से शुरू हुआ जिसमें 18–44 आयु की आबादी शामिल होगी। अगले चरण में 15 से 18 आयु से कम आयु वर्ग और एच.सी.डब्ल्यू., एफ. एल. डब्ल्यू. और वर्ष की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू की गई थी। हरियाणा में शुरूआत से लेकर 14–02–2022 तक कुल 4.04 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। 2.27 करोड़ लाभार्थियों को पहली खुराकें मिली है और 1.74 करोड़ लाभार्थियों को हरियाणा में कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराकें मिली है। युवा जनसंख्या जिनकी आयु 18 वर्ष व 18 वर्ष से उपर है, उन्हें पहली खुराक 2.17 करोड़ (100 प्रतिशत) और दूसरी खुराक 1.72 करोड़ (84 प्रतिशत) दी जा चुकी है। लाभार्थियों को एहतियाती खुराक 2.07 लाख पिलाई जा चुकी है।

आयुष्मान भारत

6.26 योजना का पायलेट लांच 15–08–2018 को पूरे देश में आयोजित किया गया था, पी.एम.जे.ए.वाई. योजना के तहत दावा करने वाला हरियाणा पहला राज्य था। योजना पात्रता के आधार पर है। परिभाषित सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 डाटाबेस में अनुमानित प्रत्येक परिवार योजना के तहत लाभ का दावा करने का हकदार होगा। भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार फ्लॉटर आधार पर 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार को उपचार कवर प्रदान किया जाता हैं एवं हरियाणा के 15.51 लाख लाभार्थी परिवारों (एस.ई.सी.सी.–2011 डाटाबेस के माध्यम से पहचाने जाने वाले) को 15 करोड़ रूपये की लागत पर कवर किया गया है जिसमें परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी लागत को भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार 60:40 के आधार पर वहन करती है। इसके ईलावा अतिरिक्त श्रेणी के लाभार्थियों की पूरी लागत हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

6.27 अब तक 3,24,966 दावों के विरूद्ध 364.46 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 24–01–2022 तक 27,99,083 स्वर्ण रिकॉर्ड बनाये जा चुके हैं। आज तक 618 अस्पतालों (175 सरकारी एवं 443 निजी) को आयुष्मान भारत हरियाणा के साथ सूचीबद्ध किया जा चुका है।

भविष्य के कार्यक्रम

6.28 मुख्यमंत्री, हरियाणा ने अतिरिक्त श्रेणियों को आयुष्मान भारत की योजना में समावेश करने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतिरिक्त श्रेणियों को ए.बी.–पी.एम.जे.ए.वाई. के अंतर्गत कवर करने के लिए कार्यवाई की जा रही है। इन अतिरिक्त श्रेणियों को आयुष्मान भारत की योजना में समावेश करने का पूरा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा कुछ योजनायें अतिरिक्त वर्ग को लाभ देने के लिये अनुमोदित की गई जैसे कि (1) व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य योजना, (2) मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना, (3) निमार्ण श्रमिकों का बोर्ड, (4) हरियाणा राज्य के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, (5) नंबरदार, (6) चौकीदारों, (7) विमुक्त घुमंतु जाति, (8) फौज में रहने वाले सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुडे परिवार, द्वितीय विश्व युद्व और 1977 के आपातकाल के दौरान कैद परिवार इत्यादि।

आयुष

6.29 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, युनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधी प्रणाली इन सभी पैथियों की भारत वर्ष के सभी वर्गों में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पैथियाँ हैं जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषधी प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं हैं,महत्वपुर्ण भुमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बिमारियों के बढने के कारणों के हालातों को देखते हुए लोगों का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों में भी होने लगा है।

6.30 आयुष विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 516 आयुर्वेदिक, 19 युनानी एवं 26 होम्योपैथिक औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–3, पंचकुला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) 3 स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुडगाव, हिसार, अम्बाला) तथा 1 स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जींद में स्थानांतरित किये गए है तथा वर्ष 2009–10 में 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 98 आयुष ओ.पी.डी., सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों पर तथा 109 आयुष ओ.पी.डी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे है तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

6.31 विभाग श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरूक्षेत्र से मान्यता प्राप्त श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरूक्षेत्र तथा महिला भगत फूल सिंह मैमोरियल आयुर्वेदिक कालेज, खानपुर, सोनीपत के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त 9 आयुर्वेदिक तथा 1 होम्योपैथिक कॉलेज निजी क्षेत्र में प्राइवेट मैनेजमैन्ट के द्वारा चलाये जा रहे है।

6.32 ग्राम पंचायत फतुपुर कुरूक्षेत्र द्वारा आयुष विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र के लिये 94 एकड 5 कनाल 1 मरला भूमि पटटे के आधार पर प्रदान की गई है। 14 विषयों में 82 सीटों पर एम.डी. कोर्स श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज/हस्पताल द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान में यह आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरूक्षेत्र, हरियाणा के कैम्पस में कार्यरत है। राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा को बढावा देने के लिए एक और सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) में किया गया है। ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) में आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पताल में आई.पी.डी. की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

6.33 भारत सरकार द्वारा गांव देवरखाना, जिला झज्जर में 166.11 कनाल भूमि संस्थान के लिये दी गई है। इस संस्थान में ओ. पी.डी. की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा कोर्स हेतू दाखिले की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जायेगी। गांव अकेडा में 45.43 करोड़ रूपये की लागत से पहला राजकीय युनानी कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा हैं। दिनांक 14–07–2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है। भारत सरकार ने 250 बेड वाले आई.पी.डी. (100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा) और हर साल 500 से अधिक छात्रों को खानपान, यू.जी.–पी.जी.व पी. एच.डी. डिग्री प्रदान करने के साथ आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

6.34 श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड, पंचकूला द्वारा 19.87 एकड भूमि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को 33 वर्षों के लिए लीज बेसिस पर स्थानांतरित की जा चुकी है। पी.एम.सी. ने दिनांक 05–07–2021 को निर्माण कार्य एक्जीक्यूटीव ऐजेंसी/कान्ट्रेक्टर को आबंटित कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संस्थान को स्थापित करने हेतू राज्य सरकार की अनुमोदना उपंरात भारत सरकार को 68 कनाल 17 मरले गांव खेडी गुजरा (फरीदाबाद) की भूमि 120 आई.पी. डी. बिस्तरों की स्थापना के लिये स्थानांतरित की जा चुकी है। माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा की सहमति के बाद जिला हिसार के गांव मायड में 50 बिस्तरों का सरकारी आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिये 15 एकड़ 7 मरला भूमि चिन्हित करने उपरान्त आयुष विभाग हरियाणा को 33 साल के लिये 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से स्थानांतरित कर दी गई है।

6.35 आयुष विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने हेतू कुल राशि 4.87 करोड़ रूपये की दवाईयां जैसे कि गुडुची घन वटी, संशमनी वटी, अनु तेल और जन आरोग्य क्वाथ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, नगर–पालिकाओं के कार्यालय, पंचायती राज विभाग, वृद्व आश्रम, वरिष्ठ नागरिकों, कारागार तथा कंटोनमेन्ट जोन में वर्ष 2021–22 के दौरान वितरित की गई हैं।

6.36 वित्त वर्ष 2020–21 में आयुष विभाग के लिए 216.64 करोड़ रूपये प्लान (नॉन–प्लान) स्कीम के लिए तथा 15.83 करोड़ रूपये की राशि प्लान/नॉन रैकरिंग प्लान स्कीम के लिए खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्लान (नॉन रेकरिंग) स्कीम के लिए 292.95 करोड़ रूपये तथा प्लान (रैकरिंग/नॉन प्लान) स्कीम के अंतर्गत 22.34 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है।

ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण विभाग

6.37 विभाग द्वारा बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य विभाग के साथ एम्पैन्लड प्राईवेट हस्पतालों द्वारा सी.जी.एच.एस. भावदर अनुसार प्रतिपूर्ति आधार पर द्वितीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतू सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त 49 प्राईवेट हस्पतालों को टाई–अप किया गया है। नारायणगढ (अम्बाला) में नई एक डाक्टर ई.एस.आई. डिसपैंसरी दिनाकं 10–08–2021 को शुरू कर दी गई है। नूंह (मेवात) में नई दो डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी दिनाकं 21–09–2021 शुरू कर दी गई है। बीमाकृतों के लिए जिला अम्बाला क्षेत्र में कैशलैस आधार पर द्वितीय चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 2 अन्य प्राईवेट हस्पतालों को सी.जी.एच.एस. भावदर अनुसार एम्पैनल कर लिया गया है।

6.38 लक्ष्य व कार्यक्रम

- हिसार, सोनीपत, रोहतक, अम्बाला, करनाल व पंचकूला में 100 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल खोलना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी बाहदुरगढ को दो डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी से तीन डाक्टर ई.एस. आई. डिस्पैंसरी में अपग्रेड करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी पलवल को दो डाक्टर ई. एस.आई. डिस्पैंसरी से तीन डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में अपग्रेड करना।
- औद्योगिक क्षेत्र करनाल में नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना।
- औद्योगिक क्षेत्र रोहतक में नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना।
- झाडली (झज्जर), साहा (अम्बाला), मुलाना (अम्बाला), छछरौली (यमुनानगर), घरौंडा (करनाल), कोसली (रेवाडी), गन्नौर (सोनीपत), फारूखनगर (गुरूग्राम), पटौदी (गुरूग्राम), भूना (फतेहबाद), दादरी तोय (झज्जर) व उकलाना मंडी (हिसार) में नई 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.39 राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की स्थापना चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन, विस्तार और नियमन हेतु की गई है। राज्य में विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा बनाया गया था। राज्य में मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति का विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

तालिका 6.2– मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति

संस्थान	सरकारी	निजी	कुल संस्थान	कुल सीटें	
चिकित्सा महाविद्यालय	5	6 1 सरकारी सहायता प्राप्त	12	एम.सी.एच./डी.एम. एम.डी./एम.एस. एम. बी.बी.एस.	17 510 1685
दंत महाविद्यालय	1	10	11	बी. डी.एस. एम.डी.एस.	1020 258
आयुर्वेदिक महाविद्यालय	2	10	12	बी.ए.एम.एस.	838
होम्योपैथी महाविद्यालय	–	1	1	बी.एच.एम.एस.	50
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	3	17	20	बी.पी.टी. एम.पी.टी.	1330 475
नर्सिंग स्कूल	9	83	92	ए.एन.एम.	3040
	4	83	87	जी. एन.एम.	3900
				बी.एस.सी.	1880
नर्सिंग कालेज	3	45	48	पी.बी.बी.एस.सी.	1220
	1	38	39		
	1	15	16	एम.एस.सी.	242
	1	2		एन.पी.सी.सी.	25
एम. पी. एच. डब्ल.यू.	2	25	27	एम.पी.एच.डब्ल.यू.	1620
कुल	**32**	**336**	**368**		**18110**

स्त्रोतः चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थय विश्वविद्यालय, कुटेल, करनाल

6.40 उत्कृष्टता केन्द्र के रुप मे एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम कुटेल जिला करनाल में की जा रही है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को 21–09–2016 को अधिसूचित किया गया था और इसके संशोधन को 02–04–.2018 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया था।

- विश्वविद्यालय मे 750 बिस्तरो के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट डाक्टरेट शिक्षण (डी.एम./एम.सी.एच. पाठ्यक्रम) व अकादमिक ब्लाक, जैव प्रोद्योगिकी, प्रायोगिक चिकित्सा और जेनेटिकस इम्युनोलोजी और वायरोलोजी मे

उन्नत अनुसंधान केंद्र जैसे अनुसंधान विभागों की सुविधाएं होगी। इसमे दन्त महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, मानसिक स्वास्थय संस्थान और खेल चिकित्सा जैसे अन्य शैक्षणिक संस्थान भी होंगे।

- विश्वविद्यालय के कैम्पस में प्रीफैब तकनीक से नर्सिंग और फिजियोथैरेपी महाविद्यालय भी बनाये गये है।

पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी

6.41 राज्य सरकार स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी मे एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो मौजुदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके बनाया जाऐगा। परियोजना का निष्पादन कार्य एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई.) लिमि. को दिया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी द्वारा तैयार की गई ड्राईंग व संशोधित डी.पी.आर. 535.55 करोड़ रूपये की सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस परियोजना का कार्य 27 महीने मे पूर्ण हो जाऐगा। निमार्ण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है तथा 11.5 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम हैबतपुर, जींद

6.42 राज्य सरकार द्वारा जिला जींद में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत, हैबतपुर, जिला जींद, ने इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को 24 एकड़ 03 कनाल 03 मरला जमीन दीर्घकालीन समय के लिए पट्टे पर दी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्थल पर चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है। यह कार्य हरियाणा राज्य सड़क व पुल विकास निगम को दिया गया है। 663.86 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. (पहले चरण के लिए 524.23 रूपये करोड़ और दूसरे चरण के लिए रूपये 139.63 करोड़ रूपये) निष्पादन एजैंसी द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि सरकार. द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। दिनांक 03–03–2021 कार्यकारी एजैन्सी एच.एस.आर.डी.सी. व चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा द्वारा एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। परियोजना का सिविल कार्य मैर्सज एल.एण्ड.टी. कम्पनी, चेन्नई को सौंपा गया है। निर्माण कार्य की कुल प्रगति 6.5 प्रतिशत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा, फरीदाबाद

6.43 राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उददेश्य से गांव छायंसा में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बुनियादी ढांचे को खरीदने की संभावना तलाशने का फैसला किया क्योंकि यह संस्थान मार्च, 2016 में प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था। इस संस्थान ने छांयसा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व में 06 बैंकों के एक संघ से मार्च, 2016 तक 185 करोड़ रूपये के कुल एक्सपोजर के साथ विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद की संपत्ति की ई–नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने 128 करोड़ रुपये की लागत से गोल्ड फील्ड संस्था फरीदाबाद की संपत्ति 13–03–2020 को खरीद की है। अब यह संस्थान श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा (फरीदाबाद) के नाम से जाना जाता है और अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए इसे कार्यात्मक बनाया जाएगा। अस्पताल इसी कैंपस में चलाया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम कोरियावास, नारनौल

6.44 राज्य सरकार द्वारा जिला नारनौल में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए ग्राम पंचायत, कोरियावास ने 76 एकड़ 2 कनाल़ 11 मरले जमीन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को

दीर्धकालीन अवधि के लिए पट्टे पर दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सडक) को सौंपा गया है व 598 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एस. एफ. सी. द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा इसका निमार्ण कार्य 63 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कैथल

6.45 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैथल जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला उपायुक्त कैथल द्वारा 20 एकड, 06 मरला, जमीन गांव सम्पन खेडी मे प्रस्तावित की गई थी। जो कि निदेशक, पंचायत विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम 11–02–2021 को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार किया जा चुका है। इस प्रौजेक्ट को ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई.) लिमि. को कार्यकारी एजैंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यकारी एजैन्सी द्वारा वास्तु ड्राईंग तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिरसा

6.46 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिरसा जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिये जिला उपायुक्त सिरसा द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सिरसा में स्थित 21 एकड 13 मरले भूमि प्रस्तावित की गई है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार 12–04–2021 को हस्तान्तरित की किया जा चुका है। एच.आई.टी.ई.एस.–एच.आई.एल.एल. इन्फ्राटैक सेवाएं लिमिटिड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री गुरू तेग बहादुर साहिब, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, यमुनानगर

6.47 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यमुनानगर जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला उपायुक्त यमुनानगर द्वारा 20 एकड, 12 मरला, जमीन ग्राम पांजुपुर मे प्रस्तावित की गई है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम करने का कार्य प्रगतिशील है। ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई.) लिमिटिड को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

दन्त महाविद्यालय शहीद हसन खान मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़, नूंह

6.48 शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़, नूंह परिसर में दन्त महाविद्यालय की स्थापना के लिये 5 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया है। राजकीय वित्त समिति ने 135.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना को मंजूरी दी गई है। दन्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर.) हरियाणा को 15–2–2019 को प्रदान किया गया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री की अनुमोदना उपरान्त यह कार्य पी. डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर.) से एच.एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त 172.65 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत को एस.एफ.सी.–बी से दिनांक 04–10–2021 को स्वीकृत करवा लिया गया है।

नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

6.49 मुख्यमंत्री ने 5 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए घोषणाएँ की थीं। इन 6 नर्सिंग कॉलेजों के लिए भूमि विभाग के नाम पर पट्टे पर दे दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी. पी.) को आंबटित किया गया है। सरकार द्वारा 194.30 करोड़ रूपये की परियोजना की ड्राईंग व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गई है। परियोजना का कार्य निष्पादन एजैंसी का सौंपा जा चुका है जो कि 22 महीनों मे पूरा हो जायेगा। सादत नगर रेवाडी (80 प्रतिशत), दयालपुर फरीदाबाद (75 प्रतिशत) और फरीदाबाद (75 प्रतिशत), धेडदु, कैथल

(73 प्रतिशत), खेडी राम नगर, कुरुक्षेत्र (75 प्रतिशत) और खेडावाली, पिंजौर, पंचकूला (85 प्रतिशत) की परियोजना की प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई।

सफीदों–जींद में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

6.50 सरकार द्वारा सफीदो जिला जींद मे किराए के भवन मे नर्सिंग कालेज शुरु किया है, जिसमे तीन पाठ्यक्रमों ए.एन.एम., जी.एन.एम. और बी.एस.सी. कोर्स मे प्रत्येक कोर्स की 60 सीटें है। राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ने सफीदों मे राजकीय नर्सिंग कालेज के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को 04 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की है। इस परियोजना के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम को कार्यकारी एजैंसी के रुप मे नियुक्त किया गया है। कार्यकारी ऐजैंसी द्वारा इस परियोजना के लिए वास्तु चित्र व परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

रेवाड़ी में एम्स की स्थापना

6.51 केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 01–02–2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की। ग्राम मनेठी, रेवाड़ी में उक्त उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत की 224 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, चूंकि यह भूमि अरावली वृक्षारोपण क्षेत्र, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत लगाये गये घने वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित है इसलिए इस परियोजना के लिए अन्य साइटस की संभावना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है और इसके लिए सरकार की अधिसूचना दिनांक 02–08–2019 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। ई–भूमि पोर्टल को माजरा मुस्तिल और आसपास के गांव भालखी के लिए खोला गया था, जिस पर कुल 347.49 एकड़ जमीन की पेशकश की गई है। भूमि को अंतिम रुप देने के लिए दिनांक 12–04–2021 और 27–04–2021 को सचिवों की कमेटी (सी.ओ.एस.) की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 27–08–2021 को ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में उच्च शक्ति भूमि खरीद कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में डा. बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। जिस समिति में आयुक्त गुरूग्राम, डी.सी. रेवाड़ी, डी.एम.ई.आर. और सी.टी.पी.–एच.एस.आई.आई.डी.सी को शामिल करते हुये भूमि मालिकों की अतिरिक्त अपेक्षाओं के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए समिति गठित की गई।

6.52 विभाग की अन्य उपलब्धियां

- **स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त काउंसलिंगः** विभाग केंद्रीयकृत संयुक्त ऑनलाइन परामर्श पोर्टल के माध्यम से सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित कर रहा है।
- **हरियाणा नर्स और नर्स मिडवाइव्स काउंसिलः** राज्य में नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, इस सरकार ने एक नया अधिनियम हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स एक्ट, 2017 लागू किया गया है और हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल की स्थापना की है, जिसने तत्कालीन मौजूदा हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जगह ले ली है और अब हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल हरियाणा राज्य में नर्सिंग शिक्षा का नियमन कर रही है। इससे पहले हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद (एच.एन. आर.सी.) ने पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 को अपनाया था और एच.एन.आर.सी. के कार्यकारी निकाय/शासी निकाय की संरचना में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। एच.एन.आर. सी. अपने सीमित जनादेश के साथ कार्यात्मक था और नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांगों का सामना करने में

सक्षम नहीं था। इसलिए यह महसूस किया गया कि हरियाणा राज्य में एक सुसंगत और व्यापक अधिवास निकाय बनाने की आवश्यकता है।

- **आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशनः** विभाग ने आयुष्मान भारत मिशन को सफलतापूर्वक सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लागू किया है। पहले चरण में, यह योजना, सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों अर्थात् पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के.सी.जी.एम.सी. करनाल, बी.पी. एस.जी.एम.सी. (डब्ल्यू.) खानपुर कलां, सोनीपत, शहीद हसन खांन मेवाती, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, नूंह और महाराजा अग्रसैन, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा, हिसार में लागू की गई है। पूरे देश में योजना के तहत ईलाज किये गये रोगी के लिए पहला सफल दावा के.सी.जी.एम.सी., करनाल द्वारा किया गया है।
- **उपचार के लिए सस्ती दवा और विश्वसनीय प्रत्यारोपणः** ए.एम.आरआई.टी. फार्मेसी राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में खोले गए है और पूर्णतः कार्यरत है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रः** इस के तहत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, जो पूर्णतः कार्यरत है।

हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद

6.53 राज्य में भौतिक–चिकित्साविदों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के मानकों के समन्वयन तथा अवधारण के लिए सरकार द्वारा एक नया अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद, अधिनियम, 2020 पारित किया गया है व हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। परिषद द्वारा नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया गया है तथा इस परिषद के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा चुकी है। अभी तक भौतिक परिषद द्वारा बी.पी.टी. कोर्स 706, एम.पी.टी. कोर्स 96 व पी.एच.डी. कोर्स 2 का पंजीकृत किया गया है।

6.54 कार्यात्मक चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्धियां

- पडिंत भगवत दयाल शर्मा स्वास्थय विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 2,000 बिस्तर और 250 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को फरवरी, 2017 में एन.ए.ए.सी. ग्रेड से सम्मानित किया गया और देश के सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों में द्वितीय रैंक पर है। पी.जी.आई.एम.एस. को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है। स्पोर्ट्स दवाईयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे। सीटी स्कैन और एम. आर.आई. सुविधाओं को वर्ष 2017 में एन.ए. बी.एच से मान्यता प्राप्त हुई। बायो–कैमिस्ट्री लैब को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त हुई। स्टेट ऑफ द आर्ट 120 बैड का धंवन्तरी एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जनवरी, 2018 से 5 आधुनिक ओपरेशन थियेटर, 22 बैड का आई.सी.यू. ट्राइएज एरिया में 30 बैड और एक 3 टेस्ला एम. आर.आई. के साथ चालू किया गया है। पिछले 6 मास में 50,000 से अधिक मरीजों का ईलाज किया गया है।
- 200 बिस्तर वाला मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल को हाल ही में चालू किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल है।
- कैंसर के रोगियों की सुविधा हेतू एक्सीलेटर का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विश्वविद्यालय में कैंसर और विकिरण ऑन्कोलॉजी पर अध्ययन के लिए इंडो

जापानी सहयोग की तरह विभिन्न विदेशी संगठन हैं, जार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्मार्ट हैल्थ एक विस्तृत परियोजना है।

- श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए बहु–मंजिला नया आवासीय विंग व विभिन्न निर्माण परियोजनाएं जैसे मुर्दाघर, खेल चोट केंद्र आदि प्रक्रियाधीन हैं।

भगत फूल सिंह महिला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत

6.55 550 बिस्तर और 120 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। (क) संस्थान में विभिन्न विशिष्टताओं के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। (ख) महाविद्यालय अस्पताल में दो डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है।

शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहड़, नूंह मेवात।

6.56 652 बिस्तर और 120 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए सी.बी. एन.ए.ए.टी. मशीन लगाई गई है।

कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल

6.57 550 बिस्तर और 100 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। (क) अस्पताल दिनांक 13–04–2017 से कार्यात्मक हो गया और 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रथम बैच को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश दिया गया। (ख) एम. आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीन और 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राशि 373.25 करोड़ रूपये महाविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण हेतू दिनांक 12–07–2021 को एस.एफ.सी.सी. द्वारा स्वीकृत की गई है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस परियोजना को 30 महीनों में पूरा करने की उम्मीद है।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा, हिसार

6.58 573 बिस्तर और 100 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। (क) चिकित्सा महाविद्यालय को एम.बी.बी.एस. सीटों में 50 से 100 की वृद्धि की अनुमति मिल गई है और कई विशिष्टताओं में संस्थान में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। (ख) पी.पी.पी. मोड पर कैथ–लैब ने 1 अगस्त, 2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। (ग) ट्रामा सेंटर और कैंसर संस्थान की स्थापना पाईपलाइन में है।

वैश्विक महामारी कोरोना–19 के बारे लिये गये निर्णय

6.59 बी.एम.ई.आर. कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य तथा निर्णय लिये गये है। (क) हाल ही में कोविड–19 के मामलों की वृद्वि को देखते हुए चिकित्या शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के कुल 1,393 छात्रों, जिसमें एम.बी.बी.एस. तृतीय एंव चुतर्थ वर्ष, इंटर्न और पी.जी. छात्रों की सेवाएं अतिरिक्त सहायता के रूप में लेने का आदेश दिया है। (ख) कोविड–19 महामारी को मध्यनज़र रखते हुए इस विभाग द्वारा विभाग के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एंव निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को राज्य के विभिन्न जिलों के रोगियों के प्रबन्धन/उपचार के लिए रेफरल केन्द्रों के रूप में अपग्रेड और नामित किया गया है। (ग) हरियाणा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्याालयों में कोविड–19 के रोगियो की बेहतर देखभाल व सुविधायें प्रदान करने के लिए आक्सीजन के साथ बिस्तरों की कुल संख्या, वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू. बैड की कुल संख्या, चिकित्सा सामग्री, दवाओं की उपलब्धता तथा कोविड–19 के मरीजों के मामलों का समय पर पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई है। (घ) राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों को विभिन्न जिलों के हस्पतालों से म्यूकोर्मिकोसिस रोग के प्रबन्धन के लिए रैफरल केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों मे कम से कम 75 बिस्तर आरक्षित रखे गये है

तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशको को उनके संस्थान में मामलों की वृद्धि को देखते हुए उन्हे बैड बढ़ाने की शक्तियॉ भी प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक रोगी की कम से कम 02 बार जांच करने के लिए संयुक्त रूप से चक्कर लगाना शुरू कर दिया गया है तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों को एम्फोटेरिसिन–बी जैसी दवाईयों को जारी करने हेतू सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों को रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक किसी भी दवा/उपभोज्य की खरीद हेतू एक अवसर पर 5 लाख तथा अधिकतम 15 लाख रूपये तक खर्च करने की शक्तिया प्रदान की गई है। (ड) पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के वरिष्ठ फैक्लटी से स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला अस्पतालों के डाक्टरों को वैंटीलेटर की सेवाएं आरम्भ करने हेतू प्रशिक्षण/अप ग्रेडेशन का प्रस्ताव विचाराधीन है। (च) कोविड–19 के मामलों मे अचानक आई वृद्धि और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति कराने हेतू राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में गैस मैनिफोल्ड का उन्नयन और बाहर निकलने वाली चिकित्सा गैस पाईप लाईन प्रणाली को उन्नत किया गया है। (छ) राज्य के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.एस.ए. 1000 लीटर प्रति मिन्ट आक्सीजन उत्पादन संयत्र स्थापित किया जा रहा है। (ज) तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक 10,000 लीटर की क्षमता के साथ भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज, खानपुर कलां, सोनीपत में स्थापित किया गया हैं तथा राज्य के सभी सरकारी व सरकारी अनुसंधान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में लगाने का कार्य प्रक्रिया में है। (झ) राज्य के विभिन्न सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर मशीन क्षमता 10 एल.पी.एम. (400 नं0) से अधिक उपलब्ध करवाये गये हैं।

खाद्य खण्ड

खाद्य प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

6.60 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन दो खाद्य प्रयोगशालाएं है, एक चण्डीगढ में तथा दूसरी करनाल में है, दोनों प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. नोटीफाईड हो चुकी है तथा एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दोनों खाद्य प्रयोगशालाओं को खंड 43 (1) ऑफ खाद्य एवं औषधि अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया। जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल के नवीनकरण हेतु 140.29 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग को जारी किये जा चुके हैं। यह राशि 90.29 लाख रूपये राज्य सरकार तथा 50 लाख रूपये एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रयोगशाला करनाल का नवीनीकरण कार्य शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया जाना हैं।

खाद्य लाईसैंस और खाद्य व्यवसायियों के अनुदान का ऑनलाईन पंजीकरण

6.61 विभाग द्वारा 6,308 ऑनलाईन और 13,438 ऑनलाईन खाद्य कारोबार कर्ताओं का पंजीकरण दिनांक 01–04–2021 से 31–12–2021 तक किया गया हैं तथा एफ.ओ. एस.सी.ओ.एस. के माध्यम से प्राप्त खाद्य लाईसैंस तथा खाद्य पंजीकरण की राजस्व रिपोर्ट के अनुसार कुल राशि 4,69,72,000 हरियाणा राज्य को फीस के तौर पर प्राप्त हुई।

खाद्य पदार्थों के नमूने

6.62 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हरियाणा राज्य की विभिन्न दुकानों/खाद्य कारोबार स्थानों से कुल 3,313 कानूनी खाद्य नमूने एकत्रित किये गये। जिनमें से 878 खाद्य नमूने अधोमानक/अवमानक/असुरक्षित पाये गये। कुल 349 केस माननीय सी.जे.एम कोर्ट/निर्णय अधिकारी की अदालतों में दायर किये जा चुके है और अवमानक तथा अधोमानक केसों में कुल रूपये 1,14,65,200 का जुर्माना

दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर लगाया गया है। असुरक्षित खाद्य नमूनों के बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा 72 केसों के अभियोग पक्ष की स्वीकृति माननीय सी.जे.एम कोर्ट में केस दायर करने हेतू जारी की जा चुकी है।

मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एम.एफ.टी.एल.)

6.63 हरियाणा राज्य को 5 मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गयी है। जिन्हें राज्य की आम जनता को जागरूक करने हेतू हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में घुमाया जाता है। जिसके लिए मामूली 20 रूपये प्रति खाद्य नमूना विश्लेषण फीस रखी गई है।

गुटका पान मसाला पर प्रतिबंध

6.64 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–1 फूड– 2021/ 7202–7312 दिनांक 27–09–2021 द्वारा हरियाणा राज्य में गुटका पान मसाला के निर्माण/बिक्री एवं भण्डारण पर अगले एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया है।

तरल नाईट्रोजन पर प्रतिबंध

6.65 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–2 फूड–2017/ 15080 दिनांक 27–07–2017 द्वारा हरियाणा राज्य में आगामी आदेशों तक किसी भी तरल खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध किया गया है।

औषधि विगं

6.66 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा द्वारा औषधि ओर कास्मैटिक एक्ट, 1940 के अन्तर्गत 38 अभियोग चलाये गये और तम्बाकू से सम्बधित नशे को रोकने के लिये हुक्का बार आदि पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यवाही की गई।

6.67 विभाग की सयुंक्त टीमों द्वारा कुल छापे मारे गये, 373 कुल सैल ईकाइयों का निरीक्षण, 9,702 विभाग द्वारा मैडिकल स्टोर के कुल लाईसैंस रद्द 844 विभाग द्वारा मैडिकल स्टोर के कुल लाइसैंस निलम्बित, 19 कुल निर्माण ईकाइयों का निरीक्षण, 538 कुल सैम्पल लिये गये, 1,326 विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान 3,970 लाईसैंस जारी किये गये।

- 20 औषधि निर्माण के कुल लाईसैंस, 13 मेडिकल डिवाईस के कुल लाईसैंस, 18 सौन्दर्य प्रशासन निर्माण के कुल लाईसैंस, 12 रक्त कोष के कुल लाईसैंस तथा 12 कुल आर.एम.आई. सर्टीफिकेट जारी किये गये।
- हरियाणा राज्य औषधि प्रयोगशाला के निर्माण के लिये 1 एकड जमीन सैक्टर–3 पंचकूला में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य के लिये 16.64 करोड़ रूपये का बजट अनुदान, जो कि वित्त विभाग को प्राप्त हुये है तथा राज्य सरकार द्वारा इसमें से औषधि प्रयोगशाला के भवन निमार्ण के लिये 10 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध करवा दिया है।
- कोविड–19 महामारी की दुसरी लहर के दौरान सभी हस्पतालों व सभी रिफिलिंग युनिट में लिक्विड मैडिकल आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने बारे मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों के साथ सभी वरिष्ठ औषधि नियन्त्रण अधिकारी व सभी औषधि नियन्त्रण अधिकारियों ने हरियाणा राज्य में नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य किया। आक्सीजन रिफिलिंग/निर्माण के 28 लाईसैंस भी महामारी के दौरान जारी किये गये।
- कोविड मैनेजमैट में सहायक दवाईयां रेमडैसिविर, इन्जैक्शन व मैडिकल आक्सीजन फैवीपीरावीर दवाईयों की ब्लैक माकेर्टिंग रोकने के लिए विभाग की सुयंक्त टीमों द्वारा हरियाणा राज्य में लगभग 38 छापे मारे गये तथा इसी दौरान 31 प्राथमिक सूचना रिर्पोट हरियाणा राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवाई गई है।
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कुल 4,219 लाख रूपये का कुल बजट उपलब्ध करवाया है। जिसमें 3,019 रैकरिंग के लिए तथा 1,200 लाख नान–रैकरिंग के लिए उपलब्ध करवाया गया है।

जन स्वास्थ्य

6.68 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्तमान में राज्य में पानी की कमी वाले उन गांवो में जहां पानी का स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो गया है उनमें पीने के पानी की आपूर्ति के स्तर में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

6.69 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य योजना तथा केन्द्रीय योजनाओं के तहत 1,393.51 करोड़ रूपये राज्य कैपिटल आउटले के अर्न्तगत स्वीकृत किये गये थे जिसको संशोधित करके 2,251.96 करोड़ कर दिया गया है। 31 दिसंबर, 2021 तक 1,074.93 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

6.70 ग्रामीण पेयजल बढ़ौतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में मौजूदा (वर्तमान) पेयजल सुविधाओं को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ाने के लिए सुधार एवं सुदृढ़ करना है। गांवों में अतिरिक्त टयूबवैल लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं में बढ़ौतरी, नए नहर आधारित जल घरों का निर्माण, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके सुधार किया जाता है। वर्ष 2020–21 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 380 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 225 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2021 तक 2,23.99 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 300 करोड़ का प्रावधान था, जिस को संशोधित करके 190 करोड़ रूपये कर दिया गया है। 31 दिसंबर, 2021 तक 102 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

6.71 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000–01 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 1,274.91 करोड़ रुपये की लागत से आर.आई.डी.एफ.–XXII, XXIII, XXIV, XXV व XXVI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 41 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनका का विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

6.72 वर्ष 2020–21 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 345 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 170 करोड़ रूपये कर दिया था जिस पर 31–03–2021 तक 149.83 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 345 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2021 तक 103.38 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

6.73 स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घरों की है, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी एवम् नए नहर आधारित जलघर बना कर, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के, मौजुदा वितरण प्रणाली को मजबूत बना कर, पेयजल सुविधायें प्रदान/अपग्रेड की जाती हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अर्न्तगत बनाई गई संरचनाओं (ढाचों) के विकास के लिए 17.25 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिस को संशोधित कर के 3.50 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2021 तक 2.64 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत बनाई गई सरंचनाओं (ढांचों) के विकास के लिए 17.25 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिस पर 31–12–2021 तक 0.70 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

तालिका 6.3– नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	31–12–2021 तक किया गया कुल खर्च (लाख रुपए में)
1	जिला पलवल के पृथला और पलवल खण्डों के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में बढ़ौतरी का जल आपूर्ति योजना की सुविधायें प्रदान करना।	XXII	18430.62	16794.89
2	जिला हिसार में 6 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खास और शाहपुर, के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	1026.50	843.08
3	जिला हिसार के 4 जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	699.88	571.78
4	जिला मेवात के 80 गांवों फिरोजपुर झिरका व नगीना बलॉक में यमुना फल्ड प्लेन मे गांव अटाबा में रैनीवैल लगाकर जल आपूर्ति करना।	XXIII	21090.00	20876.50
5	जिला महेन्द्रगढ के 25 गांवो मे जल आपूर्ति में बढ़ौतरी (ब्लाक सतनाली)।	XXIII	12443.00	8359.72
6	जिला रेवाडी के 14 गांवो व 1 ढाणी, के लिए गांव खलेटा में नहर आधारित जलघर बनाकर जल आपूर्ति करना।	XXIII	4439.00	3884.23
7	जिला महेन्द्रगढ मे तहसील अटेली मण्डी के 61 गांवों के लिए, गांव भालकी में नहर आधारित जलघर बनाकर पानी की बढौतरी करना ।	XXIV	11470.00	6136.72
8	जिला रेवाडी के 25 गांवों व 3 ढाणियों के लिए गांव रधुनाथपुरा समूह में नहर आधारित जलघर सुविधायें प्रदान करना।	XXIV	6602.60	5282.66
9	जिला रेवाडी के 23 गांवों व 4 ढाणियों के लिए गांव सांपली व कसौला में नहर आधारित जलघर सुविधायें प्रदान करना।	XXIV	5612.40	4602.43
10	नारनौल तहसील जिला महेन्द्रगढ़ के 122 गांवों के लिए नहर आधारित पेयजल योजना में बढ़ौतरी की जल वितरण योजना।	XXV	9494.25	3277.02
11	गांव सिरसाली में 12 गांवों के समूह के लिए नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजनायें प्रदान करना।	XXV	3622.75	2629.31
12	तहसील एवम् जिला हिसार में चौधरीवाली माईनर की आर.डी.–20,000 से 7 जल घरों के लिए कच्चा जल प्रदान करना।	XXV	2554.15	2208.29
13	गांव महरा में 6 गांवों के समूह नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजना प्रदान करना।	XXV	1772.35	932.16
14	सौन्दहदः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव सौन्दहद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	1336.7	638.19
15	सौन्दहदः जिला पलवल के गांव सौन्दहद में सीवरेज सुविधायें प्रदान करने बारे।	XXVI	1276.95	289.60
16	डिगोटः जिला पलवल के गांव डिगोट में सीवरेज सुविधायें प्रदान करने बारे।	XXVI	1118.72	316.72
17	बापोली :जिला पानीपत के गांव बापोली में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।	XXVI	1099.3	284.03
18	औरंगाबादः जिला पलवल के गांव औरंगाबाद में सीवरेज सुविधायें प्रदान करने बारे।	XXVI	1074.45	361.58
19	भीदूकीः जिला पलवल के गांव भीदूकी में सीवरेज	XXVI	1072.05	185.57

	सुविधायें प्रदान करना।			
20	चुलकाना :जिला पानीपत के गांव चुलकाना में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।	XXVI	979.35	142.85
21	खाम्बीः जिला पलवल के गांव खाम्बी में सीवरेज सुविधायें प्रदान करने बारे।	XXVI	960.9	216.17
22	राणा माजराः जिला पानीपत के गांव राणा माजरा में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।	XXVI	687.25	161.90
23	डिगोटः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव डिगोट में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	623.35	345.47
24	भीदूकीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव भीदूकी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	577.9	227.95
25	औरंगाबादः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव औरंगाबाद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	477.05	151.26
26	चुलकानाः जिला पानीपत में चुलकाना गांव के लिए पेयजल बढौतरी योजना।	XXVI	391.25	157.43
27	बापौलीः जिला पानीपत में बापौली गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना।	XXVI	389.6	147.33
28	खाम्बीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव खाम्बी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	324.25	155.28
29	राणा माजराः जिला पानीपत में राणा माजरा गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना।	XXVI	271.8	135.26
30	बरवाः गांव भरवा में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	2725.80	0.00
31	मडलोढाः गांव मडलोढा में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।(जिला करनाल)	XXVII	2044.55	0.00
32	भैंसवाल कलाः गांव भैंसवाल कला में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।	XXVII	1579.40	685.11
33	बरवाःभरवा गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	1522.45	0.00
34	निंदानाःनिंदाना गांव के लिए पेयजल बढौतरी योजना।	XXVII	1279.05	619.78
35	निंदानाः गांव निंदाना में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना।	XXVII	1216.20	720.55
36	खानपुर कलाःखानपुर कला गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना।	XXVII	1087.85	701.42
37	खानपुर कलांःखानपुर कलां गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना।	XXVII	1077.60	943.95
38	मडलोढाः मडलोढा गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	985.65	0.00
39	बरसतः गांव बरसत में सीवरेज सुविधायें प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	925.85	0.00
40	भैंसवाल कलांःभैंसवाल मिठन और बावला गांव के लिए भैंसवाल कलां जलघर की पेयजल बढ़ौतरी योजना।	XXVII	798.20	698.20
41	बरसतःबरसत गांव के लिए पेयजल बढ़ौतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	330.15	0.00
42	**कुल जोड**		**127491.12**	**84684.39**

स्त्रोतः जनस्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

6.74 महाग्राम योजना के अर्न्तगत वित्तिय वर्ष 2020–21 के दौरान 10,000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मल निकासी सुविधायें प्रदान करने के लिए 12 करोड़ रूपये की धनराशि, जोकि संशोधित कर 30 करोड़ रूपये कर दी गई तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जोकि संशोधित कर 33 करोड़ रूपये कर दिया गया था। उपरोक्त 63 करोड आवंटित राशि में से 31–03–2021 तक 60.44 करोड़ रूपये खर्च किये गये थे।

6.75 इस योजना के अन्तर्गत 10 हजार की जनसंख्या वाले गांव में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मल निकासी सुविधायें प्रदान करने के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसको संशोधित कर 37 करोड़ रूपये कर दिया गया तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रूपये का प्रावधान है। उपरोक्त 82 करोड़ रूपये आवंटित राशि में से 56.52 करोड़ रूपये 31–12–2021 तक खर्च किये जा चुके हैं।

6.76 भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 7 लाख कार्यात्मक घरेलू कनैक्शन प्रदान करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 7.85 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन दिनांक 31–03–2021 तक प्रदान किये जा चुके हैं। वित्तिय वर्ष 2021–22 में 2.61 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2.96 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू कनैक्शन दिनांक 31–12–2021 तक प्रदान किये जा चुके हैं। हरियाणा राज्य में पलवल, नूह, महेन्द्रगढ़ तथा जीन्द जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। एक बड़े नीतिगत बदलाव में ग्राम जल सीवरेज समिति की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान जल जीवन मिशन (कवरेज) कार्यक्रम के अंतर्गत 241.80 करोड़ रूपये (राज्य के हिस्से सहित) का प्रावधान था, जिसको संशोधित करके 245 करोड़ रूपये कर दिया गया था तथा इस पर 31–03–2021 तक 235.60 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 213.80 करोड़ रूपये (राज्य के हिस्से सहित) का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 1,085 करोड़ कर दिया गया है तथा इस पर 31–12–2021 तक 518.47 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

6.77 कुल 95 शहरों (91 अधिसूचित शहर व 4 अनाधिसूचित शहर) में से 90 शहरों (जिनमें से 4 अनाधिसूचित शहर शामिल हैं) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाओं का रख–रखाव किया जा रहा है। सभी 90 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू–वित वर्ष 2020–21 के दौरान चुने हुए शहरों तथा शहरों की अनुमोदित हुई कलोनियों में जल वितरण तथा बढ़ौतरी के कार्यों को करने के लिए 147.06 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसको संशोधित करके 70 करोड़ कर दिया गया है तथा इस पर 31–03–2021 तक 68.21 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 147.06 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2021 तक 107.24 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

6.78 जहां तक मल निकासी योजनाओं का सम्बन्ध है राज्य में मल निकासी की सुविधाएं 80 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है जबकि 4 शहरों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है तथा 6 शहरों में कार्य आरम्भ किया जा रहा है। चालू वितीय वर्ष 2021–22 के दौरान, चयनित शहरों के छूटे हुऐ क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाओं के विस्तार के लिए 200.50 करोड़ रूपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है और इसके परिव्यय के खिलाफ 31–12–2021 तक 94.15 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

6.79 राष्ट्रीय राजधानी पर जनसंख्या भार को कम करने की दृष्टि से, उपनगरों में जल आपूर्ति और सीवरेज पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने और सेवाओं को लगभग राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सेवाओं के बराबर लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पलायन रोका जा सके। 2005 के बाद से सैटेलाइट कस्बों में जलापूर्ति और सीवरेज का एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया

गया है। इस का उद्देश्य राजधानी से सटे शहरों में लगभग समान सेवाएं प्रदान करना और देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या को कम करके दिल्ली से लगे शहरों में भेजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा वित्तपोषित योजनाएं 75:25 के शेयरिंग पैटर्न पर लागू की जाती है। जिस में 75 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य का होता है।

6.80 राज्य के 9 शहरों नामतः गनौर, खरखोदा, झज्जर, होडल, कलानौर, साम्पला, सोहना, बेरी तथा समालखा के लिए 72.11 करोड़ रूपये की लागत को 9 परियोजनाएं सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए 14–11–2017 को स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान 15 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसको संशोधित करके 9.50 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2021 तक 8.70 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। चालू वित्त वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 15 करोड़ रूपये मजूंर किये गये है तथा इस पर 31 दिसंबर, 2021 तक 3.70 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

6.81 मानसून के दौरान विभिन्न शहरों मे कई स्थान प्राकृतिक ढलान के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ की रोकथाम के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचों के निर्माण की आवश्यकता होती है। वर्ष 2020–21 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये का प्रावघान था जिसको संशोधित करके 7.5 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2021 तक 6.68 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान जो कार्य प्रगति पर हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 15 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई है जिसको संशोधित करके 40 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जिस पर 31–12–2021 तक 24.31 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है।

6.82 स्पैशल कम्पोनैंट सब प्लान के तहत अनुसूचित जाति की आबादी वाले इलाकों/कॉलोनियों में पर्याप्त जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नगरों में पेयजल/सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाई/उन्नत की जा रही है, इस के अलावा, इन निधियों को इंदिरा गांधी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए भी खर्च किया जा रहा है। 2020–21 में इस कार्यक्रम के तहत 13.70 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर के गांवों और शहरों के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में जलापूर्ति ओर सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 9.25 करोड़ रूपये कर दिया गया था। इस आवंटन के खिलाफ 31–03–2021 तक 8.70 करोड़ रूपये का खर्च किये गए थे वर्ष 2021–22 के दौरान गांवों और शहरों के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, स्पैशल कम्पोनैंट सब प्लान के तहत 13.70 करोड़ रूपये का प्रावधान है। जिसके विरूद्ध 31–12–2021 तक 5.05 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग

6.83 हरियाणा राज्य ने तेजी से घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण/बचत के लिए 05–11–2019 से पुनः उपयोग के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर (उपचारित अपशिष्ट जल) नीति को अधिसूचित किया है। यह परिकल्पित किया गया है कि उपचारित अपशिष्ट जल की एक–एक बूंद का उपयोग ऊष्मीय संयंत्रों, उद्योगों, निर्माण, बागवानी और सिंचाई उददे्श्य आदि में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल सैल भी उक्त नीति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के स्तर पर परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है। पॉलिसी निम्नलिखित उददे्श्यों को संशोधित करती हैः

- पॉलिसी के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक नगर पालिका द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।
- 2023 तक उपचारित अपशिष्ट जल के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करना।
- 2025 तक 80 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।

6.84 हरियाणा राज्य के 95 शहरों में 1,978.50 मिलियन लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वर्तमान समय में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट, कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स से 1,280.85 एम.एल.डी. प्रवाह को उत्पन्न किया जा रहा है।

6.85 वर्ष 2020–21 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कैपीटल आऊटले 1,500.51 करोड़ रूपये था जिसको संशाधित कर के 9,93.75 करोड़ रूपये कर दिया गया था। रवैन्यू आऊटले 2,134.76 करोड़ रूपये था जिस को संशोधित कर के 2,341.21 करोड़ रूपये कर दिया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग का कैपीटल आऊटले 1,393.51 करोड़ रूपये था जिसको संशोधित कर के 2,251.96 करोड़ रूपये कर दिया गया है तथा रवैन्यू आऊटले 2,052.35 करोड़ रूपये था जिस को संशोधित कर के 2,494.90 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.86 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजना चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विभाग का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सीखने की क्षमता बढाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि को बढ़ावा देना है। विभाग का बजट वर्ष 2014–15 में 1,113.49 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 1,832.02 करोड़ रूपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में नवम्बर, 2021 तक 841.63 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

6.87 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी जिसका उद्देश्य पक्षपाति लिंग जांच को रोकना, लडकियों व बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के 12 जिलों को चुना गया जिनका शिशु लिंग अनुपात असंतुलित था। इसके पश्चात् वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम शेष 8 जिलों में तथा मार्च, 2018 में मेवात जिले में अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को एक सांझा मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 था, नवम्बर, 2021 में बढ़कर 910 तक पहुंचाई गई है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

6.88 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2017 से इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थय संबधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य संबधित समस्याएं। इस

योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रूपये की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। वर्ष 2021–22 में अप्रैल, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक 1,85,126 लाभपात्रों (किश्तों के आधार पर) पर 30.83 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

वन स्टॉप केन्द्र सखी

6.89 हिंसा से पीडित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के निचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं समाजिक काउसंलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र सखी की स्थापना प्रथम चरण में जिला करनाल, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, रेवाडी, भिवानी एवं नारनौल में की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में शेष जिलों में 15 वन स्टॉप केन्द्र चलाए गए। इस योजना के तहत राज्य में वर्ष 2021–22 के दौरान अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2021 तक कुल 4,771 केसों का निपटान किया गया।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

6.90 वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लडकी के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत मास नवम्बर, 2021 तक 57,273 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.91 हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च, 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राशि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के बैंक खाते में अब तक 69.88 लाख रूपये की राशि जमा की गई है। आयकर विभाग द्वारा इसमें आयकर एक्ट की धारा 12एए के अन्तर्गत चैरिटेबल सोसाईटी का पंजीकरण तथा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में हरियाणा कोष के खाते में 22.40 लाख रूपये की राशि है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.92 यह योजना दिनांक 22–01–2015 को चलाई गई थी जिसका उद्देश्य असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में अप्रैल, 2021 से अक्तूबर, 2021 तक कुल 37,774 खाते डाकखाने में खुलवाये जा चुके हैं।

पोषण अभियान

6.93 पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझनु जिले में शुरू किया गया । पोषण अभियान का लक्ष्य 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से हैं। पोषण अभियान राज्य के सभी जिलों में लागू हैं। पोषण अभियान के पहले चरण में 2 जिले नूंह व पानीपत को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिलों नामतः कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत को चयनित किया गया बाकी जिलों को तीसरे चरण के तहत कवर किया गया। सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को प्रत्येक महीने के 8वें और 22वें दिन प्रत्येक आंगनवाडी में आयोजित करवाये गये। अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2021

तक के पोषण दिवस महीने के 15वें दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के अभिसरण में नियमित तौर पर आयोजित किए गए। अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2021 तक के दौरान 1,59,446 ग्रमीण स्वास्थय, स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजित किए गए। विभिन्न स्तर पर अभिरण कार्य योजना बनाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.94 समेकित बाल संरक्षण योजना एक एम्ब्रैला योजना है जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन कराने वाले किशोरों से सम्बधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अक्ष्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुर्नवास की सुविधा उपलब्धा करवाई जा रही है। इसके लिये राज्य में 79 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य में सभी जिलों में फैली हुई है तथा 47 खण्डों में 2,000 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में किशोर न्याय समिति और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6.95 समेकित बाल विकास सेवा योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। यह योजना 21 शहरी परियोजना सहित 148 खण्डों (127 ग्रामीण, 21 शहरी) में 25,962 आंगनवाडी केन्द्रों, जिनमें 512 मिनी आंगनवाडी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरी व 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों को 500 कैलोरी व 12–15 ग्राम प्रोटीन तथा कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित माप दंडों के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार की दरों को 7 रूपये से 9.50 रूपये प्रति माता, 6 रूपये से 8 रूपये प्रति बच्चा व 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बालक प्रति दिन कर दिया गया है। 11.01 लाख बच्चों व 3.12 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

6.96 बच्चों और महिलाओं को प्रदान किये जा रहे पूरक पोषण के मूल्य को बढाने के लिए निम्न पहल की गई है:–

- आंगनवाडी केन्द्रों में राशन बनाने के लिए डबल फोर्टीफाईड नमक का प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य की शहरी परियोजनाओं में आपूर्ति के लिए पंजीरी प्लांट के दोनों संयत्रों गुरूग्राम व घरोंडा द्वारा फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार की जा रही है।
- फोर्टीफाईड गेंहू का आटा सभी जिलों में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- फोर्टीफाईड तेल सभी जिलों में व दोनों पंजीरी प्लांट में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण

6.97 वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण के लिए 8,000 लाख रूपये का प्रवाधान है। जिसमें से 935 अधूरे आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने के लिए 2,004.14 लाख रूपये की राशि जारी की गई है तथा 9,391 आंगनवाडी केन्द्रों में वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण के लिए 1,878.20 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के कियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास हेतू सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण

7.2 हरियाणा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन सोसाईटी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल कियान्वयन हेतु विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र व राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में कियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में साफ–सफाई के स्तर को बढ़ाकर तथा खुले में शौच से मुक्त को दिनांक 22–06–2017 से लागू कर लोगों के सामान्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 7,35,314 व्यक्तिगत घरेलू शोचालायों का निर्माण करवाया गया है।

ठोस और तरल अपषिष्ट प्रबंधन

7.3 इन परियोजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली राशि किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में मौजूद आबादी पर निर्भर करती है। 5,000 तक की आबादी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन हेतु 60 रूपये प्रति व्यक्ति व स्लेटी पानी के प्रबंधन हेतु 280 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि का प्रावधान हैं। इसी प्रकार 5,000 से ऊपर की आबादी वाले गांवों मे ठोस कचरा प्रबंधन हेतु 45 रूपये प्रति व्यक्ति व स्लेटी पानी के प्रबंधन हेतु 660 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि का प्रावधान हैं। इस घटक के अन्तर्गत 30 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को अपने 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि से वहन करनी होगा। शेष 70 प्रतिशत राशि केन्द्र व राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में देने का प्रावधान है। राज्य में अब तक 1,915 ठोस कचरा प्रबंधन व 2,531 तरल कचरा प्रबंधन की परियोजनाए स्वीकृत की गई है, जिनकी अनुमानित लागत 1,933.31 करोड़ है। इन परियोजनाओं मे से 1,136 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, 301 मे कार्य प्रगति पर है। इसी तरह तरल कचरा प्रबंधन की 729 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है व 366 मे कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के लिए 622.92 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है ।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2019

7.4 हरियाणा राज्य द्वारा दिनांक 22–06–2017 को खुले में शौच मुक्त स्तर को प्राप्त किया गया। अब स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का जोर खुले में शौच मुक्त स्तर का स्थायित्व व ठोस व तरल कचरा प्रबंधन पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2019 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त

किया व जिला फरीदाबाद व रेवाड़ी ने दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया।

गंदगी मुक्त भारत अभियान

7.5 गंदगी मुक्त भारत अभियान पूरे देश में दिनांक 08–08–2020 से 15–08–2020 तक चलाया गया था। 2 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रपिता गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित "स्वच्छ भारत दिवस" के अवसर पर केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य को सर्वाधिक ओ.डी.एफ. प्लस गांव होने पर देशभर में प्रथम पुरस्कार मिला हैं। इसके इलावा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में हरियाणा राज्य ने तीसरा स्थान हासिल किया हैं।

अनुसचित जाति के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना

7.6 यह स्कीम 2 अक्तूबर, 2007 मे लागू की गई। गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,229 से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाए थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 10,000 रूपये प्रति माह दिये जाते थे। सरकार द्वारा दिनांक 01–02–2019 से सफाई कर्मी को दिये जाने वाले मानदेय की दर 10,000 रूपये से बढ़ाकर 11,000 रूपये और 12–09–2019 से 12,500 रूपये तथा 16–07–2021 से 14,000 रूपये प्रति माह किया गया है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों मे कार्यारत ग्रामीण सफाई कर्मचारीयो को ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

हरियाणा स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना

7.7 सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्रामीण जनसंख्या को शहरी आबादी की ओर विस्थापित होने से रोकने हेतू एक नई योजना 'स्वर्णजयंती महा ग्राम विकास योजना' शुरू करने का फैसला लिया गया है। स्कीम का उदेदश्य बड़े गावों को व्यापार, विपणन सुविधा, सामाजिक एवं ढांचागत विकास, शिक्षण संस्थान एंव मानव विकास आदि में विकसित करना है। ताकि ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर विस्थापित होने से रोका जा सके। इन गावों में सीवरेज की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जायेगी। वर्ष 2021–22 के लिए 20 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत थी।

हरियाणा में ग्राम सचिवालयों की स्थापना

7.8 ग्राम पंचायतों को संस्थागत रूप देने और साथ ही उनके काम–काज में पारदर्शिता लाने के लिए, विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिवालय योजना बनाई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत नये खण्ड कार्यालय भवन व जिला परिषद भवन भी बनाये गये हैं। वर्ष 2021–22 के कुल बजट 2,500 लाख रूपये में से अब तक 774.82 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

ग्रामीण विकास के लिए युवा स्वयंसेवकों के बीच तालमेल (तरूण)

7.9 ग्रामीण क्षेत्रों मे नई युवा–ग्रामीण विकास के लिए ग्राम के स्वयंसेवकों के बीच (तरूण) ग्रवित''–'ग्रामीण विकास के लिए तरूण' नामक स्कीम से सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक बदलाव हेतू स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर जिला झज्जर में 12 जनवरी, 2015 को योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को स्वयंसेवी बनाना तथा गांव में परिवर्तन लाने के लिए अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करने का लक्ष्य है। स्कीम हेतू मुख्यालय एवं जिला स्तर के अमले के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। राज्य एवं जिला स्तर के पदों हेतू प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जा चुके है। इस स्कीम में अब तक लगभग 15,292 स्वंय सेवकों का पंजीकरण हुआ है जिनमें से 10,713 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 के कुल बजट 3,50

लाख रूपये में से अब तक 65.49 लाख खर्च किये गए।

स्वामित्व स्कीम

7.10 इस स्कीम के तहत हरियाणा को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए दिनांक 11–10–2020 को हरियाणा के 3,081 गावों में 3,78,870 रजिस्ट्री/टाईटल डीड/प्रोपर्टी कार्ड/प्रोपर्टी सर्टीफीकेट तैयार किए गए। 22–11–2021 तक लगभग 3,081 गावों में 3,70,860 रजिस्ट्री/टाईटल डीड/प्रोपर्टी कार्ड/प्रोपर्टी सर्टीफीकेट वितरित किए गए और अब तक लगभग 6,302 गावों को इस स्कीम के अन्तर्गत कवर किया गया है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.11 यह योजना 2 अक्तुबर, 2008 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (क) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट किए जा रहे है। वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 3.75 लाख परिवारों को उपहारनामा के माध्यम से स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जाएंगा। सरकार का इन बस्तियों में पानी की पाईपलाईन और बिजली की लाईनों को बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा है। वित्त वर्ष 2021–22 में 30 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से अब तक 26.59 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी हैं। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है, उन ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष 10 हजार रूपये प्रति एकड वार्षिक भत्ते के रूप में दिये जाने है।

राजस्व आय योजना के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता

7.12 यह स्कीम पंचायत एंव पंचायत समितियो ग्रामीण क्षेत्र मे उनकी आय के साधन को विकसित करने के उदेश्य से वर्ष 1957–58 से शुरु की गई थी। स्कीम के तहत पंचायतो/पंचायत समितियो को टयूबवैल लगवाने, दुकानों के निर्माण करने या स्टाफ हेतू रिहायशी मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यह ऋण 30 वार्षिक किस्तो में वसूल किया जाता है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिये 2 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

मैचिंग ग्रान्ट स्कीम

7.13 यह स्कीम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो मे विकास कार्यो को बढ़ावा करने के लिए लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत स्कूल भवन, पशु औषाधालय, हस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, महिला मण्ड़ल, अनुसूचित एंव पिछड़ी जाति चौपालों के निर्माण व अन्य विकास कार्यो के लिए पंचायत/पंचायत समिति व पब्लिक (पी.डब्लू.डी.) भवन एवं सड़के व स्थानीय समितियों के माध्यम से रिलीज की जाती है। इससे लोगों की भागीदारी का हिस्सा बढ़ता है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिये 2 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रावधान किया गया। जिसमें से 1.34 करोड़ रूपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

राज्य वित्त आयोग

7.14 राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अर्न्तगत प्राप्त सहायतानुदान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा ज़िला परिषदों में वितरित की जाती है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिये 1,715 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.15 चौपालों को बढावा देने का उदेश्य समुदायों को उनके समुदायिक कार्यों जैसे विवाह, त्योहारों को मनाने के लिए और सामान्य महत्व

के मुदों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य प्लेट फॉर्म प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिये 50,000 लाख रूपये की बजट व्यवस्था का प्रावधान किया गया। जिसमें से 16,728.50 लाख रूपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

ई–ग्राम स्वराज

7.16 ई–ग्राम स्वराज देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई–गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया था। ई–ग्राम स्वराज एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब–पोर्टल है जिसे पूर्व में ई–पंचायत पीईएस एप्लिकेशन के रूप में जाना जाता था, जो राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत मिशन मोड परियोजनाओं (एम.एम.पी.) में से एक है। इसमें पंचायत की पूरी जानकारी, पंचायत वित्त का ब्यौरा, परिसंपत्ति विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के माध्यम से शुरू की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों/विभागों से पंचायत की जानकारी जैसे जनगणना 2011, एस.ई.सी.सी. डाटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि के लिए एकल खिड़की प्रदान की गई है। फिलहाल केंद्रीय वित्त आयोग की ग्रांट की मॉनिटरिंग के लिए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए वर्तमान स्थिति के अनुसार, लगभग 6,225 (100 प्रतिशत) जीपीएस को ई–ग्राम स्वराज–पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेस (ई.जी.एस.–पी.एफ.एम.एस.) पर ऑनबोर्ड किया गया हैं ।

सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतो को प्रोत्साहन देने बारे

7.17 सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों तथा सरपंच, पंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के सर्वसम्मति से चुने जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को प्रोत्साहन राशि दी जाये। इसका उदेदश्य सामाजिक सामंजस्य व गांव में एकता का वातावरण बनाए रखने को प्रोत्साहित करना है। इसका उपयोग गॉव में होने वाले विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। जिन ग्राम पंचायतों मे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के चुनाव सर्वसम्मति से होंगे, उनमें 11 लाख रूपये का कुल बजट रखा जाऐगा तथा सरपंचों का चुनाव सर्वसम्मति से किये जाने पर अब तक 5 लाख रूपये की राशि खर्च की जायेगी।

दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना

7.18 प्रदेश में गांवो के विकास के लिए हरियाणा के महान नेता स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना वर्ष 2017–18 से शुरू की गई । जिसके तहत तीन वर्षो में 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 500 करोड़ रूपये खर्च होंगें। वित्त वर्ष 2021–22 के लिये 150 करोड़ रूपये की बजट राशि का प्रावधान किया गया तथा 150 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई हैं।

हरियाणा राज्य ग्रमीण स्वच्छता पुरस्कार योजना

7.19 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने 26 जनवरी, 2018 को "7–सितारा इंद्रधनुष योजना" का शुभारंभ किया, जिसके तहत हरियाणा राज्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों (जी.पी.एस.) की पहचान की जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत सात मापदंडों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को स्टार ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। सात पैरामीटर और उनके संबंधित सितारे हैं (1) लिंगानुपातः पिंक स्टार, (2) शिक्षा और ड्रॉपआउटः ब्लूस्टार, (3) स्वच्छता/शांतिः व्हाइट स्टार, (4) शांति और सद्भावः ऑरेंज स्टार, (5) पर्यावरण संरक्षणः ग्रीन स्टार, (6) सुशासनः गोल्डन स्टार, (7) सामाजिक भागीदारीः सिल्वर स्टार। हरियाणा राज्य भर में

3,930 जी.पी.एस. को लगभग 85 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि वितरित की गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना

7.20 पचांयती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उददेश्य देश भर में निर्वाचित होने वाली ग्राम पंचायतो की सहायता करना है ताकि वे बुनियादी स्तर पर अपने कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम दे सके। इसके अतिरिक्त पंचायतों और ग्रम सभाओं की क्षमताओं और प्रभावशीलता को बढानें और पचायतों में लोकतांत्रिक निर्णय लेनें और जवाबदेही को सक्षम करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया हैं। यह योजना संविधान की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं।

7.21 भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए 19.80 करोड़ रूपए स्वीकृत किये है। भारत सरकार द्वारा 9.89 करोड़ (60 प्रतिशत) व राज्य सरकार द्वारा 3.96 करोड़ (40 प्रतिशत) अब तक जारी किया जा चुका है। भारत सरकार ने वर्ष 2021–22 के लिए 241.09 करोड़ रूपए स्वीकृत किये है।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.22 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 20–01–2022 तक रूपये 598.01 करोड़ रूपये की राशि व्यय करके 116.75 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 48.87 लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 60.81 लाख महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वार्षिक योजना 2022–23 के लिए रूपये 450 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

7.23 विधायक आदर्श ग्राम योजना के अतंर्गत वर्ष 2021–22 में 20–01–2022 तक चयनित गांवों के लिए 60.93 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा 659 कार्य पूर्ण किए जा चुके है। वार्षिक योजना 2022–23 के लिए रूपये 180.20 करोड़ का परिव्यय राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

श्यामा प्रदास मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.24 श्यामा प्रदास मुखर्जी रूर्बन मिशन के अतंर्गत कुल चयनित 10 कलस्टरों में 150 गांव शामिल किये गये है। वर्ष 2021–22 (20–01–2022) तक 95 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 67.50 करोड़ रूपये (22.38 करोड़ रूपये क्रिटिकल गैप फंड व 45.12 करोड़ रूपये कंवर्जेन्स आर.डी) की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2022–23 के लिए 200 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना

7.25 प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना राज्य के 12 जिलों में लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 12.08 करोड़ रूपये की राशि 20–01–2022 तक खर्च की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में कुल व 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका बजट कुल 80.59 करोड़ के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना राज्य के 5 जिलों नामतः भिवानी, चरखीदादरी, गुरूग्राम, महेन्द्रगढ व यमुनानगर में आगामी 5 वर्षों में

कियान्वित की जायेगी। वर्ष 2022–23 के लिए 40 करोड़ रूपये (12 करोड़ रूपये केन्द्र एवं 28 करोड़ रूपये राज्य के हिस्से के रूप में) राशि प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना (एन.आर.एल.एम.)

7.26 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 4,001 स्वयं सहायता समूह 20–01–2022 तक बनाये गए हैं। कुल 3,884 स्वयं सहायता समूहों को रूपये 3.88 करोड़ रूपये की परिक्रामी राशि दी गई है। इसी प्रकार 4,869 स्वयं सहायता समूहों के लिए 28.20 करोड़ रूपये की राशि सामुदायिक राशि के रूप में खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 44.55 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप कार्यक्रम

7.27 स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। वर्ष 2021–22 के दौरान 20–01–2022 तक 1,238 उद्यमों को योजना के गहन कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है और यह कार्यक्रम 4 खण्डों में लागू किया गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रैस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 64 वाहन बिना ब्याज के उपलब्ध करवाये गये।

दीन–दयाल उपाध्याय –ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–आर.एस.वाई.)

7.28 दीन–दयाल उपाध्याय ग्रामीण–कौशल योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 20–01–2022 तक 2,178 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7.95 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। दीन–दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल योजना व स्टार्ट–अप विलेज एंट्रीप्रीन्योरशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2022–23 के लिए रूपये 210 करोड़ की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के तथा आर.सेटी. के अतंर्गत 5 करोड़ रूपये की राशि 100 प्रतिशत केंद्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

7.29 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2021–22 में 20–01–2022 तक इस योजना के अंतर्गत कुल रूपये 11.53 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है व 106 कार्य पूर्ण किये गये।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

7.30 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम राज्य के 7 जिलों के 15 खण्डों नामतः सिरसा (ओडान, डबवाली, बारागुढा, ऐलनाबाद) मेवात (नूंह, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुन्हाना) यमुनानगर (छछरौली) कुरूक्षेत्र (पेहवा) कैंथल (गुहला, सिवान) फतेहाबाद (रतिया, जाखल) व पलवल (हथिन) में लागू की जा रही है, जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत और उससे अधिक है। इस योजना के तहत 3.54 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य के हिस्से के रूप में 50 करोड़ रूपये का बजट वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाटर शैड स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका कुल बजट 80.59 करोड रूपये के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना राज्य के पांच जिलों नामतः भिवानी, चरखीदादरी, गुरूग्राम, महेन्द्रगढ व यमुनानगर में

आगामी 5 वर्षों में क्रियान्वित की जायेंगी। वर्ष 2022–23 के लिए 40 करोड़ रूपये (12 करोड़ रूपये केन्द्र एवं 28 करोड़ रूपये राज्य के हिस्से के रूप में) राशि प्रस्तावित की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय

7.31 शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्थाऍं है, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना और नागरिक सुविधाए प्रदान करती है। मुख्य रुप से शहरी समाज में हरियाणा का स्थिर परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले 35 प्रतिशत से अधिक लोगो के साथ, राज्य भारतीय संघ में उच्च शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औघोगिक अर्थव्यवस्था के साथ, शहरी केन्द्र गतिविधियों और विकास के केंद्र है। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास पैटर्न प्रमुख शहरी गलियारों के साथ एक सन्निहित शहरी विकास का है, जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो गया है। गलियारों के साथ इस तरह के एक क्लस्टर विकास का प्रभाव शहरी स्थानीय निकायों पर शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौती का जवाब देने के लिए दबाव है और आने वाले वर्षो में एक चुनौती होगी। इस प्रकार 1991 में इसकी आबादी 24.6 से बढकर वर्ष 2001 में 28.93 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 34.80 प्रतिशत हो गई।

7.32 शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम अधिनियम 1994 नगर पालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में राज्य में 93 नगर पालिकांए है, जिनमें से 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद और 60 नगर पालिकायें शामिल हैं।

7.33 शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बजट प्रावधान पिछले वर्षो से काफी बढ़ा है, चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान शहरों का निर्माण और उन्नयन्न पर जोर देने के लिए राज्य के बजट में 7,113.32 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

7.34 स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार समुदाय को विशिष्ट स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबंद्व है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा 71,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) बनाने के रिवाईज्ड लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 66,388 (93.5 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 4,081 सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,313 सार्वजनिक शौचालय सीटों (पी.टी.) के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करते हुए क्रमशः 4,057 (99 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,872 (109 प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालय (पी.टी.) सीटों का निर्माण किया जा चुका है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021

7.35 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य के वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

- भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्यो के मंत्रालय ने 13 शहरों को ओडीएफ++ तथा 49 शहरों को ओडीएफ+ के रुप में प्रमाणित किया है।
- हरियाणा राज्य से 87 शहरी निकायों ने प्रमुखता से भागीदारी की जिसमें से 6 शहरी निकायों (गुरूग्राम–24, फरीदाबाद–41, रोहतक– 49, करनाल–86, अम्बाला–90 तथा पंचकूला–99) ने भारत के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन करने वाली एक लाख से दस लाख

जनसँख्या वाले शहरी निकायों में अपना स्थान सुनिश्चित किया।

- कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नगर निगम गुरूग्राम और रोहतक को तीन स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है।
- सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत गुरूग्राम ने 246 शहरी निकायों में से चौथा स्थान प्राप्त किया।

प्रेरक दौड़ सम्मान

7.36 नगर निगम गुरूग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड (अनुपम), नगर निगम पंचकूला, फरीदाबाद और नगर पालिका नीलोखेड़ी को सिल्वर (उज्जवल) तथा नगर निगम अम्बाला शहर को कॉपर (आरोही) से सम्मानित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

7.37 इस परियोजना का उद्देश्य पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन प्रदान करना है। कुल 13 क्लस्टरों का गठन और खुली तकनीक (अपशिष्ट से खाद, आर.डी.एफ., बायो–मिथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा और कई अन्य उपयुक्त तकनीक, जिसे परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते समय अनुमोदित किया जा सकता है और 22 साल की रियायत अवधि के साथ किया गया है, इन 13 क्लस्टरों मे से एक कार्यन्वित किया जा चुका है और एक कार्यान्वयन चरण में है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

7.38 अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था तथा मार्च, 2020 तक पूरा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा इस मिशन की समयावधि को बढ़ाकर मार्च, 2022 तक दिया गया है। इस परियोजना के तहत 18 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना के तहत अमृत मिशन के तहत हरियाणा राज्य के लिए 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) को मंजूरी दी है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2,020.24 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। एस.एच.पी.एस.सी. एवं एस.एल.टी.सी. द्वारा 2,694.30 करोड़ रूपये की लागत की 45 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को अनुमोदित किया जा चुका है। इन 45 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विरुद्व, एस.एल.टी.सी. द्वारा 55 डिटेल नोटिस निवेश टैंडरस को अनुमोदित किया जा चुका है जिनकी पूंजीगत लागत 2,310. 01 करोड रूपये है। एस.एल.टी.सी. की विभिन्न बैठकों में 54 कार्यों को अनुमोदित किया जा चुका है, जिनकी पूंजीगत लागत 2,912.13 करोड़ रूपये है और सभी कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 75 प्रतिशत है। अब तक इन कार्यो के निष्पादन पर 1,921.23 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी की सेवाएं

7.39 जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 1979 से तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 2013 से देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22–06–2017 को आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं शेष 8 नगर निगमों को जल्द ही परंतु अमृत स्कीम के पूरा होने से पहले ही स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस निर्णय की अनुपालना में जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए पहले चरण में नगर निगम करनाल और सोनीपत द्वारा 16–09–2018 को इन सेवाओं को ले लिया गया था। वित्त विभाग द्वारा नगर निगमों को सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी की सेवाएं नामक नई स्कीम शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई हैं।

चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के बजट में 125 करोड़ रूपये का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत अब तक **24** करोड़ खर्च किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

7.40 भारत सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरु किया गया। भारत सरकार द्वारा यह केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप मे संचालित है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 5 वर्ष की अवधि के लिये 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा भी समान राशि के रुप में स्मार्ट सिटी में योगदान किया जा रहा है। शहरी विकास मन्त्रालय की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में दो शहरों नामत फरीदाबाद तथा करनाल को स्मार्ट शहरों के रुप में विकसित किया जाना है। फास्ट ट्रैक स्मार्ट शहरों के अन्तर्गत दिनांक 21–05–2016 को फरीदाबाद का चयन किया गया तथा दिनांक 28–06–2017 को तीसरे दौर में करनाल को बतौर स्मार्ट सिटी चयनित किया गया।

- **फरीदाबाद स्मार्ट सिटीः** विशेष उद्देश्य वाहन नामतः फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20–09–2016 को स्थापित किया गया था, जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया गया। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 588 करोड़ रुपये, जिसमें 294 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 294 करोड़ रुपये राज्य सरकार के हिस्से के रुप में जारी किये गये है। नगर निगम फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर आधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 50 परियोजनायें है जिनकी कुल लागत 887.86 करोड़ रुपये है। 50 परियोजनाओं में से 167.39 करोड़ रूपए की 07 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। कुल 442.97 करोड़ राशि के कुल 11 परियोजनायें निष्पादन के तहत है व 2021–22 तक पूर्ण हो जाएंगे। 25.94 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और वह निविदा के अंतर्गत है जबकि 251.62 करोड़ रूपयों की राशि की 24 परियोजनाएं डी.पी.आर. तैयारी के चरण में है व संभवतः 2021–22 तक पूर्ण हो जायंगे।
- **करनाल स्मार्ट सिटी–** करनाल स्मार्ट सिटी के लिए विशेष उद्देश्य वाहन का गठन दिनांक 08–12–2017 को किया गया था तथा के.एस.सी.एल कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया गया है। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 256 करोड़ रुपये, जिसमें से 128 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 128 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है। नगर निगम करनाल के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दो घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर आधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 116 परियोजनायें है जिनकी कुल लागत 1,685.51 करोड़ रुपये है। 116 परियोजनाओं में से 143.20 करोड़ रुपये की 23 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है। कुल 226.70 करोड़ राशि के कुल 23 परियोजनायें निष्पादन के तहत है व 2021-22 तक पूर्ण हो जाएंगे। 69.89 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और वह निविदा के अंतर्गत है। जबकि 435.49 करोड़ रूपये की राशि के 25 परियोजनाओं की डी.पी.आर तैयारी के चरण में है व संभावित 2021–22 तक पूर्ण हो जाएंगे, शेष 33 परियोजनायें जिनकी कुल लागत 810.23 करोड़ रूपये है करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के विचाराधीन है।

मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना

7.41 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य के बजट भाषण के दौरान, योजना ''मेरा शहर सर्वोत्तम शहर'' की घोषणा की गई थी जिसमें 1,000 करोड़ रुपये आबंटित किये गए थे। यह योजना राज्य से वित्तीय लाभ प्राप्त करते समय एक उभरती हुई शहरी चुनौती में भाग लेने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को लॉन्च पैड प्रदान करने की परिकल्पना करती है। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में पहले ही 25 करोड़ रुपये जारी कर रखे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया और विचार एवं अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

7.42 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट भाषण के दौरान एक नई मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की घोषणा की गई है। यह योजना निम्नलिखित मूल भूत सुवाधाओ को प्रदान करने की परिकल्पना करती हैः जल आपूर्ति, सीवेज, सेप्टेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस और पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सड़क व गलिया, नाइट शेल्टर, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एस.डब्ल्यू.एम.), दूध डेयरी का स्थानांतरण, नगरपालिका कार्यालय के लिए भवन का निर्माण, आवारा पशुओं के पशुबाड़े का निर्माण और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीएम घोषणा के माध्यम से यूएलबी को सौंपा गया कार्य। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1,108.06 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य के बजट में किया गया है जिसमें से 1,088.37 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को जारी किये गये हैं।

जगमग शहर योजना

7.43 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एक नई योजना 'जगमग शहर योजना' की घोषणा की गई। यह योजना शहरी क्षेत्रों/सड़कों पर नई ऊर्जा कुशल एल.ई.डी. लाइट्स लगाने, ऊर्जा कुशल एल.ई.डी. लाइट्स के साथ सभी मौजूदा पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन, ऊर्जा मीटर और मौजूदा स्ट्रीट लाइट के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

क) सरल पोर्टल

7.44 शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरल पोर्टल पर 29 सेवाओं को ऑनलाईन शुरू किया है, प्रारम्भिक प्रमुख सेवाएं– जन्म और मृत्यु, विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण योजना, अग्रिशमन सेवाएं, जल और सीवर कनेक्शन व बिलिंग और विभिन्न व्यवसाय लाइसेस, वाहन विलेख जारी करना, सामुदायिक केंद्र की बुकिंग।

ख) कोई बकाया नही प्रमाण पत्र

7.45 नो डयूज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक पोर्टल शुरु किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी संपत्ति के लिए नो डयूज सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते है। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में, भुगतान का विवरण पोर्टल पर दिखाई देता है और नागरिक ऑनलाईन भुगतान कर सकता है।

ग) सॉफटवेयर को विकसित करना

7.46 सभी शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाईटें हेड आफिस द्वारा विकसित की जा रही है, जो सामग्री प्रबंधन प्रणाली में विभाग की वेबसाइट के साथ एकीकृत है। विभाग ने संपत्ति कर के लिए एक सॉफटवेयर लॉन्च किया है जो संपत्ति के संपत्ति कर विवरण के साथ साथ आकार, फर्श, संपत्ति श्रेणी इत्यादि जैसे संपत्ति

विवरण प्रदर्शित करता है नागरिक इस पोर्टल पर अपने बकाया संपत्ति कर देय राशि का भुगतान कर सकते है। वर्तमान मे इस एप्लिकेशन का उपयोग 12 शहरी स्थानीय निकायो में किया जाता है और इसे पूरे राज्य में 01–04–2022 से लागू करने की योजना है।

कार्य प्रंबधन प्रणाली

7.47 विभाग ने कार्य प्रबंधन प्रणाली शुरु की है जिसमें परियोजना परिभाषा, अनुमान तैयार करने और अनुमोदन, प्रशासनिक और बजट अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, विक्रेता पंजीकरण, कार्य आबंटन, ई. माप पुस्तिका, बिल प्रसंस्करण के लिए मॉडयूल शामिल है। विक्रेताओं को सभी अनुमान अनुमोदन, बिलिंग और भुगतान के माध्यम से किया जाता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.)

7.48 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 609 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 561 करोड़ रुपये नगरपालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 661 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से पालिकाओं को 217.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.)

7.49 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 1,493 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया तथा पूरी राशि नगर पालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया और 1,104.52 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की गई।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

7.50 इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को लाभकारी स्वरोजगारों एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उन की पहुंच को सुलभ बनाकर उन की आजीविका में स्थायी सुधार करना है। मिशन विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके अतिरिक्त मिशन शहरी पथविक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है ताकि उनकी पहुंच बढ़ते हुए बाजार तक हो सके।

दीनदयाल अंत्योदया योजना

7.51 हरियाणा के 93 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण किया गया जिसके अन्तर्गत 1,03,501 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई तथा दिनांक 31–12–2021 तक 10.17 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। 81 निकायों ने 55,943 सर्टिफिकेट आफ वेंडिग बांट दिये हैं। 25 निकायों ने 9,556 स्मार्ट आई. डी. कार्ड जारी कर दिये हैं। विभाग द्वारा राज्य के शहरों/कस्बों में बेघर आबादी का सर्वेक्षण करवाया गया जिसके अन्तर्गत 11,543 शहरी बेघर परिवारों के 19,015 लोगों की पहचान हुई। राज्य में 142 स्थाई/अस्थाई/पोर्टा कैबिन आश्रय स्थापित किये गये हैं। हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटिड को 26 प्रीफैब्रीकेटेड शैल्टर्स का निर्माण कार्य सोंपा गया है जिसमें से 26 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 26 कार्यशील हैं। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,180 लाभार्थियों तथा 53 समूहों को बैकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। 5,586 स्वयं सहायता समूह बनाए गये तथा 3,377 समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान किया जा चुका है। 26 क्षेत्रीय स्तर पर फैडरेशन बनाये गये हैं। 26,182 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 21,058 अभ्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी

किये जा चुके हैं तथा 11,437 अभ्यार्थियों को रोजगार दिया जा चूका है और 4,542 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 51 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

7.52 पी.एम.स्व.निधि योजना भारत सरकार विशेष रूप से उन पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनका कोरोना के दोनों दौर के अन्दर रेहड़ी–फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। रेहड़ी पटरी वालो को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी दी जाती है एवं इसी क्रम में समय पर ऋण राशि का भुगतान करने के उपरान्त रेहड़ी–फड़ी विक्रेता द्वितीय चरण में 20,000 व तृतीय चरण में 50,000 कार्यशील पूंजी ऋण का पात्र हो जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दिया जाना स्वीकृत किया है।

7.53 हरियाणा में 93 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेकार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 1,03,501 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है। 81 निकायों में 55,943 पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिग वितरित किये जा चुके हैं। 25 निकायों में 9,556 स्ट्रीटवेंडर्स को स्मार्ट पहचान पत्र भी जारी कर दीये हैं। 15–02–2022 तक योजना के अन्तर्गत 50,021 ऑनलाईन ऋण आवेदन स्ट्रीटवेंडर्स द्वारा किये गए हैं जिसमें से 44,042 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदन बैंकों द्वारा चुने गये, जिसमें से 34,431 केस स्वीकृत तथा 24,114 आवेदकों को ऋण प्रदान किये गये। वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 1.50 करोड़ का प्रावधान है।

आवास बोर्ड़

7.54 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 31–10–2021 तक 97,950 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिनमें से 73,728 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये हैं।

7.55 वित्तीय वर्ष 01–04–2020 से 31–10–2021 के दौरान मकानों के निर्माण पर 53.11 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तथा इस अवधि के दौरान 2,026 मकानों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है।

7.56 इस अवधि के दौरान 01–04–2020 से 31–03–2021 तक 1,559 के घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इन घरों के निर्माण कार्य पर 38.34करोड़ रुपये खर्च किये गये।

7.57 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 467 घरों का निर्माण कार्य दिनांक 31–10–2021 तक पूरा हो चुका है तथा इन घरों के निर्माण कार्य पर 14.77 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

7.58 अब 4,249 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर हैं जिनमें से 637 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 3,249 मकान बी.पी.एल. वर्ग के परिवारों के लिए तथा 363 मकान सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये हैं।

7.59 हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा वर्ष 2016–17 से 2021–22 में 14,666 घरों का निर्माण कार्य दिनांक 31–10–2021 तक पूरा किया गया है तथा इस अवधि के दौरान इन घरों के निर्माण कार्य पर 274.31 करोड़ रुपये पर खर्च किये गये।

7.60 आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, यमुनानगर, सफीदों, गोहाना, धारूहेड़ा, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, रतिया, बहादुरगढ़, गुरूग्राम कुरूक्षेत्र, घरोंडा, पानीपत नरवाना एवं रोहतक में प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के अन्तर्गत 20,000 ई.डब्ल्यू.एस. मकानों का निर्माण किया जाना है।

7.61 आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा प्रस्तावित 2089 टाईप–ए व 1929 टाईप–बी के मकानों का निर्माण कार्य जो कि पंचकुला, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ एवं गुरूग्राम में सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों और पेरामिलिट्री पर्सनल के लिए किया जाना है जिनमे 1,027 टाईप–ए व 1,164 टाईप–बी मकानों का निर्माण पंचकुला, फरीदाबाद, रेवाड़ी एवं गुरूग्राम में वर्ष 2022–23 में शुरू कर दिया जाएगा।

हाउसिंग फॉर ऑल
प्रधानमन्त्री आवास योजना –शहरी

7.62 आवास तथा शहरी मामलों के मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पी.एम.ए.वाई.–शहरी) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने निवास के लिए नया मकान बनाने/खरीदने/विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त, मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी–I तथा–II) के लिए होम लोन पर ब्याज अनुदान का प्रावधान भी है। शहरी गरीबों की कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की दर से प्रति लाभार्थी को केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

शहरी को निम्नलिखित चार घटकों में विभाजित किया गया है:

- लाभार्थी द्वारा स्वंय आवास का निर्माण
- साझेंदारी में सस्ती हाउसिंग
- इन–सीटू में स्लम पुनर्विकास
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम

7.63 प्रगति

- लाभार्थी के चयन हेतु वर्ष 2017 में सर्वे किया गया, जिसके अंर्तगत 2,48,657 आवेदकों की पहचान की गई। फिर भी विभाग द्वारा मिशन अवधि के दौरान ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत 50,000 मकानों के निर्माण तथा बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 67,649 लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।
- स्कीम के अंतर्गत बी.एल.सी. तथा सी.एल.एस. एस. घटक के लाभार्थियों को विकास शुल्क, भवन प्लान जांच फीस, और ऑफलाईन भवन योजना/नक्शे की स्वीकृति तथा अपने प्लाट के साईज अनुसार मकान निर्माण हेतु एक मुश्त छूट दी गई है।
- लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार (बी.एल.सी.) घटक के अंर्तगत 6,074 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 16,458 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 283.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 28,850 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र (एल.ओ.आई.) दिए जा चुके हैं।
- भागीदारी में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना (एच. ए.पी.) घटक के अंर्तगत हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा 20,000 मकानों का निर्माण हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के माध्यम से करवाये जाने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में, गुरूग्राम शहर के 1,413 मकानों के लिए कुल राशि मे से 10

प्रतिशत सहमति राशि सम्बन्धित लाभार्थियों से प्राप्त कर ली गई है।

- ऋण आधारित सब्सीडी योजना (सी.एल.एस.एस.) घटक के अंर्तगत 32,325 लाभार्थियों को 6,645.39 करोड़ रुपये का होम लोन स्वीकृत, 5,066.48 करोड़ रुपये वितरित तथा 676.17 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

7.64 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "वर्ष 2022 तक सभी को आवास" प्रदान करने के लिए 01–04–2016 से "इन्दिरा आवास योजना" को "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" में परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना–2011 की सूची से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा 1.56 लाख बेघर, शून्य, 1 व 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले सभी परिवारों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। ये सूचियां ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई हैं जिनमें से ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाये जाने वाले लाभार्थियों का सत्यापन तथा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–2018, 2020–21 तथा 2021–22 के लिये 30,789 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.65 स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता नए मकान के निर्माण के लिए प्रदान करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, 0.18 लाख रुपये टॉप–अप के रूप में तथा 0.12 लाख रुपये शौचालय के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं। 0.26 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता (मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 90 अकुशल श्रम–दिन की मजदूरी) भी उपलब्ध करवाई जाती है। लाभार्थियों के लिए 70,000 रुपये तक के बैंक ऋण का विकल्प भी है।

7.66 प्रगति

- 30,789 घरों के विरूद्व, 21,551 घर स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत घरों में से, 20,659 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 892 घर निर्माणाधीन हैं।
- लाभार्थियों को 289.83 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्व है तथा इनके सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को 31,000 रूपये से 71,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जैसेः– (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ और निराश्रितों जिनके परिवार की आय 1,00,000 रूपये प्रतिवर्ष से कम है कि बेटी के विवाह के लिए 51,000 रूपये (ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एस.सी./एस.टी. परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रूपये (iii) खिलाडी महिलाओं की शादी के लिए 31,000 रूपये (किसी भी जाति/किसी भी आय वर्ग) (iv) अनुसूचित जाति के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वर्गों के समाज की बेटी की शादी के लिए 31,000 रूपये तथा (अनुसूचित जाति/पिछडा वर्ग सहित) जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम है (v) सामूहिक विवाह के लिए 51,000 रूपये (vi) दिव्यागजन के विवाह के लिए 51,000 रूपये यदि पति या पत्नी दोनों विकलांग हैं और 31,000 रूपये दिव्यांगजन के लिए यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 32,078 शदियां करवाने में 10,586.65 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 31–12–2021 तक कुल 7,563.38 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है, जबकि बजट में 20,800 विवाह के लिए 13,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.4 डा. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिये 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान 3,218.50 लाख रुपये की राशि 6,437 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी हैं। वर्ष 2021–22 के लिये 5,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 5,714 लाभार्थियों पर 3,506.90 लाख रुपये की राशि 31–12–2021 तक खर्च की जा चुकी है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

8.5 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृत्ति के लिए 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की

राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। पिछडे वर्ग के छात्रों तथा अन्य वर्गों के छात्रों को भी 10वीं कक्षा में प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान ही जाती है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत 3,513.34 लाख रुपये की राशि 43,082 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है तथा वर्ष 2021–22 के दौरान 4,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 810.79 लाख रुपये की राशि 9,950 छात्रों पर 31–12–2021 तक खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सामाजिक–समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना

8.6 मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के साथ विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। उन सभी मामलों में जहां एक गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति की शादी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है, विवाहित जोड़े को 2.50 लाख रूपये का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें से 1.25 लाख रूपये जोडे के खाते में स्थानातंरित कर दिये जाते हैं और शेष राशि 1.25 लाख रूपये जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 617 विवाहित जोड़ों पर 1,399.35 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2021–22 के लिए 2,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 31–12–2021 तक 840 विवाहित जोड़ों पर 1,996.71 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

उम्मीदवारों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना

8.7 अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सिविल सेवायें परीक्षा, बैंकिंग/रेलवे/एस.एस.सी./एच.टी.ई.टी. एवं एन.ई.ई.टी./जे.ई.ई. आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जिनकी आय सीमा 2.50 लाख रूपये तक है। वर्ष 2021–22 में 2,000 लाख रूपये की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31–12–2021 तक कोई भी खर्चा नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.8 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 2,500 रूपये प्रतिमास से 13,500 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति के अतिरिक्त सभी नॉन–रिफण्डेबल फीसें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2020–21 में 11,031.59 लाख रुपये की राशि 50,012 लाभार्थियों पर खर्च की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान 12,684 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 6,060.30 लाख रुपये की राशि 30,162 छात्रों पर 31–12–2021 तक खर्च की जा चुकी है।

पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.9 भारत सरकार द्वारा "अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 में 458.82 लाख रुपये की राशि 33,424 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2021–22 के दौरान 2,500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 1,312.30 लाख रुपये की राशि 26,688 छात्रों पर 31–12–2021 तक खर्च की ज चुकी है। सभी प्रमुख योजनाओं को कियान्वित करने हेतु आनॅलाईन मोड से लाभार्थियों को फंड वितरण किया जा रहा है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.10 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंक टाई–अप योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.ए.फ.डी.सी.) सहयोग योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना का परिचालन कर रहा है।

8.11 भारत सरकार की निर्देशानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60,000 रुपये तक हो तथा उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही (एच.एस. ए.एफ.डी.सी.) योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों की, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तथा शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रूपये से 3 लाख रुपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंक टाई–अप योजना

8.12 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इस योजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये) है व 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी. सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हांलाकि, इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.14 निगम, एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस. के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ. डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंषदान करते है। हालांकि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्ताव

8.15 निगम द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान 15,000 परिवारों को विभिन्न आय

उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत 14,927.10 लाख रुपये जिसमें 1,447 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां

8.16 निगम द्वारा वर्ष 2021–22 में 881 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु 585.37 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 54.95 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ **तालिका 8.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1– वर्ष 2019–20 से 2021–22 के कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्षेत्र/स्कीम का नाम	2019–20		2020–21		2021–22 (अक्टूबर, 2021 तक)	
	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	1750	959.58	1143	651.05	498	278.05
ख) मूर्गी पालन	1	1.00	–	–	–	–
ग) भेड़ पालन	60	49.50	36	28.70	12	10.00
घ) सुअर पालन	27	16.70	25	15.50	9	5.10
ड़) झोटा बुग्गी/ऊँट गाड़ी/रेडा खच्चर गाडी	6	4.60	4	2.90	3	2.70
च) मधुमक्खी पालन	1	0.70	–	–	–	–
2. औद्योगिक क्षेत्र	48	35.90	74	47.09	21	10.35
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	1110	835.98	946	700.87	312	257.37
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र						
क) ब्यूटी पार्लर					1	0.50
ख) विद्युत चालित	1	1.40	–	–	–	–
ग) कानूनी पेशा	0	1.00	–	–	–	–
घ) फोटाग्राफी	0	0.00	–	–	–	–
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	254	636.40	797	513.50	2	1.20
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	30	31.50	34	37.45	23	20.10
कुल	**3289**	**2574.26**	**3059**	**1997.06**	**881**	**585.37**

स्त्रोतः– अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.17 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा हरियाणा के पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु भिन्न–भिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ते वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021–22 में निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के 5,000 व्यक्तियों को 25 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक समुदाय के 3,000 व्यक्तियों को 15 करोड़ रुपये तथा दिव्यांग श्रेणी के 2,000 व्यक्तियों को 10 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 31–01–2022 तक पिछड़े वर्ग के 755 व्यक्तियों को 5.99 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक समुदाय के 402 व्यक्तियों को 3.74 करोड़ रुपये एवं दिव्यांग श्रेणी के 1,081 व्यक्तियों को 11.11 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.18 ऐसे वृद्ध व्यक्ति, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 01–04–1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रूपये मासिक थी, जिसमें समय–समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 01–11–1966 से अपनाई गई और 2,382 लाभपात्रों को कुल 24,680 रुपये की राशि की पैंशन की अदायगी की गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17–06–87 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.19 राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पैंशन योजना–1991'' प्रारम्भ की गई जिसे अब ''वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना'' का नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई जिसमें आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। व्यक्ति को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिये और सभी स्त्रोतों से उसकी/उसके पति या पत्नी की आय प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8.20 इस योजना का उद्धेश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यमवर्गीय किसानों आदि को, वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पैंशन दी जाती थी, जो नवम्बर, 1999 से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक कर दी गई थी। नवम्बर, 2004 से इसमें और बढ़ौतरी करते हुये 300 रुपये मासिक एवं 1 मार्च, 2009 को 500–700 रुपये प्रतिमास तथा इसमें और बढौतरी करते हुए 01–01–2014 से 1,000 रुपये प्रतिमास पैंशन की गई थी और दिनांक 01–01–2016 से 1,400 रुपये पुनः दिनांक 01–11–2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2020–21 में 4,633.34 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्षवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना (31–10–2021 तक)	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2016–17	1439020	2518.25	632691	1101.46	144226	252.43
2017–18	1512436	2965.55	666808	1305.77	151932	296.78
2018–19	1569616	3479.01	695455	1540.44	160433	352.94
2019–20	1701761	4007.17	734463	1714.69	171922	406.43
2020–21	1719939	4633.34	749736	2056.46	173566	486.67
2021–22 (31–12–2021 तक)	1762000	3844.80	781000	1689.01	176500	387.87

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.21 वर्ष 1980–81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसी महिलाओं को जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, जो कि समय–समय पर बढ़ाई गई। पैंशन की दर 01–01–2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01–01–2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये तथा दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

दिव्यांगजन पैंशन योजना

8.22 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, में 01–11–1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01–01–2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा 01–03–2009 से पैंशन की दरों में और बढौतरी करते हुए 70 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई थी। दिनांक 01–11–2016 से दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,250 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

8.23 हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 01–01–2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता को इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिनांक 01–04–2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि की गई तथा दिनांक 01–04–2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1,000 रुपये प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास प्रति लाभ पात्र किया गया था। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए भत्ता 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। दिनांक 01–11–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए

पैंशन 1,600 तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,250 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

तालिका 8.3–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम		निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2016–17	29765	51.23	183687	123.04
2017–18	32718	62.77	205023	182.99
2018–19	37350	79.11	133739	251.70
2019–20	42486	96.76	144985	310.51
2020–21	28954	111.39	145865	354.77
2021–22 (31–12–2021 तक)	33100	68.71	149000	332.75

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना

8.24 यह राज्य सरकार की योजना है, इसके अन्तर्गत इस योजना के अनुसार विभिन्न कारणों से वंचित 21 वर्ष तक बच्चों को माता–पिता/सरंक्षक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के पात्रता मानदण्ड के अनुसार एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को जो 01–03–2009 से शुरू में 200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 700 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 900 रुपये, दिनांक 01–11–2018 से 1,100 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 1,350 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 1,600 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2021–22 में 425 करोड़ रुपये के आंबटित बजट किया गया जिसमें से 332.75 करोड़ रुपये की राशि (31–12–2021 तक) खर्च की जा चुकी है। वर्षवार निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.25 यह केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुख्य रूप से कमाने वाले मुखिया (पुरूष या महिला) सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच होने पर एक मुश्त 20,000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते हैं यानि 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम इस योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2021–22 में 9 करोड़ रुपये की राशि आंबटित की गई थी जिसमें से (31–12–2021 तक) 3.26 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.26 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं तथा लड़कियों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है, जिसके अर्न्तगत हरियाणा राज्य में रहने वाली तेजाब हमले का सामना करने वाली कोई भी महिला या लडकी इस योजना में वित्तीय लाभ के लिए पात्र है। वर्ष 2021–22 में 10 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई जिसमें से (31–10–2021 तक) 5.80 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

रक्षा कर्मियो का कल्याण

8.27 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम त्याग के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को, जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है।

8.28 राज्य सरकार दिनांक 05–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

8.29 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

8.30 राज्य सरकार द्वारा रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को एक मुश्त नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.4–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	**युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार**	**एक मुश्त नकद पुरस्कार**
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार		
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.5–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

क्र.स.	**शौर्य पुरस्कार**	**वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)**
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.6– रक्षा बल कर्मियों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	रक्षा बल कर्मियों के प्रकार	01–11–2021 को वित्तीय सहायता (राशि रूपये में)
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	5,000 10,000
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,000
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,000
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,000
5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,000
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	50,000 1,00,000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.7–रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8–रक्षा बल के सेना पदक विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 31–03–2008 के बाद और 19–02–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 19–02–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.31 राज्य सरकार रक्षा बल कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेना पदक उनके विशिष्ट सेवा/कार्य के प्रति सम्पर्ण के लिए प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.8** में दर्शाया गया है।

8.32 राज्य सरकार द्वारा आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन दी जाती है जिसे **तालिका 8.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.9–आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौदिक अनुदान/पैंशन

क्र.स.	पुरस्कार का नाम	राशि (रूपये में)
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.10– पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र.स.	शौर्य पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (रूपये में)
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	शौर्य चक्र	7,00,000
4	सेना मैडल (गलैंट्री)	3,50,000
5	पुलिस मैडल (गलैंट्री)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.33 राज्य सरकार पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि प्रदान करती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

8.34 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के किसी एक आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है।

8.35 यह अनुग्रह अनुदान राशि नीति/निर्देशों के तहत उन सभी युद्ध में घायल मामलों में जैसा कि रक्षा अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया है चाहे आपरेशन कहीं भी हो अथवा आपरेशन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो जो कि 24–03–2016 को अथवा उसके बाद हुआ हो। यह अनुग्रह अनुदान की राशि 50 लाख रुपये दी जाती है तथा विकंलाग्ता की स्थिति में, विकलांग्ता की प्रतिशतता के आधार पर 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि दिनांक 08–11–2021 में उन निःशक्तों को प्रदान की जाती है जो युद्ध, आई.ई.डी., विस्फोट इत्यादि के कारण आपरेशन क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपरेशन का विशेष क्षेत्र में हुई हो। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.36 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को अनुग्रह अनुदान भी प्रदान कर रहा है जो विषम परिस्थितियों में शहीद हुए अथवा युद्व परिचालन क्षेत्र में सेवा करते हुए अथवा आंतकवादी हमलों के कारण निःशक्त हुए है। अनुग्रह अनुदान राशि 50 लाख रुपये है तथा निःशक्ता की स्थिति में यह राशि 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

8.37 राज्य सरकार एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उन सैनिक छात्र/सज्जन सैनिक छात्रों को भी प्रदान करती है जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/नौ सेना और वायु सेना अकादमी या फिर किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की सैन्य अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ग्रहण करते है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के

दौरान शहीदों के 8 आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई।

8.38 सैनिक स्कूल रिवाडी के भवन के फेज–3 तथा फेज–4 गैर आवासीय भवन के निर्माण हेतू 5,278.91 लाख तथा फेज–3 तथा फेज–4 आवासीय भवन के निर्माण हेतू 5,680.17 लाख रूपये की राशि वित्त वर्ष 2021–22 में जारी की गई। चार–दीवारी के निर्माण हेतू अतिरिक्त 101.70 लाख रूपये की राशि वित्त वर्ष 2021–22 में जारी की गई है।

रोजगार

8.39 रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाकर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करता है। नौकरी चाहने वालों को बातचीत, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगी मार्ग दर्शन प्रदान करता है। निजी क्षेत्र में समायोजित करने के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है।

रोजगार पोर्टल

8.40 रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिनांक 15–07–2020 को एक रोजगार पोर्टल (http://rozgar.hrex.gov.in) प्रारंभ किया गया जिससे सभी सम्भावित रूप से रोजगार योग्य उम्मीदवारों के लिए एकीकृत ऑनलाईन मंच तैयार किया गया जिन्हें विभिन्न विभागों से डाटा बेस में वितरित किया गया था। उम्मीदवारों के रोजगार और शिक्षा के इतिहास का एक अनोखी रूपरेखा तैयार की जा रही है जिससे उनके रोजगार लिंकेज के दायरे का विस्तार किया जा सके। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के शानदार अवसर प्रदान करने के लिए 40,60,491 उम्मीदवारों का डाटा पहले ही रोजगार पोर्टल पर डाला जा चुका है जिसे विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, आई. टी.आई., हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, विश्वविद्यालयों इत्यादि से एकत्रित किया गया हैं।

8.41 विभाग ने रोजगार पोर्टल के लिए थर्ड पार्टी जॉब एग्रीगेटर और जाब प्लेटफार्म तक पहुंच को सक्षम किया है जो अन्य नियोक्ताओं से बहुतायत में जॉब के स्त्रोत उपलब्ध करवाते हैं। रोजगार पोर्टल पर अब तक कुल 14,574 नियोक्ता तथा 27 जॉब एग्रीगेटर शामिल हो चुके हैं। ये जॉब एग्रीगेटर और नियोक्ता हरियाणा के युवाओं के लिए प्रासंगिक और अच्छी नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं।

कॉल सैन्टर

8.42 प्रासंगिक रोजगारों के अवसरों के बारे में उम्मीदवारों को डेटा संवधन और सूचना प्रसार तक पहुंचाने के लिए 15–07–2020 से एक समर्पित काल सैन्टर भी स्थापित किया गया। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सैंटरों की स्थापना से 31–12–2021 तक 11,91,731 कॉलें की जा चुकी हैं।

8.43 रोजगार विभाग हरियाणा एक फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन के तहत हरियाणा के 50,000 मेधावी उम्मद्वारों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कर्मचारी चयन आयोग, निजी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे के साथ–साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग प्रदान कर रहा है।

शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना

8.44 हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को गरिमा प्रदान करने और उन्हें लाभकारी कार्यों में रचानात्मक रूप से शामिल करने के महत्व को पहचानती है। तदानुसार सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2016 को शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना–2016 शुरू की जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इन्जीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातकों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया

है। इस योजना के तहत अगस्त, 2019 से 10+2 पास आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर, स्नातक और 10+2 आवेदकों को क्रमशः 3,000 रूपये, 1,500 रूपये तथा 900 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। योजना के तहत वर्तमान में कुल 44,002 आवेदकों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक स्वीकृत किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान 552 सक्षम युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में 288.71 करोड़ रूपये और 121.69 करोड़ रूपये क्रमशः बेरोजगारी भत्ते एवं मानदेय के लिए वितरित किये जा चुके हैं।

8.45 विभाग सक्षम युवा योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले 10+2 या इससे अधिक आवेदकों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करता है। अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक 12,581 आवेदकों को उनके आधार से जुडे बैंक खातों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 16.69 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

रोजगार इच्छुकों की संख्या

8.46 31–12–2021 तक रोजगार के इच्छुक 8,76,006 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 31–12–2021 तक 15,263 प्रार्थियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं।

रोजगार मेले/नियुक्ति के अवसर

8.47 रोजगार विभाग के निजी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य भर में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलें आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे जिला रोजगार कार्यालयों के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम दो रोजगार मेले या प्लेसमैंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य हो गया। कोविड–19 की स्थिति से रोजगार मेलों में शारीरिक उपस्थिति में बहुत कठिनाईयां उत्पन्न होने के कारण रोजगार विभाग ने ऑनलाईन जॉब फेयर की शुरूआत की। विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल (https://hrex.gov.in) पर ऑनलाईन जॉब मोड्यूल का संचालन किया जा रहा है।

8.48 अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान कुल 15,181 बेरोजगार युवाओं को 310 मेलों/प्लेसमेंट ड्राईव के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग ने अपनी 8 सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। विभाग अपने पोर्टलों www.hrex.gov.in और www.hreyahs.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन सेवायें प्रदान कर रहा है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

8.49 व्यवसायिक मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षित किया जाता है। अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 525 कैरियर वार्ता के माध्यम से 23,897 आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन वार्ताओं से रोजगार के अवसरों की भी जानकारी मिलती है।

मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

8.50 विभाग द्वारा जिला हिसार को एक मॉडल कैरियर केन्द्र स्थापित किया गया है जोकि 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार ने एन.सी.एस. पोर्टल पर 5,976 नौकरी चाहने वालों को पंजीकृत किया है, 687 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और 84 जॉब मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 21,790 आवेदकों ने भाग लिया और उनमें से 1,832 आवेदक निजी क्षेत्र में समायोजित करवाये गये। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार द्वारा विभिन्न कॉलेजों में 119 व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें कुल 11,072 आवेदको ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए विभाग का कुल बजट 912.80 करोड़ रूपये है।

श्रम कल्याण

8.51 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

न्यूनतम मजदूरी

8.52 श्रमिकों के वेतन अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्व है। न्यूनतम मजदूरी की दरें समय–समय पर संशोधित की जाती है। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की दर दिनांक 01–01–2015 को 7,600 रूपये प्रतिमाह थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01–07–2021 से श्रेणीवार अर्थात अकुशल, अर्धकुशल (ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए), कुशल (बी) तथा अत्यधिक कुशल को क्रमशः 9,803.24 रुपये, 10,293.36 रुपये, 10,808.02 रुपये, 11,348.43 रुपये, 11,915.86 रुपये और 12,511.65 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किये गये हैं।

पंजाब दुकान एवं व्यवसायिक स्थापना एक्ट, 1958

8.53 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढौतरी हेतु सूचना एवं प्रोद्यौगिकी तथा इससे सम्बन्धित संस्थानों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधनों की पूर्ण उपलब्धता करवायेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत 01–01–2021 से 31–10–2021 तक 55 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 14,517 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये पुर्नवास केन्द्र

8.54 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत तथा यमुनानगर में दो पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई थी। इन पुर्नवास केन्द्रो में प्रवासी व बेसहारा बच्चों को मुफ्त व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 80 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

8.55 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित ई–श्रम पोर्टल पर किया जा रहा है जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

8.56 हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को हरियाणा में स्थित विभिन्न स्थानीय कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, सीमित देयता सांझेदारी फर्म, सांझेदारी फर्म इत्यादि में 10 वर्षो की अवधि के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण 15–01–2022 से लागू कर दिया जायेगा।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

8.57 लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतु संशोधन कर दिया है। संशोधनानुसार विद्युत शक्ति के साथ 40 श्रमिकों से कम तथा विद्युत शक्ति के बिना 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधन उद्योगों को और भी राहत देता है जैसे कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अदालत में मुकदमा चलाने की बजाय पहली बार किये गये अपराधों/उल्लघंनाओं को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है।

ईज ऑफ डूविंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.)

8.58 श्रम विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा "ईज ऑफ डूविंग बिजनेस" में सुधार के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाये हैः–(1) सरकार ने निर्णय लिया है कि कारखाने की अपेक्षित ड्राईंग प्लान केवल ऑटोकैड/hrylabour.gov.in पर किसी भी संगत प्रारूप में में एच.ई.पी.सी. की एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से आनलाईन जमा की जायेगी। (2) सभी श्रम नियमों के तहत किये जाने वाले निरीक्षण, शिकायत

आधारित निरीक्षणों को छोडकर जो कि पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली में उल्लेखित है उनको श्रम आयुक्त–सह–मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत जांच सूची के अनुसार शक्ति से संचालित करवाया जायेगा। (3) मौजूदा नियमों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण में सूचना प्रौधोगिकी का प्रयोग करते हुए शासन को अधिक कुशल और प्रावाही बनाने पर बल दिया गया है। (4) भारत सरकार की डी.आई.पी.पी. के अर्न्तगत व्यापार सुधार योजना–2016 की अनुपालना करते हुए श्रम विभाग ने सभी श्रम कानूनों के तहत आन–लाईन एकल वार्षिक रिर्टन भरने का भी निर्णय लिया है। (5) कारखाना नियम के तहत कारखाना योजनाओं के अनुमोदन के लिए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" की पूर्व प्राप्ति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. (आर.ई. एण्ड सी.एस.) अधिनियम, 1996

8.59 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा–2(i) के तहत आने वाली सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी सरकारी विभाग जो अपने से सम्बन्धित विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाते हैं उन सभी निर्माण कार्यों एवं कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

नान–रैकरिंग योजना के तहत बजट

8.60 विभाग का वर्ष 2020–21 का नान–रैकरिंग स्वीकृत बजट 388.60 लाख रुपये था, जिसमें से 374.12 लाख रुपये (96.27 प्रतिशत) मार्च, 2021 तक खर्च किये जा चुके हैं। नान–रैकरिंग स्कीमों हेतू 2021–22 के लिए 387.17 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 128.23 लाख रूपये (33.11 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

8.61 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा दिनांक 15–01–2019 से 3 नई योजनायें सम्मिलित की हैं:–(1) शगुन योजनाः इस स्कीम के अन्तर्गत श्रमिक के लड़के व उसकी स्वयं की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (2) श्रमिक कल्याण योजनाः इसके अन्तर्गत श्रमिकों को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवाने वाले प्रबन्धकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है और (3) व्यवसायिक कोर्सों के लिए कोचिंग फीसः इसके अंतर्गत व्यवसायिक कोर्सों जैसे यू. पी.एस.सी. एवं एच.पी.एस.सी. की तैयारी करने वाले श्रमिकों के बच्चों की कोचिंग फीस का भी भुगतान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत 01–04–2020 से 31–03–2021 तक 67,224 श्रमिकों को 48.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा 01–04–2021 से 31–10–2021 तक 51,611 श्रमिकों को 41.77 करोड रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ की पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए 26,27,429 योगदानकर्ता श्रमिकों का सम्पूर्ण डाटा वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर लिया जा रहा है। लाभार्थियों को लाभों का भुगतान आनलाईन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सीलिकोसिस पुर्नवास नीति के तहत बोर्ड द्वारा 01–04–2020 से 31–03–2021 तक 10.96 करोड़ रूपये तथा 01–04–2021 से 321–10–2021 तक 1.99 करोड रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

8.62 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भव एवं अन्य सन्निमार्ण अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है और यह 02–11–2006 में अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उद्वेश्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तीय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के

बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढापा पैंशन, बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि एवं समय–समय पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना है।

8.63 वित्तीय वर्ष 2021–22 (30 नवम्बर, 2021 तक) के दौरान 272.31 करोड़ रूपये सैस के रूप में एकत्रित किये गये, जिसमें से 80.17 करोड़ रूपये विभिन्न पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई है। इस अवधि के दौरान 2,025 निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के सदस्य लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं 8,251 निर्माण श्रमिकों को ऑफलाईन मोड से ऑनलाईन किया गया है।

8.64 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 355.54 करोड़ रूपये सैस के रूप में एकत्रित किया गये, जिसमें से 380.04 करोड़ रूपये (123.28 करोड़ रूपये कोविड–19 सहायता सहित) विभिन्न पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किये गये है तथा 5,16,160 श्रमिक लाभान्वित हुए (इसमें 3,09,364 कोविड–19 से संक्रमित लाभार्थी सम्मिलित है)। इस अवधि के दौरान 27,267 निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के सदस्य लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया एवं 92,393 निर्माण श्रमिकों को ऑफलाईन मोड से ऑनलाईन किया गया।

खेल तथा युवा मामले

8.65 खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा का मुख्य दृष्टिकोण "खेल सबके लिए" है। विभाग के मूल उद्धेश्यों (1) खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना (2) खिलाडियों को प्रशिक्षण देना (3) कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान करना और उनका विकास करना (4) खिलाडियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना (5) विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना इत्यादि है। वर्ष 2021–22 के दौरान खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा के लिए 542.22 करोड रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

टोक्यो ओलम्पिक–2020

8.66 हाल ही मे टोक्यो ओलम्पिक–2020 मे, हरियाणा के 32 खिलाड़ी कुल 126 खिलाड़ियों के भारतीय दल का हिस्सा थे। इन खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत किया गया है **(तालिका 8.11)**। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पदक विजेताओं को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी पसन्द के शहरी सम्पदा में 1 कनाल प्लॉट छूट दरों पर दिये जाते हैं। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा उनके पैतृक गांव में सम्बन्धित खेल स्पर्धाओं में खेल अकादमियो की भी घोषणा की गयी है। टोक्यो ओलम्पिक–2020 के सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार नौकरी प्रस्ताव पत्र भी दिया गया है। दिनांक 13–08–2021 को टोक्यो ओलम्पिक में पदक विजेता व प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन इन्द्रधनुष ओडिटोरियम में किया गया इसमें इन सभी खिलाड़ियों को महामहिम राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया।

टोक्यो पैरा–ओलम्पिक–2020

8.67 टोक्यो पैरा–ओलम्पिक–2020 में देश ने 19 पदक जीते, जिसमे से 06 पदक हरियाणा के खिलाड़ियो ने जीते। हरियाणा सरकार ने उन्हें निम्न प्रकार से नकद पुरस्कार प्रदान किये **(तालिका 8.12)**। इसके अलावा, टोक्यो पैरा–ओलम्पिक–2020 के सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार नौकरी प्रस्ताव पत्र भी दिया गया है। 19–9–2021 को गुरूग्राम में राज्य के पदक विजेताओं और भाग लेने वाले खिलाडियों के सम्मान में भारत के उप–राष्टपति के कर कमलों द्वारा पुरस्कार समारोह का अयोजन किया गया।

तालिका 8.11–पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाड़ी	खेल का नाम	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	नीरज चौपड़ा	जेवेलियन थ्रो	6.00 करोड़	6.00 करोड़
रजत पदक	रवि कुमार दहिया	कुश्ती	4.00 करोड़	4.00 करोड़
कांस्य पदक	बजरंग पुनिया	कुश्ती	2.50 करोड़	7.50 करोड़
	सुमित	हॉकी (पुरूष)		
	सुरेन्द्र कुमार			
चौथा स्थान	दीपक पुनिया	कुश्ती	50.00 लाख	5.50 करोड़
	पुजा रानी	बाक्सिंग		
	मोनिका मलिक	हॉकी (महिला)		
	नवजोत कौर			
	नवनीत कौर			
	नेहा गोयल			
	निशा			
	रानी रामपाल			
	सवीता पुनिया			
	शर्मिला देवी			
	उदिता			
केवल प्रतिभागिता	16 खिलाड़ी		15.00 लाख	2.40 करोड़
कुल योग				**25.40 करोड़**

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.12–नकद पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाडी	खेलें	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	सुमित अंतिल	जेवेलियन	6.00 करोड़	12.00 करोड़
	मनीष नरवाल	शूटिंग		
रजत पदक	योगेश कथूनिया	डिस्कस थ्रो	4.00 करोड़	8.00 करोड़
	सिंह राज अधाना	शूटिंग	4.00 करोड़	
कांस्य पदक	सिंह राज अधाना	शूटिंग	2.50 करोड़	5.00 करोड़
	हरविन्द्र सिंह	आर्चरी		
चौथा स्थान	नवदीप सिंह	जेवेलियन	50.00 लाख	1.50 करोड़
	तरूण ढिल्लों	बैडमिंटन		
	विनोद कुमार	डिस्कस थ्रो		
केवल प्रतिभागिता	11 खिलाड़ी		15.00 लाख	1.65 करोड़
			कुल योग	28.15 करोड़

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.67 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 2,341 खिलाड़ियों को वर्ष 2019–20 में आयोजित विभिन्न खेल प्रतिस्पर्दाओं में उनकी उपलब्धिों के आधार पर 38.10 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये।

8.68 खेल/योग प्रतियोगिता

- खेलों हरियाणा प्रतियोगिता 27–29 अगस्त, 2021 के तहत 6 जिलों अम्बाला, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद और गुरूग्राम में 20 खेलों का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 2.85 करोड़ रूपये खर्च हुए।

- अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता के अर्न्तगत वर्ष 2021 के दौरान कबड्डी, बॉलीबाल, हॉकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रमशः भिवानी, कुरूक्षेत्र और करनाल जिलों में किया गया। जिस पर 9.69 लाख रूपये खर्च हुये।
- भारत सरकार ने हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी का पुरस्कार दिया है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 8500 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी 25 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगें, आवश्यक खेल बुनियादी ढांचे के विकास सहित इस सम्मानित समापन पर लगभग 250 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 45 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- अगस्त, 2021 से सभी जिलों में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। जिसके आयोजन पर 2.20 लाख रूपये खर्च हुए।
- गुरूग्राम में 14–16 सितम्बर, 2021 तक राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 528 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिस पर 11.52 लाख रूपये खर्च हुए।

8.69 खेल संरचना

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 73.86 लाख और 2.50 करोड़ रूपये क्रमशः वी.आई.पी. शैड एवं चार दीवारी के नवीनीकरण तथा मारकण्डेश्वर हॉकी स्टेडियम में खेल भवन ब्लाक बी के निर्माण हेतु जारी किये। मारकण्डेश्वर हॉकी स्टेडियम शाहबाद में सबमर्सिबल लगाने के लिए भी 16.99 लाख रूपये की मंजूरी दी गई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान आधुनिक खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.58 करोड़, ग्राम बडागढ, जिला अम्बाला, 1.45 करोड़, खेल सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु अर्जुन स्टेडियम, जिला जीन्द, 4 करोड़, 1.94 करोड़, 2.60 करोड़, 2.27 करोड़ रूपये व 2.50 करोड रूपये की राशि खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए क्रमशः ग्राम सिवाह, जिला पानीपत, ग्राम समाना बाहु, जिला पानीपत, ग्राम माजरा रोडन, जिला पानीपत, ग्राम सीकरी जिला पानीपत और गांव सिवाह, जिला पानीपत को दी गई। ग्राम माढा जिला, हिसार में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 80 लाख रूपये भी स्वीकृत किये गये है।
- वार हिरोज मैमोरियल स्टेडियम अम्बाला कैंट में सिंथैटिक ट्रैक, फुटबाल ट्रफ के निर्माण हेतु 18.58 लाख रूपये तथा खेल परिसर अम्बाला कैंट में आल वैदर स्वीमिंग पूल के निर्माण हेतु 8.80 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

खेल उपकरण

8.70 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान खेलों के सामान को खरीदने के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है और इस में से खेल उपकरणों की खरीद के लिए 17.50 करोड़ रूपये निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

खेल नर्सरी

8.71 बच्चों के बीच जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में खेल नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है, जहां खेल का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में 110 खेल नर्सरियां आनॅलाइन चलाई जा रही हैं और 1,100 नई खेल नर्सरियां खोलने का मामला विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान खेल नर्सरियों को छात्रवृत्ति के लिए 4 करोड़ और खेल नर्सरियों में नियुक्त खेल प्रशिक्षकों के मानदेय के लिए 4 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

नौकरी नीति

8.72 खेल और युवा मामले विभाग, हरियाणा द्वारा "हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडी" (भर्ती और सेवा शर्त) नियम 2021 के अर्न्तगत 56 खिलाडियों को खेल उपनिदेशक और जूनियर कोच के पदों के लिए नौकरी की पेशकश की है।

युवा कार्यक्रम और साहसिक गतिविधियां

8.73 जिला और राज्य से "सर्वश्रेष्ठ युवा/युवा क्लब पुरस्कार" के लिए चयनित 25 युवा/युवा मंडलों को 9.45 लाख रूपये की राशि जारी कर चुके है। (2) हरियाणा के युवाओ की साहसिक गतिविधियों के आयोजन के लिए हरियाणा एडवेंचर स्पोर्टस अकादमी के खाते में 55 लाख रूपये की राशि स्थानान्तरित की गई है। (3) खेल विभाग द्वारा हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्टस के माध्यम से जारी साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्रख्यात धावक मिल्खा सिंह जी के नाम से एक एडवेंचर क्लब की स्थापना की जा रही है।

पर्यटन

8.74 हरियाणा पर्यटन ने पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। हरियाणा पर्यटन ने पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 43 पर्यटक स्थल स्थापित किये हैं जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं इनमें से कुछ पर्यटन केन्द्र धरोहर स्थलों, झीलों, पक्षी अभ्यारणों और गोल्फ कोर्स के निकट स्थित हैं। ये पर्यटन केन्द्र, पर्यटकों को विस्तृत किस्म की पर्यटन सुविधायें उपलब्ध करवाते हैं जिनमें मल्टी कुजीन रेस्तरां, बार, फास्ट फूड केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, नौकायन कान्फ्रैंस, बच्चों के पार्क आदि शामिल हैं, इनमें से कुछ रिजोर्ट तो कई एकड में फैले हुये है। हरियाणा पर्यटन के पास वर्तमान में 887 वातानुकूलित कमरें, 13 डौरमेटरी और 56 सम्मेलन केन्द्र/समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन के पास 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और 31 बार भी हैं। हरियाणा पर्यटन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 15 पैट्रोल पम्पों को भी चला रहा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां होटल प्रबन्धन से सम्बन्धित 5 संस्थान नामतः कुरूक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद व यमुनानगर में कार्यरत है, जोकि देश के सत्कार शिक्षा के सर्वोच्च निकाय, नैशनल कांउसिल फार होटल मैनेजमैंट व कैटरिंग टैक्नोलॉजी, नोएडा (जिसकी स्थापना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है) से सम्बन्धित है। वित वर्ष 2021–22 में पर्यटन के विकास हेतु 13,075.15 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 5,561.65 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है।

कृष्णा सर्किट

8.75 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है। तदानुसार इस परियोजना के अन्तर्गत ब्रहम्सरोवर, ज्योतिसर नारकातरी, सन्नहित सरोवर आदि स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धित आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा। पर्यटन विभाग, हरियाणा द्वारा इस परियोजना में श्रीमद्भगवत गीता व महाभारत थीम पर आधारित 3–डी मल्टीमीडिया शो, परिक्रमा पथ पर मुराल पेंटिंग और महाभारत सम्बन्धित आर्टफैक्टस, ब्रहम्सरोवर पर लाईट एण्ड साउण्ड शो, ज्योतिसर पर महाभारत युद्ध क्षेत्र के 48 कोस थीम आधारित पार्क स्थल को इसमें सम्मिलित किया गया है।

8.76 इस योजना को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की वित्तीय सहायता से पूरा किया जायेगा जिसका एक विस्तृत प्रस्ताव/परियोजना रिपोर्ट 99.51 करोड़ रुपये

की तैयार कर भारत सरकार को भेजी गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 97.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है व 77.87 करोड़ रुपये की राशि सूचना केन्द्र, गजिबो, पार्किंग, साइनेज बोर्ड, बैंचों, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों और घाट इत्यादि के निर्माण के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें से 69.53 करोड़ रुपये खर्च करते हुये 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

हैरिटेज सर्किट रिवाड़ी–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़ नारनौल

8.77 माधोगढ–नारनौल सर्किट के अर्न्तगत महेन्द्रगढ किले के विकास के लिए व रानी महल, बावड़ी के आन्तरिक व बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए तथा माधोगढ किले को छोडकर किले के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 29.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा इस पर विकास कार्य आरम्भ हो चुका है।

तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत आवर्धन अभियान के अन्तर्गत परियोजनायें

8.78 दिनांक 29–05–2019 को तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत आवर्धन अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को 54.52 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नाडा साहिब गुरूद्वारा, पंचकूला व माता मन्सा देवी मंदिर के विकास हेतु भेजी गई थी और भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा 29–05–2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारत सरकार पयर्टन मंत्रालय ने 49.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 31–01–2020 को जारी कर दी है। भारत सरकार से 2,017.56 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है तथा उसमें से 1,957.75 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। उपरोक्त दोनों जगहों का कार्य प्रगति पर है।

8.79 इस योजना के तहत आदिबद्री जिला यमुनानगर के विकास के लिए 53.32 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 11–06–2020 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई है तथा मामला मंत्रालय में विचाराधीन है।

प्रकाश और ध्वनि शो

8.80 भारतीय पर्यटन विकास निगम के द्वारा यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में भी प्रकाश और ध्वनि शो स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के कियान्वयन हेतू पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपये की राशि भारतीय पर्यटन विकास निगम को जारी कर दी गई है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.81 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तीर्थ–यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री और गुरु दर्शन योजना के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नान्देड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि प्रत्येक यात्रा के लिए 50 व्यक्तियों/तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी। वर्ष 2019–20 में सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 30,000 रुपये व कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु 13.50 लाख रूपये यात्रियों को वितरित किये गये है। कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 से कोई भी यात्रा आयोजित नहीं की गई।

मेले और त्यौहार

8.82 भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुण्ड शिल्प मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन घरेलू और विदेशी दोनों तरह के लगभग 12 लाख से अधिक पर्यटक को आकर्षित करता हैं। हर साल 1,000 से अधिक शिल्पकार मेले में भाग लेते हैं और अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते/बेचते हैं। वर्ष 1989 से भारत के सभी राज्यों को उनके शिल्प, व्यंजन और कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। फरीदाबाद में 34वां सुरजकुण्ड

अर्न्तराष्ट्रीय शिल्प मेला 1 फरवरी, 2020 से 16 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य मेले का थीम राज्य था मेले के 34वें संस्करण में 39 देशों की रिकार्ड भागीदारी के साथ नई ऊचांईयों को छूआ। मेले में 1,501 से अधिक शिल्पकारों और 250 सांस्कृतिक कलाकारों ने मेला पखवाडे के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 1.3 मिलीयन आगन्तुक मेले में आये। विश्व प्रसिद्व यादविंद्रा गार्डन, पिंजौर में आमों के मेले का आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताहांत में किया जाता है और हैरिटेज मेला अक्तूबर मास में आयोजित किया जाता है।

फार्म टूरिजम स्कीम

8.83 हरियाणा के ग्रामीण इलाके में फार्म हाउस मालिकों की वितित्य स्थिति में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा फार्म टूरिजम स्कीम को चलाया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे राज्य में अब तक 29 फार्म हाऊस रजिस्टर्ड हुए है।

8.84 नई गतिविधियॉ

- होम स्टे स्कीम के अंतर्गत अब मकान मालिक को व्यवसायिक आधार पर अपने कमरे/आवास पर्यटकों और अंगतुको को दे सकते है।
- खेल पर्यटन के साथ साहसिक पर्यटन पंचकूला मे पर्यटन के विकास के लिए टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स को साहसिक खेल गतिविधियों के संभावित स्थल के रुप मे चिन्हित किया गया है।
- पर्यटकों के लिए पंचकूला जिले में स्थानीय दर्शनीय स्थलों और धार्मिक पर्यटन हेतू बस सेवा शुरू की गई।
- पर्यटकों को वांछित जानकारी देने के लिए रैड बिशप पुचकूला में एक सुविधा केन्द्र का भी उद्घाटन किया गया।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

8.85 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सतत आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्व है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं को निपटाने के लिये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियमिताओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों में सुधार किया गया और नोटिफिकेशन्ज जारी की गई तथा राज्य में जैविक चिकित्सा, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक सुधार एजैंसी है जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करता है।

रेफरल लैबोरेटरी

8.86 सरकार द्वारा प्राप्त कानूनी नमूनों का विश्लेषण करने के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981 के तहत रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। विश्लेषक (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, के तहत प्राप्त 17 कानूनी नमूनों का विश्लेषण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया।

विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र

8.87 वर्तमान में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहें हैं जो विभिन्न अधिनियमों अर्थात जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन अधिनियम एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम

(पी.एल.पी.ए.) के मामलों को देखते है। वर्ष 2021–22 में 254 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में कोविड–19 की वजह से न्यायालयों की सभी गतिविधियां निलम्बित है। केसों का विवरण **तालिका 8.12** में दर्शाया गया है:–

तालिका 8.12 –संस्थापित तथा निपटाये गये केसों का विवरण 2017–18 से 2020–21

विशेष पर्यावरण न्यायालय निपटाये गये	2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये
फरीदाबाद	168	320	136	236	180	128	102	30
कुरूक्षेत्र	428	385	209	198	303	27	96	35

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8.88 राज्य सरकार के पास आई.एम.टी. मानेसर, गुरूग्राम में स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान नामक प्रतिष्ठित परियोजना में से एक है जो वायु, जल, खतरनाक और ठोस अपशिष्ठ प्रदुषण जैसे औद्योगिक इकाईयों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढावा देती है। नागरिकों, उद्योग, नियामक निकाय, सरकारी संगठन और गैर–सरकारी संगठन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र मे शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परामर्श, अनुप्रयुक्त अनुसंधान सेवाएं और वकालत सेवाएं प्रदान करने के उद्धेश्य से स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला 21 मार्च, 2021 को पहले ही रखी जा चुकी है।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.89 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) को शेष भुगतान के हस्तांतरण के लिए कैपिंग को हटाने और निविदा जारी करने की अनुमति देने के लिए वित विभाग से मांगी हुई छूट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है ताकि विभिन्न पर्यावरण के मुददों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन और प्रशिक्षण आयोजित कर सके। वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के क्रियान्वयन के लिए 50 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

8.90 राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन 3 वर्ष के लिए दिनांक 30–01–2019 से 29–01–2022 तक किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान वित्त विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन लिए 190 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। एस.ई.ए.सी. की बैठक कोविड़–19 के कारण विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित की गई। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का निगरानी सैल पंचकूला मे है। पर्यावरण का विवरण व परियोजनाओं की अनुमति **तालिका 8.13** में दी गई है।

तालिका 8.13– पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति

वर्ष	पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति प्रदान करना
2018–19	104
2019–20	102
2020–21	81
2021–22 (अप्रैल, 2021 से अब तक)	71 (बैकलॉग प्रोजैक्ट सहित)

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य रणनितिक ज्ञान मिशन केन्द्र की स्थापना करना

8.91 विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय ने राज्य में जलवायु परिवर्तन में राज्य रणनितिक ज्ञान मिशन केन्द्र (एस.के.एम.सी.सी.) एन.एम. एस.के.सी.सी. की स्थापना वाली परियोजना के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

- इस परियोजना के तहत हरियाणा राज्य में भेधता मूंलयाकन पर दो वैबिनार आयोजित किये गये और हरियाणा में जलवायु स्मार्ट

शहरों को राज्य के सम्बन्धित विभागों के लिए आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों के कुल 96 प्रतिभागियों ने वैबिनार में भाग लिया।

- हरियाणा जलवायु परिवर्तन सुभेधता एवं जोखम मूल्यांकन पर एक तकनीकी रिपोर्टः सकंल्पना और रूपरेखा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में जिला स्तर पर संवेदनशीलता का आंकलन किया गया था। प्रत्येक जिले के लिए सुभेधाता सूचकांक का आंकलन करने के लिए 16 संकेतों को (जैव भौतिक, कृषि और सामाजिक–आर्थिक संकेतकों सहित) के लिए द्वितीयक डाटा संग्रह और संकलन किया गया है और तदानुसार राज्य स्तर पर भेधता मानचित्र तैयार किये गये थे।
- राज्य में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित ज्ञान प्रसार के लिए ब्रोशर के रूप में संसाधन सामग्री तैयार की गई थी अर्थात जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रमुख पहल "जलवायु बदल रही है, हम क्यों नहीं"? को तैयार कर प्रकाशित किया गया है।
- प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर संस्थागत द्विपक्षीय भागीदारी विकसित करने के लिए वसुधा फाउंउेशन के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा राज्य में जिला स्तरीय पर्यावरण कार्य योजना और हरियाणा के लिए ग्रीन हाउस गैस इन्वेन्टरी तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

जलवायु परिवर्तन सैल

8.92 एन.ए.पी.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श उपरान्त तैयार किया गया और जिसके लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजैंसी है। राज्य संचालन समिति ने राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को पहले ही मन्जूरी दे दी है। वर्ष 2021–22 के दौरान 36 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तरीय प्लान का सृजन

8.93 कार्यशालाओं और एस.ए.जी. की बैठको के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को आगे बढाने के लिए राज्य में राष्ट्रीय अनुमूलन कोष के तहत निम्नलिखित 2 परियोजनाओं को मजूंरी दी गई है और कियान्वित की जा रही हैं।

- पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा हरियाणा में जलवायु रेजिलेन्ट कृषि को ऊपर उठाने के लिए राज्य द्वारा 250 जलवायु स्मार्ट गांव स्थापित करने के लिए 22.09 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत कृषि विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के 10 जिलों नामतः करनाल, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, जींद, पानीपत और सोनीपत में 100 जलवायु स्मार्ट गांवों का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्धेश्य बढ़ते तापमान, कम होते पानी के स्तर और अन्य कारकों के कारण कृषि पर जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसेकि बढते तापमान, कम होते पानी के स्तर और अन्य कारकों पर काबू पाना है।
- पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर क्लाइमेट चेंज रैसिलैंस बिल्डिंग के लिए 27.14 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई, जिसमें से 7.56 करोड़ रुपये की राशि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 03–05–2018 में कृषि विभाग को जारी कर दी गई है।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्टीरिंग कमेटी द्वारा 2 परियोजनाओं को अनुमति दे दी गई है जिसमें इन परियोजनाओं को फंडिग हेतु एन.ए.एफ.सी.सी. के तहत पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन को भेज दिया गया है।

- पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सी.सी.एस., एच.ए.यू.,आई.सी.ए.आर.–सी.आई.आर.बी., हिसार द्वारा कृषि जैव विविधता पार्क के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये तक की फंडिग की गई।
- हरियाणा की जलवायु परिवर्तन वातानुकूलन की तैयारी के लिए पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन को 18 करोड़ रुपये की फंडिग एच.ए.आर.एस.ए.सी., सी.सी.एस. द्वारा प्रस्तुत की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन (एस.ए.पी.सी.सी.)

8.94 जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन द्वारा वांछित रूप में लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित अशंदान (आई.एन.डी.सी.) के तहत किये गये प्रतिबद्वताओं के प्रकाश में संशोधन की प्रक्रिया अधीन है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के पुर्नरीक्षण के मामले में जलवायु परिवर्तन पर राज्य सलाहकार समूह की बैठक में पहले ही चर्चा हो चुकी है। आई.एन.डी.डी.सी के लक्ष्यों के अनुसार जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के पुर्नरीक्षण के लिए 8 कार्य समूहों का गठन किया गया।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के दिशा–निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि उनके संरक्षण और प्रबन्धन द्वारा राज्य में आर्द्र भूमि की पहचान की जा सके।
- वेटलैंड अथारिटी में 13 पदेन सदस्य है और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के तहत कुल 32 पद स्वीकृत किये गये हैं।
- आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी समिति एवं शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- नजफगढ जल निकाय में आर्द्रभूमि होने की अधिसूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की दो बैठकें बुलाई गई है।
- फरीदाबाद जिले के बड़खल और मयूर झील तथा करनाल जिले की कर्ण झील को आर्द्र भूमि के रूप में पुर्नजीवित करने के लिए एक प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के सभी 22 उपायुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि अपने–अपने जिलों से दो–दो वेटलैंडस के कायाकल्प के काम शुरू किया जा सके।

एनविस

8.95 पर्यावरण, सूचना प्रणाली हब की स्थापना पर्यावरण से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करके प्रसारित करने हेतु की गई है। पर्यावरण सूचना प्रणाली हब में 4 पद मन्जूर किये गए हैं जिसमें 2 पद भरे गए हैं।

- राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण के लिए आई.एस.बी.ई.डी. जियो–डाटाबेस का संग्रह करना।
- पर्यावरण से सम्बन्धित सभी दिवस पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एनविस के माध्यम से नियमित रूप से मनाये जाते हैं।
- हरित कौशल विकास कार्यक्रम एनविस त्रैमासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन
- पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा 19.41 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई।

ईकों क्लबों की स्थापना

8.96 राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको क्लब स्कूल और 150 ईको क्लब कॉलेज स्थापित किये गये हैं। ये इको क्लब वृक्षारोपण की तरह राज्य भर में विभिन्न कियाकलाप कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना आदि। वर्ष 2021–22 में 250 लाख रुपये की राशि विभाग को प्राप्त हुई है जिसे 2,000 रूपये प्रति ईको क्लब के हिसाब से राज्य के 5,250 इको क्लब

स्कूलों में तथा 100 ईको क्लब कालेजों में बांटा जायेगा। राज्य में ईकों क्लबों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल की जायेगी। विभिन्न पर्यावरण मुददों पर मास्टर प्रशिक्षकों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला जल्द आयोजित की जायगी।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की मजबूती

8.97 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 42 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है और आगे की मजूंरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यटन भवन, बेस नं. 55–58, दूसरी मंजिल, सैक्टर–2, पंचकुला में स्थानांतरित कर दिया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा में अपीलकर्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अपीलकर्ता प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अपीलकर्ता प्राधिकरण के अधीन 7 पदों का सृजन विचाराधीन है। अपीलकर्ता प्राधिकरण, एच.एस.पी.सी.बी. से सम्बन्धित कानूनी मामलों के विवादों को हल करने के लिए कार्य कर रहा है।

सहकारिता

8.98 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार ने सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 27 राज्य योजनाओं (कल्याण एवं विकास योजनायें) के अन्तर्गत 1,40,282 लाख रूपये (द्वितीय अनुपूरक अनुदान सहित) एवं 7 एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 2,846 लाख रूपये का आबंटन किया है। आबंटित बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका 8.14** में दिया गया है।

तालिका 8.14–आबंटित बजट व व्यय का वर्षवार विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट आबंटन	व्यय
2016–17	105669.40	98402.28
2017–18	97805.11	96879.48
2018–19	103718.67	97707.00
2019–20	139729.35	121932.55
2020–21	99857.05	93659.58

स्त्रोतः रजिस्ट्रार सहकारी समितिया विभाग, हरियाणा।

8.99 सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाकर 362 रूपये प्रति क्विंटल और 355 रूपये प्रति क्विंटल क्रमशः अगेती किस्म और मध्य एवं पछेती किस्म के लिये निर्धारित किये हैं। पिराई सीजन 2020–21 के दौरान सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा 1,500.84 करोड़ रूपये के 429.35 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की एवं समस्त गन्ना राशि का भुगतान सभी सहकारी चीनी मिल्स ने राज्य सरकार द्वारा असुरक्षित ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई 511.55 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपरान्त गन्ना किसानों को दिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को 127.52 करोड़ रूपये अनुदान राशि के रूप में भी प्रदान किये गये है। दिनांक 31–10–2021 तक हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 3,327.20 करोड़ रूपये देय हैं जोकि सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से बकाया गन्ने के भुगतान हेतु ऋण के रूप में दिये गये।

राष्ट्रीय पुरस्कार

8.100 हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने राष्टीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। 2019–20 के दौरान गन्ना विकास के लिए सहकारी चीनी मिल करनाल ने प्रथम पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता के लिए सहकारी चीनी मिल कैथल ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान सहकारी चीनी मिल कैथल ने गन्ना विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है और सहकारी चीनी मिल शाहबाद ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है।

स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण

8.101 पनीपत चीनी मिलों के सह–उत्पादन के साथ 1,800 टी.सी.डी. से 5,000 टी.सी.डी. तक स्थानान्तरण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस

परियोजना की अनुमानित राशि 354.94 करोड़ रूपये है। सहकारी शाहबाद चीनी मिल में 60 के.एल.पी.डी. इथेनाल प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 99 करोड़ रूपये है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.102 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2020–21 में, सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे 45.11 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 37.09 करोड़ रूपये सब्सीडी के रूप में सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैक खातों में सीधे भुगतान किये गये।

8.103 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत मिल्क प्लांट जीन्द को 1,250 लाख रूपये और मिल्क प्लांट सिरसा को 572 लाख रूपये की मंजूरी दी है, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि इन दोनों दुग्ध संयत्रों के नवीनीकरण/सुधार के लिए ऋण के रूप में है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा, जिसमें से लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जायेगा एवं (ब्याज राहत के रूप में) 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। दुग्ध संयत्र रोहतक में टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जायेगा जिसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से 125 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है।

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2017–18	2018–19	2019–20
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	53.8	**56.4**	**59.1**
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	77.1	**90.7**	**91.2**
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	351.0	**289.0**	**246.7**
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	143.9	**161.1**	**145.9**
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	241.1	**223.8**	**226.2**
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	101.7	**112.5**	**108.9**
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	265.4	**324.2**	**312.0**
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	231.4	**129.6**	**130.3**
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	212.7	**223.1**	**185.9**
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	143.0	**150.4**	**175.4**
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	143.7	**151.9**	**145.3**
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	132.1	**92.5**	**92.6**
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	100.0	**105.1**	**118.5**
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	132.5	**155.0**	**168.1**
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	107.9	**94.5**	**94.5**
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	124.8	**155.6**	**169.1**
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	218.9	**253.5**	**286.6**
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	171.2	**175.7**	**265.1**
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	217.4	**224.8**	**203.8**
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	134.9	**148.8**	**187.7**
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	87.3	**97.0**	**110.8**
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	106.5	**77.3**	**87.7**
32	अन्य विनिर्माण	9.21	155.9	**155.3**	**232.9**
	विनिर्माण	**927.83**	**138.1**	**144.7**	**166.4**
	बिजली	**72.17**	**110.6**	**105.7**	**72.0**
	सामान्य सूचकांक	**1000**	**136.1**	**141.9**	**154.4**

स्त्रोतः– अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2 औद्योगिक उत्पाद वर्गों में वृद्धि

(आधार वर्ष **2011-12=100**)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2017–18	2018–19	2019–20
	निर्माण क्षेत्र	927.83	**138.1**	**144.7**	**166.4**
वर्ष 2019–20 के दौरान 10% से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	10.2	**2.6**	**50.9**
32	अन्य विनिर्माण कार्य	9.21	5.3	**-0.4**	**49.9**
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	5.4	**10.3**	**26.2**
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	36.0	**5.2**	**16.6**
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	7.5	**11.1**	**14.2**
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	12.5	**-27.4**	**13.5**
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	**-**2.9	**15.8**	**13.1**
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	**-**3.7	**5.1**	**12.7**
वर्ष 2019–20 के दौरान 5% से 10 % के बीच विकास दर वाले औद्योगिक वर्ग					
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	**-**7.6	**24.7**	**8.7**
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	13.2	**16.9**	**8.5**
वर्ष 2019–20 के दौरान विकास दर 5% से नीचे वाले औद्योगिक वर्ग					
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	7.0	**5.0**	**4.8**
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	1.7	**-7.2**	**1.1**
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	**-**2.2	**17.7**	**0.5**
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	56.1	**-44.0**	**0.5**
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	7.0	**-30.0**	**0.2**
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.6	0.2	**-12.4**	**0.0**
वर्ष 2019–20 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	16.8	**10.6**	**-3.2**
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	7.7	**22.2**	**-3.8**
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	9.3	**5.7**	**-4.3**
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	2.0	**3.4**	**-9.3**
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	**-**16.4	**12.0**	**-9.4**
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	4.9	**-17.7**	**-14.6**
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	0.2	**4.9**	**-16.7**

स्त्रोतः– अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2018–19	2019–20	2020–21 (स.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**65885.12**	**67858.13**	**76135.24**	**87733.22**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**50556.98**	**50224.69**	**54291.63**	**63738.26**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से ix)	**42581.34**	**42824.95**	**46528.95**	**52887.40**
i) भू –राजस्व	19.19	20.68	22.00	25.00
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6041.87	6322.70	7500.00	9200.00
iii) बिक्री कर	8998.00	8397.81	10350.00	11000.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	2908.29	2915.76	2500.00	3002.50
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	5636.17	6013.30	5500.00	5000.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	20.70	15.85	3.00	5.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	336.92	262.01	300.00	345.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	7.48	3.89	3.95	9.90
ix) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	18612.72	18872.95	20350.00	24300.00
आ) राज्य का अपना गैर–कर राजस्व (i से v)	**7975.64**	**7399.74**	**7762.68**	**10850.86**
i) ब्याज प्राप्तियां	1953.84	1974.86	1880.17	1915.91
ii) लाभांश तथा लाभ	56.60	87.01	80.07	80.07
iii) सामान्य सेवाएं	614.58	459.27	493.78	660.00
iv) सामाजिक सेवाएं	3076.64	2719.41	3056.83	3319.67
v) आर्थिक सेवाएं	2273.98	2159.19	2251.83	4875.21
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**15328.14**	**17633.44**	**21843.61**	**23994.96**
इ) केन्द्रीय करों का भाग	8254.60	7111.53	5950.92	7274.70
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	7073.54	10521.91	15892.69	16720.26
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**27332.66**	**35965.26**	**27021.61**	**39751.04**
i) कर्जे की प्राप्तियां	5371.90	5392.64	508.98	747.18
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	1600.00	5000.00
iii) उधार तथा अन्य ऋण	21911.75	30518.61	24912.63	34003.86
कुल प्राप्तियां (1+2)	**93217.78**	**103823.39**	**103156.85**	**127484.26**

स.अ.: संशोधित अनुमान
ब.अ.: बजट अनुमान
स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2018–19	2019–20	2020–21 (स.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**77155.54**	**84848.21**	**96991.49**	**116927.17**
क) विकासात्मक (i+ii)	**48764.77**	**52964.26**	**60537.54**	**77246.30**
i) सामाजिक सेवाएं	29743.19	33726.48	39544.32	43292.85
ii) आर्थिक सेवाएं	19021.58	19237.78	20993.22	33953.45
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	**28168.97**	**31883.95**	**36453.95**	**39680.15**
i) राज्य की विधाएं	1030.75	1176.61	1148.88	1436.37
ii) वित्तीय सेवाएं	485.93	530.08	640.01	637.87
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	13551.46	15588.01	17642.64	20376.42
iv) प्रशासनिक सेवाएं	4960.64	5606.89	6562.22	7038.36
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	8140.19	8982.36	10460.20	10191.13
ग) अन्य*	**221.80**	**0.00**	**0.00**	**0.72**
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड)	**16062.24**	**18975.18**	**6165.36**	**10557.09**
घ) विकासात्मक (i से ii)	**15295.08**	**18321.76**	**5377.44**	**9684.73**
i) सामाजिक सेवाएं	3806.86	3235.17	3329.89	4665.37
ii) आर्थिक सेवाएं	11488.22	15086.59	2047.55	5019.36
ड़) गैर विकासात्मक (i से ii)	**767.16**	**653.42**	**787.92**	**872.36**
i) सामान्य सेवाएं	714.56	586.16	475.92	729.36
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	52.60	67.26	312.00	143.00
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**93217.78**	**103823.39**	**103156.85**	**127484.26**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**64059.85**	**71286.02**	**65914.98**	**86931.03**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख+ड़)	**28936.13**	**32537.37**	**37241.87**	**40552.51**
6. अन्य* (ग)	**221.80**	**0.00**	**0.00**	**0.72**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2018–19	2019–20	2020–21 (स.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)489.58	(-)794.56	(-)1644.39	(-)1009.42
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)525.49	(-)782.13	(-)1631.96	(-)996.99
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	65885.12	67858.13	76135.24	87733.22
ख) खर्च	77155.54	84848.21	96991.49	116927.17
ग) अधिशेष/घाटा	(-)11270.42	(-)16990.08	(-)20856.25	(-)29193.95
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	1600.00	5000.00
4. पूंजीगत परिव्यय	15306.60	17665.93	5065.39	9317.66
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	34264.97	44431.82	48141.60	58314.00
ख) पुनः अदायगी	17183.87	15775.51	33781.44	28161.19
ग) निवल	17081.10	28656.31	14360.16	30152.81
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	755.64	1309.25	1099.97	1239.43
ख) वसूलियां	5371.90	5392.64	508.98	747.18
ग) निवल	4616.26	4083.39	(-)590.99	(-)492.25
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	800.00	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	800.00	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	1167.71	1247.23	1517.10	1544.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	3187.24	(-)181.02	9425.34	2834.06
12. प्रेषण (निवल)	170.72	(-)53.74	245.00	(-)62.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(-)304.98	(-)849.83	634.97	465.01
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)794.56	(-)1644.39	(-)1009.42	(-)544.41
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-)782.13	(-)1631.96	(-)996.99	(-)531.98

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2018–19	2019–20	2020–21 (स.अ.)	2021–22 (ब.अ.)
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**88483.66**	**99056.88**	**97591.58**	**106659.28**
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	31816.47	35605.26	40136.40	44532.79
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	27379.87	30523.94	33293.46	36600.76
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	3999.51	4731.63	6244.74	7377.88
iii) उदार हस्तांतरण	437.09	349.69	598.20	554.15
2. चालू हस्तांतरण*	32764.73	37185.96	46562.83	49514.18
3. सकल पूंजी निर्माण	8374.94	10323.36	2814.74	6544.50
4. पूंजीगत हस्तांतरण	9026.50	8709.82	7759.86	8879.49
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	5578.95	5841.13	(-)830.67	(-)4150.77
6. कर्ज तथा अग्रिम	755.65	1309.25	1099.97	1239.43
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	166.42	82.10	48.45	99.66
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**5152.03**	**5107.23**	**5186.83**	**6663.82**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	1344.65	1225.93	1171.74	1231.80
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1831.71	1864.33	2511.42	3045.86
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	43.87	43.87	43.97	43.97
4. ब्याज	717.66	780.36	680.16	680.16
5. सकल पूंजी निर्माण	1178.05	1168.21	733.04	1587.02
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	36.09	24.53	46.50	75.01
कुल व्यय (I+II)	**93635.69**	**104164.11**	**102778.41**	**113323.10**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।